

भारतीय स्त्रियाँ

[श्रीमती महारानी साहवा, उडौदा, की
The Position of Women in Indian Life
के आगर पर लिपित]

अनुवादक

रामचंद्र वर्मा

प्रकाशक

गंगा पुस्तकमाला कार्यालय

लखनऊ

प्रथमावृत्ति

मजिस्ट्रेट २१] मय १९२३ [अगस्त १९१९

प्रकाशक
श्रीहोटेनाथ भागवत घी० एन्०-सी०, एल् एन्० घी०
गंगा-पुस्तकमाला कार्यालय
लखनऊ



मुद्रक
श्री केदारनाथ भागवत
इलाहाबाद थोरियटल प्रेस
लखनऊ

निवेदन

श्रीमती महारानी, यडौदा, और श्रीयुत एस्० एम्० मित्र लिखित 'The Position of Women in Indian Life'-नामक पुस्तकका यह छायानुवाद हिंदी पाठकों और पाठिकाओं की सेवा में उपस्थित किया जाता है। जिस समय यह पुस्तक प्रकाशित हुई था, उसी समय अपने मित्र श्रीयुत नाथूरामजी प्रेमी की प्रेरणा से मैंने इस पुस्तक का सारांश, हिंदी भाषियों के लिये, प्रस्तुत करने का विचार किया था। पर कुछ ही दिनों बाद मैंने सुना कि इसका पूरा अनुवाद मध्य भारत के किसी सज्जन ने कर डाला है, इसलिये मैंने यह विचार छोड़ दिया। पर मैं नहीं कह सकता कि यह अनुवाद प्रकाशित हुआ या नहीं, क्योंकि वह आज तक यहाँ मेरे देखने में नहीं आया। अब यह पुस्तक श्रीयुत दुलारेलालजी भागव की प्रेरणा और कृपा से प्रकाशित हो रही है। आशा है, हमारे देश के पुरुष और स्त्रियों इससे कुछ-न-कुछ लाभ अवश्य उठावेंगी।

पर एक बात में अवश्य कह देना चाहता हूँ। वह यह कि इस पुस्तक में जो-जो विचार प्रकट किए गए हैं और जो-जो काम घतलाए गए हैं, वे इतने उन्नत और अग्रसर हैं कि अभी हम भारतवासी उन तक जल्दी पहुँच भी नहीं सकते। यह बात स्वयं श्रीमती महारानी, यडौदा, ने भी अपनी भूमिका में स्वीकार की है। बल्कि मेरी तो यह धारणा है कि इसकी बहुत-सी बातें ऐसी हैं, जिनसे हमारे देश की स्त्रियों की अपेक्षा स्वयं पुरुषों को ही विशेष लाभ उठाना चाहिए। स्त्रियों के लिये भी इस पुस्तक

में बहुत-से ऐसे नए कार्य क्षेत्र मिलेंगे, जिनमें प्रवेश करके वे बहुत कुछ लाभ उठा सकेंगी। हमारे देश की स्त्रियों में शिक्षा का अभी बहुत ही थोड़ा प्रचार है। जो स्त्रियाँ थोड़ा बहुत पढ़ लिख सकती हैं, वे यदि यह पुस्तक पढ़ें भी, तो इसकी कुछ बातें या तो जल्दी उनकी समझमें हीन आवेंगी, अथवा उन्हें ग्रहण करना वे अपनी मर्यादा के विरुद्ध समझेंगी। पर, फिर भी, यदि वे चाहेंगी, तो अपने लिये कुछ-न-कुछ नया काम अग्रश्य निकाल सकेंगी, और उससे अपने परिवार, समाज और देश का भी कुछ-न-कुछ कल्याण कर सकेंगी। इस पुस्तक के पढ़ने से पाठकों को एक और बात का भी पता चल जायगा। वह यह कि पाश्चात्य देशों की स्त्रियाँ भी उन्नति के क्षेत्र में इतना अधिक आगे बढ़ी हुई हैं कि हमारे देश के पुरुष भी अभी तक उतना आगे नहीं बढ़ सके हैं। अतः मेरा तो यह विश्वास है कि इस पुस्तक से हमारे देश की केवल स्त्रियाँ ही नहीं, बल्कि पुरुष भी बहुत कुछ लाभ उठा सकते हैं। यदि इससे हमारे देशवासियों का कुछ भी लाभ होगा, तो मैं अपना परिश्रम सफल समझूँगा।

अतः मैं मैं यह भी निवेदन कर देना चाहता हूँ कि यह पुस्तक अंगरेजी मूल पुस्तक का निरा और पूरा अनुवाद ही नहीं है। इसमें आवश्यकतानुसार बहुत-सी बातें घटाई और जहाँ-तहाँ कुछ बढ़ाई भी गई हैं।

धर्मरूप, काशी
शरद पृथ्वीमा १९२३

} रामचंद्र वर्मा

मूल पुस्तक की भूमिका

इधर जब कई धार हमें थारप और अमेरिका जाने का अवसर मिला, तब स्वभावतः हमारा ध्यान उस अंतर की ओर गया, जो अंगरेजी तथा भारतीय सार्वजनिक जीवन में, स्त्रियों की परिस्थिति में, है। हमने देखा कि पाश्चात्य देशों की सार्वजनिक सस्थाओं में तो स्त्रियाँ बहुत कुछ काम करती हैं, पर हमारे देश की स्त्रियाँ ऐसे कामों से एक प्रकार से बिलकुल अलग रहती हैं। पाश्चात्य देशों के सार्वजनिक कार्यों में स्त्रियाँ और पुरुषों में जो सहयोग देखने में आता है, उसका भारत में कोई नाम भी नहीं जानता। भारतवर्ष में जितने सार्वजनिक कार्य होते हैं, वे सब पुरुषों के ही द्वारा। पर इसका कारण जानने के लिये हमें दूर जाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि पाश्चात्य देशों में, मानव-कल्याण के लिये, जितने प्रकार की उपयोगी सस्थाएँ होती हैं, उतने प्रकार की और बड़ी सस्थाएँ हमारे यहाँ प्रायः हैं ही नहीं। और, यदि कहीं कुछ सस्थाएँ नाम मात्र के लिये हैं भी, तो उनका कोई विशेष प्रभाव देखने में नहीं आता। आखिर इतने बड़े अंतर का कारण क्या है? क्या भारतीय स्त्रियाँ जो सदा सब सार्वजनिक कार्यों से अलग ही रहना चाहिये? इसका उपाय क्या है, और वह उपाय क्या किस प्रकार जाना चाहिये?

जब-जब हमें पाश्चात्य देशों में जाना पड़ता था, तब-तब ये प्रश्न हमारे मन में ज्यादा जागें से उठते थे, और यह विचार उत्पन्न होता था कि क्या हमारे द्वारा कोई ऐसा काम हो सकता है, जिससे हमारी भारतीय बहनें युगों से चला आता हुआ आलस्य त्यागकर उठें, और भारतवर्ष के सार्वजनिक कार्यों में अपना उपयुक्त स्थान प्राप्त करें । इसलिये हमने पाश्चात्य—अंगरेजी, योगपियन और अमेरिकन—प्रणालियों का, जो हमारे देखने में आती थीं, ज्ञान प्राप्त करने का उद्योग आरंभ किया । हमारे मन में यह भाव दृढ़ होने लगा कि अपनी यात्राओं में स्त्रियों की परिस्थिति से सवध रखनेवाली जो-जो बातें हमें मालूम हों, उन्हें अपनी भारतीय बहनों को भी उनके उपकार के लिये बतलावें । इस प्रकार हमें जो कुछ अनुभव प्राप्त होते थे, उन्हें अपने देश की स्त्रियों के नामने रखन की हमें इसलिये उन्कडा होती थी, जिससे भारतवर्ष के सभी भागों से हमें इस सवध में सम्मतियाँ आदि प्राप्त हों, और इन सवध में लोगों के भागों आदि का पता लगे । साथ ही हमें यह भी आशा थी कि इन पाश्चात्य सस्थाओं में कुछ तो अवश्य ऐसी हैं, जैसी अपने देश की परिस्थितियों को देखते हुए थोड़े बहुत सुधार और परिवर्तन के माथयहाँ भी स्थापित की जा सकती हैं । पर यहाँ हमें एक बहुत बड़ी कठिनाई हुई, जो पहलेपहल किसी प्रकार दूर होती हुई दिगलाई ही नहीं देती थी । पाश्चात्य सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों का दशा और उनकी उपयोगी

संस्थाओं से अलग होना और घात थी, और तत्संबंधी अपने भावों को ऐसे लोगों पर, जो कभी अपने देश से बाहर न गए हों, प्रकट करना और घात । इसके लिये सब बातों का केवल ठाक ठोक और पूरा ज्ञान होने की ही आवश्यकता नहीं थी, बल्कि भारतीय आवश्यकताओं का ध्यान और हिंदू-वर्ण व्यवस्था पर दृष्टि रखते हुए, देखी और समझा हुई सब बातों को ध्यानपूर्वक और उत्तम शैली से संपादित करना भी आवश्यक था । इसलिये हमने देखा कि हमें किंसा ऐसे सुयोग्य और विद्वान् माहित्यिक व्यक्ति के सहयोग की आवश्यकता है, जिसने वहीं रहकर इस विषय का विशेष ज्ञान प्राप्त किया हो, और जो इस विषय पर अच्छी तरह लिख सकता हो । इसके उपरान्त हमारे मन में यह प्रश्न उठा कि यह काम किन्हीं अंगरेज को सौंपा जाना चाहिए, अथवा अपने ही देश के किसी आदमी को ? हमारी यह धारणा है कि अंगरेज चाहे कितना ही चतुर क्यों न हो, पर वह हिंदू-वर्ण-व्यवस्था की उन सूक्ष्मताओं को, जो भारत की प्रत्येक संस्था का बहुत महत्वपूर्ण अंग हैं, सभ्यतः अच्छी तरह नहीं समझ सकता । इन्हीं सब कारणों से अपनी अंतिम इंग्लैंड यात्रा के समय हमने यह निश्चय किया कि हम अपने विचारों को क्रमबद्ध करने प्रकट करने का काम सुप्रसिद्ध हिंदू लेखक श्रीयुत एम्० एम्० मिश्र को सौंपें, जो सात वर्ष तक मुसलमानों की बड़ी रियासत, हैदराबाद, में रहकर मुसलमानी तौर-तरीकों का भी अच्छा

ज्ञान प्राप्त कर चुके हैं। यह तुरत हमारी सूचना के अनुसार काम करने के लिये उद्यत हो गए, और लौटकर इंग्लैंड आने पर हमने देखा कि उन्होंने हमारे विचारों के संपादन का कार्य समाप्त कर दिया है, तथा सात वर्ष तक इंग्लैंड में रहकर और पाश्चात्य समाज विज्ञान का अध्ययन करके, उन्होंने स्वयं जो मूल्यवान ज्ञान प्राप्त किया था, उसे भी उसमें घटा दिया है। इस प्रकार इस पुस्तक की रचना हुई है, और अब यह इस आशा से प्रकाशित की जा रही है कि भारतवर्ष के सब भागों से इस संबंध में सम्मितियों आदि एकत्र हों, और उन सब सम्मितियों का विचार पूर्वक संपादन हो, जिससे यह निश्चय किया जा सके कि स्त्रियों के संगठन का विचार किस प्रकार कार्य-रूप में परिचलित किया जाय। इस वर्ष राज्याभिषेक हो रहा है, और भारतवर्ष से प्रधान प्रधान पुरुष और स्त्रियाँ इंग्लैंड आई हुई हैं। अतः हमें यह आशा करनी चाहिए कि इन लोगों ने ब्रिटिश सामाजिक व्यवस्था के सब अंगों का भली भाँति अध्ययन कर लिया होगा, और उन्होंने यह जानने का उद्योग भी किया होगा कि वे कौन-से स्तम्भ हैं, जिन पर ब्रिटिश संस्थाओं की इतनी बड़ी इमारत खड़ी हुई है—विशेषतः यह जानने का प्रयत्न किया होगा कि जिस जाति का साम्राज्य इतिहास में सबसे अधिक विशाल और विस्तृत है, उस जाति की सामाजिक और नैतिक व्यवस्था के संचालन या निर्वाह में स्त्रियाँ क्या-क्या करती हैं।।

इन पृष्ठों में जो त्रिचार प्रकट किए गए हैं, वे स्थभावत केवल ढांचे और अपूर्ण सूचनाओं का रूप में हैं, क्योंकि इनमें जिन विषयों पर केवल थोड़ी-सी पाक्तियाँ ही लिखी गई हैं, उनमें प्रत्येक पर थड़े-थड़े प्रथ लिख जा सकते हैं। इसमें जिन कार्यों का वर्णन है, उनमें से कुछ तो परीक्षा-रूप में, थडौदे में, किए भी गए हैं, पर वे न ता केवल खिया के हो लाभ के लिये किए गए हैं, और न केवल खियों के ही सहयाग से हुए हैं। उदाहरणार्थ, जसा कि सन् १९०८-९ का थडौदा की शासन सबधी रिपोर्ट (Baroda Administration Report) में विवेचन किया गया है, पुर्यों ने कोथापरेटिव क्रेडिट सासाइटियों (Co operative Credit Societies) की थच्छे विस्तार से स्थापना की है। उक्त रिपोर्ट से यह सूचित होता है कि उस वर्ष क अत में वहाँ कुल मिलाकर ऐसी वत्तीस सासाइटियाँ था। कृषकों के बरु (Agricultural Banks) भी काम कर रहे हैं। पर साथ ही यह बात भी स्वीकार करनी पडती है कि इन सब कामों में जो उध्रति हा रही है, वह मद गति से हो रही है। दिसबर, १९०८ में एक आदर्श कृषिशाला भी स्थापित की गई थी, जिसके प्रधान अध्यापक एक डिप्लोमा प्राप्त सज्जन हैं, जो विद्यार्थियों को पूर्वी और पश्चिमी प्रणालियों की तुलना करते हुए शिक्षा दे सकते हैं। नवयुवक अपराधियों के लिये एप्रिल, १९०८ में 'बोस्ट्रल प्रणाली' की व्यवस्था की गई थी, और 'थाना प्रणाली' भी चलाई गई थी, जिसके

देश का अपनी जातीय विशेषताओं की रक्षा करने का भी उसी प्रकार प्रयत्न करना चाहिए, जिस प्रकार स्त्रियों और पुरुषों को, एक दूसरे की नक़ल न करके, अपने विशिष्ट गुणों से ही सबसे अधिक काम लेना चाहिए। जो बातें हमारे आदत के बिलकुल खिलाफ हों, और जो हमारे लिये बिलकुल विदेशी हों, उन्हें जल्दी से न ग्रहण कर लेना चाहिए। प्रसिद्ध अंगरेज दार्शनिक शेकन ने कहा है—“बहुत अच्छा हो, यदि लोग पुरानी बातों को छोड़कर नई बातें ग्रहण करने के समय स्वयं समय काही अनुकरण करें। समय में अवश्य ही बहुत बड़ा परिवर्तन होता रहता है, पर वह परिवर्तन इतना धीरे धीरे होता है कि किसी का दिखलाई ही नहीं देता।

और, जब तक कोई बहुत बड़ी आवश्यकता न आ पड़े, या उपयोगिता भली भाँति सिद्ध न हो जाय, तब तक, केवल परीक्षा के लिये, कोई प्रयोग राज्य या राष्ट्र की ओरसे न किया जाना भी अच्छा है।” कई बातों में अनुभव से यह सिद्ध हुआ है कि पूर्वी देशों में पाश्चात्य विचारों का जो बोझारोपण किया गया है वह भली भाँति सफल नहीं हुआ है, और कुछ वानें पेसी हैं, जिनके सबध में इंग्लैंड और भारतवर्ष में बहुत अधिक अंतर है, और पेसी बातों में एक मुख्य बात अमर्जीवियों के सबध का प्रश्न है। पर यह भी सभव है कि लोग बहुत अधिक अनुदार या सकुचित विचारों के हो जायँ। पेसी अवस्था के सबध में भी उसी दार्शनिक ने कहा है—“दुराग्रह-पूर्वक पुरानी लकीर पीटते

भारतीय स्त्रियाँ



श्रीमती महारानी साहना वडौदा

चलना भी उतना ही घुरा है, जितना बहुत जल्दी कोई नई घात ग्रहण कर लेना, और जो लोग बहुत पुरानों बातों को ही अधिक आदरणीय और प्राह्य समझने हैं, वे नए की दृष्टि में घृणित हो जाते हैं।”

सब बातों का अच्छी तरह विचार करते हुए हमें आशा है कि भारतीय सार्वजनिक जीवन में स्त्रियों की अवस्था सुधारने और उन्नत करने में अवश्य कुछ-कुछ काम किया जा सकता है। हमारा विश्वास है कि इस पुस्तक की सब बातों से यह अच्छी तरह स्पष्ट कर दिया गया है कि स्त्रियों और पुरुषों में किसी प्रकार का विरोध होने की नहीं, बल्कि सहयोग की आवश्यकता है, और यह बात भी स्पष्ट कर दी गई है कि स्त्रियाँ जितने अच्छे-अच्छे काम कर सकती हैं, उन सबके लिये उन्हें पुरुषों के पथ प्रदर्शन की उसी प्रकार आवश्यकता होती है, जिस प्रकार पुरुषों का अपनी जीवन-यात्रा में स्त्रियों की सहायता और सहानुभूति की। स्त्रियों का व्यक्तित्व पुरुषों के व्यक्तित्व से अवश्य ही बहुत अधिक भिन्न है। दोनों के अलग-अलग विशिष्ट गुणों की जड़ बहुत गहरी है, और उन गुणों को दबाने का यदि प्रयत्न किया जायगा, तो उससे सभ्यता विकास तो नहीं होगा, पर क्रांति अवश्य हो जायगी। पुरुषों और स्त्रियों के शारीरिक संगठन में जो अंतर हैं, वे दोनों में अलग-अलग विशिष्टताएँ उत्पन्न करते रहेंगे। ऐसी विशिष्टताओं और अंतरों

को नहीं रोक्ना चाहिए, बरिक्त अच्छी तरह उनका विकास और वृद्धि होने देना चाहिए। इसका परिणाम यह होगा कि बहुत दिनों से दोनों में जो विभेद और अंतर चले आ रहे हैं, उनका ध्यान रखते हुए, प्राकृतिक रीतियों से, अच्छी तरह विकास हो सकेगा।

इस पुस्तक में ब्रिटिश-संस्थाओं का जो वर्णन दिया गया है, उसके अतिरिक्त कुछ ऐसी संस्थाओं का भी थोड़ा विवरण दे दिया गया है, जो अन्यान्य देशों—प्रिंसेपत सत्तार के अग्रगणी देशों के प्रतिनिधि फ्रांस, जर्मनी और अमेरिका आदि—में स्त्रियों के हित के लिये परीक्षार्थ प्रचलित की गई हैं। आशा की जाती है कि जापान सबधी प्रकरण ज्यादा दिलचस्पी के साथ पढा जायगा। जापान पर हमारा यह दृढ़ विश्वास हो गया था, कि वहाँ के पुरुषों ने जितनी अप्रिक उन्नति की है, उतनी अधिक वहाँ की स्त्रियों ने नहीं की है।

अतः मैं हम श्रीयुत मित्र को उनके परिश्रम के लिये धन्यवाद देती हूँ, जिनके कारण हमारे विचारों को इस प्रकार पूर्णता प्राप्त हुई है, और जिन्होंने इस पुस्तक के सवध में सबसे पहले, विचार उत्पन्न होने से लेकर अंतिम प्रूफ-संशोधन तक, सभी कामों में हमारे साथ हार्दिक सहयोग किया है।

लदन

२० जुलाई १९११

भारतीय स्त्रियाँ

पहला प्रकरण

स्त्रियों का आन्दोलन

जिस समय बीसवीं शताब्दी का इतिहास लिखा जायगा, उस समय उसमें कदाचित् सयने अधिक महत्त्व का प्रकरण स्त्रियों के विकास के संबंध का होगा। इस समय सारे मसालों में सभी वर्गों की स्त्रियों में एक नवीन जीवन का संचार हो रहा है। अमीर और गरीब, पढ़े लिखे और बिना पढ़े लिखे, सभी लोग यह बात समझ रहे हैं कि अब एक ऐसा युग आ रहा है, जिसमें स्त्रियों की उपयोगिता बहुत अधिक बढ़ जायगी, और उनसे सभी प्रकार के बहुत-से नए-नए काम लिए जायेंगे। इस समय इस संबंध में चारों ओर अज्ञान का काम हो रहा है, और सभी देशों की स्त्रियाँ अपनी बहनोई की उन्नति करने और उनमें ज्ञान का प्रसार करने के लिये मिलकर काम करना चाहती हैं। उनके इस प्रयत्न का उद्देश्य यह है कि इस आन्दोलन को ससार-व्यापी बनाने में सब लोग मिलकर काम

करें। स्त्रियों की यह तत्परता एक बहुत ही शुभ लक्षण है, और इस समय सारे ससार में जिस नवीन भ्रातृ-भाव का संचार हो रहा है, यह आन्दोलन उनके विलकुल अनुकूल है। योरप और अमेरिका की स्त्रियों में इस समय एक ही प्रकार के भाव काम कर रहे हैं। ये भाव अब इतने अधिक प्रबल हो गए हैं कि एशिया की स्त्रियों में भी जागृति होने लग गई है, नवीन जीवन का संचार होने लगा है।

यह विषय विशेष रूप से विचार करने-योग्य है। बहुत-से नेता और सार्वजनिक कार्य करनेवाले इस सघम में यों ही जो शोर मचा रहे हैं, उनके अतिरिक्त बहुत-सी स्त्रियाँ और पुरुष ऐसे भी हैं, जो सचे हृदय से इस आन्दोलन की उपयोगिता स्वीकार करते हैं। इतने बड़े आन्दोलन की उन्नति की अपेक्षा नहीं की जा सकती। इसलिये हम भारत की स्त्रियों को यह बात बतला देना चाहते हैं कि ससार के और और देशों में, सार्वजनिक कार्यों में, स्त्रियों का क्या स्थान है, उन्होंने अब तक क्या-क्या किया है, और अब वे क्या करना चाहती हैं। और, इसी उद्देश्य से हम यहाँ पर सारे ससार की स्त्रियों का सक्षिप्त इतिहास दे देना चाहते हैं। इस समय और और देशों में स्त्रियाँ जो जो काम कर रही हैं, उनमें अवश्य कुछ काम ऐसे हैं, जो अनेक कारणों से हमारे यहाँ की स्त्रियों के करने-योग्य नहीं हैं, और उनसे हम लोगों को बचना चाहिए। पर साथ ही कुछ काम ऐसे भी हैं, जिनका हमें अनुकरण करना चाहिए—जिन

स्त्रियों का आदोलन

कामों को हमारे देश की स्त्रियों को भा अपने हाथ में लेना चाहिए ।

अब तक जो कुछ पता चला है, उससे यही जान पड़ता है कि विलकुल आरम्भिक काल में, सभी देशों में, स्त्रियाँ और पुरुष एक साथ रहा करते थे, और उनके पास जो कुछ धन-सम्पत्ति होती थी, उस पर दोनोंका समान रूपसे अधिकार होता था । कुछ लोगों का विश्वास है कि भारतीय और योरपियन, दोनों के पूर्वज एशिया में हिंदूकुश पर्वत के पास रहते थे । पर बाद के कुछ विद्वानों ने खोज से यह पता लगाया है कि उनका-निवास-स्थान योरप के उत्तर पूर्वी प्रांतों में था । पर हमें यहाँ इन बातों से कोई मतलब नहीं । हम यह जानते हैं कि वे सब लोग एक ही भाषा बोलते थे । जान पड़ता है कि विलकुल आरम्भिक काल में स्त्रियाँ शारीरिक दृष्टि से भी और मानसिक दृष्टि से भी पुरुषों के समान ही होती थी । हमारे इस कथन का प्रमाण यह है कि इस समय ससारमें जो थोड़ी-सी जंगली जातियाँ बची हुई हैं—और जो कदाचित् इस समय भी उसी अवस्था में हैं, जिस अवस्था में हमारे पूर्वज अपने पहले निवास-स्थान में थे—उन जातियों की स्त्रियाँ और पुरुषों में न तो शारीरिक दृष्टि से और न मानसिक दृष्टि से ही कोई विशेष अंतर देखने में आता है । अनुमान से यह भी जान पड़ता है कि इसके उपरांत एक समय ऐसा आया, जब वे लोग अपनी-अपनी अलग-अलग टोलियों बनाकर इधर-उधर बढ़ने लगे,

श्रौर धीरे धीरे फैलते हुए ससार के भिन्न भिन्न भागों में जा बसे, श्रौर वहाँ उन लोगों ने राष्ट्रों या जातियों का रूप धारण कर लिया। नए देशों की नई परिस्थितियों श्रौर नए जल-वायु में पहुँचकर उनमें भी बहुत-सा नई-नई घातें पैदा हो गईं, श्रौर उन लोगों में परस्पर इतना अधिक भेद उत्पन्न हो गया कि वे एक दूसरे से बिराकुल अलग जान पड़ने लगे।

जिस समय मनुष्य समाज की बिलकुल आरम्भिक अवस्था थी, उस समय स्त्रियाँ श्रौर पुरुषों में कोई स्थायी सबंध नहीं होता था। पर इसमें अनेक प्रकार की हानियाँ श्रौर दोष दिखाई पड़ने लगे, जिसके कारण विवाह की प्रथा चली, श्रौर इसी प्रथा की कृपा से गृहस्थी, वंश श्रौर जाति आदि की सृष्टि हुई। उस समय स्त्रियाँ बर्धा का पालन-पोषण किया करती थीं, परिवार के लोगों के रहने के लिये कोपटियाँ आदि बनाया करती थीं, पहनने के लिये कपडे तैयार करती थीं, भोजन बनाकर घर के लोगों को खिलाया करती थीं, श्रौर इसी प्रकार के श्रौर अनेक काम किया करती थी। तापर्य यह कि घर में बैठकर करने योग्य जितने काम हुआ करते थे, वे सब ही स्त्रियों करती थीं, श्रौर जो काम घर से बाहर के हुआ करते थे, उन्हें पुरुष किया करते थे। आगे बढ़कर जब मनुष्यों की संख्या बढ़ने लगी, तब लोगों को अनाज आदि खाने की आवश्यकता जान पड़ने लगी। उस समय रोठ जोतने श्रौर बाने आदि का काम तो पुरुष करते थे, श्रौर

फसल काटने या शनाज साफ करके घर में रखने का काम स्त्रियों के जिम्मे रहता था । परन्तु उस समय भी और उसके चहुत दिनों बाद तक भी स्त्रियों सत्र प्रकार से पुरुषों के अधीन रहती थीं, और पुरुषों का उन पर पूरा पूरा अधिकार हुआ करता था । यहाँ इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हम जो कुछ कह रहे हैं, वह सारे ससार के सबध में है, किसी एक देश या जाति के सत्र में नहीं । साथ ही यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारे भारत में तो स्त्रियों अत्र तक बहुत कुछ प्राय इसी दशा में है, पर ससार के और और देशों में, जो भारत की अपेक्षा कहीं अधिक उन्नत समझे जाते और अनेक अशों में हैं भी, स्त्रियों की दशा बहुत अधिक उन्नत है । हम यह नहीं कहते कि हमारे देश की स्त्रियों को भी सब बातों में उन्नत देशों की स्त्रियों का ही अनुकरण करना चाहिए, परन्तु हमारे कहने का तात्पर्य यह है कि हमारे देश की स्त्रियों को यह जानना चाहिए कि और और देशों में स्त्रियों की क्या अवस्था है, और उनका कौन कौन-सी बातें ऐसी हैं, जिनका हमारे देश की स्त्रियों को अनुकरण करना और किन किन बातों से बचना चाहिए ।

इसमें सदेह नहै कि इतिहास के आरम्भिक काल में भी एक समय अवश्य ऐसा था, जब स्त्रियों का बहुत अधिक आदर था, और लोग उन्हें देवियों की तरह पूजते थे । हमारे भारतवर्ष में तो यह भाव और देशों की अपेक्षा और भी बढ़ा चढ़ा था । स्त्रियों यहाँ साक्षात् लक्ष्मी मानी जाती थीं । जिस समय योरप

आदि देशों में सभ्यता के विकास का आरम्भ भी नहीं हुआ था, उससे भी बहुत पहले हमारे यहाँ स्त्रियाँ का आदर मान बहुत बढ़ा-चढ़ा था। इन बात का प्रमाण रामायण और महाभारत के अनेक आख्यान हैं। दुःख में तो स्त्रियाँ साथ रहती ही थीं; पर दुःख में वे और अधिक उपयोगी हो जाती थीं, और अपने प्रेमपूर्ण परामर्श तथा और और बातों से वे पुरुषों को अनेक प्रकार से सहायता देकर उनका दुःख घटाती थीं, यहाँ तक कि वनवास के समय सीता ने राम का और द्रौपदी ने पाण्डवों का जिन प्रकार साथ दिया था, उसका स्मरण करके आज भी हम भारतीय उसका नाम सुनते ही आदर पृथक् सिर झुका लेते हैं; उन्हें नान्दात् देगी समझते हैं। अमेरिका और योरोप आदि के निवासी भी उनके पातिव्रत, पतिभक्ति और स्वामिनिष्ठा को देखकर दंतों-तले उँगली दगाते और उन्हें आदर्श मानते हैं।

मिस्रियाँ, हिंदुओं और यट्टियों आदि में तो स्त्रियों का यह आदर-सत्कार बहुत पहले से ही चला आता था, पर योरोप में इसका थोड़ा-बहुत आरम्भ प्रायः ईसा के समय हुआ। जिस समय इस्लाम धर्म ने बहुत जोर पकड़ा था, उस समय मुसल

साथ दिया था, और उसकी नृत्य के उपरांत उनकी नय पिया-
हिता स्त्री आग्रहा एक बार एक युद्ध में उनके साथ साथ लड़ी
थी। उनकी कन्या फातिमा ने राजनीतिक क्षेत्र में अच्छा नाम
पाया था, और उनकी पोती ज़ैनर अनेक सार्वजनिक कार्य
करने के लिये प्रसिद्ध है। अनेक मुसलमान स्त्रियाँ ऐसी हो
गई हैं, जो शासन, शिक्षा प्रचार और धर्म-प्रचार आदि अनेक
प्रकार के बड़े-बड़े काम बहुत अच्छी तरह करती थीं, और
हिंदू स्त्रियों की भाँति विद्या और पाठित्य के लिये बहुत अधिक
प्रसिद्ध था। सुलतान प्रथम बायजिद के शासन-काल में स्त्रियाँ
मसजिदों में जाकर पुरुषों के सामने व्याख्यान दिया करती
और पाठशाळाओं में पढ़ाया करती थीं। उन दिनों वहाँ याताओं
और चालिकाओं की शिक्षा साथ ही-साथ हुआ करती थी।
प्राचीन मिस्र में भी स्त्रियों को पुरुषों के समान ही अधिकार
प्राप्त थे, यहाँ तक कि वे पुरोहिती और शासन-कार्य की भी
अधिकारिणी समझी जाती थीं। तात्पर्य यह कि किसी समय
यहाँ भी स्त्रियाँ और पुरुषों में कोई विशेष अंतर नहीं माना
जाता था।

यूनान में महाकवि होमर के समय से ही अनेक ऐसी सुयोग्य
और विदुषी स्त्रियाँ हो गई हैं, जिनका नाम उस देश के इतिहास
में सदा बना रहेगा। कुछ स्त्रियाँ तो ऐसी हो गई हैं, जिनका
नाम समस्त ससार की स्त्रियों के इतिहास में भी अमर
रहेगा। इसी प्रकार इटली और जर्मनी में भी ऐसी अनेक

स्त्रियाँ हो गई हैं, जो विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता और वीरता आदि में, पुरुषों से किसी प्रकार कम नहीं थीं। जर्मनी में तो एक समय ऐसा था कि स्त्रियाँ घर्षों या उपजातियों की सरदार हुआ करती थीं। ये सरदार स्त्रियाँ वीरता और बुद्धिमत्ता में पुरुषों से भी बड़ी-बड़ी होती थीं, यहाँ तक कि उस समय जर्मन लोग समझा करते थे कि इन स्त्रियों में अत्यन्त कोई देवी या अलौकिक शक्ति है ! ईंग्लैंड में भी अनेक ऐसी वीर और योद्धा स्त्रियाँ हो गई हैं, जिनमें महारानी बोडीशिया का नाम विशेष उल्लेख-योग्य है। जब रोमन लोगों ने ईंग्लैंड पर आक्रमण किया था, तब महारानी बोडीशिया अपना रथ स्वयं अपने हाथ से हाँक-कर युद्ध-क्षेत्र में शत्रुओं का सामना करने के लिये गई थीं।

परन्तु आरम्भिक काल की स्त्रियों की यह स्वतन्त्रता और उन्नति स्थायी न हो सकी। सभी देशों में उनकी यह उन्नति और वृद्धि किसी-न किसी प्रकार बिलपुल रुक गई। स्त्रियों का वह पहलेवाला आदर-मान ही नहीं रह गया, उनकी स्थिति में बिलक्षण परिवर्तन भी हो गया। धनवानों या उच्च कोटि के लोगों में स्त्रियाँ केवल पाशविक वृत्तियों को चरितार्थ करनेवाली और आनन्द की सामग्री समझी जाने लगीं, और धनहीनों या निम्न कोटि के लोगों में उनसे अनेक प्रकार के कठिन परिश्रम के काम लिए जाने लगे। बहुत दिनों तक प्रायः सभी देशों में यह अवस्था समान रूप से चलती रही। इसके उपरांत योरोप में, मध्य-युग में, फिर स्त्रियों को उनका पुराना और उपयुक्त

मान मिलने लगा । उस समय जो लोग नाइट या सरदार होते थे, उन्हें विशेषतः अपनी स्त्री का शौर साधारणतः स्त्री मात्र का अयष्ट आदर करना पड़ता था, वे उनकी सव प्रथार के कष्टों तथा विपत्तियों आदि से रक्षा करना अपना परम दत्तव्य मानते थे । उस युग में वहाँ स्त्रियों का महत्त्व जितना अधिक बढ़ा, उतना कदाचित् पहले कभी नहीं बढ़ा था । और, यही कारण था कि उस युग में वहाँ अनेक ऐसी स्त्रियाँ होने लगी थीं, जो शिक्षा, चिकित्सा और धर्म प्रचार आदि कामों में पुरुषों की ही भाँति काम करती थीं । जर्मनी के अनेक नगरों में उन्हें पुरुषों के ही समान व्यापार आदि करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था, और फ्रांस में ता उन पेशों पर एत प्रकार से स्त्रियों का ही एकद्वय अधिकार था, जो स्त्रियों के लिये विशेष रूप से उपयुक्त समझे जाते थे । ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिये जो अनेक बड़े बड़े युद्ध हुए, उनके कारण योरप के अनेक देशों में पुरुषों की संख्या बहुत घट गई थी । उस अपसर पर बड़े बड़े काम स्त्रियों ने ही सँभाले थे, और बहुत अच्छी तरह सँभाले थे ।

परतु इस वारभी स्त्रियों का वह आदर-मान और महत्त्व स्थायी न रह सका, और उनकी स्थिति फिर बिगडने लगी । योरप के जिस काल को लोग "पुनरुत्थान-काल" कहा करते हैं, उस समय लोगों की उच्छ्व दलता बहुत बढ़ गई, और अनाचार भी बहुत अधिक फैल गया । यद्यपि उन दिनों बीच-बीच में श्वर-उधर

स्त्रियों हो गई हैं, जो विद्वत्ता, बुद्धिमत्ता और वीरता आदि में, पुरुषों से किसी प्रकार कम नहीं थीं। जर्मनी में तो एक समय ऐसा था कि स्त्रियाँ घर्षों या उपजातियों की सरदार हुआ करती थीं। ये सरदार स्त्रियाँ वीरता और बुद्धिमत्ता में पुरुषों से भी बड़ी-बड़ी होती थीं, यहाँ तक कि उस समय जर्मन लोग समझा करते थे कि इन स्त्रियों में अवश्य कोई दैवी या अलौकिक शक्ति है। इंग्लैंड में भी अनेक ऐसी वीर और योद्धा स्त्रियाँ हो गई हैं, जिनमें महारानी बोर्डिशिया का नाम विशेष उल्लेख-योग्य है। जब रोमन लोगों ने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था, तब महारानी बोर्डिशिया अपना रथ स्वयं अपने हाथ से हाँक-कर युद्ध क्षेत्र में शत्रुओं का सामना करने के लिये गई थीं।

परन्तु आरम्भिक काल की स्त्रियों की यह स्वतंत्रता और उन्नति स्थायी न हो सकी। सभी देशों में उनकी यह उन्नति और वृद्धि किसी-न किसी प्रकार विलकुल रुक गई। स्त्रियों का वह पहलेवाला आदर-मान ही नहीं रह गया, उनकी स्थिति में विलक्षण परिवर्तन भी हो गया। धनवानों या उच्च कोटि के लोगों में स्त्रियाँ केवल पाशविक वृत्तियों को चरितार्थ करनेवाली और आनन्द की सामग्री समझी जाने लगीं, और धनहीनों या निम्न कोटि के लोगों में उनसे अनेक प्रकार के कठिन परिश्रम के काम लिए जाने लगे। बहुत दिनों तक प्रायः सभी देशों में यह अवस्था समान रूप से चलती रही। इसके उपरान्त योरोप में, मध्य-युग में, फिर स्त्रियों को उनका पुराना और उपयुक्त

मान मिलाने लगा। उस समय जो लोग नाइट या सरदार होते थे, उन्हें विशेषतः अपनी स्त्री का शौर साधारणतः स्त्री मात्र का प्रथम आदर करना पड़ता था; वे उनकी सभ्य प्रथार के कष्टों तथा विपत्तियों आदि से रक्षा करना अपना परम कर्तव्य मानते थे। उस युग में वहाँ स्त्रियों का महत्त्व जितना अधिक बढ़ा, उतना कदाचित् पहले कभी नहीं बढ़ा था। और, यही कारण था कि उस युग में वहाँ अनेक ऐसी स्त्रियाँ होने लगी थीं, जो शिक्षा, चिकित्सा और धर्म प्रचार आदि कामों में पुरुषों की ही भाँति काम करती थीं। जर्मनी के अनेक नगरों में उन्हें पुरुषों के ही समान व्यापार आदि करने का पूर्ण अधिकार प्राप्त था, और फ्रांस में तो उन पेशों पर एतद् प्रकार से स्त्रियों का ही एकदम अधिकार था, जो स्त्रियों के लिये विशेष रूप से उपयुक्त समझे जाते थे। ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिये जो अनेक घड़े बड़े युद्ध हुए, उनके कारण योरप के अनेक देशों में पुरुषों की सख्या बहुत घट गई थी। उस अवसर पर बड़े बड़े काम स्त्रियों ने ही सँभाले थे, और बहुत अच्छी तरह सँभाले थे।

परन्तु इस धार भी स्त्रियों का वह आदर-मान और महत्त्व स्थायी न रह सका, और उनकी स्थिति फिर बिगड़ने लगी। योरप के जिस काल को लोग 'पुनरुत्थान-काल' कहा करते हैं, उस समय लोगों की उच्छृंखलता बहुत बढ़ गई, और अनाचार भी बहुत अधिक फैल गया। यद्यपि उन दिनों बीच-बीच में इधर-उधर

कुछ न्युयोग्य स्त्रियाँ हो जाया करती थीं, तथापि अधिकांश में उनकी अवस्था समान ही रहती थी। उन दिनों न तो उनकी शिक्षा आदि का कोई प्रबन्ध होता था, और न कोई उनकी उन्नति की और ध्यान ही देता था। परन्तु उन्नीसवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में उनकी अवस्था फिर सुधरने लगी, क्योंकि उनके लिये भी उच्च शिक्षा मिलने की व्यवस्था होने लगी। तब से अथ तब उनकी उन्नति बरामद होती जा रही है और लक्ष्यों से ऐसा जान पड़ता है कि इस बार की उनकी उन्नति स्थायी होगी; अथ वे जो मर्यादा प्राप्त कर लेंगी, वह सहज में गृह न हो सकेगी। योरोप और अमेरिका के बड़े बड़े देशों को जाने दीजिए, बहुत ही छोटे-छोटे और साधारण देशों में भी स्त्रियों को पूरी स्वतंत्रता और साथ ही अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। फिनलैंड में स्त्रियाँ पार्लियामेंट की सदस्य तक हो सकती हैं। नार्वे की स्त्रियाँ कां पार्लियामेंट तक के चुनाव में मत देने का अधिकार प्राप्त है। यही बात स्वीडन और आइसलैंड आदि देशों में भी है। रूस में पहले से ही स्त्रियों को बहुत कुछ स्वातंत्र्य तथा अधिकार प्राप्त थे। इधर जत्र से वहाँ बाल्शेविज्म के सिद्धांतों का प्रचार हुआ है, तत्र तो उनकी यह स्वतंत्रता और वे अधिकार और भी बढ़ गए हैं। वहाँ की अनेक स्त्रियाँ डॉफ्टरी, इंजीनियरी और सम्पादन आदि कार्य करती हैं। इंग्लैंड में भी वे धीरे धीरे अनेक प्रकार के अधिकार प्राप्त करती जा रही हैं, और लक्ष्यों से जान पड़ता

है कि इस समय उन्हें जो अधिकार प्राप्त नहीं हैं, उन अधिकारों को वे बिना प्राप्त किए न छोड़ेंगी। सन् १८४० में वहाँ एक ऐसा कानून बना था, जिसके अनुसार वहाँ की विवाहिता स्त्रियाँ सम्पत्ति खरीद, रख और बेच सकती हैं, और सब प्रकार के व्यापार कर सकती हैं। भारतवर्ष की हिंदू स्त्रियों को तो इस प्रकार के अधिकार मनु के समय से ही प्राप्त हैं। सन् १८६४ में वहाँ को स्त्रियों को स्थानीय तथा प्रांतीय बोर्डों के चुनाव में मत देने तथा स्वयं निर्वाचित होने का भी अधिकार प्राप्त हुआ। अभी तक इंग्लैंड में स्त्रियाँ ज्यूरी नहीं हो सकती हैं, पर अमेरिका, ताँबे और फिनलैंड में उन्हें ज्यूरी के रूप में न्यायालय तक में बैठने का अधिकार प्राप्त है, और कहा जाता है कि वहाँ वे अपने तत्संबंधी कर्तव्यों का पालन बहुत ही योग्यतापूर्वक तथा निष्पक्ष भाव से करती हैं।

अब ज़रा भारतवर्ष की स्त्रियों की दशा पर विचार कीजिए। आज से हजारों वर्ष पहले जिस समय योरपवाले धिक्काल जगली दशा में रहते थे, भारतवर्ष की स्त्रियाँ परम विदुषी और सुयोग्य हुआ करती थी। मैत्रेयी और गार्गी-सरायी अनेक ऐसी स्त्रियाँ इस देश में हो गई हैं, जिनका सिक्का बड़े बड़े विद्वान् पुरुष भी माना करते थे। हमारे यहाँ के प्रायः सभी धर्म शास्त्रकारों ने अनेक घातों में स्त्रियों को पुरुष के समान ही अधिकार दिए हैं। हमारे यहाँ स्त्री धन संबंधी जो नियम हैं, उनसे यह बात गली भौंति, सिद्ध होती है कि किसी

समय यहाँ स्त्रियों का कितना अधिक आदर मान होता था ! साथ ही हम यह भी कह सकते हैं कि अभी तक किसी देश में ऐसा कोई कानून या नियम नहीं बना, जो इस विषय में हमारे यहाँ के स्त्री धन-सधवी नियमों का मुकाबला कर सके। मुसलमान स्त्रियों को भी उनके धर्म के अनुसार सम्पत्ति आदि पर इसी प्रकार के अधिकार प्राप्त हैं। परन्तु जिस प्रकार सत्सार के अन्यान्य देशों में स्त्रियों की उन्नति रुक गई, और उनके अधिकारों की उपेक्षा होने लगी, उसी प्रकार हमारे यहाँ भी उन पर आपत्ति आई। इधर बहुत दिनों से हमारे देश पर विदेशियों के निरंतर आक्रमण होते रहे, और अनेक प्रकार के आतंरिक झगड़े-बत्ते भी चलते रहे। इन आक्रमणों और झगड़ों-बत्तों के कारण हमारे यहाँ विद्या और कला आदि की चर्चा विलङ्घित रुक गई, और उसके साथ ही साथ स्त्रियों की उन्नति में भी बहुत बड़ी बाधा पड़ी। हमारे यहाँ की यह दुस्वस्था दिन पर दिन बराबर बढ़ती ही गई, और इस समय इस देश तथा यहाँ की स्त्रियों की जो दशा है, उसका वर्णन न करना ही अच्छा है।

अब इधर कुछ दिनों से धीरे धीरे इस देश में जागृति के कुछ लक्षण दिखाई देने लगे हैं। साथ ही साथ लोगों का ध्यान स्त्रियों की दशा सुधारने की ओर भी गया है। इस बात में तो किसी को कोई सदेह हो ही नहीं सकता कि उन्नति का मुख्य उपाय शिक्षा का प्रचार है। पर साथ ही हमें इस

बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि शिक्षा का प्रचार हो जाने पर भी उन्नति तभी होगी, जब उस शिक्षा का ठीक ठीक उपयोग होगा। यदि स्त्रियों को अच्छे ढंग से और उपयुक्त शिक्षा दी जाय, तो वे समाज और देश की उन्नति में पुरुषों को बहुत बुद्धि सहायता दे सकती हैं। इस समय योरप और अमेरिका के प्राय सभी बड़े-बड़े देशों में अनेक ऐसी बड़ी-बड़ी सभाएँ आदि स्थापित हैं, जो स्त्रियों की उन्नति के लिये अनेक प्रकार के उपाय और प्रयत्न करती हैं। ऐसी सभाएँ किसी एक देश या जाति की स्त्रियों के लिये उद्योग नहीं करतीं, बल्कि उनका उद्देश्य समस्त स्त्री-जाति की उन्नति करना है। इस बात को कोई इनकार नहीं कर सकता कि जिस बात से स्त्रियों का भला होगा, उस बात से पुरुषों का भी अवश्य ही भला होगा। प्राय सभी बड़े बड़े विद्वान् और बुद्धिमान् एक स्वर से यह कहते हैं कि समस्त मानव जाति का हित बहुत से अंशों में स्त्रियों के ही हाथ में है। जिस देश की स्त्रियाँ जितनी ही सदाचारिणी, सुशील, शिक्षित और धर्मशील होंगी, वह जाति उतनी ही उन्नत, सम्यक् तथा सम्पन्न होगी। अंगरेजी के प्रसिद्ध नाटककार शेक्सपियर ने कहा है—“स्त्रियाँ ही हमारा शासन करती हैं। हमें चाहिए कि हम उन्हें पूर्ण बनायें। उन पर शासन का जितना ही अधिक प्रकाश पड़ेगा, उतना ही अधिक प्रकाश हम पर भी पड़ेगा। पुरुषों की बुद्धिमत्ता स्त्रियों के मानसिक सस्त्र पर ही निर्भर करती है।”

जिस स्त्री को अच्छी शिक्षा मिलती है, वह अपने पति की सुख-समृद्धि की अनेक प्रकार से वृद्धि कर सकती है, आपत्ति-कात्त में उसकी विपत्ति का योक्त हलका कर सकती और कठिन समय आ पढ़ने पर उसे उत्साहित करके कर्तव्य परायण बना सकती है। जिस स्त्री का ज्ञान भांडार पूर्ण होता है, वह अपने बालकों को आरम्भ से ही बहुत कुछ शिक्षित और सदाचारी बना सकती और उनमें ऐसा बीज बो सकती है, जिससे वे आगे चलकर अपने समाज तथा देश के गौरव का कारण बन सकें। इसलिये प्रत्येक देश की स्त्रियों का यह परम कर्तव्य होना चाहिए कि वे जितना अधिक हो सके, शिक्षा प्राप्त करने या प्रयत्न करें, जिससे वे देश की भावी जनता को पूर्ण रूप से शिक्षित और सदाचारी बना सकें। मूर्ख स्त्रियों की सतान जत्र थोड़ी-बहुत शिक्षा प्राप्त कर लेती है, तब वह अपने माता-पिता को मूर्ख और अयोग्य समझने लगती है, और बहुत-से अशों में उनके हाथ से निकल जाती है—उनके प्रभाव-क्षेत्र के बाहर हो जाती है। पर जो माता शिक्षित होती है, वह अपने विद्या-बल से अपनी सतान को सदा अपने वश में रखती है। यही नहीं, बल्कि वह उनकी शारीरिक, मानसिक और आर्थिक उन्नति में भी बहुत अधिक सहायक होती है। ऐसी माता और उसकी सतान में जो प्रेम-बंधन होता है, वह और भी दृढ़ हो जाता है, और दोनों को गार्हस्थ्य जीवन का बहुत अधिक आनंद मिलने लगता है।

योरप के सुप्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् पाट का यह कथन बहुत ही ठीक है कि ससार में हमें जितनी शुभ या अच्छी बातें दिखलाई देती हैं, वे सब केवला अच्छी शिक्षा के ही कारण । वास्तव में स्त्रियों की उपयुक्त तथा उत्तम शिक्षा से जितना अधिक लाभ हो सकता है, उसकी सहज में कल्पना भी नहीं की जा सकती । पर हाँ, वह शिक्षा उपयुक्त और ठीक ढंग से होनी चाहिए । स्त्रियों के लिये वही शिक्षा सर्वोत्तम और उपयुक्त वही जायगी, जो उन्हें गार्हस्थ्य जीवन के सभी अंगों के लिये उपयोगी बना सके । स्त्रियों को सबसे पहले इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि कन्या-रूप में, भगिनी-रूप में, पत्नी रूप में और माता-रूप में हमारे क्या-क्या कर्तव्य हैं, और तब उन्हें इस बात का ज्ञान होना भी आवश्यक है कि अपने समाज, देश तथा राष्ट्र के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है । इसमें स्पष्ट नहीं कि आज कल की शिक्षा प्रणाली अनेक अर्थों में दूषित है । जहाँ वह एक और पुरुषों को किसी काम का नहीं रहने देती, वहाँ वह दूसरी और स्त्रियों को भी गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करने योग्य नहीं रहने देती । ऐसी शिक्षा अव्यवस्थित और निकम्मी ही नहीं, बल्कि हानिकार भी होती है । जो शिक्षा किसी बालिका को गृहस्थी का काम चताने के योग्य न बना सके, वह किस काम की ? ससार की अधिकांश स्त्रियों को तो सदा गृहस्थी का ही काम करना पड़ेगा । और, यदि वे उसी काम के लिये उपयुक्त न हों, तो फिर उनके शिक्षित होने से

लाभ ही क्या हुआ ? इस विषय में हमें योरोप की स्त्रियों की अवस्था से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए । आजकल योरोप में स्त्री शिक्षा का बहुत अधिक प्रचार है । पर वह शिक्षा प्रायः पकागीन होती है । उस शिक्षा से उनका मानसिक विकास तो बहुत अधिक हो जाता है, पर वे गृहस्थी के कर्तव्यों का पालन करने-योग्य नहीं रह जातीं । इसमें सदेह नहीं कि वे बहुत उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर लेती हैं, और उसके फलस्वरूप अनेक प्रकार के बड़े-बड़े काम और पेशे करने लगती हैं; पर वे गृहस्थी चलाने के योग्य नहीं होतीं । यही कारण है कि योरोप का गार्हस्थ्य जीवन दिन पर-दिन दुःखपूर्ण होता जाता है । हम भारतवासियों को ऐसी शिक्षा से बचना चाहिए । जिन स्त्रियों को अधिक और उच्च कोटि की शिक्षा मिलती है, वे ऐसी ही काम करना पसन्द करती हैं जिनके लिये केवल मानसिक बल की आवश्यकता होती है । शारीरिक श्रम करने से वे बहुत घबरायती हैं । आगे के प्रकरणों में हम कई ऐसे उत्तम और उपयोगी काम धरे घतलावेंगे, जो स्त्रियों के लिये विशेष रूप से उपयुक्त हैं, और जिनकी ओर अभी तक हमारे देश की स्त्रियों का बिलकुल ही ध्यान नहीं गया है । वे सब प्रायः ऐसे ही हैं, जो गृहस्थी के कार्य-संचालन के साथ-ही साथ बहुत सहज में सम्पन्न हो सकते हैं । साथ ही हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि अधिमात्र स्त्रियाँ ऐसी होती हैं, जो कोरा मानसिक श्रम करने की अपेक्षा शारीरिक श्रम करना ही अधिक

पसंद करेगी। कदाचित् यहाँ यह बतलान की आवश्यकता नहीं की रघास्थ्य की रक्षा के विचार से जिस प्रकार पुरुषों के लिये शारीरिक परिश्रम आवश्यक है, उसी प्रकार स्त्रियों के लिये भी उसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। कतना तो यह चाहिए कि स्त्रियों के लिये, अनेक अर्थों में, शारीरिक परिश्रम की ओर भी अधिक आवश्यकता है।

एक बात और है, जिसका हमें विशेष ध्यान रखना चाहिए। यह कि भारत में स्त्रियों के प्रश्न का रूप कुछ और ही है। इस समय योरप और अमेरिका आदि देशों में स्त्रियों के प्रश्नने जो रूप धारण कर लिया है, यह यहाँ नहीं है, और न सहसा हो सकता है। उसका कारण भी बहुत-से अर्थों में पाश्चात्य देशों की स्त्री शिक्षा की दूषित प्रणाली ही है। योरप और अमेरिका में ऐसी स्त्रियों की संख्या बहुत अधिक है, जो या तो विधवा हैं या जिनका विवाह ही नहीं हुआ है। ऐसी स्त्रियाँ अपने परिवार के सिर पर भार बनकर रहना पसंद नहीं करतीं, और प्रायः अपने सबधियों को छोड़कर अलग हो जातीं और स्वतंत्र रूप से, जीवन निर्वाह करने लगती हैं। यही कारण है कि आजकल उन देशों में दीन और दुःखी लोगों की दशा सुधारने तथा उन्हें अनेक प्रकारसे सहायता पहुँचानेवाले परोपकारी कार्यों की इतनी अधिकता देखी जाती है। संसार में हमें जो कुछ दया अथवा परोपकारिता आदि दिखलाई देती है, यह अनेक अर्थों में स्त्री-जाति के ही कारण। मनुष्यत्व के इस अंग

की उन्नति करने में सबसे अधिक सहायक स्त्रियाँ ही हुई हैं। संसार में प्रायः स्त्रियों की कृपा से बिना घर-बारवालों का रहने का स्थान मिलता है, रागियों की सेवा सुश्रूषा होती है और पतितों का उद्धार होता है। आजकल पाश्चात्य देशों में परोपकार के जिनने अधिक कार्य होते हैं, उतने कदाचित् पहले नहीं होते थे। हमारे देश में भी बहुत कुछ दान-पुण्य आदि स्त्रियों की ही बदौलत होते हैं। हाँ, यह और बात है कि ठीक ठीक शिक्षा और संस्कार न होने के कारण उस दान-पुण्य का उचित और ठीक मार्ग में उपयोग न होता हो। पाश्चात्य देशों की स्त्रियाँ शिक्षित होती हैं, इसीलिये वे अपनी परोपकार-वृत्ति और दयानुता आदि का बहुत कुछ सोच-समझकर और अच्छे ढंग से उपयोग करती हैं। इधर हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव होने के कारण केवल पुरानी तर्ज़ ही पीठी जाती है। पर पाश्चात्य देशों की स्त्रियों की इस प्रवृत्ति के कारण वहाँ के गार्हस्थ्य जीवन को जो क्षति पहुँचती है, वह अप्रत्यक्ष ही शोचनीय है, और हमें उसके उसी दृष्टि से अर्थ से बचना चाहिए। इस संघर्ष में पाश्चात्य देशों के प्राप्त विप्लव अनुभव से हमें लाभ उठाना चाहिए। हमें सोच-विचार कर ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे हम उस कष्ट-अनुभव से बचे रहें।

प्रायः लोग कहा करते हैं कि स्त्रियाँ शारीरिक और मानसिक दृष्टि से इतनी दुर्बल होती हैं कि वे शिक्षा से उतना अधिक लाभ नहीं उठा सकतीं, जितना पुरुष

परन्तु पारचात्य देशों की स्त्रियों ने यह बात भली भाँति प्रमाणित कर दी है कि सब कामों में नहीं, तो भी अधिकांश कामों में वे शारीरिक और मानसिक दृष्टि से उतनी ही अधिक समर्थ हैं, जितने पुरुष जन्म के समय बालकों और बालिकाओं का मस्तिष्क प्रायः एकसा हुआ करता है। इस संबंध में कुछ प्रयोग किए गए हैं, जिनका परिणाम इस विषय पर अच्छा प्रकाश डालता है। इस समय भी ससार में अनेक जातियाँ ऐसी पाई जाती हैं, जिनमें अभी तक सभ्यता का कम विकास हुआ है, अर्थात् जो अनेक अर्थों में अभी तक प्रायः असभ्य ही हैं। ऐसी जातियों की स्त्रियाँ का मस्तिष्क नाप और तौल में प्रायः पुरुषों के मस्तिष्क के समान ही हुआ करता है। हाँ, उच्च कोटि की और सभ्य जातियों में यह अंतर विशेष रूप से देखने में आता है। सभ्य जातियों की स्त्रियों का मस्तिष्क अवश्य ही नाप और तौल में पुरुषों के मस्तिष्क की अपेक्षा कुछ छोटा और कम हुआ करता है। इससे यही सिद्ध होता है कि इधर अनेक शताब्दियों से सभ्य जातियों में स्त्रियाँ प्रायः उपेक्षा की दृष्टि से देखी जाती रही हैं, और उनके मानसिक विकास की ओर जैसा चाहिए वैसा ध्यान नहीं दिया गया। इस उपेक्षा और लापरवाही का परिणाम यह हुआ है कि सभ्य जातियों में स्त्रियों के मस्तिष्क का विकास विलकुल रुक गया है। यह ठीक है कि सागरणतः पुरुषों के मस्तिष्क की अपेक्षा स्त्रियों का मस्तिष्क कुछ छोटा हुआ करता

है। पर, फिर भी, साधारणतः स्त्रियों के शरीर को देखते हुए उनका मस्तिष्क अपेक्षा-वृत्त भारी ही होता है। इसमें सदेह नहीं कि इस समय के प्रयोगों से यही सिद्ध होता है कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में मानसिक योग्यता कम होती है। पर इसका कारण यह है कि इधर बहुत दिनों से स्त्रियों ऐसी परिस्थिति में रखी गई हैं, जिसके कारण उनमें दया, प्रेम और भावुकता आदि गुण तो बहुत कुछ बढ़ गए हैं, पर विद्वान, काव्य, दर्शन और कलित-कला आदि में उन्हें पुरुषों से दबना पड़ता है। ठीक यही दशा उनके शारीरिक विकास की भी हुई है। इधर बहुत दिनों से न तो उनसे किसी प्रकार का व्यायाम आदि कराया जाता है, और न उनसे कोई विशेष शारीरिक परिश्रम का ही काम लिया जाता है। परिणाम यह हुआ है कि वे शारीरिक दृष्टि से भी पुरुषों की अपेक्षा बहुत कुछ दुर्बल एवं हीन हो गई हैं।

परन्तु इतिहास के देखने से हमें पता चलता है कि जिन स्त्रियों पर शासन करने का भार आ पड़ा है, वे पुरुषों के समान ही उत्तमता पूर्वक शासन करने में समर्थ हुई हैं। सत्तार के और प्रदेशों को जाने दीजिए, स्वयं भारत में ही ऐसी स्त्रियों की कमी नहीं है। सुलतान अकबर की कन्या रजिया बेगम ने अपने भाई के सिंहासन-च्युत होने के उपरान्त दिल्ली में बहुत अच्छी तरह शासन किया था। जहाँगीर की पत्नी नूरजहाँ भी शासन कार्य में इतनी दक्ष थी कि जहाँगीर ने प्रायः सारा शासन भार

उसी को लौप दिया था, यहाँ तक कि उसके नाम का सिक्का भी चलना दिया था। इन्दौर की महारानी अहलशाबाई तथा भाँसी की महारानी लक्ष्मीबाई की गिनती सदा सुयोग्य शासिकाओं में होती रहेगी। इंग्लैंड के सबसे बड़े साम्राज्य का विस्तार उसकी स्त्री शासिका महारानी विक्टोरिया के ही समय में हुआ है। यदि देखा जाय, तो सारे ससार में इतनी अधिक सुयोग्य शासिकाएँ मिलेंगी कि किसी को सहसा यह कहने का साहस ही न होगा कि स्त्रियाँ किसी प्रकार का उत्तरदायित्वपूर्ण कार्य करने के अयोग्य होती हैं।

मानव जाति के फल्यास के अनेक बड़े-बड़े आंदोलनों के मूल में भी हमें प्रायः स्त्रियाँ ही दिखाई देती हैं। अमेरिका से दासत्व प्रथा उठाने का उद्योग करनेवालों में प्रधान एक स्त्री ही थी, जिसका नाम हेरियट ग्रीचर स्टो था। इंग्लैंड के जेलखानों का सुधार भी एलिजबेथ फ्राई-नामक एक स्त्री ने ही, बहुत दिनों तक निरंतर परिश्रम करने के उपरान्त किया था। इसने सिद्ध होता है कि समाज-सुधार और परोपकार आदि के कामों में भी स्त्रियाँ पुरुषों से कम नहीं।

इसमें सन्देह नहीं कि स्त्रियों में कुछ श्रुटियाँ अप्रत्यक्ष हैं, पर इसका कारण यही है कि उन्हें उपयुक्त शिक्षा नहीं दी जाती। स्त्रियाँ व्यवस्था और संगठन का काम करने के लिये उपयुक्त नहीं पाई जातीं, कला और विज्ञान-संबंधी बारीक बातों के समझने में भी ये प्रायः असमर्थ हुआ करती हैं। उनमें पाई

जानेवाही बहुत अधिक भावुकता और स्वभाव की कोमलता भी एक प्रकार की दुर्बलता या दोष ही है। स्त्रियों किसी पात के मोचने-समझने में ज्यादा दिमाग नहीं लडा सकती, और अपने कोमल हृदय से ही अधिक काम लिया करती है। यही कारण है कि अपसर पडने पर उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पडता है, और उनसे अनेक प्रकार की भूलें हो जाती हैं। परन्तु ये मज्ज घातें ऐसी हैं, जो कुछ दिनों की शिक्षा और संस्कार आदि से सहज में दूर की जा सकती है। स्त्रियों में दया, अनुराग, सहानुभूति, स्वार्थ-त्याग आदि अनेक गुण स्वाभाविक रूप में और आवश्यकता से अधिक हुआ करते हैं। और, यदि उन्हें ठीक ढंग से शिक्षा दी जा सके, तो इन गुणों से तो बहुत कुछ काम लिया ही जा सकता है, पर साथ ही उनमें अनेक नए गुणों का भी विकास हो सकता है, जिसके कारण ससार की सुख-समृद्धि बहुत कुछ बढ़ सकती है। किन्तु इसके लिये उन्हें अनेक बातों में पुरुषों की पूरी पूरी सहायता की आवश्यकता है। कम-से-कम अभी तो बिना पुरुषों की सहायता के उनका कोई काम चल ही नहीं सकता। हाँ, कुछ दिनों के उपरांत वे इतनी योग्यता अवश्य प्राप्त कर लेंगी कि बहुत-से काम स्वतंत्रता पूर्वक करने लग जायँगी। और, उसी दशा में वे पुरुषों के साथ अनेक प्रकार के कार्य करके, वास्तविक अर्थ में अर्द्धांगिनी कहलाने के योग्य होंगी।

स्त्रियों की शिक्षा पर तो बहुत अधिक जोर दिया जाता है,

पर इस सद्यः में एक बहुत बड़ी कठिनाई है, जिसकी ओर बहुत कम लोगों का ध्यान गया है। घास्तव में स्त्रियों की शिक्षा ऐसी होनी चाहिये, जिससे वे जीविका-उपार्जन करने अथवा कम-से-कम सामाजिक उन्नति और कल्याण करने के योग्य तो हो जायें, पर साथ ही वे गृहस्थी के काम के भी योग्य बनी रहें—पत्नी और माता के कर्तव्यों का पालन के अयोग्य न हो जायें, क्योंकि स्त्रियों के प्रधान कर्तव्य गृहस्थी सधधी ही हैं। जिन देशों में स्त्रियाँ गृहस्थी के कर्तव्यों से विमुख होकर और और प्रकार के कार्य करने लगी हैं उन देशों के गार्हस्थ्य और सामाजिक जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट और विपत्तियाँ भी दृष्टि-गोचर होने लगी हैं। इन्हींलिये आजकल के बड़े-बड़े वैज्ञानिक और स्त्री शिक्षा के पक्षपाती यह समझने लगे हैं कि यदि स्त्रियाँ केवल ऐसे शारीरिक और मानसिक कार्य करने लागेंगी, जो उनके लिये उपयुक्त नहीं हैं, तो उसमें समय और शक्ति के नाश के सिवा और कुछ भी न हो सकेगा। हमारी समझ में तो यह आता है कि इसके अतिरिक्त उससे उल्टे और हानि भी होगी। हम भारतवासी गार्हस्थ्य जीवन को जितना अधिक महत्व देते और उसे जिस दृष्टि से देखते हैं, उस दृष्टि से न तो और देशों के लोग उसे देखते हैं, और न उसे उतना अधिक महत्व ही देते हैं। यही कारण है कि उनका गार्हस्थ्य जीवन न तो उतना अधिक सरस ही होता है, और न सुखदायी ही। पर अब उन लोगों का ध्यान भी इस ओर जाने लगा है, और वे सम

भूने लगे हैं कि आजकल जिस ढंग से स्त्री शिक्षा दी जा रही है, वह ठीक नहीं है, और इसीलिये वे सोचते हैं कि स्त्रियों को ऐसी शिक्षा दी जानी चाहिए, जो उनके शारीरिक संगठन को देखते हुए उनके लिये उपयुक्त हो, साथ-ही-साथ वे गृहस्था के काम के भी योग्य बनी रहें। आजकल की पढी लिखी स्त्रियाँ बहुधा वही काम करने लग जाती हैं, जिसे अब तक पुरुष करते आए हैं। परन्तु अनेक दृष्टियों से यह बात घाञ्छनीय नहीं। उनके लिये ऐसे काम सोचे जाने चाहिए, जो केवल उन्हीं के लिये उपयुक्त हों, और जिनमें वे अपने स्वाभाविक गुणों और विशेषताओं का पूरा-पूरा उपयोग कर सकें। स्त्रियों और पुरुषों में जो भेद है, वह बहुत-से अर्थों में स्पष्ट और प्रत्यक्ष है। बहुत-से गुण ऐसे हैं, जो पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में अधिक पाए जाते हैं, और बहुत-से ऐसे हैं, जो स्त्रियों की अपेक्षा पुरुषों में अधिकता से मिलते हैं। इन परस्पर भिन्न गुणों के सन्ध में एक बहुत बड़े विद्वान् का मत है कि ये सब गुण परस्पर विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे के पूरक हैं, अर्थात् न तो केवल स्त्रियों के गुणों के कारण और न केवल पुरुषों के गुणों के कारण ही कभी पूर्णता प्राप्त हो सकती है। पूर्णता तभी प्राप्त होगी, जब दोनों के गुण मिलकर साथ-साथ काम करेंगे। ससार के कल्याण के लिये स्त्रियों-वाले गुणों की भी आवश्यकता है, और पुरुषोंवाले गुणों की भी। हमें ध्यान होकर स्त्रियों के शिक्षण और उन्नति के पीछे ही

न पढ़ जाना चाहिए, बल्कि पहले हमें यह देख लेना चाहिए कि स्त्रियों का अद्य तक का इतिहास और मानव जाति का अद्य तक का अनुभव हमें क्या बतलाता है। साथ ही हमें इस बात का भी पूरा पूरा ध्यान रखना चाहिए कि यदि हम स्त्रियों को गृहस्थी का काम छोड़कर तरह-तरह के पुरुषोंवाले पेशे करने के लिये ही उत्तेजित करेंगे, तो मानों हम बिलकुल गलत रास्ते पर चलते जायेंगे। इसमें सदेह नहीं कि यह बात भी कुछ अनुपयुक्त-सी जान पड़ेगी, क्योंकि इसके कारण स्त्रियों पर दोहरी शिक्षा का बोझ आ पड़ेगा। नितु पहली और प्रधान शिक्षा तो गृहस्थी-संबंधी ही होगी, जिससे वे पत्नी और माता के कर्तव्यों का पालन करने के योग्य बनेंगी, और दूसरी शिक्षा ऐसी होगी, जो उन्हें आवश्यकता पड़ने पर—कठिन परिस्थिति उत्पन्न होने पर—गृहस्थी के क्षेत्र से बाहर निकालकर जीविका-उपार्जन करने के योग्य बना सकेगी। ऐसी दशा में इस समय जो कुछ कहा जा सकता है, वह केवल यही कि हमें दोनों पक्षों की चरम सीमाओं से बचना चाहिए। स्त्रियों की शिक्षा के लिये कोई एक सार्वजनिक नियम नहीं बना देना चाहिए, बल्कि व्यक्तिगत आवश्यकताओं का भली भाँति विचार करके, खूब अच्छी तरह से सोच-समझकर, वैज्ञानिक दृष्टि से परिघर्तन और परिवर्द्धन करना चाहिए। बिना इतना किए हमें कोई नया मार्ग नहीं ग्रहण करना चाहिए। आत्म में कुछ समय तक तो बालकों और बालिकाओं को एक साथ ही अथवा एक

ही तरह की शिक्षा दी जा सकती है ; पर कुछ आगे चलकर दोनों का क्रम एक दूसरे से भिन्न हो जाना चाहिए, और बालिकाओं को केवल वही शिक्षा दी जानी चाहिए, जो केवल उनके शारीरिक गठन और स्वाभाविक गुणों को देखते हुए उनके लिये उपयुक्त हो, जिसमें वे मुख्यतः गृहस्थी के काम के योग्य भी बनी रहें ।

हम यह बात पहले ही कह चुके हैं कि स्त्रियों के स्वयं में भारतीय आदर्श योरोप और अमेरिका के आदर्श से बिलकुल भिन्न है, और इसीलिये हमारे देश की स्त्रियों की शिक्षा में भी उक्त देशों की शिक्षा से बहुत कुछ अंतर होगा । शिक्षा का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि किसी व्यक्ति को आगे चलकर जीवन में जो कुछ काम करना पड़े, उसके लिये वह सब प्रकार से योग्य और समर्थ हो जाय । शिक्षा से चिन्तन शुद्ध और परिष्कृत होते हैं, और काम करने की शक्ति बढ़ती है । पर इस प्रकार की शिक्षा का आरम्भ जीवन काल के आरम्भ से ही होना चाहिए । आवश्यकता इस बात की है कि सबसे पहले तो बालिकाओं को साधारण अक्षर-ज्ञान कराकर पढ़ने-लिखने-योग्य बनाया जाय, और उन्हें ऐसी शिक्षा दी जाय, जिससे वे आगे चलकर घर-गृहस्थी के काम के योग्य हो सकें । इसके अतिरिक्त स्त्रियों को कुछ ऐसी शिक्षा की भी आवश्यकता है, जिसके द्वारा वे समय पढ़ने पर स्वतंत्र रूप से अपना निर्वाह करने में भी समर्थ हो सकें । इस समय भी भिन्न भिन्न जातियों में बहुत-सी

ऐसी स्त्रियाँ पाई जायँगी, जो विधवा, पुत्रहीना अथवा और किसी प्रकार से असहाय हो जाने के कारण अनेक प्रकार के कष्ट भोगती हैं, जीविका निर्वाह का कोई उपाय जिनके पास नहीं होता। भले घर की ऐसी स्त्रियों को तो और भी अधिक कठिनाइयाँ उठानी पड़ती हैं। वे न तो भीख माँग सकती हैं, न किसी प्रकार का दान ले सकती हैं, और न स्वयं कोई ऐसी कला या काम जानती हैं, जिससे अपना निर्वाह कर सकें। इस पुस्तक के आगे के प्रकरणों में कुछ ऐसे ही धर्मों का वर्णन किया जायगा, जो सब प्रकार से स्त्रियों के लिये उपयुक्त हैं, और जिनके द्वारा अनेक पाश्चात्य देशों की स्त्रियाँ भली भाँति और प्रतिष्ठा-पूर्वक अपना निर्वाह कर रही हैं। साथ ही ये काम ऐसे भी हैं, जिनमें पुरुषों के साथ किसी प्रकार की प्रतिद्विधा का प्रश्न भी नहीं उठता। यदि हमारे देश की स्त्रियाँ इस प्रकार के कामों में लग जायँ, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि वे अपना जाति, समाज, देश और साथ-ही-साथ समस्त मानव-समाज का बहुत बड़ा कल्याण करने में समर्थ होंगी। ऐसे कामों को अपने हाथ में लेने के कारण स्त्रियों की स्थिति तो बहुत कुछ सुधर ही जायगी, साथ ही समाज की स्थिति में भी बहुत कुछ सुधार हो जायगा, और उस आंदोलन की वृद्धि में बहुत कुछ सहायता मिलेगी, जिसकी सफलता इस देश के बहुत-से शुभचिंतक पुरुषों और स्त्रियों को हृदय से अभीष्ट है।

आदि तैयार करने, फल-फलहरी तथा शाक भाजी आदि पैदा करने और शहद की मक्खियाँ आदि पालने की बहुत अच्छी शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार की शिक्षा का परिणाम भी यहाँ बहुत ही शुभ और लाभ-दायक प्रमाणित हुआ है। हमारे देश में न तो अभी इस प्रकार के विद्यालय ही हैं, और न इस देश की सामाजिक स्थिति ही ऐसी है कि यहाँ की स्त्रियाँ इस प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने के लिये कॉलेजों में जायँ। अच्छा तो यह है कि बालिकाओं में छोटी अवस्था से ही इस प्रकार के कार्यों के प्रति अनुराग उत्पन्न किया जाय। इससे उन्हें सहज ही सब बातों का बहुत कुछ ज्ञान हो जायगा, और बड़ी होने पर वे उसके बहुत-से काम आप-से आप ठीक ढंग से कर लेंगी। इससे एक और लाभ होगा। जो बालिकाएँ छोटी अवस्था से ही खेत-बारी के काम में राग जायँगी, उन्हें देहात का जीवन इतना पसन्द आ जायगा कि फिर वे बड़ी होने पर बगलत और वेरिस्टरी जैसे पेशों के प्रतोगन में न पड सकेंगी। वाट्यावस्था से ही बालिकाओं को इस प्रकार की शिक्षा देने का एक लाभ यह भी होगा कि फिर वे बड़ी होकर इस काम को तुच्छ नहीं समझेंगी, और बराबर शौक से करती रहेंगी। वास्तव में किसी प्रकार का उद्योग या काम निन्दनीय नहीं होता, बल्कि लोग उसे व्यर्थ ही वैसा समझकर निन्दनीय बनाने लग जाते हैं। यदि हमारे यहाँ की स्त्रियाँ, वाट्यावस्था से ही खेती बारी के काम में लगी रहने के कारण, उसे प्रतिष्ठित समझने लगेंगी, तो और लोगों की भी

यह धारणा सहज में नष्ट हो जायगी कि येती-यारी छोटा काम है। और, इससे हमारे देश का जो लाभ होगा, उसका सहज में ही अनुमान किया जा सकता है। यदि हमारे देहातों की पाठ-शालाओं में बालिकाएँ भी पढ़ने के लिये जाने लगे, और वहाँ उन्हें—पाठ्य पुस्तकों में ही सही—येती-यारी के विषयों की शिक्षा दी जाने लगे, तो उनमें अनायास ही कृषि के प्रति अनुराग उत्पन्न किया जा सकता है। पाश्चात्य देशों के देहाती विद्यालयों में कृषि-संबंधी भी बहुत-सी बातें सिखलाई जाती हैं। वहाँ प्रत्येक बालिका को थोड़ी-सी जमीन दे दी जाती है, जिसमें वह श्रुत और अपनी रुचि के अनुकूल फल-फूल और तरकारियाँ आदि उत्पन्न करती है, और इस प्रकार बहुत ही आरम्भिक अवस्था में कृषि-संबंधी बहुत-सी बातों का ज्ञान प्राप्त कर लेती है। वहाँ प्रतिवर्ष देहातों में ऐसी प्रदर्शिनियाँ भी होती हैं, जिनमें छोटी-छोटी बालिकाओं द्वारा उत्पन्न की हुई तरह-तरह की चीजें रखायी जाती हैं, और उनमें से अच्छी-अच्छी चीजों के लिये अनेक प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। इस प्रकार मानों उन्हें ऐसे कामों के लिये और भी अधिक प्रोत्साहन दिया जाता है।

अभी हाल में भारतवर्ष के मध्य प्रदेश में एक नई व्यवस्था की गई है, जो बहुत ही उपयोगी हो सकती है। वहाँ देहातों में छोटे-छोटे बालकों के लिये ऐसे आरम्भिक विद्यालय स्थापित किए गए हैं, जिनमें केवल प्रातःकाल के समय ७ बजे से १० बजे तक पढ़ाई होती है। यह व्यवस्था इसलिये है कि जिससे देहात के

बालक सवेरे पढ़ चुकने के बाद, दिन के समय, अपने घर के लोगों के खेती-चारी के कामों में भी सहायता दे सकें। इन स्कूलों में साधारण लिखना पढ़ना, हिसाब किताब, भूगोल और जमीन की नाप-जोख तथा साधारण खेती-चारी की शिक्षा दी जाती है। प्रत्येक स्कूल के साथ एक छोटा-सा बगीचा भी होता है, जिसमें खेती के छोटे-छोटे काम होते हैं, और पाठ्य-पुस्तकों का विषय भी प्रायः कृषि-संबन्धी ही होता है।

पालिकाओं को इस प्रकार की कृषि-संबन्धी शिक्षा देने के लिए समस्त भारत में इसी प्रकार के स्कूल खोले जा सकते हैं। ऐसे स्कूलों में बालिकाओं को व्याख्यानों और लेखों आदि के द्वारा कृषि-संबन्धी बहुत-सी आरम्भिक बातें बतलाई जा सकती हैं। यदि किसी जिले या प्रांत में कोई मास चीज़ अधिकता से उत्पन्न होती अथवा हो सकती हो, तो उसकी भी शिक्षा दी जा सकती है। उदाहरणार्थ जिन जिलों में गउएँ अच्छी होती हैं, उन जिलों में दूध, दही और मक्खन आदि का काम सिपलाया जा सकता है, और जहाँ नारंगियाँ अच्छी होती हैं, वहाँ उनकी पैदावार कराई जा सकती है। इसी प्रकार उन्हें शाक-तरकारी आदि बोनो की प्रिया भी सिखलाई जा सकती है। यह भी सिपलाया जा सकता है कि आधुनिक वैज्ञानिक ढंग पर अच्छी-अच्छी खादें किस प्रकार तैयार की जा सकती हैं। साथ ही उन्हें इस बात की भी शिक्षा दी जा सकती है कि कोई चीज़ तैयार करने में कितनी लागत आती और बाजार में बेचने पर

खेती-यागी

उसका यथा दाम मिलता है। इससे उन्हें घटी और नफे का भी बहुत कुछ ज्ञान हो सकता है।

दूध, दही और मक्खन आदि तैयार करने का काम भी ऐसा है, जो त्रिलकुल एक स्वतंत्र व्यवसाय के रूप में सिगलाया जा सकता है। यह भी एक ऐसा काम है, जिसे चलाकर स्त्रियाँ अच्छा लाभ उठा सकती हैं। इसमें सदेह नहीं कि इस व्यवसाय में कुछ ऐसे मोटे काम भी होंगे, जिनमें पुरुषों की सहायता की आवश्यकता होगी। पर, फिर भी, दूध दूहना, दही जमाना, मक्खन बिलोना आदि ऐसे काम हैं, जिनमें उन्हें किसी की सहायता की आवश्यकता न होगी, और जिन्हें वे आप ही आप कर लिया करेंगी। यदि अधिक निम्न रूप में किया जाय, तो इस व्यापार से बहुत अधिक लाभ हाँ सकता है। योरप के डेनमार्क-नामक प्रदेश में गउर्क में बहुत अधिकता से होता है, और बहुत अधिक मक्खन और पनीर आदि तैयार होता है। पर वहाँ इस प्रकार का काम करनेवालों में अधिकांश स्त्रियाँ ही हैं, जो बहुत अच्छी तरह सब कामों की व्यवस्था करती हैं, यहाँ तक कि बिक्री आदि की व्यवस्था भी प्रायः उन्हीं के हाथों में रहती है। इससे यह बात सिद्ध होती है कि यह व्यवसाय स्त्रियों के लिये बहुत उपयुक्त है और वे इसे अच्छी तरह कर सकती हैं। हमारे देश की हिंदू स्त्रियाँ घर बैठे ये सब चीजें तैयार कर सकती हैं, और बाजार के द्वारा आसपास के कुम्हों या गुरों में उनकी बिक्री कर सकती हैं।

व्यवस्था कर सकती हैं। यदि वे चाहें, तो साथ ही शहद का अधिकार पालकर शहद का भी व्यवसाय कर सकती हैं। मुसलमान स्त्रियाँ यदि चाहें, तो साथ में मुरगो-मुरगियाँ भी रख सकती हैं, और उनके अंडे तथा चूजे भी बेच सकती हैं। यदि ये सब काम छोटे रूप में किए जायें, तो भी इनसे उनका जीविका का भली भाँति निर्वाह हो सकता है; यदि बड़े मा- में किए जा सकें, तो इनके द्वारा यथेष्ट धन भी संचित किया जा सकता है।

इंग्लैंड में ऐसे कई बहुत बड़े स्कूल और कॉलेज हैं, जिनमें स्त्रियों को केवल इन्हीं सब विषयों की शिक्षा दी जाती है। आधारगत इस प्रकार की शिक्षा में तीन महीने से लेकर वर्ष वर्ष तक का समय लगता है। वहाँ कुछ सस्थाएँ ऐसी भी हैं जो समय-समय पर अपने यहाँ से कुछ ऐसी शिक्षिकाएँ भेजती हैं जो गाँवों और देहातों आदि में भेजती हैं, जो वहाँ की स्त्रियों को तत्संबंधी नई-नई बातों और आविष्कारों आदि का ज्ञान कराती फिरती हैं, और इसके लिये किसी से कुछ फीस नहीं लेती। इसका फल यह होता है कि ज्यों ही कोई नई बात मालूम होती या कोई नया आविष्कार होता है, त्यों ही वह सब लोगों को घर बैठे, और वह भी बिलकुल सुप्त में, मालूम हो जाता है। इसमें सप्रसे बड़ी खूबी यह है कि इन सब बातों की व्यवस्था और इस प्रकार की सस्थाओं का संचालन स्त्रियाँ ही करती हैं। कुछ सस्थाएँ ऐसी भी हैं, जो अलग-अलग विषयों के साम-

यिक पत्र निकालती तथा पुस्तकालय स्थापित करती हैं, और समय-समय पर अच्छे-बुरे विद्वानों के व्याख्यानो आदि की व्यवस्था भी करती हैं। वहाँ स्त्रियों की एक ऐसी सार्वराष्ट्रीय समा भी है, जो खेती-बारी आदि के कामों की उन्नति करने और स्त्रियों में तत्संबंधी नए-नए ज्ञान और आविष्कारों का प्रचार करने के लिये बनी है। यह संस्था खेती-बारी, दूध-दही, फल फूल, शहद की मक्खी, जमीन, जंगल आदि के सबंध की सब प्रकार की बातें लोगों को बतलाया करती है, और स्त्रियों को उनकी उन्नति में सहायता दिया करती है—भिन्न-भिन्न देशों की प्रणालियों की तुलना करके निश्चय किया करती है कि कोन-सी प्रणाली किस अवस्था में अधिक लाभदायक प्रमाणित होती है। और, तब अपनी परीक्षाओं का परिणाम सब लोगों को बतलाया करती है। पूछने पर यह संस्था यह भी बतलाती है कि कोई उत्पाद या तैयार की हुई चीज कहाँ और कैसे बिक सकती है। इस संस्था की सदस्यार्थ आपस में पत्र-व्यवहार और परामर्श आदि करने भी अच्छा लाभ उठाया करती हैं; और इस प्रकार त्रिलकुल पश्चात् प्रदेशों में रहनेवाली स्त्रियों को भी सब बातें सहज में मालूम हो जाती हैं। साथ ही यह संस्था इस बात का भी खयाल रखती है कि मजदूरी करनेवाली स्त्रियों की मजदूरी की दर घटने न पाये। जिन्हें अपने काम के लिये स्त्रियों के नोकर रखने की आवश्यकता होती है, उन्हें भी यह संस्था सहायता देती है, और जिन स्त्रियों को नोकरी या मज-

दूरी की तलाश होती है, उन्हें यह नौकरी या मज़दूरी का काम भी दिलगु दिया करती है।

मुरगे और मुरगियाँ आदि पालने का काम भी ऐसा है कि यदि ठीक ढंग से किया जा सके, तो उससे बहुत कुछ आर्थिक लाभ हो सकता है। यह ठीक है कि हमारे यहाँ कभी उच्च जाति की हिंदू स्त्रियाँ यह व्यवसाय करना नहीं पसंद करेंगी, पर, फिर भी, मुसलमान अथवा और-और जातियों में ऐसी स्त्रियाँ निकल आवेंगी, जो यह कार्य निःसंकोच भाव से कर सकेंगी। इस काम में भी प्रायः उतना ही लाभ होता है, जितना दूध दही या फल-फूल आदि तैयार करने में; और इसमें भी घर-गृहस्थी का काम छोड़ने की आवश्यकता नहीं होती। गृहस्थी के सब काम करते हुए भी यह काम बहुत अच्छी तरह चलाया जा सकता है।

इस प्रकार के कामों के साथ-ही-साथ यदि स्त्रियाँ चाहें, तो अचार, चटनी और मुरचे आदि तैयार करके बेचने का भी काम कर सकती हैं, जो आर्थिक दृष्टि से कम लाभदायक नहीं। शहद की मक्खियाँ आदि पालने और शहद तथा मोम आदि तैयार करके बेचने का काम भी इसके साथ-ही-साथ किया जा सकता है। यदि किसी प्रकार थोड़ी-सी अच्छी जमीन प्राप्त की जा सके, और उसमें ठीक ढंग से एक अच्छा छोटा-सा बगीचा लगाया जा सके, तो फल-फूल और तरकारी आदि की तो पैदावार उसमें हो ही सकेगी, साथ ही ऊपर बतलाए

घुए शोर सत्र काम भी उसमें सहज में हो सकते हैं। ऐसे वगोचे में अच्छे-अच्छे बड़े वृक्ष भी लगाए जा सकते हैं, जिनके फलों या लकड़ी से अच्छी आय हो सकती है। यदि आवश्यक जान पड़े, तो वे घाज, पौदों और कलमों आदि की बिक्री की भी व्यवस्था कर सकती हैं, क्योंकि प्रायः सभी जगह और सभी अवसरों पर लोगों को इस प्रकार की अच्छी चीजों की आवश्यकता रहती है। शाक भाजी और फल-फूल आदि का काम ऐसा है, जो प्रायः सभी स्थानों में, अच्छे लाभ के साथ, किया जा सकता है।

यदि खिरियाँ बीज, पौदे और कलम आदि का काम करें, तो और भी अच्छा। इससे वे तरह तरह के फूल भी उत्पन्न कर सकेंगी, जिनकी आसपास के नगरों में अच्छी बिक्री हो सकेगी। यदि वे सुवर्चि-पूर्ण हों, तो अनेक प्रकार के सुंदर गुच्छे और मालाएँ आदि तैयार करके भी बहुत कुछ लाभ उठा सकती हैं। त्रिगह तथा इसी प्रकार के अन्यान्य अवसरों पर फलों और पत्तों आदि से मकान और कमरे सजाने का काम भी उन्हें अधिकता से मिल सकता है। इसी के साथ बीज बेचने का भी बहुत अच्छा, हलका और खिरियों के लिये बड़ा ही उपयुक्त कार्य है। इस प्रकरण में जितने प्रकार के काम बताए गए हैं, यदि उन्हें सब कोई एक ही सुयोग्य और चतुर खी कर सके, तो उसे बहुत अधिक लाभ हो सकता है। हाँ, अपने भिन्न भिन्न कार्यों और शाखाओं के लिये उसे कुछ सुयोग्य कर्म-

चागी अग्रगण्य रखने पड़ेंगे, जिनके कामों की देखभाल उसे स्वयं करनी पड़ेगी। यद्यपि इन्हीं से प्रत्येक कार्य लाभदायक है तथापि यदि ये मज काम एक साथ किए जा सकें, तो स्वर्च शक्ति की तो बहुत कुछ उन्नत हो जायगी, और आमदनी बहुत बढ़ जायगी। परन्तु इसके लिये अधिक पूँजी की आवश्यकता होगी, और साथ ही जय काम चल निरलेगा, तब उससे प्राय उतनी ही आमदनी होने लगेगी, जितनी एक छोटे मोटे इलाके से हो सकती है।

यहाँ यह पूछा जा सकता है कि स्त्रियों के पास इतनी अधिक पूँजी कहाँ से आवेगी कि वे इतना बड़ा काम कर सकें? इसका उत्तर यही है कि बहुत-सी स्त्रियों को 'मिलकर एक सहयोग-समिति स्थापित करनी चाहिए, और थोड़ा थोड़ा धन सबको लगाना चाहिए। अभी तक हम भारतवासियों ने इस प्रकार मिलकर और सहयोग-समितियों स्थापित करके काम करने के लाभ नहीं समझा है। पाश्चात्य देशों में लोग इस प्रथा से आश्चर्य-जनक कार्य कर रहे हैं, और बहुत अधिक लाभ उठा रहे हैं। यदि एक बार भी हम लोगों की समझ में इसके पूरे पूरे लाभ आ जायें, तो फिर हम कभी उसे छोड़ने का नाम भी न लें। आजकल हमारे यहाँ शुद्ध दूध और घी की जितनी कमी है, वह किसी से छिपी नहीं। शुद्ध घी तो प्रायः दुर्लभ-सा हो रहा है। उसमें ऐसी-ऐसी नदी और दूषित चीजें मिलाई जाती हैं, जिनसे उच्च कोटि के हिंदुओं को बहुत

अधिक घृणा है। और, अब तो अनेक प्रकार के देशी और विलायती घनस्पति घी भी बाजार में आ गए हैं, जो प्रायः तेल के ही तुल्य होते हैं। पर, फिर भी, लोगों को विमश होकर उसी गदे और मिलावटवाले घी का ही व्यवहार करना पड़ता है। यही बात शुद्ध और ताजे दूध के सवध में भी है। किसी समय योरप में भी, दूध आदि के सवध में, लोगों को इसी प्रकार की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। पर जब वहाँ सहयोग-समितियों के सवध का आदोलन आरम्भ हुआ, तब लोगों ने पहले-पहल दूध और पनीर आदि के व्यापार के सवध में ही इसका प्रयोग किया। इस समय सारे योरप में सैकड़ों-हजारों ऐसे बहुत बड़े बड़े कारखाने हैं, जो इसी सिद्धांत पर चलकर सब-साधारण को बहुत अच्छी और शुद्ध चीजें पहुँचाते हैं, और साथ ही बहुत कुछ आर्थिक लाभ भी उठाते हैं। इसी सहयोग-प्रथा की दृष्टि से योरप की खेती-बारी की भी बहुत अधिक उन्नति हुई है। हमें इस सवध में योरपवालों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए, और इस प्रथा से यथेष्ट लाभ उठाना चाहिए।

कर सकती हैं। और, जब इमारत बनकर तैयार हो जाय, तब उसकी सजावट में भी उनसे बहुत अधिक सहायता मिल सकती है। गृह निर्माण-सवर्धी कर्ष के कम-से-कम ये दोनों विभाग अघण्य ऐसे हैं, जो पूर्ण रूप से स्त्रियों को सौंपे जा सकते हैं, और जिनमें वे, सम्भवतः पुरुषों की अपेक्षा कहीं अधिक योग्यता और कार्य-पटुता दिखला सकती हैं। पर हाँ, इसके लिये पहले उन्हें कुछ उपयुक्त शिक्षा मिलनी चाहिए, और तब कुछ दिनों बाद अग्रय ही एक ऐसा समय आ जायगा, जब उनके काम को लोग बहुत अधिक पसन्द करने लगेंगे। मकानों आदि की सजावट का काम तो ऐसा है, जिसके लिये स्त्रियों को बहुत ही थोड़ी, प्रायः नहीं के बराबर, शिक्षा देने की आवश्यकता है।

कदाचित् यहाँ यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि भारत के प्रायः सभी प्रदेशों और सभी जातियों में कुछ ऐसे त्योहार आदि होते हैं, जिनमें बहुत कुछ शृंगार और सजावट आदि की आवश्यकता होती है। कहीं जन्माष्टमी के समय ठाकुरजी का शृंगार होता है, और उनके आगे तरह-तरह के वाग-वगीचे आदि लगाए जाते हैं, कहीं पिलौने आदि सजाए जाते हैं। कहीं गणेश-चौथ के समय इस प्रकार की सजावट होती है, जिसमें अनेक प्रकार की रंग-विरंगी कारीगरों की जाती है। इस प्रकार के शृंगार घरों में भी होते हैं, और बड़े-बड़े मंदिरों आदि में भी। मंदिरों में इस प्रकार के शृंगार का काम प्रायः पुरुष करते हैं,

और घरों में इसका सारा भार प्रायः स्त्रियों पर ही रहता है। जिन लोगों को अच्छे-अच्छे घरों में इस प्रकार के शृंगार आदि देखने का अवसर मिला है, वे कह सकते हैं कि घरों में की हुई स्त्रियों के हाथ की इस प्रकार की सजावट मंदिरों आदि में की हुई पुरुषों के हाथ की सजावट से किसी प्रकार कम नहीं होती। यदि कहीं कभी दिखाई भी देती है, तो वह साधन-मात्र की होती है, सजावट की योग्यता की नहीं। प्रायः श्रावण-मास में मंदिरों में एक प्रकार की सजावट होती है, जिसे 'सांझी' कहते हैं। यह सजावट पुरुष ही करते हैं। घरों में प्रायः वैसी अच्छी सजावट देखने में नहीं आती। इसका कारण यही है कि मंदिरों में व्यय बहुत अधिक किया जाता है, और वहाँ सामग्री और साधनों की बहुत अधिकता होती है। घरों में न तो उतना अधिक व्यय ही किया जाता है, और न उतने अधिक साधन ही होते हैं। यदि स्त्रियों को भी उतने अधिक साधन दे दिए जायें, और कुछ दिनों तक यह काम उनके हाथ में रहने दिया जाय, तो इसमें सदेह नहीं कि थोड़े ही दिनों में वे इस विषय में बहुत अधिक उन्नति दिखाती सकती और पुरुषों से धाजी ले जा सकती हैं, क्योंकि शृंगार और सजावट आदि स्त्रियों का स्वाभाविक कार्य है पुरुषों के लिये वह कभी स्वाभाविक नहीं कहा जा सकता। यदि बड़े-बड़े मेलों और उत्सवों आदि के समय इस प्रकार की सजावट आदि का काम स्त्रियों से लिया जाय, तो हजारों पैसे स्त्रियों की जीविका

उसी समय खरीद लेनी चाहिए, पर यदि चीजों का मालि
ज्यादा दाम माँगे, और वे अच्छी हों, तो कमीशन पर बेच
के लिये ले लेनी चाहिए। जब वे बिक जायँ, तब उनके मालि
को अपना कमीशन काटकर दाम चुका देना चाहिए। य
थोड़ी-सी पूँजी लगाकर यह काम शौकिया भा किया जाय,
थोड़े ही दिनों में इससे अच्छा लाभ हो सकता है।

अब इससे नीचे उतरकर हम एक और छोटा और सह
काम बतलाते हैं। रसोई पकाने का सब काम प्रायः सभी जग
खियाँ ही करती हैं। पर, फिर भी, यह एक विलक्षण बात
कि रसोई बनाने के लिये जिन घरतनों और इसी प्रकार
दूसरे सामानों की आवश्यकता होती है, उन सबके लिये त
निकालने का काम पुरुष ही करते हैं। साधारणत हो
तो यह चाहिए कि जिन चीजों की आवश्यकता खियों को
उनके लिये तर्ज भी स्वयं घरी निकालें। पर भियाँ कभी ऐ
बातों की ओर ध्यान ही नहीं देतीं। यदि वे इस ओर ध्यान दें,
बहुत-सी नई बातें निकाल सकती हैं, और अनेक प्रकार
नई-नई और उपयोगी चीजें तैयार कर सकती हैं। हम
समझ में यह एक ऐसा विषय है, जिसकी ओर खियों
विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। यदि खियाँ घर-गृहस
के काम के लिये ऐसी नई-नई चीजें निकाल सकें, जिन
बनावट बहुत सरल और साधारण हो, और जिनके व्यवह
से काम करने में सुगंता हो, तो उनसे वे स्वयं भी अच्

खाम उठा सकती है, और दूसरों को भी खाम पहुँचा सकती है।

ऊपर ब्रिताने प्रकार के काम बतलाए गए हैं, वे सब अलग-अलग और स्वतंत्र रूप से भी किए जा सकते हैं। यदि चाहें, तो कुछ क्रियाँ मिलकर इसके लिये सहयोग-समितियाँ भी स्थापित कर सकती हैं। यदि ये सब काम सहयोग-समितियाँ स्थापित करके किए जायें, तो और भी अच्छा। आमदनी में से सब हिस्सेदारों को लाभ का समुचित अंश देने के उपाय जो कुछ बचे, वह नोकरों आदि में बाँटा जा सकता है, और उसका कुछ अंश पूँजी बढ़ाने के लिये अलग भी किया जा सकता है। इस प्रकार व्यवसाय में उत्तरोत्तर उन्नति की जा सकती है।

अतः मैं हम एक और बहुत बढ़िया और हलका काम बतला कर यह प्रकरण समाप्त करते हैं। बंगाल में एक प्रकार के व्यवसायी होते हैं, जो 'घटक' कहलाते हैं। ये लोग घर के लिये उपयुक्त कन्या और कन्या के लिये उपयुक्त घर ढूँढने का काम करते हैं। परन्तु इस देश में परदे की प्रथा होने के कारण प्रायः पुरुष घटक घर के अंदर जाकर कन्याओं को नहीं देख सकते। इसलिये अब बंगाल में कुछ ऐसी क्रियाँ निकल आई हैं, जो घटकों का काम करने लग गई हैं। परन्तु ये क्रियाँ प्रायः पढ़ी लिखी नहीं होतीं, और अपने कार्य का पूरा पूरा महत्व और उत्तरदायित्व नहीं समझतीं। यदि पढ़ी लिखी और अपना

मशीनों या फलों आदि का जमाना है। प्रायः सभी प्रकार के काम फलों के द्वारा ही किए जाते हैं। इस कारण कभी-कभी तो ऐसा जान पड़ता है कि हाथ की बढ़िया कारीगरी को जल्दी कोई पूछेगा भी नहीं। पर वास्तव में यह बात नहीं है। यदि हम ध्यानपूर्वक देखें, तो हमें जान पड़ेगा कि इस जमाने में भी हाथ की बनी हुई बढ़िया-बढ़िया चीजों की बहुत ज्यादा जरूरत है, और शायद सदा बनी रहेगी। हाथ की बनी हुई बढ़िया-बढ़िया बेलें, मीनाकारी की चीजें और तरह-तरह के नक्काशी के काम अब भी बहुत अच्छे दामों पर बिकते हैं, और उनकी बहुत कुछ कदर और चाह होती है। वास्तव में ये सभी काम ऐसे हैं, जिनमें सदा यथेष्ट प्रोत्साहन मिलना चाहिए, क्योंकि असली कारीगरों इन्हीं चीजों में दिखलाई पड़ती है। इस समय भी भारतवर्ष में सैकड़ों-हजारों ऐसी अच्छी-अच्छी चीजें बनती हैं, जो दूर-दूर तक कारीगरी का बहुत अच्छा नमूना समझी जाती हैं। स्त्रियाँ इनमें से किसी को अपने लिये उपयुक्त समझकर चुन सकती हैं। पर हों, इस बात का ध्यान रखा चाहिए कि किसी एक ही प्रकार की कला या कारीगरी में अपनी सारी योग्यता और सारी बुद्धि लगा दी जाय, क्योंकि जो व्यक्ति बहुत-से कामों में एक साथ ही अपना ध्यान चोट देगा, वह सभवतः एक में भी दक्ष न हो सकेगा। पर यदि वह अपना सारा समय, सारी योग्यता और सारी शक्ति किसी एक काम में लगावेगा, तो बहुत संभव है कि वह अपने विषय का पूरा उस्ताद निकल

आने, और उसी दशा में उसके काम का पूरा पूरा आदर भी होगा। हमारे देश में धातुओं के सैकड़ों-हजारों तरह के सामान बनते हैं, और उन धातुओं में सोना, चाँदी, पीतल, ताँबा आदि, सभी सम्मिलित हैं। फिर, एक ही धातु की सैकड़ों तरह की चीजें बनती हैं। यदि उनमें से कोई एक धातु ले ला जाय, और उसकी एक तरह की चीजें बनाना आरम्भ किया जाय, तो उसमें बहुत शीघ्र दक्षता भी प्राप्त की जा सकती है, और अच्छा आर्थिक लाभ भी उठाया जा सकता है। कोई एक काम उठा लिया जाय, और उसमें नए-नए ढग और तर्ज निकाले जायें—उसमें नई-नई खूबसूरती पैदा की जाय—तो अवश्य ही उससे अच्छा लाभ हो सकता है। पर यदि कोई नया ढग न निकाला जा सके, और न कोई खूबसूरती पैदा की जा सके, तो फिर उसे हाथ में लेना ही व्यर्थ है, क्योंकि भही और पुराने ढग की चीजों को जल्दी कोई पूछता भी नहीं।

यदि सब पूछा जाय, तो किसी चीज में कोई नया तर्ज निकालने और कोई नई बात पैदा करने में जितना आनंद आता है, उतना शायद और बहुत कम बातों में पर इसके लिये थोड़ा दिमाग लडाने की जरूरत होती है, और इसीलिये लोग प्रायः ऐसे कामों से भागते हैं। पर यदि वे लोग थोड़े दिनों तक इसके लिये परिश्रम करें, और इस ओर पूरा ध्यान दें, तो इस सबध की सारी कठिनाइयाँ आप-से-आप दूर हो जायँगी, और तब नित्य अनेक प्रकार की नई-नई बातें आप-से-आप, बिना किसी

प्रकार के परिश्रम के ही, उनके दिमाग से निरफला करेगी। और जब कोई व्यक्ति नई बातें पैदा करने और नए-नए तर्ज निकालने का अभ्यस्त हो जायगा, तो फिर उसके कदरदाँओं की भी कमी न रह जायगी। आजकल योरोप और अमेरिकाजाले भारतीय शिल्प की जितनी अधिक कदर करते हैं, उतनी स्वयं भारतवाले नहीं करते। इसलिये भारतीय कारीगरों को इस ओर विशेष ध्यान देना चाहिये, और ऐसी चीजें तैयार करनी चाहिये, जो पश्चात्य देशों के निवासियों के लिये विशेष रूप से उपयोगी हो सकें। यदि हमारे देश की स्त्रियाँ कुछ ऐसी उपयोगी और बढ़िया चीजें बना सकें, जो पश्चात्य देशों के निवासियों को पसंद भी हों, और उनके काम भी आ सकें, तो उन्हें बहुत अधिक आर्थिक लाभ हो सकता है।

यों काम तो सेकड़ों और हजारों तरह के हैं, पर यहाँ हम उदाहरण-स्वरूप कुछ धाडे-से कामों का ही उल्लेख करना यथेष्ट समझते हैं। सबसे पहले मीनाकारी का काम लीजिए। यह एक ऐसा काम है, जो इस देश में बहुत प्राचीन काल से होता चला आया है, और कम शारीरिक परिश्रम का होने के कारण स्त्रियों के लिये विशेष रूप से उपयुक्त है। फारस और जापान में भी यह काम बहुत अच्छा होता है। मध्य युग में, योरोप में, भी यह काम बहुत अच्छा होता था। इधर हाल में इंग्लैंडवालों का ध्यान इस ओर गया है, और अब वहाँ अनेक प्रकार के गहनों और वस्तुओं पर बहुत अच्छी

मीनाकारी होने लगी है। मीनाकारी का काम करने में इसलिये बहुत अधिक आनन्द आता है कि उसके रंग बहुत ही सुन्दर होते हैं। दूसरी विशेषता इसमें यह है कि नए-नए तर्ज नियालने के लिये भी बहुत गुजाइश रहती है, जिससे यह काम और भी मनोरंजक हो जाता है। जापानियों ने मीनाकारी में एक और नई बात पैदा की है। वे धातु पर जो तरह-तरह के रंग चढाते हैं, उन्हें चारों ओर से सोने के बहुत महीन तारों से घेर देते हैं। यह काम प्रायः वैसे ही होता है, जैसी, कि हमारे यहाँ मिरा की एक प्रकार की मीनाकारी होती है, जिसमें उतनी दूर तक कुछ गहरा गहरा-सा खोद देते और उसमें रंग भर देते हैं। इसमें रंग भरने के उपरांत उसके चारों ओर कुछ बाढ-सी उठी रह जाती है, और वह रंग विलकुल अलग मानूम पड़ता है। तौरे पर एक प्रकार की मीनाकारी होती है, जिसमें रंगों के चारों ओर चाँदी के पानी की तकरीरें खींच दी जाती हैं। इसमें नीचे का तौबा कुछ विशिष्ट क्रियाओं से निकाल लिया जाता है, और तब केवल मीनाकारी रह जाती है, जो बहुत ही सुन्दर जान पड़ती है। तात्पर्य यह कि मीनाकारी अनेक प्रकार की होती है, और यदि प्रयत्न किया जाय, तो उसमें और भी बहुत-सा नई बातें पैदा की जा सकती हैं। तर्जों का तो मानों कोई अर्थ ही नहीं।

किताबों की जिल्द बाँधने का काम भी ऐसा है, जिसमें बहुत कुछ कारीगरी की जा सकती है। यदि जिल्दबन्दी के काम में कुछ

रुपए लगाए जा सकें, और उसके लिये कुछ मशीनें आदि खरीदे जा सकें, तो उसमें भी बहुत-सी नई धातें निम्नली जा सकती हैं और अच्छा लाभ उठाया जा सकता है। हमारे कहने का यह तात्पर्य नहीं कि स्त्रियाँ बिलकुल साधारण तरह की जिल्दबंदी का काम करें। हेदरागढ़ (दक्षिण) तथा दूसरे अनेक स्थानों में कितारों की बहुत बढ़िया-बढ़िया जिल्दें बँधती हैं, जिनके लिये राजे महाराजों सैकड़ों-हजारों रुपए खर्च करते हैं। जिल्दें प्रायः सुनहली और रुपहली हुश्रा करती हैं, और उन पर बेल-चूटे आदि का बहुत ही सुंदर काम हुश्रा करता है। यदि हमारे यहाँ की स्त्रियाँ उस तरह का कोई काम किसी प्रकार सीख और कर सकें, तो अग्रश्य ही उन्हें अच्छा लाभ हो सकता है। प्रायः लोग धार्मिक और साम्प्रदायिक ग्रंथों की बहुत अच्छी-अच्छी जिल्दें बँधवाया करते हैं, और उनके लिये दाम भी बहुत अधिक देते हैं। इस प्रकार का काम सीखने के लिये अधिक से अधिक साल भर का समय चाहिए। आजकल प्रायः सभी स्थानों में संस्कृत, फारसी और अरबी के ऐसे सैकड़ों-हजारों ग्रंथ मिल सकते हैं, जो किसी अच्छे जिल्दमाज के अभाव के कारण यों ही पड़े रह जाते हैं और समय पाकर नष्ट हो जाते हैं। यदि इस प्रकार की बढ़िया जिल्दबंदी की व्यवस्था हो सके, तो लोग बड़े शोक से और अच्छा दाम देकर उनकी जिल्दें बँधवा सकते हैं। यहाँ हम यह भी बतला देना चाहते हैं कि जिल्द बँधने के समय उनमें चमड़ा आदि मढ़ने में भिन्न भिन्न धर्मों और सम्प्रदायों के धार्मिक

चारों का भी ध्यान रखना चाहिए। यह समझ लेना चाहिए कि किस धर्म के लोग किस पशु के चमड़े से परहेज़ करते हैं और किसे स्पर्श तक करना पाप समझते हैं। ऐसी दशा में अधिक सफलता होने की संभावना होगी।

तरह-तरह के जालीदार फीते आदि बनाने का काम भी ऐसा है, जो स्त्रियों के लिये बहुत ही उपयुक्त है, और जिसमें बहुत ही नई-नयी पैदा की जा सकती हैं। इस काम में यह विशेषता है कि न तो इसके लिये किसी विशेष पूँजी की आवश्यकता होती है, और न किसी विशेष प्रकार की बहुत अधिक शिक्षा मिलनी ही, और इसीलिये इसे गरीब से गरीब स्त्रियाँ भी बहुत अच्छी तरह और सहज में कर सकती हैं। यदि कोई पढ़ी-लेखी और चतुर स्त्री हो, तो वह इस काम के लिये बहुत सी स्त्रियों भी रख सकती है, अथवा गाँवों और शहरों में कुछ स्त्रियों को यह काम सिखाकर, उनसे बहुत-सी चीजें तैयार कराकर, अच्छे नफे पर बेच सकती है। यदि कोई स्त्री स्वयं ही फीते आदि बनाने का काम शुरू करे, तो तो उसे किसी पूँजी आदि की कोई आवश्यकता ही नहीं। पर हाँ, यदि वह और स्त्रियों को भी यह काम काना और अधिक लाभ उठाना चाहे, तो उसे अघश्य थोड़ी-बहुत पूँजी की आवश्यकता होगी, क्योंकि चीजें तैयार कराने और बेचने में समय लगता है, और इस बीच में काम करनेवाली स्त्रियों को रत्न के लिये बराबर कुछ-कुछ देना ही पड़ेगा। साथ ही उसे स्वयं भी नए-नए तर्ज

आदि निरालने में विशेष परिश्रम करना पड़ेगा, क्रियाओं को यह काम सिखलाने में अपना समय भी पड़ेगा। यदि यह काम गाँवों और देहातों की जाय तो बहुत सी दरिद्र स्त्रियों के निर्वाह आदि का एक अच्छा मार्ग निफल सकता है। इसमें सन्देह नहीं कि आज़काल भी हमारे देश की बहुत-सी स्त्रियाँ सूई आदि का बहुत काम करती हैं, पर वह काम प्रायः त्रिलकुल पुराने ढंग और बहुत भद्दा होता है। यदि वे नए ढंग का घड़िया और मृरत काम कर सकें, तो अवश्य ही उन्हें अच्छा लाभ हो सकेगा है। यदि यह काम छोटी-छोटी घातिकाओं को आरम्भ में सिखलाया जाय, तो और भी अच्छा, क्योंकि उस दशा में थोड़े ही दिनों में बहुत कुछ दक्ष भी हो जायेंगी, और उन काम में बहुत कुछ फुरती भी आ जायगी। इससे सिखाने वाले काम करनेवाली स्त्रियों को स्वयं तो लाभ होगा ही, साथ ही बहुत-सा गरीब स्त्रियों की जीविका का भी बहुत अच्छा प्रबन्ध कर सकेंगी। इस प्रकार इस कार्य में दोहरा लाभ होगा अर्थात् अपना भी लाभ होगा, और साथ में परोपकार भी हासिल चलेगा। गाँव-देहात की स्त्रियाँ काम तो सहज में सीख जायेंगी पर वे अपना तैयार किया हुआ काम बाजार में न बेच सकेगा नगर की घतुर और पढ़ी लिखी स्त्रियाँ उनका तैयार किया काम सगीद्वर अच्छे दामों में बेच लेंगी।

मिट्टी के घरतन और खिलौने आदि बनाना भी एक

म है, जिसे स्त्रियाँ अपने हाथ में ले सकती और अच्छा काम
 कर सकती हैं। जिस प्रात की मिट्टी अच्छी हो, वहाँ की स्त्रियाँ
 मिट्टी के अनेक प्रकार के घरतन, गमले और खिलौने आदि
 बनाने का काम कर सकती हैं। इस देश में बनारस, चुनार,
 बनारस आदि स्थानों में पहले से ही मिट्टी के अनेक प्रकार
 के खिलौने और घरतन आदि बहुत अच्छे बनते हैं, जिनकी
 बिक्री दूर तक माँग रहती है। इन चीजों के बनाने में भी बहुधा
 स्त्रियों का ही हाथ रहता है। पर वे स्त्रियाँ केवल कुम्हार-जाति
 की होती हैं, और जातियों की स्त्रियाँ यह काम अपने हाथ में
 नहीं लेतीं। पर यदि वे नए ढंग के खिलौने आदि बनाना
 प्रारम्भ कर दें, तो इसमें किसी प्रकार की हानि या अपमान
 नहीं है। इसी से मिलता-जुलता एक और काम कुटके, खिलौने
 आदि बनाने का है, जिनका इस देश में अभी बहुत कम प्रचार
 है। जयपुर तथा दूसरे कुछ स्थानों के यहाँ हुए खिलौने बहुत
 अच्छे होते हैं; लोग उन्हें बहुत पसन्द करते हैं। इसके लिये
 पहले रेशी कागजों और उनकी छोटी-छोटी कतरनों या टुकड़ों
 का पानी में भिगोकर अच्छी तरह गला लेते हैं, और तब उसमें
 थोड़ी रेश तथा थोड़ी मिट्टी मिलाकर उसके खिलौने बनाते हैं।
 इस प्रकार के खिलौने देखने में भी बहुत सुन्दर होते हैं, और
 साथ ही मजबूत भी। इसी तरह का छोटी-बड़ी अनेक प्रकार
 की दारियाँ आदि भी बनाई जाती हैं, जो घर गृहस्थी में बहुत
 काम आती हैं। इसी से मिलता-जुलता एक और काम कपड़ों

की गुडियाँ आदि बनाना भी है, जो कम लाभदायक नहीं और जिसकी ज़रूरत कभी होती है। थोड़ा दिमाग जाने इन सब चीजों से बहुत-सी नई-नई चीजें भी बनाई सकती हैं।

कपड़ों की बुनाई और सूत की कतारें आदि का भी काम ऐसा है, जो स्त्रियों के लिये बहुत उपयुक्त है। गाँवों तथा देहातों में बहुत-सी स्त्रियाँ ऐसी होती हैं, जो बहुत गरीब होती हैं, और अपने बचे हुए समय में कुछ काम करना चाहती हैं। यदि कोई चतुर स्त्री व्यवस्था कर सके, तो वह बहुत-सी स्त्रियों को कतारें और बुनाई का यथेष्ट काम दे सकती है। शहरों की स्त्रियाँ गुलूबंद, भोजे, गजीफाक आदि बुनने का काम मजे में कर सकता हैं। मुक्तिदायिनी सेना (Salvation Army) की ओर से अभी हाल में भारत के देहातों में इस सबध में थोड़ा बहुत काम हुआ भी है। उन लोगों ने एक ऐसा करघा निकाला है, जिसकी बनावट तो बहुत ही सीधी सादी है, पर जिस पर सूत, ऊन और रेशम, सभी की बुनाई बहुत अच्छी तरह हो सकती है। उन्होंने कुछ देहातों में बुनाई आदि का काम सिखाने के लिये छोटे-छोटे स्कूल भी खोल रखे हैं, और उनके जो छात्र इस काम में विशेष सिद्ध हो जाते हैं, उन्हें प्रतिवर्ष कुछ पुरस्कार और पदक आदि भी मिल जाते हैं। उनकी इस व्यवस्था से बहुत-से निर्दनों के घर उदते-उजड़ते बच गए हैं, और बहुत-से स्त्रियों तथा अनाथों

पालन होने लगा है। यदि कुछ चतुर और सुयोग्य स्त्रियाँ थोड़ी-बहुत पूँजी लगाकर इस प्रकार की व्यवस्था आरम्भ कर दें, तो वे आर्थिक प्राप्ति करने के साथ-साथ पुण्य भी लूट सकना है। यदि वे चाहें, तो इसी के साथ रेशम के कीड़े पालने और रेशम आदि तैयार करने का काम भी भली भाँति कर सकती हैं। यह काम भी कुछ कम लाभदायक नहीं है।

इसी प्रकार और भी अनेक प्रकार के कार्य हैं, जिनमें अच्छा लाभ हो सकता है, और जिन्हें हाथ में लेने की बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि उनको माँग अधिक है, और वे मिलती कम हैं। इनमें से एक काम दौरे-दौरियों आदि बनाने का है। अनेक प्रकार की सुदर और रंगीन दौरियाँ बनाई जा सकती हैं, जो बाजारों में अच्छे दामों पर बिक सकती हैं। तिरहुत में अच्छे-अच्छे घरों की स्त्रियाँ इतनी सुदर और हलकी दौरियाँ बनाती हैं कि उन्हें देखकर चित्त प्रसन्न हो जाता है। पर वे यह काम केवल शौक से ही करती हैं। यदि स्त्रियाँ यही काम रोजे के रूप में करने लगें, तो उन्हें खासी आमदनी हो सकती है। यह एक ऐसा काम है जिसे अधी, गूँगी और बहरी स्त्रियों तक बहुत अच्छी तरह कर सकती हैं। इसमें कुछ प्रशेष पूँजी लगाने की भाँति आवश्यकता नहीं। आवश्यकता है केवल थोड़ी सी शिक्षा की, जो सहज में प्राप्त की जा सकती है। जो स्त्रियाँ रोगी, दुर्बल या सुकुमार होने के कारण कठिन परिश्रम का कोई काम नहीं कर सकतीं, वे भी

यह काम बहुत सहज में और अच्छी तरह कर सकती हैं। जितने प्रकार के काम बतलाए गए हैं, वे सभी अच्छी तरह और अधिकता से हो सकते हैं, जब प्रत्येक जिले में कुछ पढ़ी लिखी और योग्य स्त्रियाँ इस प्रकार के कामों को अपने हाथ में लें। उन्हें कुछ पैसा लगान करना चाहिए, जिसमें वे स्त्रियों का कुछ शिक्षित कार्य मिलाने की, और तब उनका तैयार किया हुआ माल खरीदकर बेचने की व्यवस्था कर सकें। हमारे गाँवों की गँवार और अपठ स्त्रियाँ काम तो बहुत कुछ कर सकती हैं पर व्यवस्था और संगठन के अभावों के कारण उनके कामों का ठोस-ठीक और पूरा उपयोग नहीं हो सकता। यदि प्रत्येक नगर में एक ऐसी दुकान खुल जाय, जिसमें केवल स्त्रियों के हाथ की बनी हुई बढ़िया-बढ़िया दस्तकारी की ही चीजें बिका करें, तब वह दुकान अच्छे नफे से तो चलेगी ही, साथ ही उसके कारण स्त्रियों को अनेक प्रकार की नई-नई चीजें तैयार करने का भी शौक पैदा होगा। और, इस तरह उनकी अनेक प्रकार से उन्नति होने लगेगी। यदि कोई ऐसा मासिक पत्र निकाला जाय, जिसमें केवल स्त्रियों की ही बनी हुई चीजों के विवरण मिलने के पते और विज्ञापन आदि रहें, तो और भी अधिक लाभ हो सकता है। पर हाँ, इसमें सदेह नहीं कि इस प्रकार के कार्य आरम्भ करने के लिये अवश्य उत्साह और लगन की आवश्यकता है। आत्म में अग्र्य ही अनेक प्रकार की कठिनाइयाँ होंगी, और आर्थिक लाभ भी कुछ विशेष न दिखाई देगा।

पर जय इस प्रकार का कोई काम चल निकलेगा, तो उससे
 इतने अधिक लाभ होने लगेंगे कि उन्हें देखकर आश्चर्य होगा।
 यदि स्त्री-जाति का सुधार करने की कामना रखनेवाली कुछ
 स्त्रियाँ ऐसे कामों में लग जायँ, तो अवश्य ही वे देश का बहुत
 बड़ा उपकार कर सकेंगी। उन्हें सर जे० रेनाल्डस् का यह कथन
 स्मरण रखना चाहिए—“यदि तुममें साधारण गुण या योग्यता
 ही है, तो शिल्प के द्वारा उसकी त्रुटि की पूर्ति होगी। यदि
 अच्छी तरह परिश्रम किया जाय, तो कोई बात असाध्य या
 अप्राप्य नहीं हो सकती, और यदि अच्छी तरह परिश्रम न
 किया जाय, तो कोई बात साध्य या प्राप्य भी नहीं हो सकती।”

पाँचवाँ प्रकरण

परोपकारिता के कार्य

समाज और लोक-सेवा के जितने काम हैं, वे चाहे श्र्वैतनिक रूप से किए जायँ या किसी प्रकार का वेतन या पुरस्कार आदि लेकर, उन सबका उद्देश्य एक ही होता है। बहुत-सी स्त्रियों में परोपकार और लोक-सेवा आदि की प्रवृत्ति विलक्षण स्वाभाविक रूप से ही होती है, क्योंकि स्त्रियाँ स्वभाव से ही दयालु और कोमल हृदया होती हैं। पर प्रायः उन्हें इस बात का ज्ञान ही नहीं होता कि हम अपनी यह वृत्ति किस रूप और किस क्षेत्र में चरितार्थ करें, और इसीलिये वे प्रायः अनेक प्रकार के परोपकारिता और लोक-सेवा आदि के कार्य करने से वंचित रह जाती हैं। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि केवल आवश्यक साधनों के अभाव के कारण ही, बहुत कुछ इच्छा रखने पर भी, वे कोई अच्छा कार्य नहीं करने पातीं। यदि ऐसी स्त्रियों को यह बात मालूम हो जाय कि अमुक क्षेत्र में अमुक प्रकार का कार्य करने की इतनी आवश्यकता है, और साथ ही उन्हें यह भी मालूम हो जाय कि उसके लिये इतने सुबोते और साधन भी प्रस्तुत हैं, तो वे बहुत सहज में और बहुत अधिक कार्य

कर सकती है। आजकल अनेक प्रकार के ऐन काय ढ़िड गए हैं, जिनमें स्त्रियों को लोक-सेवा करने या अच्छा अवसर मिल सकता है, और यदि वे चाहें, तो उसके लिये उन्हें कुछ वेतन या पारिश्रमिक आदि भी मित मयता है। यदि सब पूछा जाय, तो मानव-समाज को अनेक प्रकार के कष्टों से मुक्त करना, सामाजिक दोषों को दूर करना आदि कुछ काम ऐसे ही हैं, जिनके लिये स्त्रियाँ सबसे अधिक उपयुक्त हैं। यह तो साधारणतः सभी लोग जानते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों में धर्म-भाव कहीं अधिक होता है। यदि स्त्रियाँ न हों, तो धर्म और धार्मिक भावों का बहुत शीघ्र लोप हो जाय, अथवा कम-से-कम उनका प्रचार तो अवश्य ही बहुत कुछ घट जाय। यह बात केवल भारतवर्ष के हिंदुओं के ही संबंध में नहीं, बल्कि प्रायः सभी देश और सभी जातियों के संबंध में है। इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि परोपकार और लोक-सेवा का भाव स्त्रियों में जितना अधिक होता है, उतना पुरुषों में कदापि समान नहीं। चाहे यह बात यादी देर के लिये मान भी ली जाय कि परोपकार और लोक-सेवा के क्षेत्र में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों ने कम काम किया है, पर, फिर भी, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं कि स्त्रियों में यह प्रवृत्ति पुरुषों की अपेक्षा कहीं अधिक होती है। इसका कारण स्त्रियों की फौमल हृदयता और उसके परिणाम-स्वरूप उत्पन्न होनेवाली दयालुता ही है। यदि स्त्रियों में ज्ञान का यथेष्ट प्रकाश फैल जाय, और उन्हें पूरे-

पूरे साधन प्राप्त हो जायें, तो अनेक देशों और जातियों के अनेक प्रकार के कष्ट और दुःख बहुत ही सहज में, और बहुत ही थोड़े समय में, दूर हो सकते हैं। अतः आजकल की पढी लिखी और ज्ञान-संपन्न स्त्रियों का यह परम कर्तव्य है कि वे अपनी अशिक्षित और अज्ञान बहनों को शिक्षा देकर इस बात का ज्ञान प्राप्त करा दें कि लोक-सेवा के क्षेत्र में उनका क्या स्थान है, और यदि वे चाहें, तो इस संध में यहाँ तक क्या कर सकती हैं। इस समय स्त्रियों को सबसे पहले यह बतलाने की आवश्यकता है कि परिवार, समाज और देश आदि के प्रति उनके क्या कर्तव्य है, और किस विषय में उन्हें कितने अधिकार प्राप्त हैं। हमारे यहाँ भारतवर्ष में भी अनेक बड़ी बड़ी परोपकारिणी स्त्रियाँ हो गई हैं, जो लोक-सेवा के बहुत बड़े-बड़े कार्य कर गई हैं, और उन्हीं कार्यों के कारण जिनकी गिनती आज तक हमारे यहाँ देवियों में होती है। उदाहरण के लिये हम महारानी अहल्याबाई और नाटौर की रानी भवानी आदि के नाम ले सकते हैं। महारानी अहल्याबाई की दयालुता और परोपकारिता इतनी अधिक बढ़ी हुई थी कि वह मानव-क्षेत्र को पार करके पशु-संसार तक पहुँच गई थी। उनके नौकर खेतों में हल जोतते हुए बैलों तक को पानी पिलाते फिरते थे! इसी प्रकार हम और भी अनेक स्त्रियों के नाम बतला सकते हैं, जिन्होंने परोपकारके अनेक प्रकार के कार्य किए हैं। अब भी भारतवर्ष में अनेक ऐसी स्त्रियाँ वर्तमान हैं जो सामान्य के अतिरिक्त शायद में भी

बहुत बड़े-बड़े काम बराबर करती रहती हैं। पर यहाँ हम केवल यही कहना चाहते हैं कि यदि इन स्त्रियों का यह कार्य अधिक सुव्यवस्थित और अधिक संगठित रूप से हो, तो उसका परिणाम कहीं अधिक व्यापक तथा शुभ हो सकता है। यहाँ भी हमें योरप और अमेरिका आदि पश्चात्य देशों की स्त्रियों के उदाहरणों से ही शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। इस समय उन देशों के परापकारिता के प्राय सभी काम स्त्रियों के ही द्वारा होते हैं, और वह भी बहुत ही सुव्यवस्थित तथा संगठित रूप से। सबसे पहले चिकित्सा को ही लीजिए। यह एक ऐसा काम है, जिसमें समाज की बहुत अच्छी सेवा भी होती है, और यथेष्ट लाभ भी होता है। और, इस समय हमारे देश में स्त्री-चिकित्सकों की आवश्यकता भी बहुत अधिक है। हमारे यहाँ परदे का अधिक रिवाज होने के कारण स्त्रियों प्रायः पुरुष चिकित्सकों के सामने नहीं होतीं, अथवा कम-से-कम उन्हें अपने फल अच्छी तरह नहीं बतला सकतीं। यदि अधिक सत्या में स्त्रियों चिकित्सा करने लग जायँ, तो हमारे देश की स्त्रियों और उन्हीं की भीषण मृत्यु-सत्या बहुत कुछ घट सकती है। न जाने क्यों आजकल कुछ लोग कहा करते हैं कि चिकित्सा का काम स्त्रियों के लिये उपयुक्त नहीं है। पर यदि हम आँख उठाकर देखें, तो इस समय हमें सारे ससार में स्त्री-चिकित्सकों की बहुत अधिक सत्या, बहुत अच्छा काम करती हुई, दिखोई देगी। कुछ विद्वानों का तो यह भी मत है—और बहुत ठीक

जान पड़ता है—कि समाज की आरम्भिक अवस्था में चिकित्सा का काम प्रायः स्त्रियों ही किया करती थीं। हमें भी अनुमान से यह जान पड़ता है कि आरम्भ में जल वायु आदि की शुद्धता तथा उत्तम खाद्य पदार्थों की अधिकता के कारण पुरुष तो प्रायः कम बीमार पड़ते होंगे, लेकिन अधिक रोग प्रायः प्रसूतिका स्त्रियों और नवजात शिशुओं को ही हुआ करते होंगे। और, उस दशा में उनकी चिकित्सा भी प्रायः सयानी स्त्रियाँ ही करती होंगी। पश्चिम में 'सयाना' शब्द चिकित्सक के लिये व्यवहृत होता है। विद्वानों का अनुमान है कि आरम्भ में सयाने पुरुषों से पहले सयानी स्त्रियों का ही आदिभाव हुआ होगा। पुरुषों में यह सयानपन बहुत बाद को, और स्त्रियाँ की देखा देखा, आया होगा। आजकल भी रोगियों की सेवा-सुश्रूषा का जितना अच्छा काम स्त्रियाँ करती हैं, वह पुरुषों से नहा हो सकता। और, इसी लिये प्रायः सभी बड़े बड़े अस्पतालों आदि में सेवा-सुश्रूषा के काम के लिये स्त्री परिचारिकाएँ ही रखी जाती हैं। खीरपाट आदि के कामों में भी जिन डॉक्टरों को डॉक्टरानियों के साथ काम करना पड़ता है, वे उनकी योग्यता और कार्यपटुता आदि की बहुत अधिक प्रशंसा करते हुए पाए जाते हैं। ऐसी दशा में यह कहना ठीक नहीं कि स्त्रियाँ चिकित्सा-कार्य के लिये उपयुक्त नहीं होतीं। इस काम में वे चाहे और किसी रूप में पुरुषों से आगे न बढ़ सकती हों, परन्तु स्त्रियों की चिकित्सा करने में तो वे अचूक ही पुरुषों की

अपेक्षा कहीं श्रेष्ठ होती हैं। इस समय भी गाँवों और देहातों में सैकड़ो हजारों ऐसी अशिक्षित स्त्रियाँ मिलेंगी, जो प्रसूतिका और नवजात शिशुओं की उतनी अच्छी चिकित्सा जानती और करती हैं, जितनी आजकल के अच्छे-अच्छे और शिक्षित डॉक्टरों से भी जल्दी न हो सकेगी। सभ्य है, इस विषय में कुछ लोगों को आश्चर्य हो; पर वास्तव में इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं। सयानी स्त्रियाँ प्रायः अनेक प्रकार के ऐसे अच्छे और अनुभूत प्रयोग जानती हैं, जिनसे सैकड़ो-हजारों प्राणों की अनायास ही रक्षा हो जाती है। कभी-कभी अशिक्षित दाइयाँ अपने कार्य से अच्छे-अच्छे डॉक्टरों को भी चकित कर देती हैं। यदि ऐसी स्त्रियों को चिकित्सा शास्त्र की नियमित और व्यवस्थित शिक्षा मिले, तो अमश्य ही उनके हाथों समाज का बहुत अधिक कल्याण हो सकता है।

लंदन के बड़े-बड़े अस्पतालों में कुछ ऐसी स्त्रियाँ रहती हैं, जो 'एलमनर' कहलाती हैं। ये स्त्रियाँ रोगियों के सवध में अनेक प्रकार के कार्य करती हैं। जो लोग अस्पतालों में अपनी चिकित्सा कराने आते हैं, उनसे ये स्त्रियाँ मिलकर हाल-चाल पूछती हैं, और जिन रोगियों के रोग भीषण होते हैं, उनकी विशेष चिकित्सा का प्रवध कराती हैं। बीच-बीच में ये स्त्रियाँ रोगियों के घर भी जाती हैं, और वहाँ यह देखाती हैं कि उनकी चिकित्सा और सेवा-सुश्रूषा डॉक्टर के कहे अनुसार होती है, या नहीं। वे रोगियों की परिस्थिति आदि का ज्ञान प्राप्त करता

हैं, और यह भी देखनी है कि रोगी अस्पताल से पूरा-पूरा लाभ उठाते हैं, या नहीं। जिन रोगियों के लिये किसी विशेष प्रकार की चिकित्सा या चीर-फाड़ आदि की आवश्यकता होती है, उनके लिये वे वैसे ही व्यवस्था करती हैं। इस प्रकार वे रोगियों और अस्पतालों के अधिकारियों के बीच मध्य-स्थ का काम करती हैं। जिन घरों में वे जाती हैं, वहाँ सब लोगों को यह बतलाती हैं कि स्वास्थ्य को बनाए रखने और उत्तम बनाने के लिये किन किन नियमों का पालन करना आवश्यक है, भोजन आदि को क्या और कैसे व्यवस्था होनी चाहिए। इत्यादि इत्यादि। यहाँ नहीं, वे गरीब लोगों को यह भी बतलानी हैं कि किस प्रकार गृहस्थी का प्रबंध करना चाहिए, और किस प्रकार थोड़े में निर्वाह किया जा सकता है। निम्न श्रेणी के लोग अपने अज्ञान या लापरवाही आदि के कारण जो कष्ट उठाते हैं, उनसे वे उन्हें यथासाध्य बचने के उपाय बतलाती हैं, और इसी प्रकार के अनेक परोपकार के कार्य करती हैं। इससे हम अनुमान कर सकते हैं कि समाज का वे कितना अधिक कल्याण करती और यथाशक्ति समाज की कितनी अधिक सेवा करने के लिये सदा तैयार रहती हैं। उनका यह उदाहरण हमारे यहाँ की पढ़ी-लिखी और सपन्न स्त्रियों के लिये अनुकरणीय होना चाहिए।

विलायत के बड़े-बड़े कारखानों में भी कुछ इसी से मिलता-जुलता कार्य करनेवाली स्त्रियाँ रहती हैं। वहाँ के कारखानों में

बहुत-सी स्त्रियाँ भी काम करती हैं, और ये स्त्रियाँ उन काम करनेवाली स्त्रियों के जीवन में अनेक प्रकार के सुधार करती हैं। अब तो वहाँ के प्रायः सभी बड़े-बड़े कारखानों में इस प्रकार का कार्य करनेवाली स्त्रियाँ अच्छी-अच्छी तनपत्राहों पर रखी जाने लगी हैं। जो नई स्त्रियाँ काम शुरू करने के लिये आती हैं, उनसे ये मिलकर उनके स्वभाव, गुण और स्वास्थ्य आदि का पता लगानी हैं, और तब उनके लिये उपयुक्त काम निकालती अथवा उनकी नियुक्ति में और कई प्रकार से सहायक हुआ करती हैं। वे उन्हें काम करने का ढंग और कारखाने के नियम आदि बतलाती हैं, और उनके रहने तथा खाने पीने आदि की अच्छी व्यवस्था करती हैं। वे कारखानों में अच्छे-अच्छे होटल खुलवाती हैं, जिनमें काम करनेवाली स्त्रियों को सस्ते दामों में अच्छा भोजन मिलता है। वहाँ उन्हें इतना अच्छा और सस्ता भोजन मिलता है, जितना और कहीं किसी प्रकार मिल ही नहीं सकता। साथ ही उनके लिये वे खेल और संगीत आदि की भी व्यवस्था करती हैं, जिससे बीच-बीच में उनका मनोरंजन भी होता रहता है। उनके लिये व्याख्यानों आदि की भी अलग व्यवस्था की जाती है। ऐसे थक भी खोल दिए जाते हैं, जिनमें वे अपनी थकी हुई रकम अच्छे सूद पर जमा कर सकती हैं। बीमारी के समय उनकी चिकित्सा और निर्वाह आदि का भी यथेष्ट प्रबंध किया जाता है। उनके लिये अस्पताल तथा पुस्तकालय भी खोल दिए जाते हैं, जिनमें अच्छे-अच्छे ग्रंथ तथा समाचार-पत्र आदि

रहते हैं। और, यह साग प्रवध करता कौन है? वही स्त्रियाँ, जो कारखाने की ओर से वेतन पाकर इसी काम के लिये नियुक्त रहती हैं। इस प्रकार उन स्त्रियों का निर्वाह भी होता जाता है, और उनके द्वारा अनेक प्रकार के परोपकार के कार्य भी होते रहते हैं।

हमारे देश में कारखानों आदि का बहुत कुछ अभाव है। जो हैं भी, उनमें काम करनेवाली स्त्रियों की संख्या बहुत ही थोड़ी है। तो भी यदि उन कारखानों के आसपास रहनेवाली अथवा उन कारखानों के अधिकारियों के घर की सभ्य और सुशिक्षित स्त्रियाँ अपनी बहनों का जीवन सुधारना चाहें, तो बहुत कुछ काम कर सकती हैं। वे उन्हें अज्ञान के समय अच्छी-अच्छी बातें प्रकट कर सकती हैं, पढ़ना लिखना तथा सीना पिगोना आदि काम सिखा सकती हैं। कारखानों में बहुत सी स्त्रियाँ और वस्त्रों के कारखानों में, जो अज्ञान के समय कुछ पढ़ना लिखना चाहते हैं, पर साधनों के अभाव से वे ऐसा करने में असमर्थ होते हैं। यदि उनके लिये इस प्रकार के साधन प्रस्तुत किए जा सकें, तो उनका बहुत बड़ा लाभ हो सकता है। विलायत में प्रायः सभी कारखानों के साथ-साथ इस प्रकार के विद्यालय होते हैं, जिनमें काम करनेवालों को शिक्षा दी जाती है, और विद्यालयों की भारी व्यवस्था परोपकारिणी स्त्रियों ही करती हैं।

प्रचार है; दूसरे यहाँ की स्त्रियाँ उच्च फोटि की शिक्षा प्राप्त करने में और भी पिछड़ी हुई हैं। पर पाश्चात्य देशों में बहुत-सी स्त्रियाँ घफालत और घैरिस्टरी तक करती हैं। हमारे भारत में तो इस समय तक दो-तीन से अधिक स्त्रियाँ घफील नहीं हो सदी हैं। जर्मनी में स्त्री-घवीलों आदि की बहुत अधिघता है। घहाँ उनके अलग अलग घलय घने होते ह, जहाँ घे सब पञ्च होती हैं। यदि किसी स्त्री पर कोई मुकद्दमा मामला होता है, और वह अपनी आतरिक घातें दि सी पुरुष-घवील को नहीं घतला सघती, तो वह उन स्त्री घवीलों के पास चली जाती है, और उनसे सघ हाल कहकर पगमर्ण लेती है। हमारे यहाँ जब कोई ऐसी स्त्री विघया हो जाती है, जिसका और कोई पुरुष सघधी नहीं होता, तत्र वह अपनी सपत्ति की व्यघस्था का भार त्रिघश होकर अपने गुमाश्तों, मुनीमों और मेनेजरो आदि पर छोड देती है उो कोई ऊच्छा निरीक्षण के न होने के कारण उन्हें मनमाना लूट लूटकर अपना घर भरते ह। यदि उन्हें ऊच्छी सलाह और सहायता देनेवाली स्त्रियाँ मिलें, तो उनका बहुत कुछ लाभ हो सकता है। जर्मनी में ऐसी स्त्रियाँ भी ह, जो इस प्रकार की विघवाओं की सपत्ति आदि की अनेक प्रकार से रक्षा और व्यघस्था करती हैं। यदि स्त्रियों को कानूनी दृष्टि से किसी घात का अधिकार नहीं प्राप्त होता, तो घे उस अधिकार के प्राप्त करने का उद्योग करती हैं। तात्पर्य यह कि घे अथवा इसी प्रकार के और ऐसे सेवकों का म निदाले जा सकते ह,

जिनमें दूसरों का बहुत कुछ उपकार हो सकता है, और यदि उपकार करनेवाली स्त्रियाँ साधारण आयवाली हों, तो उनकायों के द्वारा उनकी आम भी बढ़ सकती है। आवश्यकता है केवल शिक्षा, योग्यता और परिश्रम की।

दृठा प्रकरण

गृह-प्रवध

रधर बहुत हाल तक लोग प्रायः यही समझा करते थे कि घर-गृहस्थी के प्रवध वा काम पेसा है, जिसके लिये स्त्रियों को किसी प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता नहीं है। लोगों की धारणा थी कि गृहस्थी का काम करने की योग्यता स्त्रियों में स्वाभाविक होती है, और वे काम पडने पर, बिना किसी विशेष प्रदर की शिक्षा पाए ही, गृहस्थी का सब प्रवध भली भाँति कर सकती हैं। पुरुष जो काम करते थे, उसके लिये तो किसी-न किसी प्रकार की शिक्षा वा अघश्य प्रवध होता था; पर बेचारी स्त्रियों को उनके कठिन कार्य के सपादन के लिये किसी प्रकार की शिक्षा नहीं दी जाती थी, और वे मिलकुल अधिकार में भटकने के लिये छोड दी जाती थीं। किंतु स्वाभाविक रूप से इसका परिणाम प्रायः यही हुआ करता था कि स्त्रियाँ गृहस्थी का काम ठीक ढग पर और पूरा-पूरा करने में असमर्थ हुआ करती थीं, जिसके कारण स्वयं उन्हें भी कष्ट होता था, और घर के लोगों को भी। यही नहीं, बल्कि कभी-कभी तो व्यवस्था के अभाव के कारण सारी गृहस्थी ही चौपट हो जाती थी।

हमारे देश में तो अब भी यही बात ज्यों-की-त्यों बनी हुई है, पर पश्चात् यों के निवासियों ने अब यह बात भली भाँति समझ ली है कि इससे बहुत बड़ी हानि होती है। और, इसी लिये अब वहाँ स्त्रियों को घर-गृहस्थी का काम सिखलाने की भी बहुत अच्छी व्यवस्था हो गई है।

परन्तु जो बात ससार के और सब कामों की है, वही घर-गृहस्थी के सब में भी ठीक घटना है। प्रत्येक कार्य के लिये अच्छी व्यवस्था की आवश्यकता हुआ करता है। यदि काम ठीक ढंग से न किया जायगा, तो अवश्य ही उसमें अनेक प्रकार की त्रुटियाँ रहेंगी, जिनसे हानियाँ भी होंगी। जिस प्रकार बिलकुल नए रंगरूट की अपेक्षा पुराना शिदिन और अनुभव युक्त युद्ध-क्षेत्र में कहीं अधिक उपयोगी होता है, उसी प्रकार साधारण अभिज्ञित स्त्रियों की अपेक्षा घर-गृहस्थी का काम सीखा हुआ स्त्रियाँ भी अधिक उपयोगी होती हैं। हमारे देश की फूहड स्त्रियों के सब में अनेक प्रकार के प्रजाद और कहावतें आदि प्रचलित हैं, जो बहुत-से अर्थ में बिलकुल ठीक हैं, और अनेक गृहस्थियों में प्रत्यक्ष देखने में आती हैं। पर यदि स्त्रियों को घर-गृहस्थी का काम सीखने के पहले उस विषय की कुछ शिक्षा उन्हें दे दी जाय करे, तो फिर यह फूहडपन देखने में न आये।

अब लोगों की समझ में धीरे-धीरे यह बात आती जाती है कि गृहस्थी का कार्य ठीक ढंग से चलाने के लिये स्त्रियों को

कुछ विशेष प्रकार की शिक्षा देना आवश्यक है। अतः तो पाश्चात्य देशों में अनेक ऐसे विद्यालय खुल गए हैं, जहाँ स्त्रियों को गृहस्थी का कार्य चलाने की व्यवस्थित रूप से शिक्षा दी जाती है। वहाँ के अधिकांश विद्यालयों के साथ एक अलग छोटा विद्यालय भी होता है, जिसमें घालिसाओं को सध्या समय रसोई बनाने, कपड़े धोने और सीने पिराने आदि की शिक्षा दी जाती है। साथ ही उन्हें यह भी सिखाया जाता है कि शरीर और घर की सफाई आदि की, स्वास्थ्य के लिये, कितनी अधिक आवश्यकता है, और स्वास्थ्य-रक्षा की दृष्टि से स्त्रियों को घर में क्या-क्या काम करने चाहिए। बड़े-बड़े कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में भी इसी प्रकार की, उच्च कोटि की, शिक्षा दी जाती है। पाश्चात्य देशों के लोग अब इस विषय की महत्ता बहुत भली भाँति समझ गए हैं। इसलिये वहाँ इस विषय की शिक्षा के लिये उपयुक्त शिक्षिकाओं की बहुत अधिक आवश्यकता बढ़ गई है। जो स्त्रियाँ, इस विषय की उच्च कोटि की शिक्षा प्राप्त कर लेती हैं, उन्हें भी अनेक प्रकार की पढ़वियाँ आदि मिलती हैं, और वे आगे चलकर साधारण स्त्रियों को घर-गृहस्थी, खाने पकाने, सीने पिराने आदि के साथ-साथ इस विषय की भी शिक्षा देती हैं कि स्वास्थ्य-रक्षा के नियम क्या हैं, घर में सफाई किस प्रकार रखी जाती है, अनेक प्रकार के बरतन और शीशे आदि के सामान किस प्रकार ठीक दशा में रखे जाते हैं, नोकरी-चाकरों से किस प्रकार काम लिया जाता है,

इत्यादि-इत्यादि। अतः तो पश्चात्त्य देशों में कदाचित् ही के-
पेसा बड़ा नगर होगा, जहाँ स्त्रियों को इन सब बातों की शिक्षा
देने के लिये विद्यालय आदि न हों।

यहाँ हम संक्षेप में यह बतला देना चाहते हैं कि इस विद्या-
की शिक्षा का क्या उपयोग होता है। सबसे पहली बात यह है
कि यदि स्त्री सुशिक्षित, चतुर, सुघड और घर-गृहस्थी का सब
काम जाननेवाली होती है, तो गृहस्थी में स्वर्ग-सुख का अनुभव
होने लगता है। इससे पति पत्नी में प्रेम की मात्रा बहुत बढ़
जाती है, सास, ननंद या भाभी आदि से व्यर्थ की लड़ाई य
किचकिच नहीं होने पाती, और आगे चलकर लडके-बच्
भी सुघड और चतुर निकलते हैं। यह एक ही काम इतने
अधिक महत्व का है कि इससे इसकी पूर्ण उपयोगिता सिद्ध हो
जाती है। पर इसके सिवा इस प्रकार की शिक्षा से और भी
अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। जो स्त्रियाँ आगे चलकर गण-
योगियों में, परोपकार की दृष्टि से, किसी प्रकार का उपयोगी कार्य
या सुधार करना चाहती हैं, उनके लिये भी शिक्षा बहुत आवश्यक
होती है। मान लीजिए, कोई स्त्री गृह-कार्य में बहुत अधिक
दक्ष है। अतः यदि वह अपने पास पटोस की मरीच और मूर्ख
स्त्रियों को, अपने फरसत के समय, यह सिखलाया करे कि
रसोई अमुक प्रकार से बनानी चाहिए, अमुक प्रकार से परो-
सनी चाहिए, लडकों के कपड़े इस प्रकार सीने चाहिए, घर की
चीजों को इस प्रकार रखाव या नष्ट होने से बचाना चाहिए, तो

उससे उन गृहीय और सीधी सादी स्त्रियों का कितना अधिक लाभ हो सकता है। बहुत-सी विधवा स्त्रियों ऐसी भी होती है, जिनका भरण-पोषण करनेवाला कोई नहीं होता। यदि वे घर-गृहस्थी का सब काम बहुत अच्छी तरह जानती हों, तो उन्हें सहज में किसी अच्छी गृहस्थी में निर्वाह-भर के लिये यथेष्ट धेतन मिल सकता है, वे मारी मारी फिरने से बच जाती है। तापर्य यह कि इस प्रकार की शिक्षा से स्त्रियों को अनेक प्रकार के लाभ हो सकते हैं। यदि थोड़ी देर के लिये यह भी मान लिया जाय कि इससे उनका कोई विशेष लाभ नहीं होता, तो भी इस बात से तो कोई इनकार कर ही नहीं सकता कि घर-गृहस्थी के सब कामों से भली-भाँति परिचित होना स्त्रियों का मुख्य कर्तव्य है। यदि कोई यह कहे कि अमीरों के घरों की स्त्रियों के लिये इस प्रकार की शिक्षा की कोई आवश्यकता नहीं है—क्योंकि उन्हें स्वयं कभी कोई काम नहीं करना पड़ता—तो उसका यह कथन भी ठीक नहीं है; क्योंकि यदि हम यह मान भी लें कि अमीरों के यहाँ सब काम करनेवाली दूसरी स्त्रियाँ मजदूरनियाँ, रसोई बनानेवाली आदि होती हँ, तो भी इस विषय की शिक्षा की आवश्यकता बनी ही रह जाती है। यदि घर की मालकिन स्वयं सब कामों से भली-भाँति परिचित न होगी, तो और सब काम पराई स्त्रियों और नौकरनियों आदि पर ही छोड़ देगी, और तब उसके बहुत-से काम बिगड़ जायेंगे, तथा बहुत कुछ आर्थिक हानि भी होगी। दाइयाँ आदि वहाँ तो

अनावश्यक रूप से अधिक खर्च कर देंगी, कहीं कोई काम बिगाड़ देंगी, और कहीं स्वयं कुछ चुरा छिपा लेंगी। पर यदि घर की मालकिन सब कामों से स्वयं भली भाँति परिचित होगी, और सब बातों को देखरेख करती रहेगी, तो न तो उसका कोई काम बिगाड़ेगा, और न कोई हानि ही होगी। और, यदि सागरण कोटि की कोई स्त्री इस विषय में भली भाँति शिक्षित होगी, तो वह बहुत ही थोड़े व्यय में अपना निर्वाह कर लेगी, और घर के सब लोगों को भी खूब प्रसन्न और सन्तुष्ट रखेगी। इसलिये यह बात बहुत ही आवश्यक है कि बालिकाओं को आरम्भ से ही घर-गृहस्थी के सब कामों की यथेष्ट शिक्षा दी जाया करे। यदि सब स्त्रियों को इस प्रकार की समुचित शिक्षा मिलने लग जाय, तो थोड़े ही समय में सभी कुटुंब आदर्श मुज का भोग करने लगें। यहाँ हम यह भी बतला देना चाहते हैं कि घर और रसोई की सफाई आदि का मनुष्य के स्वास्थ्य पर जो अज्ञा प्रभाव पड़ता है, वह तो पड़ता ही है, साथ ही उसके विचारों आदि पर भी इसका बहुत ही शुभ परिणाम होता है। स्वच्छता आदि का मनुष्य के ऊपर इतना प्रज्ञा प्रभाव पड़ता है कि उसका नैतिक आचरण भी बहुत अधिक सुधर जाता है, और वह अनेक अवसरों पर पतित या पथ-भ्रष्ट होने से बच जाता है। भला इससे अधिक इस विषय की उपयोगिता के संबंध में और कहा ही क्या जा सकता है।

इस समय प्रायः सभी दृष्टियों से हमारा देश जिस दुर्दशा में

है, यहाँ उसका वर्णन करने की आवश्यकता या मोका नहीं है। हमारे यहाँ के अधिकांश लोग न तो शुद्ध वायु और स्वच्छता का महत्व जानते हैं, न किसी चीज का ठीक मूल्य अथवा आदर करना, और न उचित रीति पर व्यय या व्ययस्था करना ही। ऐसी दशा में यदि हमारे देश की कुछ पढ़ी लिखा स्त्रियों अपनी दरिद्र बहनों को दुरवस्था का सुधार करने का प्रयत्न आरम्भ करें, उन्हें गृहस्थी सबधी आवश्यक और उपयोगी बातें बताने लगें, तो इसमें सदेह नहीं कि हमारे देश का बहुत बड़ा उपकार हो सकता है। भारत में गृहस्थी-सबधी शिक्षा का प्रचार करना बहुत बड़ा समाज-सेवा का कार्य है, और उसकी ओर पूरा पूरा ध्यान देना प्रत्येक देश हितैषी और समाज-सुधारक का कर्तव्य है।

हमारे यहाँ के साधारण लोग और विशेषतः गरीब भिन्न-भिन्न खाद्य पदार्थों के गुणों और महत्व आदि से प्रायः अपरिचित से ही हैं। उन्हें यह बतलाने का आवश्यकता है कि अमरुत खाद्य पदार्थ में क्या गुण हैं, उसका किस प्रकार और क्या उपयोग हो सकता है वह किस प्रकार सुरक्षित रखा जा सकता है, और किस अवस्था में उसके व्यवहार से क्या लाभ अथवा क्या हानि होती है। यह भी उन्हें बतलाने की आवश्यकता है कि शुद्ध वायु से और स्वच्छता पूर्वक रहने से क्या-क्या लाभ हैं। बालिकाओं और युवती स्त्रियों को यह बतलाने की आवश्यकता है कि शिशुओं और बच्चों का पालन पोषण किस प्रकार किया जाना चाहिए, और उनके स्वास्थ्य का किस प्रकार ध्यान रखना

चाहिए। फ्रांस ने इस विषय में यथेष्ट उन्नति की है। वहाँ अनेक पेन्नी संस्थाएँ स्थापित हैं, जो उन स्त्रियों के लालन पालन आदि का पूरा पूरा प्रबंध करती हैं, जो कला-कारखानों आदि में काम करने चली जाती हैं। ऐसी संस्थाएँ प्रायः पाठशालाओं से ही संबद्ध होती हैं, और वहाँ इस प्रकार की व्यवस्था होती है कि अधिक अग्रस्थावाले बालक छोटी अवस्थावाले बालक को घटे आधा घटे शिक्षा दिया करते हैं। जो बालिकाएँ कुछ सयानी हो जाती हैं, उन्हें एक-एक शिशु सौंप दिया जाता है। वे उसका लालन पालन भी करती हैं, और उसे शिक्षा भी देती हैं। इस प्रकार छोटी अवस्था से ही उन्हें इन बातों की शिक्षा भी मिलने लगती है कि बच्चों को किस प्रकार रखना और उनकी व्यवस्था करनी चाहिए।

इंग्लैंड के कुछ कॉलेजों में एक और व्यवस्था है। वहाँ उन स्त्रियों को, जो आगे चलकर बच्चों के लालन पालन का कार्य करना चाहती हैं, इस बात की विशेष रूप से और उच्च कोटि की शिक्षा दी जाती है। वहाँ बहुत-सी स्त्रियाँ ऐसी हैं, जो दूसरों के बच्चों के लालन पालन आदि का ही पेशा करते हैं, अर्थात् इसी कार्य के द्वारा उनकी जीविका चलती है। जो लोग बालकों की शारीरिक और मानसिक उन्नति का विशेष ध्यान रखते हैं, वे अपने बच्चों को इसी प्रकार की उच्च शिक्षा प्राप्त स्त्रियों की देखरेख में रखते हैं। जिन कॉलेजों में शिशुओं और बालकों की रक्षा और लालन पालन आदि की शिक्षा दी जाती

है, उनमें शिक्षार्थी स्त्रियों को स्वास्थ्य-रक्षा के सबंध की अनेक उपयोगी बातें बतलाई जाती हैं, साधारण रोगों के समय या चोट-चपेट लग जाने पर आवश्यक सेवा-सुश्रूषा करने का काम सिपलाया जाता है, बालकों के सभंध की मनोविज्ञान की बातें बतलाई जाती हैं, और यह बतलाया जाता है कि किस अग्रस्था में बालकों के लिये किस प्रकार का भोजन स्वास्थ्य वर्द्धक एवं पुष्टिकारक होता है। फदाचिन्त यहाँ यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि जो स्त्री इतनी बातें जानती होगी, उन्हे बच्चों के लालन पालन के लिये ही बहुत अधिक वेतन मिल सकेगा। और, ऐसी स्त्रियों की देखरेख में रहनेवाले बालक यथेष्ट दृष्ट पुष्ट और चतुर भी होंगे। तात्पर्य यह कि इस तरह यह काम सीखनेवाली स्त्रियों का भी हित होगा, और समाज तथा देश का भी।

भारतवर्ष की बहुत बड़ी दुर्द मृत्यु-संख्या प्रायः सारे सत्सार में प्रसिद्ध है। विशेषतः गर्भवती स्त्रियों और बालकों की तो यहाँ और भी अधिक मृत्यु होती है। इसके अतिरिक्त बहुत से लोग तो केवल स्वास्थ्य सभंधी नियमों की ठीक-ठीक जागरूक न रखने और उनका पालन न करने के कारण ही मर जाते हैं। यदि लोगों को स्वास्थ्य-सभंधी नियमों का पूरा पूरा ज्ञान हो जाय, और वे उनका पालन करने लगें, तो हमारे देश की मृत्यु-संख्या अनायास ही बहुत कुछ कम हो सकती है। यदि चिकित्सा शास्त्र का यथेष्ट ज्ञान रखनेवाली स्त्रियाँ किसी संस्था

आदि की ओर से शहरों, गाँवों और देहातों आदि में घूम घूम कर, घबस्क स्त्रियों को घर की सफाई और बच्चों के लालन पालन के सभ्य में अच्छी-अच्छी बातें बतलाया करें, तो यह कार्य बहुत सहज में सिद्ध हो सकता है।

बर्बर में स्वास्थ्य रक्षा-सभ्यी एक बड़ी सभा है, जो इन सभ्य में अपने नगर और प्रांतों में अच्छा कार्य कर रही है। कोई बारह तेरह वर्ष हुए, उक्त सन्धा के वार्षिक अधिवेशन के समय श्रीमान् बटौदा-नरेश ने अपने एक व्याख्यान में कहा था—

‘ज्यों-ज्यों समाज की उन्नति होती है, त्यों-त्यों मानव-जाति का दत्याण करने की कामना रचनेवाले और राजनीतिज्ञ आदि यह बात अच्छी तरह समझते जाते हैं कि हमें सबसे अधिक ध्यान रोगों आदि को रोकने और कम करने की ओर देना चाहिए। ज्यों-ज्या सभ्यता का विकास होता है, त्यों-त्यों भीषण और सक्रामक रोगों का बल कम होता जाता है, और रायों की ओर से स्वास्थ्य-रक्षा का अधिकाधिक कार्य होता है। जो जो जातियाँ चिकित्सा और विज्ञान आदि की सहायता से इस प्रकार जन रक्षा करती हैं, वही अधिक कार्यक्षम और सम्पन्न होती हैं। इधर प्रायः तीन शताब्दियों से योरोप के अनेक देशों में यही देखने में आता है कि यदि स्वास्थ्य सभ्यी नियमों का ठीक-ठीक पालन किया जाय, तो मृत्यु सत्या बहुत कुछ घट सकती है, और मनुष्य की आयु बहुत बढ़ सकती है। भारतवासियों के लिये यह बात बहुत ही महत्व की और स्मरण

रखने-योग्य है क्योंकि इधर प्रायः पचास वर्षों से यहाँ की औसत आयु प्रायः तेईस वर्ष ही रह गई है। अब इसकी तुलना प्रशिया की व्यवस्था से काजिए, जहाँ स्वास्थ्य-सबधी, नियमों का बहुत अधिक ध्यान रखा जाता है। वहाँ प्रति शताब्दी यह मान प्रायः सत्ताईस वर्ष के हिसाब से बड़ा है। अर्थात् पिछली शताब्दी में वहाँ की औसत आयु जितनी थी, उसकी अपेक्षा अब इस शताब्दी में सत्ताईस वर्ष अधिक है। इससे तथा इसी प्रकार की कुछ और बातों से भली भाँति भिन्न होता है कि भारत में स्वास्थ्य-रक्षा-सबधी नियमों के प्रचार और पालन आदि की कितनी अधिक आवश्यकता है। यह तो मानी हुई बात है कि रोगों की जितनी अधिक वृद्धि होगी, राष्ट्र का बल और क्षमता उतनी ही घटेगी। मृत्यु के आधे कारण प्रायः ऐसे होते हैं, जो उपयुक्त उपायों तथा उपचारों से रोके या दूर किए जा सकते हैं। जो लोग इस विषय में पारंगत हैं, उनका अनुमान है कि उचित उपचारों से मनुष्य की आयु में कम-से-कम पंद्रह वर्षों की वृद्धि तो अशक्य हो सकती है। भारत-सरीखे देश में जहाँ प्लेग, हैजा और मलेरिया आदि रोगों ने अपना घर बना रखा है, यदि स्वास्थ्य-सबधी नियमों का यथेष्ट पालन किया जाय, तो मनुष्य की औसत आयु बढ़ सकता है।

हिसाब लगाकर यह जाना गया है कि यदि उचित व्यवस्था हो जाय, तो हमारे देश में प्रतिवर्ष चालीस लाख आदमी मृत्यु भुज में जाने से बचाए जा सकते

हैं, और प्रायः अस्सी लाख मनुष्यों की मिश्र भिन्न रोगों रक्षा की जा सकती है। जब मृत्यु और रोगों की संख्या इतनी घट जायगी, तब हमारे देश की आय भी करोड़ों रुपए बढ़ जायगी। जब हम लोग इन बातों को अच्छी तरह समझेंगे, तब हम जल-वायु तथा खाद्य पदार्थों की शुद्धता तथा उत्तमता के लिये अघण्य ही अधिक धन व्यय करने लगेंगे।

यों तो स्वास्थ्य-रक्षा के अनेक अंग हैं, पर हम उसके दो मुख्य विभाग कर सकते हैं—एक तो सार्वजनिक स्वास्थ्य और दूसरा व्यक्तिगत। पर, फिर भी, इन दोनों का इतना घनिष्ठ संबंध है कि हम इन्हें अलग नहीं कर सकते। मान लीजिए, राज्य की ओर से तो सब लोगों के लिये स्वच्छ जल पहुँचाया जाता है, पर घर-गृहस्थी में लोग उसका व्यवहार करने से पहले उसकी स्वच्छता नष्ट कर देते हैं। ऐसी स्थिति में राज्य के उद्योग का क्या परिणाम हो सकता है ?

यदि शिक्षित खियाँ इस विषय की उचित शिक्षा और जानकारी प्राप्त करके गरीब खियाँ को अनेक क्षातव्य और उपयोगी बातें बतलाया करें, तो देश का बहुत अधिक लाभ तथा कल्याण हो सकता है।

एक पाक शिक्षा को ही लीजिए। हमारे देश में अच्छी रसोई पकानेवाले पुरुषों तथा खियाँ की बहुत ही कमी है। रसोई बनानेवाली नित्य ही सभी घरों में बनती है, पर प्रायः वह बहुत ही साधारण

कोटि की होती है। और, यदि कहीं कोई स्त्री अच्छी रसोई बनाना जानती भी है, तो वह अनेक पेसी धानों से नितात अपरिचित होती है, जिनका जानना रसोई बनानेवाले के लिये बहुत ही आवश्यक है। वे न तो यही जानती हैं कि किस ऋतु और किस अग्रस्था में कौन-सा पदार्थ खाद्य तथा कोन-सा त्याज्य है, और न यही जानती हैं कि किस पदार्थ में क्या गुण अथवा अग्रगुण होता है। स्वास्थ्य-सपथी नियमों का पालन तो वे नाम के लिये ही नहीं करती। गदे और मैले-कुचले हाथों से आटा गूँघना, धरसों तक एक ही गदे और बदबूदार फुपड़े से रोटियों ढककर रखना तथा इसी प्रकार की और भी अनेक बातें हैं, जो स्वास्थ्य के लिये अत्यंत हानिकर होने पर भी नित्य बहुत-से घरों में देखने में आती हैं। रसोई बनाने की अच्छी शिक्षा तो हमारे यहाँ कभी किसी को मिलती ही नहीं। सेकड़ों हजारों त्रियों में कदाचित् दो-चार-दस ही पेसी स्त्रियाँ मिलेंगी, जो बहुत अच्छी और स्वादिष्ट रसोई बना सकती हों, नहीं तो सभी बिलकुल साधारण रसोई बनाना जानती हैं। अच्छी रसोई वे इसलिये नहीं बना सकती कि उन्हें इस विषय की कभी कोई शिक्षा ही नहीं मिली। इधर कुछ दिनों से हमारे देश में भी दस-पाँच पेसे विद्यालय और विधवाश्रम आदि खुल गए हैं, जिनमें स्त्रियों को पाक शास्त्र की शिक्षा दी जाती है। पर वह भी अनेक दृष्टियों से साधारण ही कहो जा सकती है, अधिक उच्च कोटि की नहीं मानी जा सकती। अभी इस विषय में बहुत अधिक उन्नति

प्रायः दिन-दिन-भर और कभी कभी बहुत रात तक भी काम करना पड़ता है। अतः उस स्थान के घातावरण वा उनके स्वास्थ्य पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ना स्वाभाविक ही है। और, इसीलिये यहाँ की सफाई आदि का ध्यान रखने की बहुत बड़ी आवश्यकता हुआ करती है। ऐसे स्थानों के निरीक्षण का कार्य अब यहाँ स्त्रियों से लिया जाने लगा है, जिन्हे ये बहुत ही योग्यता-पूर्वक संपादित करनी हैं। यद्यपि यहाँ अनेक प्रकार के ऐसे कानून बने हुए हैं, जिनके द्वारा पारखानेदार फठोर परिश्रम लेने और दूसरे अनेक प्रकार से लोगों का स्वास्थ्य नष्ट करने से रोकें जाते हैं, फिर भी वे लोग उन कानूनों की अग्रहेलना करने हैं, और या तो वे लोगों से बहुत अधिक काम लेते हैं, या उनके लिये यथेष्ट प्रकाश और वायु आदि की व्यवस्था नहीं करते। ऐसे लोगों को ठीक मार्ग पर लाने का काम ही ये निरीक्षिकाएँ किया करती हैं। छोटे-बड़े सभी प्रकार के कारखाने इनके कार्य-क्षेत्र के अंतर्गत होते हैं, और ये काम करनेवालों के रहने और काम करने के सभी स्थानों का सदा निरीक्षण किया करनी हैं। छोटे-बड़े होटलों आदि का भी ये निरीक्षण करती हैं। ये स्त्रियाँ दुकानों आदि में घूम घूमकर यह भी देखती हैं कि नौकरों से निश्चित समय से अधिक समय तक काम तो नहीं लिया जाता, और उनके बैठने आदि की व्यवस्था ठीक है, या नहीं। एक वर्ष से कम अवस्थावाले जो शिशु बच्चे जन्मो और दस्त आदि रोगों से मरते

है, उनके सघन में भी ये स्त्रियाँ जाँच करती हैं। इस प्रकार का निरीक्षण-कार्य आरम्भ करने से पहले उन्हें एक विशेष परीक्षा में उत्तीर्ण होना पड़ता और साधारण गणित, भौतिक विज्ञान और स्वास्थ्य-रक्षा आदि के नियमों का ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है। जो स्त्रियाँ इससे उच्च श्रेणी की परीक्षा पास करना चाहती हैं, उन्हें शरीर विज्ञान और चिकित्सा आदि का भी ज्ञान प्राप्त करना पड़ता है।

अब हम सक्षेप में यह बतला देना चाहते हैं कि इनके मुख्य मुख्य कार्य क्या होते हैं। उहाँ के अधिकांश कारखानों और फैक्ट्रियों आदि में काम करनेवाली प्रायः स्त्रियाँ या घालिकाएँ ही हुआ करती हैं। निरीक्षण करनेवाली स्त्रियाँ वहाँ जाकर यह देखती हैं कि जिन कमरों में स्त्रियाँ काम करती हैं, वे साफ हैं या नहीं, उनमें रोशनी और हवा ठीक तरह से आती है या नहीं, वहाँ जितनी स्त्रियाँ के बैठकर काम करने की जगह है, उससे अधिक तो नहीं काम कर रही हैं। इत्यादि। यदि वे कहीं देखती हैं कि इन बातों में नियमों का ठीक-ठीक पालन नहीं हो रहा है, तो वे कारखाने के मालिक को लिखकर एक सूचना भेजती हैं कि तुम्हारे यहाँ अमुक अमुक ग़ुटियाँ हैं, तुम इन्हें यथासाध्य शीघ्र दूर करो। यदि कारखानेदार मान जाय, तब तो कोई बात नहीं है, और यदि वह न माने, तो फिर उसके साथ कानूनी कार्रवाई की जाती है। तात्पर्य यह कि कारखानों में काम करनेवाली स्त्रियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखना ही इन स्त्रियों का मुख्य कर्तव्य

हुआ करता है, और इसके लिये स्त्रियाँ ही पुरुषों की अपेक्षा अधिक उपयुक्त समझी जाती हैं। इसका एक कारण यह भी है कि यदि स्त्रियों की किसी प्रकार का कोई कष्ट होगा, तो वे उमकी पूरी-पूरी सूचना भी स्त्रियों को ही दे सकेंगी, पुरुषों को उतनी धारें वे नहीं बतला सकेंगी।

जिन परिस्थियों में स्त्रियों को काम करना पड़ता है, उनमें सुधार कराना इन स्त्रियों का मुख्य कर्तव्य होता है। प्रायः ऐसा होता है कि कारखानों में गद्दी और अंधेरी जगहों में स्त्रियाँ चुपचाप काम करती रहती हैं, और मालिक से किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं करतीं। पर निरीक्षण करनेवाली स्त्रियाँ जब ऐसे स्थानों में कोई श्रुति या स्वास्थ्य-नाशक बात देखती हैं, तो वे तुरत उस श्रुति की सूचना मालिक को देती हैं। और जब मालिक को यह मालूम हो जाता है कि श्रमिक सुधार की आवश्यकता है, तो प्रायः वह स्वयं ही तुरत वह सुधार कर देता है, क्योंकि वह जानता है कि यदि काम करनेवालों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, तो उनसे काम भी अच्छा और यथेष्ट लिया जा सकेगा। पर यदि वह किसी कारण-वश सुधार करने में आनाकानी करता है, तो तुरत उसे ठीक मार्ग पर लाने के लिये कानूनो कारखाने की जाती है। इस काम के लिये निरीक्षण करनेवाली उन स्त्रियों को विलकुल निष्पक्ष भाव से काम करना पड़ता है। यदि वे कारखाने के मानिकों का पक्षपात करें, तो मानों अपने कर्तव्य का पूरा पूरा पालन नहीं करतीं।

और यदि ये काम करनेवाली स्त्रियों का अधिक पक्षपात करें, तो मानों कारखानेवालों के साथ अन्याय करती हैं। कमी-कमी उन स्त्रियों को कुछ कठोर और उग्र भाव भी धारण करना पड़ता है; क्योंकि जो कारखानेदार सहज में नहीं मानते, उनके विरुद्ध उन्हें मुकद्दमा तक चलाना पड़ता है। यदि ऐसे अवसर पर ये कोमलता और दयालुता का व्यवहार करें, तो मानों काम करनेवाली स्त्रियों के साथ अन्याय करती हैं।

हम यह मानते हैं कि भारतवर्ष और इंग्लैंड आदि देशों की परिस्थिति में आकाश पताल का अंतर है। न तो यहाँ उतने अधिक कारखाने ही हैं, और न उनमें उतनी अधिक स्त्रियाँ ही काम करती हैं। पर, फिर भी, हम इतना अवग्य कह सकते हैं कि यदि कारखानों की स्वास्थ्य-संघी बातों का निरीक्षण करने के लिये यहाँ भी कुछ स्त्रियों नियुक्त की जाया करें, तो गराय काम करनेवालों का बहुत बड़ा उपकार हो सकता है, और उनमें से बहुत-से असमय ही मृत्यु-मुख में जाने से बच सकते हैं। सन् १९०६ में भारत-सरकार ने यहाँ की कपड़ों की मिलों में काम करनेवाले लोगों की अथस्था की जाँच करने के लिये एक कमेटी नियुक्त की थी। उस कमेटी ने यह सिफारिश की थी कि मिलों का निरीक्षण करने के लिये कुछ ऐसे लोगों का नियुक्त किया जाना आवश्यक है, जो चिकित्सा शास्त्र और स्वास्थ्य-संघी नियमों आदि के भी ज्ञाता हों, और उन लोगों को अपना सारा समय इन मिलों और कारखानों आदि के

निरोक्षण में ही लगाना चाहिए। उस कमेटी ने बतलाया था कि ऐसे निरोक्षकों से नीचे लिखे काम लिए जाने चाहिए—

(१) पीने के पानी का निरोक्षण।

(२) स्वच्छ वायु के आने के मार्गों और इस बात का निरोक्षण कि काम करने के स्थानों में धूल या धुआ आदि तो नहीं आता।

(३) इस बात का निरोक्षण कि वायु शुद्ध रहती है या नहीं, और काम करने की जगह में सीड आदि तो नहीं है।

(४) ताप मान

(५) स्थान का विस्तार

(६) स्वच्छता और दोंजलों पर कलई आदि

(७) फर्श पर की मोरियाँ और नालियाँ आदि

(=) रहने के स्थानों की सफाई

(८) कारखानों के विशिष्ट निरोक्षकों के साथ मिलकर इस बात का पता लगाना कि यदि कोई दुर्घटना हुई है, तो वह क्यों और कैसे हुई है, और उससे सबध में अपनी रिपोर्ट देना।

(१०) ऐसे रोगों का ध्यान रखना, जो कुछ विशिष्ट देशों में और सीसा, सज़िया, फासफोरस आदि जहरों के कारण होते हैं, अथवा शरीर के श्वास-सवधी अंगों में होनेवाले रोगों का ध्यान रखना।

(११) इस त्रिपय में अपना सतोप कर लेना कि जिन क्रियाँ और बच्चों से काम लिया जाता है, वे शारीरिक दृष्टि से काम करने के योग्य तो हैं।

ऊपर जो कार्य बतलाए गए हैं, वे इंग्लैंड के कारखानों का निरीक्षण करनेवाला स्त्रियों के कार्यों से बहुत अधिक मिलते-जुलते हैं। भारत के कारखानों में प्रायः स्त्रियाँ और पुरुष साथ-ही-साथ काम करते हैं, इसलिये हम कह सकते हैं कि यदि यहाँ भी कारखानों का निरीक्षण करने के लिये पढी लिखी और शिक्षित स्त्रियाँ रखी जायें, तो यहाँ के कारखानों में काम करनेवाली स्त्रियों को उतना ही लाभ होगा, जितना इंग्लैंड में काम करनेवाली स्त्रियों को होता है।

इस समय भारत के कारखानों आदि के निरीक्षण की जो व्यवस्था है, वह कदापि सतोपजनक नहीं कही जा सकती। सन् १९०६ में भारत के कारखानों में काम करनेवालों की अवस्था की जाँच करने के लिये जो कमीशन नियुक्त हुआ था, उसने अपनी रिपोर्ट में यह बतलाया था कि यहाँ के कारखानों में, अनेक बाधक कानूनों और नियमों के रहते हुए भी, छोटे-छोटे घण्टों के साथ बहुत अधिक अन्याय किया जाता है। कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि जिस फलकत्ते में कारखानों का एक विशेष निरीक्षक रहता है, वहाँ प्रायः तीस-से-चालीस प्रति-सैकड़े ऐसे बच्चे आधा दिन काम करते हैं, जिनकी अवस्था नव वर्ष से भी कम है, और कानून के अनुसार जिनसे कोई काम नहीं लिया जाना चाहिए। पचीस प्रति-सैकड़े ऐसे बालक हैं, जिनसे दिन भर काम लिया जाता है, और जिनकी अवस्था चौदह वर्ष से भी कम है। कानून के अनुसार ऐसे

वर्षों से दिन भर काम नहीं लिया जाना चाहिए। बर्दई-प्रां
के ग्रहर २६ कारखानों में लगभग ऐसे हैं, जिनमें चौदह वर्षों
भी कम अवस्थावाले बालकों से भी घरघर उतने ही समय
तक काम रिया जाता है, जितने समय तक घयस्क पुरुषों से
निरीक्षक लोग यह बात स्वीकार करते हैं कि कारखानों में
प्रकार कानून की अउहेलना की जाती है, पर हमने इसे दृ
करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। कानून के अनुसार दोपह
के समय कुछ देर के लिये काम बंद हो जाना चाहिए, अ
रविवार को कोई काम नहीं लिया जाना चाहिए। पर प्रा
कारखानेवाले न तो दोपहर के समय काम करनेवालों को छु
देते हैं, और न रविवार के दिन कारखाना बंद ही रखते हैं
तात्पर्य यह कि इस समय निरीक्षण की जो प्रथा है, उस
कोई विशेष उपकार नहीं होता—वह प्रायः निरर्थक अ
विफल सिद्ध होता है। कमीशन ने इसका कारण यही बतला
था कि सरकार ने इस काम के लिये यथेष्ट निरीक्षक नहीं रख
हैं। जो निरीक्षक रखे गए हैं, वे और भी बहुत-से काम क
हैं, और अपने अवकाश के समय कमी-कमी कहीं जा
निरीक्षण कर आया करते हैं। इन सब बातों से यह बात भ
भाँति सिद्ध होती है कि हमारे देश में कारखानों के निरी
की उपयुक्त व्यवस्था की बहुत अधिक आवश्यकता है।
हमारे यहाँ भी यह काम स्त्रियों को ही सौंप दिया जाय,
इसमें किसी प्रकार का सदेह नहीं कि उससे हमारे देश

स्त्रियों और बच्चों आदि का बहुत अधिक लाभ होगा। आजकल यहाँ कारखानों के जो निरोक्षरू होते हैं उन्हें शिवा प्राप्त करने के लिये विलायत जाना पड़ता है। और, सम्भवतः स्त्रियों को भी इसके लिये पहले विलायत जाकर ही शिवा प्राप्त करनी पड़ेगी।

हमारे यहाँ के कारखानों आदि में भी, स्वास्थ्य-रक्षा की दृष्टि से, बहुत अधिक सुधार की आवश्यकता है। प्रायः सभी जानकारों का मत है कि इस दृष्टि से कारखानों की इमारतों का बहुत कुछ सुधार होना चाहिए। यदि निरोक्षण करके सुधार के ठीक ठीक उपाय बतलाए जा सकें, तो बहुत से कारखानेदार बहुत प्रसन्नता से यह सुधार करने के लिये तैयार हो जायँगे, और उन सुधारों के कारण काम करनेवालों का बहुत अधिक लाभ होगा। आजकल भारत के अधिकांश कारखानों में, बहुत थोड़ी-सी जगह में, बहुत ज्यादा आदमी काम करने के लिये रख दिए जाते हैं, जहाँ दूषित वायु निम्न करने और शुद्ध तथा स्वच्छ वायु आने का कोई उपयुक्त मार्ग नहीं होता। उनमें यथेष्ट प्रकाश भी नहीं होता, और खिडकियाँ आदि प्रायः बंद रहती हैं। काम करनेवालों पर इन सब बातों का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। उनका स्वास्थ्य बहुत जल्दी बिगड़ जाता है। परिणाम यह होता है कि वे दिन पर-दिन दुर्बल और रागी होते जाते हैं, और अंत में अकाल-मृत्यु को प्राप्त होते हैं। यह तो हुई कारखानों न काम करने की जगह की बात। अब

उन स्थानों को लीजिए, जिनमें काम करनेवाले मजदूर आदि रहते और रात के समय सोते हैं। उन स्थानों की दशा और भी ज्यादा खराब होती है। कलकत्ता जवई आदि नगरों में स्थान की यों ही बहुत सकीर्णता होती है। इसलिये वहाँ काम करनेवाले मजदूर आदि छोटी छोटी कोठरियों में भेड़ बकरियों की तरह भरकर रखे जाते हैं। उनके रहने के लिये जो मकान बनाए जाते हैं, वे भी सात-सात और आठ आठ मजिल ऊँचे होते हैं, और उनमें वायु अथवा प्रकाश आदि आने की कोई उपयुक्त व्यवस्था नहीं होती।

ऐसे मकानों के पिलकुल निचले खडों में जो लोग रहते होंगे, उनके कष्ट और दुर्दशा वा सहज में ठीक ठीक अनुमान भी नहीं हो सकता। यदि इस प्रकार के स्थानों के निरीक्षण आदि का कार्य स्त्रियों को सौंप दिया जाय, तो अवश्य ही उससे बहुत कुछ लाभ हो सकता है। सरकार की ओर से अभी ऐसी व्यवस्था न हो सके, तो भी जैसा कि हम पहले कह चुके हैं, यदि कुछ पढी लिखी स्त्रियाँ स्वयं अपनी ओर से ही ऐसे स्थानों में जाकर लोगों की दशा अपनी आँखों देखें, और यथासाध्य उनमें सुधार करने का उद्योग करें, तो भी बहुत कुछ शुभ परिणाम निकल सकता है।

निरीक्षण के इसी प्रकारके और भी अनेक काम हैं, जिन्हें स्त्रियाँ बहुत सहज में और बहुत अच्छी तरह कर सकती हैं। विलायत की अनेक सस्थाओं—जैसे पाठशालाओं, हाथवालों, अस्प-

तालों, पागलखालों और जेलखानों आदि—में अनेक प्रकार का निरीक्षण करने के लिये कुछ स्त्रियाँ नियुक्त होती हैं, जो मेट्रन कहलाती हैं। ऐसी स्त्रियाँ वहाँ अनेक प्रकार के उपयोगी कार्य करती हैं, और बहुत ही उत्तमतापूर्वक करती हैं। जिन पाठ-शालाओं या दूसरी सस्थाओं के प्रधान अधिकारी पुरुष हुआ करते हैं, उनमें मेट्रन का काम प्रायः स्त्रियाँ ही करती हैं। छात्रा-वासों में मेट्रन का काम यह होता है कि वे बालकों के निवास-स्थान, भोजन, जलपान और कपड़े-लत्ते आदि की व्यवस्था और निरीक्षण और बालकों को यथावाच्य सुमार्ग पर रखने का प्रयत्न करती हैं। छोटे-छोटे पाजी, दुष्ट या अपराधी बालकों के सुधार के लिये जो सस्थाएँ होती हैं, उनका भी निरीक्षण स्त्रियाँ ही करती हैं। यदि बालकों की किसी सस्था में केवल पुरुष ही निरीक्षक और कार्यकर्ता हों, तो वहाँ उन बालकों का, अध्यापक या पुरुष निरीक्षक के रूप में पिता तो मिल जाते हैं, पर माता का अभाव उनके लिये बना ही रहता है। पर यदि वहाँ निरीक्षण-कार्य के लिये कोई स्त्री नियुक्त कर दी जाय, तो उनका मातावाला अभाव भी दूर हो जाता है, और वे वहाँ रहकर सहज में अपने घर का-सा सुख अनुभव कर सकते हैं। कुछ बालक ऐसे भी होते हैं, जो दुष्ट और दुश्चरित्र माता पिता की सतान होने के कारण स्वयं भी दुष्ट और दुश्चरित्र हो जाते हैं। यदि ऐसे बालक कुछ दिनों तक किसी सुयोग्य, सच्चरित्र अध्यापक तथा मेट्रन की अधीनता में रहते हैं, तो उनका चरित्र

अनायास ही सुधर जाता है, क्योंकि उनके चरित्र पर निरीक्षक और मेट्रन के चरित्र का बहुत ही अच्छा परिणाम पड़ता है। पर हाँ, इसके लिये यह बात बहुत ही आवश्यक है कि अच्छापक या निरीक्षक और मेट्रन आदि स्वयं सुशील और सच्चरित्र हों, और बालकों का सुधार और कल्याण हृदय से चाहते हों। मेट्रन को पाकशास्त्र का भी अच्छा ज्ञान होना चाहिए। उस इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालकों को जो भोजन दिया जाय, वह बहुमूल्य न होने पर भी उत्तम और स्वादिष्ट हो, स्वास्थ्य-वर्द्धक हो, और बराबर उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन होता रहे। बच्चों के कपड़े-लत्ते आदि की सफाई पर भी उस विशेष ध्यान रखना चाहिए, और समय-समय पर उनके बदलवाने और धुलवाने आदि का भी प्रवधान करना चाहिए। उन्हें चिकित्साशास्त्र का भी थोड़ा-बहुत ज्ञान होना चाहिए, जिसमें किसी बालक को छोटा-मटा रोग होने या चोट-चपेट आदि लगने पर वह तत्काल उपयुक्त चिकित्सा कर सके। उसे सब रित्र और सुशील होना चाहिए, जिसमें बालकों पर उसके सदाचार की पूर्ण पूर्ण छाप पड़ सके। उसे दयालु और कोमल-हृदय तो होना ही चाहिए, पर साथ ही दृढ़ भी होना चाहिए। उसमें दृढ़ता होने की इसलिये आवश्यकता है कि जिससे उसकी आज्ञा का ठीक ठीक पालन होता रहे, और यदि कोई बालक उसकी आज्ञा की अवहेलना करे, तो उसे दण्ड देने में वह किसी प्रकार का सफोच न करे। कोमलता तथा दयालुता का उसके लिये

यह उपयोग होगा कि बालक उसकी आशा का पालन प्रसन्नता-पूर्वक करेंगे। पाश्चात्य देशों के अनुभव से यह बात भली भाँति सिद्ध हो चुकी है कि सुयोग्य मेट्रनों का बालकों के चरित्र आदि पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ता है। जो दुष्ट बालक पुरुष-अध्यापक से किसी प्रकार ठीक नहीं होते, उन्हें मेट्रनों बहुत ही सहज में या तो समझा-बुझाकर अथवा डरा धमकाकर ठीक कर लेता है।

इस काम के लिये जो स्त्रियाँ नियुक्त की जायँ, उन्हें पूर्ण शिक्षित भी होना चाहिए। कम शिक्षित मेट्रनों का बालकों पर उतना अधिक प्रभाव नही पड़ता। जिन स्त्रियों ने कुछ दिनों तक अध्यापन का कुछ अच्छा काम कर लिया हो, वे इसके लिये और भी अधिक उपयुक्त होती हैं। स्वीजरलैंड की मेट्रनों बालकों को फुरसत के समय वागवानी और पशु पालन आदि की भी शिक्षा देती हैं। वे अनेक भाषायें और संगीत आदि का अच्छी जानकार होती हैं, और पाठशाला की साधारण शिक्षा के अतिरिक्त बालकों को और भी अनेक प्रकार की शिक्षा देती रहती हैं।

जेलखानों आदि में भी मेट्रनों का काम कम महत्व का नहीं होता। वहाँ भी वे प्रायः भोजन, कपडे लत्ते और काम का निरीक्षण करती हैं। वहाँ जो स्त्रियाँ किसी अपराध में जेल जाती हैं, उनका चरित्र सुधारने में तो वे बहुत कुछ सहायक होती ही हैं, साथ ही वे उन्हें कई प्रकार के नए काम आर

शिटप आदि भी सिपला देती है, जिनके द्वारा वे जेल से निकलने पर सहज में अपनी जीविका का निर्वाह कर सकती हैं। अपराधिनी स्त्रियों के चरित्र पर मेट्रनों का इतना अच्छा प्रभाव पड़ता है कि उनका कार्यक्षेत्र और अधिकार दिन पर दिन बराबर बढ़ते ही जाते हैं। अमेरिका के इंडियानापोलिस नामक स्थान में एक ऐसा जेलघाना है, जिसमें केवल दो वार्डरों या चौकीदारों को छोड़कर बाकी और सब काम करने वाली स्त्रियाँ ही हैं। जेल के जितने कार्य होते हैं, उन्हें स्त्रियाँ ही करती हैं, क्योंकि पुरुष उस जेल में हैं ही नहीं। दो पुरुष चौकीदार या वार्डर केवल इसलिये रख लिए गए हैं कि यदि कभी कोई फटिन अवसर आ पड़े, तो सहायता दें। पर वहाँ की अधिकारिणी स्त्रियों का कहना है कि इन पुरुष-वार्डरों से सहायता लेने की बहुत ही कम और कदाचित् ही कोई आवश्यकता पड़ती हो, स्त्रियाँ ही सब काम बहुत अच्छी तरह कर लेती हैं। अमेरिका के एक और जेलखाने में कुछ दिनों तक प्रधान अधिकारी का काम एक स्त्री ही किया करती थी। उसके चरित्र और सद्ब्यवहार का उस जेल के अपराधियों पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा था, और उसने अपने कार्य से यह सिद्ध कर दिखलाया था कि दुष्ट और दुश्चरित्र अपराधी भी सद्ब्यवहार आदि के कारण बहुत जल्दी और बहुत अधिक सुधर सकते हैं। जब तक उस स्त्री के हाथ में जेल का प्रबन्ध रहा, तब तक वहाँ कभी किसी प्रकार की कोई शिकायत आदि

नहीं सुनने में आई, और न किसी प्रकार का कोई उपद्रव या अन्यवस्था ही हुई। इससे सिद्ध होता है कि यदि सुयोग्य स्त्रियों को इस प्रकार के काम सौंपे जायें, तो उससे लाभ ही होगा, हानि की कभी कोई सम्भावना नहीं हो सकती।

आठवाँ प्रकरण

सहयोग या समवाय-सिद्धांत

एक बहुत बड़े विद्वान् का मत है कि जिस जन-समूह में एकता नहीं होती, उसमें नितांत अज्यवस्था और गड़बड़ रहती है, और जिस एकता का आधार जन-समूह नहीं बल्कि जो केवल योड़े-से आदमियों के मिलने से होता है, वह एकता नहीं, केवल अन्याचार है। हमारे काम के लिये इस कथन का केवल यही तात्पर्य है कि जब सब लोग मिलकर कोई काम करते हैं, तब वह बहुत अच्छी तरह और व्यवस्थित रूप से होता है। परंतु यदि सब लोग एक ही काम अलग-अलग करें, तो पहले तो वह बिलकुल अव्यवस्थित रूप से होगा, और यदि कभी किसी प्रकार व्यवस्थित रूप से हुआ भी, तो उसमें इतना अधिक समय लगेगा, और इतनी अधिक कठिनाइयाँ होंगी कि हम उसे ठीक और व्यवस्थित कह ही न सकेंगे। इसी सिद्धांत को बहुत अच्छी तरह समझकर बुद्धिमानों ने सहयोग या को-आपरेशन की प्रणाली निकाली है।

संसार के अन्यान्य देशों में तो सहयोग की प्रणाली का इतना अधिक प्रचार है, जिसकी पूरी-पूरी कल्पना भी हम लोग

सहज में नहीं कर सकते। पर हमारे देश में भी अब यह प्रणाली धीरे धीरे जड़ पड़ती जा रही है। यह एक पेसी प्रणाली है, जिसका आशय प्रायः उन सभी कामों में लिया जा सकता है, जिनका हमने अब तक उल्लेख किया है। सिर्फ उन्हीं में क्यों, और सब प्रकार के कामों में भी इससे बहुत अधिक लाभ उठाया जा सकता है। हम इस प्रकरण में यही बतलाना चाहते हैं कि योरोप में इस प्रणाली का किस प्रकार आरम्भ हुआ, उसमें अब तक कितनी उन्नति हुई, और उससे कितना लाभ हो सकता है। इससे पाठक पाठिकाएँ इसका स्वरूप भी बहुत कुछ समझ सकेंगीं, और इसकी उपयोगिता से भी भली-भाँति परिचित हो जायेंगीं।

सबसे पहले हम यह बतला देना चाहते हैं कि इस प्रणाली का मूल सिद्धांत यह है कि जो लोग कोई चीज बनाकर तैयार करें, वे उसके मुनाफे में भी हिस्सा पावें। सिर्फ यही नहीं, बल्कि समय पड़ने पर वे यह सलाह भी दे सकें कि यह काम किस तरह चलाना और इसकी किस प्रकार व्यवस्था करनी चाहिए। जहाँ इस प्रकार की व्यवस्था होगी, वहाँ काम करनेवालों का तो लाभ होगा ही, साथ ही उन कारखानेदारों का भी लाभ होगा, जो दूसरे आदमियों को अपने यहाँ रखकर उनसे काम लेते हैं। जब काम करनेवाले यह देखेंगे कि मुनाफे में हमें भी हिस्सा मिलता है, और काम चलाने के बारे में हमसे भी राय ली जाती है, तब वे अवश्य ही इस बात का उद्योग करेंगे

कि कारखाने का काम बहुत अच्छी तरह चले, और उ
 अधिक मुनाफा हो; क्योंकि उस दशा में वे लोग उस कारखाने
 को अपना समझने लगेंगे। तात्पर्य यह कि इस सहयोग सिद्धांत
 का मुख्य अभिप्राय और परिणाम यही होता है कि सब लोग
 मिलकर कोई काम करने के लिये एक हो जायें, और आपस में
 एक दूसरे की पूर-पूरी सहायता करें। इंग्लैंड में इस प्रणाली का
 आरम्भ मि० ओपेन-नामक एक सज्जन ने किया था। उस
 समय इसके सिद्धान्तों का सर्व-साधारण में प्रचार करने के लिये
 एक पत्रिका भी निकलती थी, जिसका नाम “कोओपरेटिव
 मैगजीन” था। उस मैगजीन में, सन् १८२६ में, एक बार उस
 सपादक ने लिखा था कि मि० ओपेन का इस आंदोलन से
 अभिप्राय नहीं है कि इस समय शमीरों के पास जो धन है, उसे
 वे गरीबों को दे दें, बल्कि उनका अभिप्राय यह है कि गरीबों
 का पैसा अथवा श्रम दिया जाय, जिससे वे स्वयं अपने लिये कुछ
 धन उपार्जित कर सकें।

सहयोग सिद्धांत के मूल में दो मुख्य बातें हैं। पहली यह
 तो यह कि उसके कारण लोग आपस में एक दूसरे की सहायता
 करने लगते हैं, और व्यक्तिगत प्रतियोगिता का अन्त हो जाता
 है। मानव-जीवन का श्रेष्ठ तथा सुंदर आदर्श यही है कि सब
 लोग जहाँ तक हो सके, एक दूसरे की सहायता करें। दूसरी बात
 बहुत बड़ी बात यह कि बहुत-से लोगों के अलग अलग कामों
 को जोड़ने अथवा अनेक अनेक अलग-अलग गरीबों की अपेक्षा

सब लोगों का मिलकर कोई चीज बेचना अथवा स्वयं ही तैयार करके खरीदना और स्वयं ही बेचना यहाँ अधिक लाभदायक है। मान लीजिए, किसी गाँव में घी या मक्खन के चार व्यापारी हों, जो अलग-अलग गउएँ रखकर मक्खन और घी तैयार करने बेचते हैं। अब उन लोगों में प्रतियोगिता होती है, और वे एक दूसरे से कम मुनाफे पर बेचने की चिंता में रहते हैं, मानों वे एक प्रकार से स्वयं घाटा उठाते हैं, और दूसरों को भी घाटा पहुँचाने का उद्योग करते हैं। परन्तु यदि वे चारों मिलकर एक हो जायँ, और एक ही जगह अपनी गउएँ भैसँ रखकर और एक ही जगह मक्खन या घी तैयार करके बेचना आरम्भ कर दें, तो उस दशा में क्या परिणाम होगा ? यही कि सबसे पहले तो, उन लोगों का रुच कम हो जायगा और तब न केवल आपस की प्रति-योगिता ही बढ़ हो जायगी, बल्कि वे सब एक दूसरे को पूरी पूरी सहायता देने लगेंगे। उस समय वे लोग मुनाफा भी पूरा पावेंगे और एक होने के कारण उनका मुनाफा पहले से बहुत कुछ बढ़ भी जायगा। और, फिर बाजार में उनकी जो साख बढ़ेगी, वह अलग। इसी प्रकार यदि दस गृहस्थ मिलकर आटे-दाल आदि की एक दुकान खोल लें, और वे सब वहीं से खरीदा करें, तो उनको चीज भी अच्छी मिले, और किफायत से भी। और, फिर उस दुकान के मुनाफे में जो हिस्सा मिलेगा, वह अलग।

योरप के अन्यान्य देशों में तो यह प्रथा कुछ और पहले से

थी, पर इंग्लैंड में सन् १८४४ तक इस प्रथा और उल्लेख-योग्य प्रचार नहीं हुआ था। सन् १८४४ में गायर के पास के एक गाँव के अट्टाईस जुलाहों ने मिलकर काम करने का विचार किया। उन लोगों ने हर हफ्ते अपनी कमाई में दो पैसे (लगभग दो आने) बचाकर कुछ में एक-एक पाइ बचाया। और, तब सबने मिलकर अट्टाईस पाँड इकट्ठे किए। इस रकम से उन्होंने एक छोटी-सी दुकान खाली, जिसमें वे सब अपना तैयार किया हुआ माल लाने करने और बेचने लगे। धीरे-धीरे उनका काम इतना बढ़ा कि कुछ ही दिनों में इधर-उधर उनकी उम्मीस दूकानें बन गईं। केवल यही नहीं, फँद्रों में उनका एक बहुत बड़ा गोदाम हो गया, जहाँ से सब जगह माल भेजा जाने लगा। इसके अतिरिक्त उन्होंने अपने सदस्यों या साझीदारों के लिये एक बड़ा पुस्तकालय भी बनवा लिया, और एक अच्छी-सी वेधशाला भी कायम कर ली, जिसमें अनेक प्रकार के बड़े-बड़े यंत्रों के लिये लोगों में ज्ञान का प्रचार करने का भी यथेष्ट उद्योग करते थे और बालकों को पढ़ाने लिखाने की भी अच्छी व्यवस्था करते थे। उन्होंने गल्ले का भा बहुत बड़ा काम आरम्भ किया, कतारई तथा घुनाई के कारखाने भी कायम कर लिए। अन्तिम में मित्रा उन्होंने और भी कई तरह के काम आरम्भ किए। वे मजदूरी भी करते थे, और लोगों के मकान आदि भी बनवाते और मरते करते थे। इस व्यापार के संचालकों का मुख्य सिद्धांत यह

कि माल बेचने में जो कुछ मुनाफा हो, वह खरीदारों को, उनकी खरीद के मुताबिक, बाँट दिया जाय। अर्थात् जिसने दस रुपए का माल खरीदा हा उसे दस रुपए का मुनाफा दिया जाय, और जो सौ रुपए का माल खरीदे, उसे सौ रुपए का। पर ग्राहकों का यह मुनाफा उसी समय नहीं दे दिया जाता था। यह मुनाफा समिति अपने पास जमा रखती थी, और जब वह बढ़कर ५ पाँड हो जाता था, तब उस खरीदार का समिति में ५ पाँड का हिस्सा मान लिया जाता था, और उस रकम पर हिस्सेदार को पाँच रुपए सैकड़े का छूट दिया जाता था। इसके बाद यदि और कुछ रकम बच रहती थी, तो वह रकम या तो हिस्सेदार को, उसके माँगने पर, दे दी जाती थी, अथवा यदि वह चाहता था, तो उसके नामसे जमा कर ली जाती थी, और इस प्रकार उसके हिस्से की रकम धीरे-धीरे बढ़ती जाती थी। मतलब यह कि जिन लोगों के पास कुछ भी पूँजी नहीं होती थी, वे भी यदि उस समिति से माल खरीदकर उसकी सहायता किया करते थे, तो वे भी कुछ समय में पूँजीदार और उस समिति के हिस्सेदार हो जाते थे। ऐसे लोग स्वयं तो अपनी सब आवश्यक चीजें उस समिति से खरीदा ही करते थे, साथ में वे अपने मित्रों आदि को भी वहाँ ले आया करते थे, और उनसे भी वही माल खरीदवाया करते थे। इसमें स्वयं उनका भी लाभ होता था, और उनसे उन मित्रों का भी, जो वहाँ से माल खरीदा करते थे।

वस, उसी समय से सहयोग के इस सिद्धांत का बराबर प्रचार होने लगा, और दिन पर-दिन बढ़ता गया। इस समय वहाँ के अनेक प्रकार के छोटे और बड़े, सभी काम इसी सिद्धांत के अनुसार हुआ करते हैं। यदि आप किसी छोटे-से गाँव में भी चले जायँ, तो वहाँ भी आपको छोटी मोटी दो-चार ऐसी दूकानें मिल जायँगी, जो इसी सहयोग के सिद्धांत के अनुसार चलती होंगी। और, यदि किसी बड़े शहर में जायँ, तो वहाँ तो लाखों और करोड़ों रुपए साल का काम करनेवाली अनेक बहुत बड़ी बड़ी दूकानें और कंपनियाँ मिलेंगी। ऐसी समितियाँ बड़े-बड़े कल-कारखाने और कपड़ों आदि की मिलें चलाती हैं, राय-पदार्थ उत्पन्न करती और बनाती हैं, अपने सदस्यों को त्रिराज पर मकान देती और उनके हाथ बेच भी देती हैं, अथवा मकान आदि बनाने के लिये उन्हें ऋण भी देती हैं। जब लोगों को किसी तरह की चीज मिलने में कोई कठिनाई अथवा किसी चीज की उन्हें अधिक आवश्यकता होने लगती है, तब वे आपस में मिलकर एक सभा करते हैं, और सब लोग थोड़ा थोड़ा धन देकर एक अच्छी रकम पड़ी कर लेते हैं। यह निश्चय कर लिया जाता है कि इसका प्रत्येक हिस्सा इतने रुपयों का होगा। उसी हिसाब से लोगों में हिस्से बँट जाते हैं। इसके बाद मंत्री-सूजानची और धन एकत्र करनेवाले पदाधिकारी नियुक्त कर दिए जाते हैं, और बँटाने से काम चलने लगता है। फिर जो कुछ लाभ होता है, वह हर तीसरे महीने हिस्सेदारों में बाँट

दिया जाता है। इस प्रथा से सबसे बड़ा लाभ यह होता है कि उसके हिस्सेदारों को मितव्ययी होने की बहुत अच्छी शिक्षा मिलती है, और वे जहाँ तक हो सकता है, धन बचा बचाकर रखते और हिस्से खरीदते हैं। इसके अतिरिक्त वे श्रमणी होने से भी बचते हैं, क्योंकि सहयोग-समितियों का यह नियम होता है कि वे किसी को कोई चीज अभी उधार नहीं देता। जो कुछ वे बेचती हैं, वह सब नकद दाम लेकर ही।

इसी प्रकार की एक और व्यवस्था होती है, जिसमें कुछ लोग मिलकर कोई कारखाना खोलते हैं, और जो लोग उस कारखाने में काम करनेवाले होते हैं, केवल वही उसके हिस्सेदार भी होते हैं। जो लोग उस कारखाने में किसी प्रकार का काम न करते हों, वे उसके हिस्सेदार भी नहीं हो सकते। साथ ही प्रायः वही लोग उस कारखाने का धना हुआ माल खरीदते भी हैं। इस प्रकार मानों वे स्वयं ही चीजें तैयार करने उनका व्यवहार करने और लाभ उठानेवाले होते हैं। उन कारखानों में काम करनेवालों के व्यवहार से जो चीजें बचती हैं, वे दूसरों के हाथ भी साधारण नफे पर बेची जाती हैं। लंदन में गैस बनानेवाली ऐसी एक बहुत बड़ा कंपनी है, जो बहुत-से लोगों को गैस देती है। जिन गैस-कंपनियों के मालिक अपने कारखाने के मजदूरों को लाभ का अंश नहीं देने, उनके कारखानों की श्रमदा इस कारखाने की दर भी बहुत कम पड़ती है। इससे सिद्ध होता है कि कारखानों का आदर्श सदा यही होना चाहिए कि लाभ का

कुछ प्रस उलनें पान करनेवाते मजदूरों आदि को भी मिला करे।

आ हम सक्षेप में यह बताना चाहते हैं कि साधारणतः स्त्रियाँ, विशेषतः भारतवर्ष की स्त्रियाँ, इस प्रकार के कामों के लिये तहाँ तक उपयुक्त हैं। स्त्रियों के लिये व्यापार में सम्मिलित होना कोई बड़ा काम नहीं है। प्रायः सभी देशों में सत्र के कुछ न कुछ ऐसी स्त्रियाँ होती हैं, जो समय पड़ने पर व्यापार का काम अच्छी तरह कर सकती हैं। व्यापार में सम्मिलित होने से स्त्रियों की नैतिक उत्पत्ति भी होती है, और आर्थिक उत्पत्ति भी। यदि किन्हीं को हमारे इस कथन में संदेह हो, तो उन उचित हैं कि वह ज़ेरी जाति की स्त्रियों का ध्यान पूर्वक निरीक्षण करें। प्रायः सभी देशों में और हमारे भारतवर्ष में भी ज़ेरी जाति की स्त्रियाँ अनेक प्रकार के व्यवसाय करती हैं। पुण्य प्रायः मिहान मजदूरी करते हैं, और स्त्रियाँ बाजारों में जाकर वस्त्र तैयार करती हैं। ऐसी स्त्रियाँ प्रायः अपने पुत्रों से अधिक बुद्धिमान होती हैं और उनकी इस बुद्धिमत्ता का कारण केवल यही है कि उन्हें अपने बुद्धिबल का उपयोग अपनी अपेक्षा अधिक उपयोग करना पड़ता है। मध्य युग में योरोप में कारीगर पुत्रों और स्त्रियों मिलकर साथ स्थापित किया करती थीं। उन दिनों वहाँ पुत्रों के नामों की अपेक्षा स्त्रियों के काम अधिक पसंद किए जाते थे, और उनकी मजदूरी या दाम भी अधिक मिलता था। नई किन्तु ऐसे कारण हैं, जिनसे स्त्रियों को

पुरुषाधी परेजा कम दान या मजदूरी लेने के लिये प्रियश हाता पडता है। परन्तु यदि प्रिया सहयोग सिद्धांत पर काम करने लगे, तो वह पुरुषों के बतबर हा दाम पा सकती है। भारत में इस प्रकार की सहयोग-समिति या प्रकृती प्रिया भी स्थापित कर सकती है, और पुरुषों के साथ मिलकर भी। यदि हमारे देश में यह व्यवस्था हो जाय, तो जन का वितरण अपेक्षा-रहित अधिक समान हो जाय। प्रचलित व्यवस्था में तो यही हाता है कि कारखाने के मालिकों या कर्मियों के हिस्से दामों को ही पाय न्याय मुनासब मिल जाता है, और बेचारे काम करनेवाले मजदूर कठिनाता से अपने निरादर को मजदूरी पाते हैं। पर सहयोग की व्यवस्था में इस प्रकार केवल बाड़े के लोगों के तार उठाने का गुजाइश न रह जायगी, और काम करनेवाले लोग अपनी साधारण मजदूरी के अतिरिक्त लाभ का भी कुछ अंश पा सकेंगे।

जाप के डेनमार्क नामक प्रदेश में दूध, पनीर और मक्खन आदि के प्राय जितने कारखाने हैं, उन समस्त संचालन सहयोग सिद्धांत पर वहाँ की स्त्रियाँ ही करती हैं। इस काम में वहाँ का तारों को बहुत अधिक सफलता प्राप्त हुई है, यहाँ तक कि बहुत कुछ मिया के इसी आधार के कारण डेनमार्क-नरीने छोटे-से देश की भी योरप में, वहाँ की शक्तियों में, गणना होती है। पहले किसी समय डेनमार्क एक बहुत ही दरिद्र और गण्य देश समझा जाता था। पर अब वह अपेक्षा-रहित

बहुत अधिक सफ़्त देग हो गया है । और, सबसे विलक्षण बात यह है कि वहाँ की इतनी अधिक उन्नति बहुत ही थोड़े दिनों में हुई है । सहयोग सिद्धातके अनुसार दही, मक्खन और पनीर आदि का सबसे पहला कारखाना सन् १८८० में स्थापित हुआ था । इस विषय में भारतवामी बहुत सहज में और बहुत अच्छी तरह डेनमार्क का अनुकरण कर सकते हैं । इस प्रकार भारतवर्ष के गाँवों की बिलखी हुई शक्ति बहुत सहज में संगठित की जा सकती है । डेनमार्क के प्राय सभी गाँवों में सहयोग सिद्धातों के आधार पर सञ्चालित दूध और मक्खन आदि का एक कारखाना होता है, जिसमें पास पड़ोस के सभी किसानों की गड्डियों का दूध जमा होकर ठिंका है, और उसमें पनीर तथा मक्खन आदि बनाया जाता है । गड्डियों के मालिक उस कारखाने के हिस्सेदार होते हैं और वे जितना दूध या मक्खन आदि उस कारखाने को देते हैं, उसी हिसाब से मुनाफे में हिस्सा पाते हैं । अडे आदि जमा करके बेचने के लिये भी इसी तरह के कारखाने हैं । बहुत-से कारखाने ऐसे भी हैं, जो इसी प्रकार आस पास के लोगों से शहद या फल आदि लेकर अपने यहाँ से बेचते हैं ।

भारतवर्ष कृषि प्रधान देश है, अतः यह आशा की जाती है कि यदि यहाँ के किसान आदि मिलकर दूध, दही, मक्खन और घी आदि बनाने तथा बेचने के लिये सहयोग सिद्धातके आधार पर कारखाने कायम करें, तो उनको बहुत अधिक लाभ हो

सकता है। हमसे यहाँ के गरीबों की दशा बहुत अधिक सुधर सकती है, और साथ ही यहाँ को पाली बैठी रहनेवाली स्त्रियों के लिये बहुत अच्छा काम निकल सकता है। डेनमार्क की तरह यहाँ भी प्रत्येक गाँव में एक ऐसा स्थान बनाया जा सकता है, जहाँ स्त्रियोंको इन सब कामोंके साथ ही शिक्षा भी मिला करे।

इसी प्रकार का एक और काम है, जिसका खेतीवासी से बहुत अधिक सम्बन्ध है और जो सहयोग सिद्धांत के आधार पर बहुत अच्छी तरह चलाया जा सकता है। वह काम है महाजनी का। हमारे यहाँ के दृष्टि शून्य लोगों को प्रायः हल, बैल या बीज आदि परोक्ष रूपसे देने के लिये महाजनों से ऋण लेने की आवश्यकता पड़ती है। वे लोग इन तरीकों से कितना अधिक सुद लेते हैं, और अंत में किस बुरी तरह से अपनी रकम बतूल करने के लिये उनका घर, पेट, परत और यहाँ तक कि पहनने के कपड़े आदि भी विक्रय लेते हैं, वह किसी से छिपा नहीं। यदि ऐसे कामों के लिये तहसीलों और जिलों में छोटे-छोटे बैंक खोले जायें, और स्नेहिहरों को साधारण सुद पर रकम उधार दिया जाय, तो उससे उनका बहुत अधिक उपकार हो सकता है। इस प्रकार के बैंक स्थापित करने का विचार सबसे पहले, सन् १८५० के लगभग, जर्मनी में हुआ था। इन बैंकों का मुख्य उद्देश्य यही था कि गरीब किसानों को महाजनों के बगुल से बचाया जाय। अगले महाजनी शीर्षक प्रकरण में हम यह बताना चाहेंगे कि भारत में इसकी जियाँ यह किस प्रकार कर सकती हैं।

यहाँ हम सक्षेप में पेश करेंगे यही बतलाते हैं कि जर्मनी के इन वर्कों का क्या स्वरूप है। और कैसे संगठन होता है।

(१) इस प्रकार की समस्याएँ न्यायिक दृष्टि करती हैं, और उनके सब सदस्य एक दूसरे के परिचित होते हैं। यद्यपि उनमें कुछ बड़े-बड़े और अमीर लोग भी, परंपरा की दृष्टि से, सम्मिलित हो जाते हैं, तथापि उसका अधिकांश सदस्य और हिस्सेदार प्रायः गरीब किसान ही हुआ करते हैं।

(२) ऋण लेने-गले को यह मतलब पड़ता है कि किस काम के लिये ऋण की आवश्यकता है, और अधिकारी लोग इस बात की जाँच कर लेते हैं कि वास्तव में उसका कहना ठीक है, या नहीं। यदि इस बात का पता लग जाय कि ऋण लेने वाले ने उस काम में रूप न खर्च करके किसी और काम में खर्च किया है, तो उसके तुरन्तरुपया वापस माँग लिया जाता है।

(३) जो लोग उस समस्या के सदस्य होते हैं, उनके सिवा और किसी को ऋण नहीं दिया जाता।

(४) कुछ निश्चित किस्तों में ऋण की सारी रकम, मरसू के, चुका देनी पड़ती है।

(५) ऋण की मजबूती के लिये एक हंड नोट लिख देना पड़ता है।

(६) ये समस्याएँ सेविंग बैंक का काम भी देती हैं। अर्थात् यदि उसके सदस्य खाकर पीकर कुछ रकम बचाते हैं, तो वे उसी समस्या में जमा कर देते हैं, और उसका सूद पाते हैं।

(७) प्रत्येक सस्था में दो समितियाँ होती ह । एक समिति तो मय कार-चार करती हे, ओर दूसरी उसके नार-चार की जाँच और देखरेख रखती हे । जो लोग उसमें काम करते ह, वे किसी प्रकार का वेतन आदि नहा लेते, मुक्त ओर केवल परो प्रकार की दृष्टि से वे काम करते ह ।

(८) हिस्सों का मृत्य बहुत कम रक्का जाता हे, ओर हिस्सेदारों को किसी तरह का सूद नहीं दिया जाता । जो कुछ मुनाफा होता हे, वह सब स्थायी कोष में जमा कर दिया जाता हे ।

इस प्रकार के सब कर आपस में एक दूसरे ने सबद भी हुआ करते ह । यदि भारत में भी इस प्रकार के कर खुल जायें, तो यहाँ के गाँवों का बहुत महज में और बहुत अच्छा सगठन हो सकता हे । साथ ही यहाँ के दरिद्र किसानों को बहुत ही थोडे सूद पर ऋण मिलने की भी व्यवस्था हो सकती हे ।

हो गया है। उन दिनों लोग प्रायः अपनी निज ही का ही काम ही बड़ी आवश्यकता था पड़ने पर ही ऋण लिया करते थे। इसीलिये उनसे बहुत ही कम सूद लेना अथवा मिलबुल ही लेना उचित था। पर आजकल लोग बहुधा व्यापार आदि करके किसी-न किसी प्रकार से लाभ उठाने के लिये ऋण लिए करते हैं। ऐसी दशा में उनसे सूद लेना मानों उनके उस लाभ ही अर्थ लेना है, जो किसी प्रकार अनुचित नहीं कहा जा सकता। इसके अतिरिक्त आजकल हमारे समाज में व्यापार का ढंग कुछ ऐसा हो गया है कि उसमें जिना ऋण लिए काम ही चल सकता है। पर, फिर भी, इस बात का ध्यान रखना आवश्यक है कि महाजन लोग ऊर्जवागों का सर्वस्व हरण न कर सकें।

महाजनी या लेन देन का काम प्रायः सारे समाज में, बहुत प्राचीन काल से, होता आया है। चीन, मिस्र, बैबिलोन, भारत, यूनान, रोम आदि, सभी देशों के लोग बराबर यह काम करते आये हैं। इनमें ध्यान देते-याग्य एक बहुत ही विलक्षण बात है कि प्रायः सभी देशों में यह काम समाज के एक विशिष्ट वर्ग ही करते थे। पर अब सब जगह यह काम इतना फल गन्त है कि समाज के सभी वर्गों के लोग बेधडक इसे करते हैं। प्राचीन काल में हमारे यहाँ केवल वैश्य ही महाजनी या लेन देन का काम किया करते थे। यही नहीं, बल्कि व्यापार, रक्षा और पशु पालन आदि भी केवल उन्हीं का काम था। मनु

न भी है। मनुषी यह भी आशा है कि आपद् जाल में उद्योगियों
 ताग आश्रयशता पडने पर अपने से निम्न वर्गों के काम कर
 जाते हैं। परन्तु, फिर भी घातण या क्षत्रिय का कामी सूद पर
 गृह देणे का काम गहा करता चाहिए। पीछे से शूद्रों को भी
 आश्रयशता पडने पर सब पर कृण का और सूद लोटा की
 परस्था हो गई थी। इससे उपरांत यह व्यवस्था हुई कि बहुत
 अधि-आपश्यशता पडने पर ग्राहण भी श्रुण देषर सूद से
 करते हैं। इन्ना की दुडी शताब्दी में वृहस्पति ने यह व्यवस्था
 कि ग्राहण ताग स्वयं यह काम न दिया करें हों, अपने
 कुमाराओं या कारिदों आदि के हाग यह व्यवस्था पर सक्त है।
 अर्थात् इस प्रकार धीरे धीरे सभा वर्गों का यह काम करने की
 आशा मित गइ।

इसी प्रकार इंगलैंड में भी विजयी विलियम के समय से सन्
 १०६० तक यह काम केवल यहूदियों के हाथों में रहा। विति-
 यमों ने ही पहले पहल यहूदियों को अपने देश में प्रवेश करने
 की आशा दी थी। पर जब सन् १२६० में यहूदी लोग उस देश
 से निजाल दिए गए, तब यह काम धीरे धीरे इंगलैंड के लोग
 करने लगे। जब तक इंगलैंड में यहूदी लोग रहते थे, तब तक
 वहाँ के सरकारी कर्मचारी और धमाधिमारी, दोनों मिलकर
 साथ-साथ इस बात का प्रयत्न किया करते थे कि इंगलैंडवाले यह
 काम न करने पायें। पर जब यहूदी लोग देश से निजाल बाहर
 भेजे गए, तब प्रायः सभी अंगरेज स्वतंत्रता पूर्वक यह व्यवसाय

मुसलमानों का यहाँ तो लूट लूना आरम्भ में ही रफ्तार
 जब ५ भारत में आया, तब भी हिंदू ही महाजगी श्री
 देन का काम करते रहे। श्रीरे श्रीरे उन ही देखा देगी मुसलमान
 ने भी यह काम आरम्भ कर दिया। आजकल बहुत-से मुसलमान
 ये जाकर खाने और महाजगी का काम करते हैं। इन्होंने
 उपरान्त भारत में आगमन हुआ। उन्होंने ही
 सगला न यहाँ के लिये भी प्रायः वही नियम अज्ञात किए
 ईंगलैंड में प्रचलित थे। अब यहाँ कुछ उपयोगी नियम
 हैं। प्राचीन भारत में अब केवल एक ही नियम था रक्त
 और यह कि किन्हीं कोषों के लिये निसर्ग
 स रक्त लूट नहीं लाना चाहिए, कि अतल से भी यह नियम

यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का व्यापार यदि
 अथवा अगर किसी प्रकार से काम उठाने के लिये
 उम्मीद रखे तब उचित और न्यायमूलक है। जो
 व्यापार में रियासत भी बहुत प्रतीति नष्टिगित है
 है। लोगों में काम प्रायः व्यापार आदि से काम है
 कर्ज लिया करते हैं। गाँव शोष शैलता में बहुत ही
 के काम के लिये कर्ज लिया जाता है। नगरवर्ष, यदि प्र
 देउर है, इनलिये यहाँ के लोगों को अत्रि-तर रानी-यारी
 काम के लिये ही कर्ज लेना पड़ता है। पर यहाँ के लोगों
 उचित लूट पर कर्ज लेने में बड़ा बड़ी फटिगियाँ हुआ
 है। यह बात प्रायः सभी लोगों जानते हैं कि नगरवर्ष

निम्नान गहुन गरीब ह। वे सदा तर्जदार रहते हैं, और उनका
 तर्ज दिन पर दिन उड़ता ही जाता ह। जग तरु असामी से सूद
 गगनग मिगता रहताह, तत्रत समराजन उलसे लेन देन वरावर
 जागी गयता ह। इसका परिणाम यह एगना ह कि लडक और
 पात प्राय अपन तप और दान क तज क वाक्क से लदे
 गत ह।

यह पत्र मानी हुइ बात ह कि धनवानों की अपेक्षा निर्धनों
 को सदा अधिक सूद पर कर्ज मिलता है। इस देश के अधि-
 कतर निवासी गाँव क रहनेवाले और बहुत गरार हुआ करते
 ह। फलत उन्हें अपना कृत प्रुत अधिक सूद देना पडता
 ह। भारतीय किसानों पर कितना अधिक कर्ज है, इसका कोई
 ठीक-ठीक हिसाब लगाया ही नहा जा सकता। साधारणतः
 गाँव की अधिक स्थितिवात लागू हो जितना सूद देना पडता
 ह, उतनी अपेक्षा प्राय २० सेकड अधिक सूद इन गरीब
 किसानों को देना पडता ह। प्राचीन काल में जमानत अधिक
 चल नहा हुआ करती थी। तब किसान हाथ से किसानों
 या मजान मिल जायगा, इसका कोई ठीक ठिकाना
 इसके सिवा दिया हुआ कर्ज बमूल करने में भी लोगों को
 प्रतापी कठिनाइयाँ होती थीं। ठीक तर्ज मिला जायगा
 ह, पर उनदिनों आजकल की अपेक्षा य बहुत अधिक हुआ
 गा। इसलिये उन दिनों सूद की दर बहुत ज्यादा ५०% तक
 गाँव-वेहातों में अत्र तरु प्राय सूद की वही दर चली आती है।

विमान बहुत गरीब है। वे सदा कर्जदार रहते हैं, और उन का कर्ज दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। जतन अलामी से सूद परापर मिगना रहता है, तबत महाजन उससे तोन देन परापर जारी रखता है। इसका परिणाम यह होना है कि लड़के और पात प्राय अपने माप और दादा के कर्ज के बाहसे लदे रहते हैं।

यह पद मानी हुई जान है कि धनवानों की अपेक्षा निर्धनों को सदा अधिक सूद पर कर्ज मिलता है। इस देश के अधिकांश किसानों का कर्ज रहनेवाले और बहुत गरीब हुआ करते हैं। परन्तु उन्हें अपेक्षा कृत बहुत अधिक सूद देना पड़ता है। भारतीय किसानों पर कितना अधिक कर्ज है, इसका कोई ठीक-ठीक हिसाब लगाया ही नहीं जा सकता। साधारणतः शहरी आविष्कृतियोंवाला लोगों को कितना सूद देना पड़ता है, उसकी अपेक्षा प्राय २० सेर अधिक सूद इन गरीब किसानों को देना पड़ता है। प्राचीन काल में जमानत अधिक दुर्लभ हुआ करती थी। अब किसके हाथ से किसकी जमीन या मकान मिल जायगा, इसका कोई ठीक ठिकाना नहीं था। इनके सिवा दिया हुआ कर्ज वसूल करने में भी लोगों को अनेक परेशानियों काटना पड़ती थीं। कठिनाइयाँ आज भी होती हैं, पर उन दिनों आजकल की अपेक्षा ये बहुत अधिक दुर्लभ होती थीं। इसलिये उन दिनों सूद की दर बहुत ज्यादा हुआ करती थी। गाँव-देहातों में अब तक प्रायः सूद की वही दर चली आती है।

बहुत कुछ दूर हो सकती है। अधिकांश भारतवासी कृषक ही हैं, और इस प्रथा से सबसे अधिक लाभ भी कृषकों का ही होगा। जब उन्हें थोड़े सूद पर रुपया मिलने लगेगा, तो वे अनेक प्रकार के ऋणों और विपत्तियों आदि से बच जायेंगे, और खेती-गरी में बहुत कुछ उन्नति कर सकेंगे। इससे उनकी शारीरिक और नैतिक उन्नति भी यथेष्ट मात्रा में होगी, और उनमें आत्मनिर्भरता आवेगी। जिन जिलों, तहसीलों या कसबों आदि में इस प्रकार के बक स्थापित हो गए हैं, वहाँ खेतिहरों की अवस्था पहले की अपेक्षा कुछ-न-कुछ अग्रगण्य सुधर गई है। इसलिये हम कह सकते हैं कि जो लोग इस काम में अपनी पूँजी लगावेंगे, वे एक प्रकार से गरीबों का बहुत बड़ा उपकार करेंगे। शीघ्र ही उन्हें यह जानकर बहुत आनन्द और सतोष होगा कि हमने अपना उन एक ऐसे काम में लगाया है, जिससे हमारे देश-भाइयों का अनेक प्रकार से अट्पाण हो रहा है।

दसवाँ प्रकरण

परोपकारिणी सस्थाएँ

गरीबों की हर तरह से सेवा और सहायता करना धनवान् और सपन्न लोगों का परम कर्तव्य है, और धनवान् पुरुषों की अपेक्षा धनी स्त्रियों का तो यह और भी अधिक कर्तव्य हो जाता है। पर धनी स्त्रियाँ पूछ सकती हैं कि यदि हम गरीबों की सेवा और उपकार करना चाहें, तो उसका सबसे अच्छा और सुगम उपाय क्या है? चाहे कोई धन देकर दूसरों की सेवा और उपकार करना चाहता हो और चाहे व्यक्तिशः, दोनों ही अस्थानों में काम करने का ढंग जान लेना आवश्यक है। इसलिये हम यहाँ सक्षेप में इंग्लैंड की कुछ परोपकारिणी सस्थाओं का विवरण और कार्य-प्रणाली दे देना चाहते हैं, जिससे हमारे पाठकों और पाठिकाओं को अपना कर्तव्य निश्चित करने में बहुत कुछ सहायता मिलेगी। सोभाग्यवश हमें अपने देशवासियों को यह बतलाने की आवश्यकता नहीं कि परोपकार और लोफ-सेवा करने से कितना अधिक पुण्य होता है। हमारे यहाँ के प्राचीन ग्रंथों में परोपकार और लोफ-सेवा का बहुत अधिक महत्व बतलाया गया है, और उसके द्वारा होनेवाले पुण्यफलों का

बहुत कुछ घर्षण किया है। हमारे यहाँ के प्राचीन श्रानार्थ शास्त्र शास्त्र बहुत ही दूरदर्शी एवं सूक्ष्मदर्शी थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि इस प्रकार के दानों में कैसी-कैसी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसीलिये उन्होंने महाभारत शांति पर्व में एक स्थान पर कहा है कि परोपकार या दान के समय दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक यह कि हमें दान कभी ऐसे व्यक्ति को न देना चाहिए, जिसका उसका पात्र न हो, और दूसरी यह कि जो व्यक्ति उस दान का पात्र हो, वह उससे प्रचित रह जाय। यदि सगठित रूप से श्रम संस्थाएँ आदि स्थापित करके इस प्रकार के परोपकार और दान के काम किए जायें, तो हम ऊपर लिखी दोनों कठिनाइयों से बहुत कुछ बच सकते हैं।

अंगरेज स्त्रियों ने अपने देश में परोपकार-संस्थाएँ जो उठे-उठे काम किए हैं, उनका वर्णन करने के पहले हम मन्त्र में उनका एक ऐसे काम का वर्णन कर देना चाहते हैं, जिसे उन लोगों ने हमारे देश भारतवर्ष में किया है। मैं भारत के परोपकार

हैं, प्रायः उन नभा स्त्री ब्रियों ने इस फंड की वृद्धि करने और उनके उद्देश्य को पूर्ति करने में बहुत-कुछ महापता दा है। इसी फंड की यत्नानुसार भारत की बहुत सी ब्रियाँ डॉक्टरों और दाई आदि का काम मीप्र कर भारतीय ब्रियों की बहुत अच्छी सेवा कर रहा है। इसी प्रकार की या इसने कुछ मिलनी-जुलती सस्थाएँ लेडी सर्जिय और लेडी मिडो भी स्थापित कर गई हैं, और वे सम्भारें भी बहुत अच्छी काम कर रही हैं। पहले परदे में रहनेवाली अनेक भारतीय ब्रियाँ चिकित्सा आदि की उचित व्यवस्था न होने के कारण प्रसूति-गार में ही मर जाया करती थीं। इनके अतिरिक्त ब्रियों के और भी अनेक ऐसे रोग होते हैं, जिनमें वे कुछ डॉक्टरों से परामर्श नहीं ले सकतीं, और उनकी चिकित्सा नहीं कर सकतीं। ऐसे रोगों के कारण भी बहुत सी ब्रियों की अकाल-मृत्यु हो जाया करती थी। पर अब इन इतिषय फंडों के स्थापित हो जाने से बहुत-सी ब्रियाँ डॉक्टरों और दाई का काम सीख कर भारतीय ब्रियों की बहुत अच्छी सहायता कर रहा है। क्या यह कुछ कम या साधारण उपहार का काम है ?

इंग्लैंड में यहाँ की ब्रियों ने अनेक ऐसी बड़ी बड़ी परोपचारिणी सस्थाएँ जोन रखी हैं, जिनसे सर्व-साधारण का सदा बहुत अधिक उपहार होता रहता है। उनमें जो सबसे बड़ी सस्था है, उसका नाम है "चेरिटी आर्गेनिजेशन सोसाइटी"। यद्यपि इस सस्था के सचालकों में ब्रियाँ और पुरुष,

बहुत कुछ वर्णन किया है। हमारे यहाँ के प्राचीन आचार्य और शास्त्रकार बहुत ही दूरदर्शी एवं सूक्ष्मदर्शी थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि इस प्रकार के नामों में कंसी-कंसी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसीलिये उन्होंने महाभारत कथाति पर्य में एक स्थान पर कहा है कि परोपकार या दान करने के समय दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एक तो यह कि हमें दान कभी ऐसे व्यक्ति को न देना चाहिए, जो उसका पात्र न हो, और दूसरी यह कि जो व्यक्ति उस दान का पात्र हो, वह उससे वंचित न रह जाय। यदि सगठित रूप से आर सस्थाएँ आदि स्थापित करके इस प्रकार के परोपकार और दान के काम किए जायें, तो हम ऊपर लिखी दोनों कठिनाइयों से बहुत कुछ बच सकते हैं।

अंगरेज स्त्रियों ने अपने देश में परोपकार-संघी जो बड़े-बड़े काम किए हैं, उनका वर्णन करने के पहले हम संक्षेप में उनके एक ऐसे काम का वर्णन कर देना चाहते हैं जिसे उन लोगों ने हमारे देश भारतवर्ष में किया है। सन् १८३५ में भारत के बड़े लार्ड लार्ड डफरिन की प्रमशीला पत्नी श्रीमती लेडी डफरिन ने अपने नाम से एक कोष स्थापित किया था। इस कोष के स्थापित करने में उनका मुख्य उद्देश्य यह था कि भारतवर्ष की स्त्रियों को चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा दी जाय, और उनके द्वारा भारतीय स्त्रियों की चिकित्सा आदि का विशिष्ट रूप से प्रवर्धन किया जाय। तबसे अब तक भारत में जितने बड़े लार्ड आए

हैं, प्रायः उन सभी स्त्रियों ने इस फंड की वृद्धि करने और उनके उद्देश्य की पूर्ति करने में बहुत-कुछ महायत्ना दिये हैं। इसी फंड की मदद से भारत की बहुत सी स्त्रियाँ डॉक्टरी और दाई आदि का काम सीखकर भारतीय स्त्रियों की बहुत अच्छी सेवा कर रही हैं। इसी प्रकार की या इसने कुछ मिलती-जुलती सस्थाएँ लेडी कर्जन्त और लेडी मिंटो भी स्थापित कर गई हैं, और वे सस्थाएँ भी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। पहले परदे में रहनेवाली अनेक भारतीय स्त्रियाँ चिकित्सा आदि की उचित व्यवस्था न होने के कारण प्रभूति-नागर में ही मर जाया करती थीं। इनके अतिरिक्त स्त्रियों के और भी अनेक ऐसे रोग होते हैं, जिनमें वे कुछ डॉक्टरों से परामर्श नहीं ले सकतीं, और उनकी चिकित्सा नहीं कर सकते। ऐसे रोगों के नाश भी बहुत सी स्त्रियों की अकाल मृत्यु हो जाया करती थी। पर अब इन कठिण फंडों के स्थापित हो जाने से बहुत-सी स्त्रियाँ डॉक्टरी और दाई का काम सीखकर भारतीय स्त्रियों की बहुत अच्छी सहायता कर रही हैं। क्या यह कुछ कम या आश्चर्यजनक उपहार का काम है ?

इंग्लैंड में बंश की स्त्रियों ने अनेक ऐसी बड़ी-बड़ी परंपारिणी सस्थाएँ खोली हैं, जिनसे सर्व-मायायु का सदा बहुत अधिक उपहार होता रहता है। उनमें जो सबसे बड़ी सभ्यता है, उसका नाम है "चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन सोसाइटी"। यद्यपि इस सभ्यता के सवाक्यों में स्त्रियाँ और पुरुष

दोना ही है, तथापि स्त्रियों की संस्था अपेक्षा-रून बहुत अधिक है। यदि यह कहा जाय कि उस संस्था का संचालन मुख्यतः स्त्रियों के ही द्वारा होता है, तो कुछ अनुचित न होगा। इस संस्था के द्वारा अनेक प्रकार के परोपकार के काम होते हैं। इसका केंद्र लंदन में है, और शाखाएँ प्रायः सभी बड़े बड़े नगरों में स्थापित हैं। इन शाखाओं की व्यवस्था स्थानिक सभाएँ या कमेटियों करती हैं और उन सबका निरीक्षण करने के लिये एक प्रधान कोसिल है। यही कोसिल इस बात का निर्णय करती है कि परोपकार के कौन कौन से काम हाथ में लिए जायें, और किन किन रूपों में दान आदि दिया जाय। जो परोपकारिणी संस्थाएँ इस सोसाइटी से संबद्ध नहीं होतीं, उन्हें भी यह यथासाध्य अपने में सम्मिलित करने का उद्योग करता है। जब कभी कोई विशिष्ट प्रश्न सोसाइटी के सम्मुख उपस्थित होता है, तब वह उस पर विचार करने के लिये चुने हुए तांगों की सार्वजनिक कमेटियों नियुक्त करती है, जो उन विषयों पर विचार करके, अपनी सूचनाएँ सोसाइटी के सम्मुख उपस्थित करती हैं। वह अर्वा, गहरी और गूँगी आदि की शिक्षा तथा निर्वाह आदि की व्यवस्था करती है, गरीबों के रहने के लिये मकान आदि बनवाती और पहले के बने हुए मकानों में अनेक प्रकार के उपयोगी सुधार करती है, तथा सर्व-साधारण को समय-समय पर यह बतलाती रहती है कि वे इस सोसाइटी के कामों और दानों से किस प्रकार लाभ

उठा सकते हैं। बहुत-से गरीब ऐसे हुआ करते हैं, जो अनेक कारणों से इस सोसाइटी के खैरातगानों में नहीं जा सकते और दानशील बड़े आदमियों के पास पत्र आदि लिखकर अथवा और किसी प्रकार से प्रार्थनाएँ करके भिक्षा-स्वरूप उनसे धन या श्रेष्ठ किसी प्रकार की सहायता माँगा करते हैं। यह सोसाइटी ऐसे लोगों की भी मयर रक्खा करती है, और उनकी परिस्थिति आदि का विचार करके, उनकी उचित सहायता करती है। जो लोग निजी रूप से कुछ दान करना चाहते हैं, उनके दान की भी यह सोसाइटी यथोचित व्यवस्था करती है। यह सोसाइटी इस बात का सदा पूरा पूरा ध्यान रखती है कि दान केवल सत्पार्श्यों को ही मिले, और उससे आलसी या निकम्मे लोग लाभ न उठा सकें। जो दीन दुखी किसी प्रकार का काम करने के योग्य होते हैं, उनकी अच्छी और स्थायी जीविका लगा देने का भी यह सोसाइटी प्रयत्न करती है। नातरपय यह कि जो व्यक्ति जिस योग्य होता है, उसकी वैसे ही सहायता की जाती है। जो धन इस सस्था के द्वारा दान किया जाता है, उसका सदा बहुत ही अच्छा उपयोग होता है, और उसकी एक कौड़ी भी अयोग्य या कुपात्र के हाथ में नहीं जाने पाती। जिन लोगों का चालचलन सरास होता है, उन्हें इस सोसाइटी से कभी कोई सहायता नहीं दी जाती। बहुत-से लोगों को थोड़ी थोड़ी और अधूरी सहायता देने की अपेक्षा थोड़े लोगों को पूरी पूरी सहायता देने की ओर

इस सोसाइटी का विशेष ध्यान रहना है। एक ओर सोसाइटी निर्मनों की निर्मनता और कष्ट दूर करने का उपाय करनी है, और दूसरी ओर धनवानों को मितव्ययी तथा दानी बनानी है।

भारतवर्ष एक ऐसा देश है, जहाँ श्राप विन अकाल, गद और महामारी आदि का प्रकोप होता ही रहता है। इन सबके कारण जिले-जिले और कभी-कभी प्रायः के-प्रायः पीडित होने हैं। ऐसे देश में इस धान को बहुत उड़ी आवश्यकता है कि कोई ऐसी सार्वजनिक समस्या हो, जो कठिन अक्सर पटने पर लोगों की सहायता किया करे। यद्यपि इस समय देश में अनेक ऐसी समस्याएँ बन गई हैं, जो सर्व-साधारण से दान लेकर अकाल और गद आदि ने पीडित प्रजा की सहायता करता अथवा प्लेग या हैजा आदि फैलने पर लोगों को सहायता पहुँचाती है, तथापि हमें यह कहने में काई संकोच नहीं कि वे इतनी थोड़ी हैं कि दाल में तमन के बराबर भी नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि इस प्रकार की समस्याएँ स्थापित बंगके लोक-सेवा करने का राज अभा बहुत हाल में इस देश के लोगों में फैला है, दूसरे, अभी तक लोगों ने ऐसा समस्याओं का मुचहरत होकर दान देना नहीं सीखा है। और तीसरे, अभी हमारे यहाँ इस प्रकार के काम करनेवालों की संख्या भी बहुत थोड़ी है। इस देश के निवासी दान देना तो जानते हैं, पर ठीक तरह से दान देना नहीं जानते। वे प्रायः धार्मिक दृष्टि से ही दान देते हैं, युद्ध परोपकार दृष्टि से दान देना नहीं जानते। जिस समय माननीय

पंडित मदनमोहनजी मानसाय हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये चारों ओर घूम घूमकर चर्चा प्रकृत कर रहे थे, उस समय वह एक बार एक रानी के पास पहुँचे, जो अपनी दानशीलता के लिये बहुत कुछ प्रसिद्ध थीं। जब रानी साहया को पांडितजी के आने का उद्देश्य मालूम हुआ, तब उन्होंने अपने यहाँ के पंडितों से पूछा कि क्या हमारे यहाँ के शास्त्रों में इस प्रकार के दान की कोई व्यवस्था या माहात्म्य आदि मिलता है? स्वार्थी पंडितों ने सोना विचारकर साफ कह दिया कि इस प्रकार के दान की हमारे शास्त्रों में कोई व्यवस्था नहीं है। परिणाम यह हुआ कि मालतीयजी को यहाँ से कुछ भी न मिला। कहने का मतलब यह कि हमारे यहाँ के शास्त्रों का शास्त्रिक उद्देश्य और स्वरूप वितरित भूल गए हैं, और केवल पुरानी लकीर पीटने में ही लगे हुए हैं। शार्मिष्ठी महात्मा गमरुष्ण पामहस का स्थापित किया हुआ गमरुष्ण मिशन कितने स्थानों में और कितना अधिक उपयोगी काम कर रहा है, यह किसी को छिपा नहीं है। परन्तु फिर भी उसका उतनी सहायता मिलती है, जितनी इतने बड़े देश में इतनी अच्छी मन्था को मिलनी चाहिए? कदापि नहीं। हमारे यहाँ दान तो इतना अधिक होता है कि यदि सब एकत्र किया जाय, तो सैकड़ों-हजारों गमरुष्ण मिशन बहुत अच्छी तरह से चल सकते हैं, और इस समय जितना काम एक मिशन कर रहा है, उससे कहीं अधिक काम प्रत्येक मिशन कर सकता है। पर अवस्था यह है

इस मोसाइटी का विशेष ध्यान रहना है। एक ओर मोसाइटी निर्मनों की निर्धनता और कष्ट दूर करने का उपाय करनी है, और दूसरी ओर धनवानों को भित्तव्ययो तथा दानी जनाती है।

भारतवर्ष एक ऐसा देश है, जहाँ प्रायः दिन अकाल बाढ़ और महामारी आदि का प्रकोप होता ही रहता है। इन सबके कारण जिले-के-जिले और कभी-कभी प्रायः-के-प्रायः पीड़ित होते हैं। ऐसे देश में इस धान का बहुत बड़ी आवश्यकता है कि कोई ऐसी सार्वजनिक संस्था हो, जो कठित आहार पडने पर लोगों की सहायता किया करे। यद्यपि इस समय देश में अनेक ऐसी संस्थाएँ बनी हैं, जो सर्व-साधारण से धान लेकर अकाल और बाढ़ आदि से पीड़ित प्रजा की सहायता करता शयवा प्लेग या हैजा आदि फैलने पर लोगों को सहायता पहुँचाती है, तथापि हमें यह कहने में कोई संकोच नहीं कि वे इतनी थोड़ी हैं कि दाल में तमक के बराबर भी नहीं हैं। पहली बात तो यह है कि इन प्रकार की संस्थाएँ स्थापित करके लोफ-सेवा करने का राज अमा बहुत हाल में इस देश के लोगों में फैला है, दूसरे, अभी तक लोगों ने ऐसी संस्थाओं का मुचहस्त होकर दान देना नहीं सीखा है। और तीसरे, अभी हमारे यहाँ इस प्रकार के काम करनेवालों की संख्या भी बहुत थोड़ी है। इस देश के निवासी दान देना तो जानते हैं, पर ठीक तरह से दान देना नहीं जानते। वे प्रायः धार्मिक दृष्टि से ही दान देते हैं, शुद्ध परोपकार दृष्टि से दान देना नहीं जानते। जिस समय माननीय

पंडित मदनमोहनजी मानन्याय हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित करने के लिये चारों ओर धूम धूमकर चढ़ा एकत्र कर रहे थे, उस समय वह एक बार एक रानी के पास पहुँचे, जो अपनी दानशीलता के लिये बहुत कुछ प्रसिद्ध थीं। जब रानी साहजा को पांडितजी के आने का उद्देश्य मालूम हुआ, तो उन्होंने आपो यहाँ के पंडितों से पूछा कि क्या हमारे यहाँ के शास्त्रों में इस प्रकार के दान की कोई व्यवस्था या माहात्म्य आदि मिलता है? स्वार्थी पंडितों ने सोन रिचारकर साफ कह दिया कि इस प्रकार के दान की हमारे शास्त्रों में कोई व्यवस्था नहीं है। परिणाम यह हुआ कि मालनीयजी को वहाँ से कुछ भी न मिला। कहने का मतलब यह कि हमारे यहाँ के ताग दान का वास्तविक उद्देश्य और स्वरूप मितातुल भूल गये हैं, और केवल पुगती लकीर पीटने में ही लगे हुए हैं। स्वर्गीय महात्मा रामकृष्ण परमहंस का स्थापित किया हुआ रामकृष्ण मिशन कितने स्थानों में और कितना अधिक उपयोगी काम कर रहा है, यह किसी से छिपा नहीं है। परन्तु फिर भी उसे क्या उतनी सहायता मिलती है, जितनी इतने बड़े देश में इतनी अच्छी सस्था को मिलनी चाहिए? कदापि नहीं। हमारे यहाँ दान तो इतना अधिक होता है कि यदि सब एकत्र किया जाय, तो सैन्डों-हजारों रामकृष्ण मिशन बहुत अच्छी तरह से चल सकते हैं, और इस समय जितना काम एक मिशन कर रहा है, उससे कहीं अधिक काम प्रत्येक मिशन कर सकता है। पर अवस्था यह है

कि धन के अभाव के कारण यह एक ही मिशन ठीक ठीक और पूरा-पूरा काम नहीं करने पाता। यह हमारे देश के पुरुषों और स्त्रियों, दोनों के लिये कितनी अधिक लज्जा की बात है।

हमारे यहाँ के दान का बहुत बड़ा अंश हमारे यहाँ की स्त्रियों के ही हाथ में है। पर जब पुरुष ही दान का ठीक-ठीक स्वरूप और महत्व नहीं समझते, तो फिर स्त्रियों को इसके लिये दोषी ठहराना तो एक प्रकार से अन्याय ही है। हाँ, इस ओर उन लोगों का ध्यान आकृष्ट करना प्रत्येक समझदार का परम कर्तव्य है। हमारे यहाँ की व्यवस्था ही ऐसी है कि प्रत्येक गृहस्थ सदा कुछ-न-कुछ दान करता ही रहता है। पर वह दान प्रायः आपस बद करके किया जाता है, और उसके बहुत बड़े अंश का प्रायः दुरुपयोग ही होता है। इस दान का बहुत बड़ा अंश स्त्रियों के हाथ से भी निरुलता है। इसलिये हम चाहते हैं कि हमारे देश की स्त्रियाँ इस विषय में सतर्क हो जायँ, और इस ढंग से दान करें कि उसका अधिक-से अधिक सदुपयोग हो, उससे सचमुच दीनों और दुखियों का फट्टा दूर हो। दाता के कर्तव्य की इतिश्री दान देने मात्र से ही नहीं हो जाती। दान तो सभी लोग कर सकते और करते ही हैं, पर यदि विचार पूर्वक देया जाय, तो उसका अधिकांश पैसा ही होता है जिसे हम दान नहीं कह सकते। बाल्य में दान वह तभी कहलावेगा, जब उसके द्वारा किसी दीन दुखी या पांडित का कोई फट्टा दूर होगा, अथवा उसको किसी आवश्यकता की पूर्ति होगी। जिस समय हम

दान करें, उस समय हमें यह भी अच्छी तरह देख लेना चाहिए कि उसका ठीक-ठीक उपयोग होता है, या नहीं। बहुत-सी स्त्रियों लाख-दो लाख या दस लाख बत्तियाँ जलाया करती हैं, और समझती हैं कि हमने बड़ा भारी दान किया, और बहुत पुण्य लूटा। उन बत्तियों के तैयार करने में उन्हें महीनों का समय गलता है, सेरों रुई रच होती है, और उन्हें जलाने के समय सेरों घी लगता है। पर यदि विचार पूर्वक देखा जाय, तो इसमें समय, रुई, घी और परिश्रम, सभी का दुरुपयोग और नाश ही होता है। जितने समय में ये बत्तियाँ तैयार होती हैं, उतने समय में दूसरे बहुत से अच्छे और उपयोगी काम किए जा सकते हैं। जितनी रुई इन बत्तियों के तैयार करने में लगती है, उतनी रुई से और उतने ही समय में अच्छा सूत काता जा सकता है। और, जितने घा घी उन बत्तियों के जलाने में लगता होता है, उतने में उस सूत से एक अच्छा बख धुनवाया जा सकता है। बरसात के दिनों में इस प्रकार का परिश्रम और धन व्यय करके प्रत्येक स्त्री एक या दो अच्छी चादरें तैयार कर सकती है, और जाड़ा आने पर किसी दीन विधवा या अनाथ को देकर अपने परिश्रम और धन का बहुत अच्छा उपयोग कर सकती है। जितनी देर तक बैठकर शालग्राम पर या गंगा में चटाने के लिये तुलसी की लाख-दो लाख बत्तियाँ गिनी जाता हैं, उतनी देर में पास पड़ोस का वृद्धा और रोगी स्त्रियों की अच्छी सेवा-सुश्रूषा की जा सकती है। यदि हम कोई अच्छा

रकम नहीं दान कर सकते, ता काम-मे-रुम अपने शरीर से तो दूसरों को अनेक प्रकार के लाभ पहुँचा सकते हैं। लोगों को हम यह तो बतला सकते हैं कि अमुरु कार्य करने से तुम्हारा अमुक कष्ट दूर होगा, अमुक प्रसार रहने से तुम्हें यह सुख होगा। इत्यादि। और, हमारा यह कार्य हमारे दस पाँच रूपए दान करने की अपेक्षा कहीं अधिक उत्तम एवं उपयोगी होगा। जो स्त्रियाँ अपने घर में पाने पहनने में सुखी हों, वे अपने गाँव या मटले में घूमना दूरी गृहस्थों की अनेक प्रशंसा से सेवा और सहायता कर सकती हैं। जो स्त्रियाँ घर-गृहस्थी का ठीक ठीक प्रबंध करना न जानती हों, उन्हें वे गृहप्रबंध की शिक्षा दे सकती हैं जो स्वास्थ्य रक्षा के नियमों से अपरिचित हों, उन्हें स्वास्थ्य रक्षा के नियम बताना सकती हैं, और जो स्त्रियाँ अपव्यय करती हैं उन्हें मितव्ययी होने की शिक्षा दे सकती हैं। यदि वे किसी प्रकार प्राग्भित्त शिक्षा की कुछ मोटी मोटी बातें सीख लें, तो समय पर रोगियों की भी बहुत कुछ सेवा और उपकार कर सकती हैं।

बोचर जाती जानें ही तीजिए। शहरों में प्रायः स्त्रियाँ अपने घर की खिडकियों से ही बाहर गली या सड़क में कूड़ा फेंक देती हैं; और गाँवों में प्रायः अपने आँगन में ही अथवा ठाक दरवाजे पर ही कूड़े का ढेर लगा देती हैं। समझदार स्त्रियों का यह कर्तव्य है कि जाकर उन्हें यह बात समझावें कि इस प्रकार कूड़ा फेंकने से एक तो बदबू और उसके परिणाम-

स्वरूप अनेक प्रकार के रोग फैलते हैं । दूसरे उसका कारण यादर से चूहे आदि आकर घर में फैलते होते हैं, जो बहुत-सी चीजों का नुकसान करते हैं । जितनी उत्तमता का समझदार स्त्रियाँ यह काम कर सकती हैं, उतनी उत्तमता से और को कर ही नहीं सकता । इसी प्रकार बहुत सी स्त्रियाँ ऐसी होती हैं, जो अपना अधिकांश समय या तो धर्य की बकबक भावना में और या लडाइ भगडे में बिताया करती हैं । उन्हें लोक-सुख के कार्यों का महत्त्व बतलाना चाहिए, और जहाँ तक हो सके उनसे थोड़ा बहुत काम लेना चाहिए । जब एक बार उन्हें यह निश्चित हो जायगा कि परोपकार से कितना अधिक और कैसे अच्छा सुख मिलता है, तब वे आप-स आप उस काम में लग जायेंगी, और दूसरी अनेक स्त्रियों को भी लगा देंगी । यदि कोई समझदार और चतुर स्त्री नित्य घटे-दो घटे का समय लगाकर पास पड़ोस की स्त्रियों को बच्चों के कपड़े सीना या मोजे, गुल्लद आदि दुनना सिपलाया करे, तो उससे दूसरों का कितना अधिक उपकार और प्रचत हो । इस देश में शिशुओं की मृत्यु बहुत अधिक हुआ करती है, और अनेक अवस्थाओं में प्रायः माताओं की अज्ञानता के ही कारण । अतः कुछ उपयोगी बातें बतलाकर और उनकी यह अज्ञानता दूर करके समाज का जितना अधिक उपकार किया जा सकता है, उतना आर्षे बढ़ करके सेवकों-हजारों रुपय दान करने से भी नहीं हो सकता । दस पाँच निरम्भ, आलसी और पेट भरे लोगों को

भोजन कराने की अपेक्षा एक दो दीनों की जीविका की व्यवस्था कर देना अथवा रोगियों को नीरोग कर देना कहीं अधिक पुण्य का काम है।

इंग्लैंड में इसी प्रकार सैकड़ों-हजारों मादक-द्रव्य निवारिणी सभाएँ हैं, जिनका अधिकांश कार्य वहाँ की स्त्रियाँ ही करती हैं। वे प्रायः अनेक प्रकार के छोटे-छोटे विज्ञापन और पुस्तिकाएँ आदि प्रकाशित करके लोगों को मादक-द्रव्यों के अग्रगुण और दोष बतलाती हैं, और उनके सेवन का निषेध करती हैं। वे समाचारपत्रों में इस सबध के लेख लिखती हैं, और समाएँ करके उनमें व्याख्यान देती हैं। विशेषतः स्कूलों आदि में जाकर वे वहाँ छोटे-छोटे बच्चों को मद्य पान आदि के दोष बतलाती हैं, जिसके कारण वे बड़े होने पर इस प्रकार के दुर्व्यसनों से बचे रहते हैं। वे स्त्रियों को शराखानों में नोकरी करने से भी रोकती हैं। मादक-द्रव्यों का निषेध करनेवाली वहाँ की सबसे बड़ी संस्था का नाम बैंड ऑफ़ होप (Band of Hope) है, और उसका संस्थापन वहाँ की एक महिला ही ने किया था। इस समय उस संस्था की सैकड़ों शाखाएँ सारे इंग्लैंड में फैली हुई हैं। यद्यपि हमारे देश में इस प्रकार के कामों में स्त्रियों के लिये बहुत कम गुजाइश है, तथापि ये बातें हम यहाँ इसलिये कहते हैं, जिससे लोगों को यह बात मालूम हो जाय कि स्त्रियों के करने-योग्य परोपकार के कितने प्रकार के काम हो सकते हैं, और हैं।

आजकल ईंग्लैंड की स्त्रियों ने एक और प्रकार के काम की ओर विशेष ध्यान दिया है। वे गरीब मजदूरों और विशेषतः मजदूरनियों के रहने के मकानों में बहुत कुछ सुधार कर रही हैं। यह एक ऐसा काम है, जिसमें भारतवर्ष की स्त्रियाँ भी बहुत कुछ सहायता कर सकती हैं। वहाँ बहुत-सी ऐसी गरीब स्त्रियाँ होती हैं जिनके पास रहने के लिये कोई मकान नहीं होता, और जो केवल इसी कारण अनाचार में प्रवृत्त हो जाता है। इसलिये वहाँ की स्त्रियों ने एक बहुत बड़ी सस्था स्थापित की है, जो गरीब मजदूरनियों आदि के लिये अच्छे अच्छे मकान बनवा देती और उन्हें बहुत ही थोड़े किराए पर रहने के लिये देती है। उस सस्था में काम करनेवाली स्त्रियों ने यह ध्यान बहुत अच्छी तरह समझ ली है कि स्त्रियों को पापाचार में प्रवृत्त होने से पहले ही बचाने का पूरा पूरा उद्योग कर लेना बहुत अच्छा है, क्योंकि जब एक बार वे पाप कर्म में प्रवृत्त हो जानो हों, तब फिर उनका सुधार करना बहुत ही कठिन हो जाना है। अब वहाँ प्रायः सभी नगरों में बहुत-से ऐसे मकान बन गए हैं, जिनमें गरीब स्त्रियाँ अकेली और बहुत ही थोड़े किराए में रह सकती हैं। बहुत से मकान तो देने भी हैं, जिनका कोई किराया ही नहीं लिया जाता। और, कुछ मकानों में तो उन्हें भोजन तक मुक्त मिलता है। इसी प्रकार कुछ मकान देने भी हैं, जिनमें केवल अपाहिज स्त्रियाँ भरती की जाती हैं, और यथासाध्य उनकी चिकित्सा आदि की भी व्यवस्था की

जानी है। कुछ मकान ऐसे हैं, जिनमें केवल असाध्य रोगों से पीड़ित स्त्रियाँ जाती हैं। उनमें प्रायः मरणासन्न दृग्निद्र स्त्रियाँ जाकर रहती हैं। यहाँ मग्ने दम तक उनकी बहुत अच्छी चिकित्सा और सेवा-सुश्रूषा होती है। परिणाम इसका यह होता है कि बहुत-सी स्त्रियाँ मृत्यु मुख में जाने से बच जाती हैं। सुदर लैंड की डचेज की स्थापित की गई एक सस्था ऐसी है, जिसमें लँगडे, लूले और अपाहिज लोग भरती किए जाते हैं। और मजा यह कि उनसे भी उनकी शक्ति तथा योग्यता के अनुसार ऐसे-ऐसे काम लिए जाते हैं, जिन्हें वे बहुत सहज में और प्रसंगानुपूर्वक करते हैं। बहुत-से अपाहिज लोग, जो पहले कोई काम नहीं कर सकते थे, वहाँ रहकर कई प्रकार के शिल्प साध लेते हैं, और यहाँ से निम्नकर अपने घर चले जाते और अपना काम करने निर्राह करते हैं। ये अपाहिज अच्छी और सुदर चीजें तैयार करते हैं, जिन्हें देकर लोग दंग रह जाते हैं, और उनकी तथा उनके शिक्षकों की भूरि भूरि प्रशंसा करने हैं। उनके द्वारा लोगों को हाथ की धनी हुई बहुत बढ़िया-बढ़िया चीजें विपरीत से मिलती हैं। बहुत-से लोग उन चीजों से यह समझकर, बड़े जोर से तारीफते हैं कि इनमें कुछ परोपकार भा होता है। इसी प्रकार अपाहिज यहाँ कलिये अलग सस्थाएँ हैं, जिनमें रूग्णवारी यातकों का शिल्प निपुणता देकर चकित रह जाना पड़ता है, और उन सस्थाओं के सचालकों के प्रति कृतज्ञता से हृदय गद्गद हो जाता है।

इसी प्रकार की एक और सस्था है, जा उन छोटे छोटे शिशुओं को देखरेख करती है, जिनकी माताएँ राटी कमाने के लिये दूसरे स्थानों में चली जाती हैं। बहुत-सी स्त्रियाँ ऐसी होती हैं, जिनकी गोद में साल-द्वय महीन का बच्चा होता है। यदि वे उस बच्चे के कारण काम पर न जायँ, तो उनके भूखें मरने की नोरत आती है। इसलिये वहाँ कारखानों आदि के पास कुछ ऐसे मकान बने होते हैं, जिनमें ऐसी स्त्रियाँ काम पर जाने के समय गोद के बालक को छोड़ जाती हैं, और जब काम पर से लौटती हैं, तो उसे लेकर घर चली आती हैं। वहाँ उन बच्चों के खेलने, सोने और खाने पीने की ऐसी सुंदर व्यवस्था रहती है, जैसी अच्छे-अच्छे घरों में भी नहा होती। बहुत छोटे और दूध पीते बच्चों के लिये एक अलग विभाग होता है, और कुछ खाने बच्चों के लिये अलग। पर ऐसे स्थानों में केवल काम पर जानेवाली गराम मजदूरनियाँ आदि ही अपने बच्चे छोड़ सकती हैं। निकम्मी, आलसी और सुस्त स्त्रियाँ, बच्चों से जान छुड़ाने के लिये, उन्हें वहाँ जाकर नहा छोड़ सकती हैं। इनमें रहनेवाले बच्चों को ऐसी अच्छी शिक्षा मिलती है कि उनका जीवन बहुत अच्छा बन जाता है। इसके अतिरिक्त कुछ स्त्रियाँ कायहाँ दयागामीरी और बच्चे खेलाने का काम भी सिखलाया जाता है। तात्पर्य यह कि ऐसी सस्थाएँ एक नहीं, अनेक प्रकारसे देश और समाज की सेवा करती हैं। और, ये सब काम केवल स्त्रियों के ही धन, परिश्रम और मस्तिष्क से होते हैं।

की सख्या बहुत अधिक है। बहुत-से घर देने होते हैं, जिनमें कमानेवाला तो एक ही होता है, पर खानेवाली स्त्रियाँ तीन-तीन चार-चार हुआ करती हैं। यदि दुर्भाग्य-वश वह कमानेवाला मर गया, तो उस भले घरकी उन अनाथा स्त्रियों की जो दुर्दशा होती है, उसका सहज में वर्णन नहीं हो सकता। वे पंचारी तो कोई काम जानती हैं, जिससे किसी प्रकार अपना पनपा कर सकें, न किसी के यहाँ जाकर मिहनत मजदूरी कर सकें हैं, और न किसी के सामने भीख माँगने के लिये हाथ ही फैला सकती हैं। यदि वे कोई छोटा मोटा काम करती भी हैं, तो उससे उन्हें इतनी थोड़ी आय होता है कि किसी प्रकार निर्वाह नहीं हो सकता। यदि ऐसी स्त्रियों में एक-दो स्त्रियाँ वृद्धा हुईं जैसा कि प्रायः हुआ ही करता है, तो उनकी दुर्दशा और भी बढ़ जाती है। यदि हमारे पाठक और पाठिकाएँ ध्यान पूरक देखें, तो उन्हें अपने पास पड़ोस और मुहल्ले टोलों में ही ऐसे कई घर मिलेंगे, जिनमें कमानेवाला एक भी नहीं होगा, और जिनकी स्त्रियाँ अपनी प्रतिष्ठा के विचार से किसी से अपना भीषण कष्ट कह तक न सकेंगी। इनमें सदेह नहीं कि हमारे देश में कुछ सपन्न लोग ऐसे होते हैं, जो भले घर की अनाथ स्त्रियों को बहुत ही द्विपे तोर से थोड़ा बहुत आधिक सहायता दिया करते हैं पर ऐसे परोपकारियों और दानियों की संख्या बहुत ही थोड़ी है। और, इस प्रकार की सहायता करने के लिये कोई संगठित उद्योग तो नहीं देखने में ही नहा आता।

पर यह परोपकार का काम इनने अधिक महत्त्व का है कि इसके सामने परोपकार के और बहुत-से काम दृष्ट जाते हैं। अतः हम लोगों को ऐसे कामों की ओर विशेष रूप से ध्यान देना चाहिए। प्रत्येक त्रिगदरी के धनी-मानों लोगों को मिलकर अपनी अपनी त्रिरादरी के लिये एक ऐसी सन्धा स्थापित करनी चाहिए, जो प्रतिष्ठित कुटुम्ब की अनाथ स्त्रियों की उचित सहायता किया करे। त्रिरादरी की सन्धा हम इसलिये नहीं प्रतलाते कि एक त्रिरादरी के लोगों को दूसरी त्रिरादरी की स्त्रियों की सहायता नहीं करना चाहिए, बल्कि इसलिये कि एक तो अपनी त्रिगदरी की ऐसी स्त्रियों का लोगों को सहज में पना चल सकता है, और दूसरे ऐसी अनाथ स्त्रियों गर त्रिरादरीगलों से सहायता लेने के लिये जल्दी तैयार भी नहा होंगी। ऐसे कामों की व्यवस्था स्त्रिया के द्वारा बहुत अच्छी तरह हो सकती है। पुरुषों को इसमें केवल धन की सहायता करना चाहिए, और धाडा बहुत ऊपरी प्रयत्न कर देना चाहिए। शेष सब काम स्त्रियों पर ही छोड़ देना चाहिए। वे सत्पात्र अनाथ स्त्रियों को भली भाँति जानती भी होंगी, उन्हें ढूँढ भी सकेंगी, और उनसे मिलकर उनके कष्ट भी बहुत अच्छी तरह जान सकेंगी। स्त्रियों के सामने ही स्त्रियाँ अपने हृदय की व्यथा अच्छी तरह कह सकती ह, और स्त्रियाँ ही अच्छी तरह उस व्यथा को समझ भी सकती ह। पुरुषों के सामने तो जल्दी आना भी वे पसन्द न करेंगी।

पाश्चात्य देशों में भी, जहाँ परदे की प्रथा नहीं है, इस प्रकार के काम बहुधा स्त्रियाँ ही करती हैं। वहाँ स्त्रियाँ गारा स्थापित तथा संचालित अनेक ऐसी सस्थाएँ हैं, जो दीन और अनाथ स्त्रियों के निर्वाह का अनेक प्रकार से उपाय करती हैं। उनमें जो बहुत ही वृद्धा होती हैं, और कोई काम नहीं कर सकतीं, उन्हें एक स्थान पर रख दिया जाता है, और उनके भोजन-वस्त्र आदि की उपयुक्त व्यवस्था कर दी जाती है। जो स्त्रियाँ उन सार्वजनिक आश्रमों में जाकर रहना नहीं पसन्द करतीं, उनके व्यय के लिये कुछ धन, निश्चित समय पर, उनके घर भेज दिया जाता है। और, जो स्त्रियाँ सशक्त तथा काम करने में समर्थ होती हैं, उन्हें ऐसे शिल्पों में लगा दिया जाता है, जिनसे उनका निर्वाह बहुत अच्छी तरह होता रहना है। ऐसी स्त्रियों के लिये जो आश्रम खोले जाते हैं, उनमें भोजन, वस्त्र और रहने आदि की व्यवस्था इसलिये बहुत अच्छी होती है कि उनमें भले, पर विगड़े हुए, घरों की स्त्रियाँ ही आकर रहती हैं, क्योंकि जो स्त्रियाँ अपने जीवन का कुछ अथवा बहुत बड़ा अंश बहुत अच्छी तरह और सुप्त-पूर्वक बिता चुकी होती हैं, उनके लिये कष्टपूर्ण जीवन-निर्वाह करना बहुत ही कठिन हुआ करता है। ये सस्थाएँ अपने आश्रमों का जो कुछ प्रयत्न करती हैं, वह इन सब बातों का अच्छी तरह विचार करके ही, क्योंकि यदि इन सब बातों का विचार न किया जाय, तो सस्था किसी प्रकार चल ही नहीं सकती। हमारे देश में आश्रमवाली व्यवस्था में तो कम सफ-

लता की सभापना है। हाँ, यदि भले घर को स्त्रियों को घर-बेठे ही अच्छा और उपयुक्त काम अथवा सहायना पहुँचाई जा सके, तो अग्रथ्य हा उसमें अच्छी सफलता हो सकती है, और वास्तविक अर्थ में बहुत अच्छा उपकार भी हो सकता है।

अर्थों के लिये भी इंग्लैंड की स्त्रियाँ बहुत अधिक और बहुत अच्छा काम करती हैं। वहाँ एक ऐसी समस्या है, जो अर्थों को पैशन देती है, अर्थों को शिक्षा के लिये स्कूल आदि स्थापित करनेवालों को बड़ी रकम सहायता रूप में देती है, उन्हें अनेक प्रकार के शिल्पों का शिक्षा देती और उनके तैयार किए हुए माल को खरीदकर बेचती हैं। कुछ कार्य, पेशे और बीमारियाँ आदि ऐसी होती हैं, जिनमें लोगों के जल्दी अंधे होने की सभापना रहती है। यह समस्या ऐसा साहित्य भी प्रकाशित करती है, जो लोगों को ऐसे कामों और बीमारियों आदि से सचेत कर देता है, और इस प्रकार उनके अंधे होने की सभापना भी कम कर देता है। उमरे हुए अक्षरों की सहायता से अर्थों को पढ़ना भी सिखलाया जाता है, और ऐसे पुस्तकालय स्थापित किए जाने हैं, जिनमें केवल अर्थों के पढ़ने-योग्य पुस्तकें संगृहीत होती हैं। इन पुस्तकालयों से दूसरे भी लाभ उठाते हैं। अर्थों की सभापणें भी की जाती हैं, और उनके मनोरंजन की भी व्यवस्था की जाती है। कुछ स्त्रियाँ ऐसी होती हैं, जो अंधी स्त्रियों के घर जाकर उन्हें मोजे, गुल्लूवद आदि बुनना सिखलाती हैं, और उनकी तैयार की हुई चीजों की बिक्री का प्रबंध कर

और अग्रसर पडने पर अपनी आय भी बढा सकेंगे । लेकिन यदि हमारे पास कुछ भा धन न रहे, और हम सदा दरिद्र बने रहें, तो हमें लाचार होकर योग्यता और आवश्यकता से कम वेतन पर भी काम करना पडेगा । यों अगर हम रुपय रोज की मजदूरी करते हों, तो गरीबी और लाचारी की हालत में हमें आठ-दस या बारह आने रोज पर भी काम करने के लिये विवश होना पडेगा । अत आर्थिक दृष्टि से हमारा मित-ययी होना बहुत ही आवश्यक और साथ ही हमारे लिये परम लाभदायक है ।

सन् १९०० में यहाँ एक फैक्टरी लेबर कमीशन (Factory Labour Commission) बैठा था, जिसने यहाँ के कल कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों की अवस्था पर बहुत अच्छी तरह विचार करके, उनकी उन्नतिके कुछ उपाय बतलाए थे । उस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में एक स्थान पर लिखा था—“भारतीय मजदूरों के लिये सबसे बड़ी आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें व्यवस्था-पूर्वक और ठीक ढंग से रहन की शिक्षा दी जाय । उन्हें ऐसी शिक्षा दी

जानी चाहिए, जिससे वे अच्छी तरह यह समझ लें कि कफायत से रहने में क्या-क्या लाभ होते हैं ।

भारतवर्ष में और तरह की मजदूरी करनेवालों की अपेक्षा कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों को आयु भी अधिक होती है, और जीवन भी अधिक सुख-पूर्ण होता है । उन्हें और सब प्रकार के मज

दूरों की अपेक्षा कहीं ज्यादा मजदूरी मिलती है। पर कुछ तो शराब पीने और कुछ तनग्याह मिलने के दिन और तरह की फिजूल-खर्ची करने के कारण वे अपने आपको थका कर देते हैं। यदि ये दोनों घातें न हों, तो भारतवर्ष के मजदूर औसत दरजे के दूसरे आदिमियों की अपेक्षा अधिक संपन्न, अधिक स्वस्थ और अधिक प्रसन्न रहें।”

जो लोग गाँवों में खेती-बारी करते हैं, प्रायः उन्हीं में से कुछ लोग निकलकर बल कारखानों में मजदूरी करने चले जाते हैं। इन खेती-बारी करनेवालों की दशा पर अंगरेज तथा भारतीय, दोनों श्रेणी के विचारशीलों ने बहुत कुछ विचार किया है। स्व० श्रीयुक्त रमेशचन्द्र दत्त ने, सन् १८७३ में, अपने व्यक्तिगत अनुभव से, अपनी ‘पीजेंट्स ऑफ़ बंगाल’ (Peasantry of Bengal) नामक पुस्तक में एक स्थान पर लिखा था—

“यह बात एक प्रकार से निश्चित रूप से कहा जा सकती है कि बंगाल के कृषक कभी कुछ धन बचाने के उद्देश्य से किसी प्रकार के सुख का त्याग नहीं करते, और इन्हींलिये जो कुछ वे पाते हैं, तुरत पा पका डालते हैं। वे लोग सदा दरिद्र बने रहते हैं, उनके पास कुछ भी नहीं रहता।

यदि ऐसी दशा में वे सदा निर्यल और अकर्मण्य बन रहें, तो इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं।”

श्रीयुक्त रमेशचन्द्र दत्त के इस कथन का फैक्टरी-कमीशन की

रिपोर्ट के उस अर्थ से भी समर्थन होता है, जिसे हमने ऊपर उद्धृत किया है। इससे यह भी सिद्ध होता है कि अभी तक भारतवासियों ने मितव्ययी बनना नहीं सीखा है। इसलिये इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि लोगों को मितव्ययी होने और कम खर्च में अपना निर्वाह करने की शिक्षा दी जाय। और, इस काम के लिये स्त्रियाँ ही अधिक उपयुक्त हो सकती हैं कि वे घर-पर जाकर वहाँ की स्त्रियों को मितव्ययी होने के लाभ बतावें, और जिन जिन कामों में साधारणतः स्त्रियाँ धन का बहुत अधिक अपव्यय या दुरुपयोग करती हैं, उन उन कामों में किफायत करने के ढंग बतलावें। अथ तब लोगों को मितव्ययी बनाने के जितने उपाय किए गए हैं, उन सब उपायों में कदाचित् यही उपाय सबसे अच्छा और लाभदायक सिद्ध हो सकता है।

यह बात ठीक है कि अधिकांश भारतवासी बहुत दरिद्र हैं, और बड़ी कठिनाई से अपना निर्वाह करते हैं। यदि इतने पर भी वे अपने बान्धवों के खाने पीने में किफायत करें, तो उनका स्वास्थ्य बिगड़ जायगा, और वे तथा बड़े होने पर उनके बाल-बच्चे कमाने-खाने-योग्य भी न रह जायेंगे। हम यह बात मानते हैं, पर साथ ही हम यह भी कहना चाहते हैं कि बहुत-से लोग अवश्य ऐसे होते हैं, जो अच्छी तरह खा पहनकर भी कुछ-कुछ बचा ही सकते हैं, लेकिन वे फिर भी अनेक प्रकार का अपव्यय करते हैं, और जो कुछ वे सँहज में बचा सकते हैं,

उसे यों ही नष्ट कर देते हैं, और फडिन समय के लिये कुछ भी नहीं बचा रखते। जिन लोगों को पेट भर खाने को भी न मिलता हो, उनको मितव्यय का उपदेश देना तो मानों उन्हें चिढ़ाना ही है। पर हाँ, जो लोग सहज में कुछ बचा सकते हैं पर, फिर भी, अल्पव्यय के कारण नष्ट बचाते, उन्हें मितव्ययी होने की शिक्षा देना बहुत ही आवश्यक और उपयोगी है। धनदान और दरिद्र तो सभी देशों में होते हैं, यद्यपि जो देश अधिक संपन्न और धनवान हैं, उनमें दरिद्रता भी उतनी ही अधिक होती है। इसलिये पश्चात्य देशों में भी गरीबों का मितव्ययी बनाने के अनेक उपाय किए जाते हैं, और उन उपायों से बहुत कुछ लाभ भा होना है। उन उपायों में से कुछ का यहाँ वर्णन करना अनुपयुक्त न होगा।

इंग्लैंड में एक प्रकार के बैंक स्थापित हैं, जो पेनी-बैंक कहलाते हैं। इन बैंकों में बहुत ही गरीब लोगों का खाने और पैसे तक जमा किए जाते हैं। खाने पैसे जमा करने के लिये जट्टी कोई बैंक नहीं जाता। चेचारा गरीब यही साचता है कि ये पैसे घर में पड़े रहेंगे, तो कुछ काम ही आएंगे। पर जरूरी काम खाने से पहले ही बिना जरूरी कामों में वे खर्च हो जाते हैं, और जरूरत के वक्त उन लोगों के पास कुछ भी नष्ट बच रहा। यही सोचकर इन बैंकों के अधिकारियों ने एक ऐसा उपाय निकाला है, जिससे गरीबों को अपनी कमाई में से कुछ बचाने का अच्छा अवसर मिले। उन बैंकों की ओर सब कुछ

ऐसे लोग नियुक्त हाते हैं, जो घर घर जाकर लोगों से कहते हैं कि अगर तुम्हारे पास कुछ पैसे बचे हों, और तुम अपने हिसाब में जमा करना चाहते हो, तो लाओ, हमें दे दो। लोग गद् तो दो-चार पैसे जमा करने के लिये दौड़कर बरु तक जाना पसन्द नहीं करते, पर जब बक के फर्मचारी मन्त्र्य लेने के लिये आते हैं, तब वे सहर्ष उन्हें कुछ-न-कुछ जमा करने के लिये दे देते हैं, यहाँ तक कि गर्च के लिये, आवश्यकता होने पर भी, वे उसमें से कुछ-न-कुछ निभालकर उन्हें दे ही देते हैं, और आप जैसे-तैसे अपना काम चलाते हैं। गरीबों के पास जाकर उनसे बक में जमा करने के लिये पैसे मँगाने का काम बहुत-सी भले घर की स्त्रियाँ भी बिना कुछ पुरस्कार लिए, केवल परोपकार की दृष्टि से और लोगों को मितव्ययी बनाने के उद्देश्य से, स्वेच्छापूर्वक किया करती हैं।

यदि कोई भले घर की विश्वसनीय और सभावित स्त्री चाहे, तो वह बहुत ही सहज में यह काम अपने पास पडोस में खोलकर गरीबों का बहुत कुछ उपकार कर सकता है। उसे उचित है कि पहले तो वह घर घर जाकर गरीब स्त्रियों को मितव्ययी के लाभ समझाने, और तब उन्हें यह बतलावे कि तुम्हारे भले के लिये कुछ धन एकत्र करने की यह व्यवस्था की जा रही है। इसके बाद वह प्रतिसप्ताह एक दिन निश्चित कर दे, और उस दिन जाकर उनके यहाँ से पैसे आने, जो कुछ मिले, सब ले आवे, और उनके खाते में जमा कर ले। इसके

लिये सबसे अधिक उपयुक्त दिन घटी हो सकता है, जिस दिन घर के मालिक को तनव्वाह या मजदूरी आदि मिलती हो। इसके सिवा घर घर जाकर धन एकत्र करने का काम बिलकुल निश्चित और नियमित रूप से होना चाहिए। साथ ही जिन लोगों का धन जमा किया जाय, उन्हें इस बात का पूरा-पूरा विश्वास भी दिला दिया जाना चाहिए कि तुम जब चाहोगे, आवश्यकतानुसार इसमें से अपनी रकम ले भी सकोगे।

इंग्लैंड में इस सचय की एक संस्था है, जिसका नाम चैरिटी-आर्गेनिजेशन-सोसाइटी (Charity Organization Society) है। जो लोग अपनी बचत का थोड़ा बहुत अंश जमा करना चाहते हैं, उन्हें एक कार्ड दे दिया जाता है, जिसमें कुछ खाने बने होते हैं। जब धन संग्रह करनेवाला उसके मकान पर जाता है, तब जो कुछ उसे मिलता है, वह उस कार्ड पर लिख देता है, और उसी समय उसे अपनी बच की किताब पर भी चढ़ा लेता है। सप्ताह भर में जितना धन एकत्र होता है, वह सब इस संस्था के द्वारा डाइर्याने के सेविंग बक में जमा कर दिया जाता है। डाइर्याने के सेविंग बक से ढाई रुपय सफ़डे सालाना सूद मिलता है। उसी सूद से इस संस्था का व्यय चलता है। जिन लोगों के पैसे जमा किए जाते हैं, उन्हें अगश्य ही कोई सूद नहीं दिया जाता। उनका लाभ केवल यही होता है कि उन्हें मितव्ययी होने की शिक्षा मिलती है,

और अनायास ही उनकी थोड़ी बहुत रकम जमा हो जाती है, जो विपत्ति के समय उनके काम आती है।

इस सस्था ने एक और प्रकार की व्यवस्था की है, जा कई बातों में इससे भी बढ़कर उपयोगी है। उसने डाकघाने से लिखा पढ़ी करके एक व्यवस्था कर रखी है। उस व्यवस्था के अनुसार डाकघाने से उसे कुछ फार्म मिल जाते हैं, जिसमें बारह न्वाने बने होते हैं। यही फार्म उन लोगों में बाँट दिए जाते हैं, जो धन जमा करना चाहते हैं। प्रतिसप्ताह सभ्या का कर्मचारी लोगों के पास जाता है, और वे उससे एक या दो टिकट खरीदकर उस फार्म पर चिपका लेते हैं। जब उस फार्म पर बारह टिकट लग जाते हैं, तब वह उनसे लेकर डाकघाना में भेज दिया जाता है, और डाकघाना उन बारह टिकटों का मूल्य अपने सेविंग बक में, उन आदमी के नाम से, जमा कर लेता है। इसके उपरान्त उसे दूसरा फार्म मिल जाता है, जिस पर वह फिर उसी तरह टिकट खरीद करीद कर भेजता जाता है, और इस प्रकार थोड़े ही दिनों में अच्छी रकम जमा कर लेता है। इस व्यवस्था में सुनीता यह है कि लिखने पढ़ने या रकम भरने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती, क्योंकि स्वयं स्टाम्प या टिकट ही जमा की जानेवाली रकम के रूप में लगे रहते हैं। इसमें रकम जमा करनेवालों को भी किसी तरह का सदेह करने की जगह नहीं रह जाती। इस प्रकार की व्यवस्थाओं का दरिद्रों की आर्थिक अवस्था पर बहुत ही शुभ परिणाम होता

है। एक की देखादेखी दूसरा भी जमा करने लग जाता है। जहाँ एक गाँव में किसी एक आदमी ने इस ढंग से धन जमा करना आरम्भ किया, यहाँ चट और लोग भी उसका अनुकरण करने लग जाते हैं, और इस प्रकार धीरे धीरे सब लोगों की आर्थिक अवस्था बहुत कुछ सुधर जाती है। इससे उन लोगों के मन में एक प्रकार का बहुत बड़ा सताप इस बात का बना रहता है कि हमारा इतना रुपया डाकखाने में जमा है, और जब हमें आवश्यकता होगी, हम उसे निकाल सकेंगे। इससे उन गरीबों का एक और लाभ यह भी हाता है कि जब उन्हें अधिक धन की आवश्यकता होती है, और वे किसी महाजन के पास कर्ज लेने के लिये जाते हैं, तब वह प्रायः ऐसे ही लोगों को जल्दी और सहज में ऋण दे देता है जिनका डाकखाने में रुपया जमा होता है, और जिन्हें अपनी कमाई में से कुछ बचाकर जमा करने की आदत पडी हुई होती है क्योंकि उसे इस बात का विश्वास होता है कि ऐसे व्यक्ति को जो कर्ज दिया जायगा, वह सहज में और जल्दी प्रसूल हो जायगा।

इसी प्रकार इंग्लैंड के बड़े बड़े नगरों में कुछ ऐसा एक भी है, जिनमें करल खियों ही रुपया जमा कर सपती है। ऐसे बकों का सारा प्रबंध भी केवल खियों के ही द्वारा हाता है। यों तो जितना रुपया आता है, वह सब खर्च हो जाता है, और जल्दी किसी को याद भी नहीं रहता कि कितनी आय हुई, और कितना व्यय। पर जब एक में रुपया जमा हो जाता है, तब एक तो वह उतने

सहज में चर्च नहीं किया जा सकता, और दूसरे यदि खर्च भी हो, तो उसका एक हिसाब अपने पास बना रहता है, जिसे देखकर सहज में यह बात जानी जा सकती है कि इस महीने अथवा वर्ष में कितनी आय हुई, और कितना व्यय। इस बात का ज्ञान भी लोगों को अपव्ययी होने से बहुत कुछ रोकता है। अतः इस व्यवस्था से उन स्त्रियों का बहुत अधिक लाभ होता है, जिनकी आय अपेक्षा-रहित कुछ अधिक होती है। इसके सिवा एक और व्यवस्था होती है, जिसके अनुसार लोगों के घर में चाँद या लोहे के छोटे-छोटे सटूक रख दिए जाते हैं। घरवालों को जब जिनना सुग्रीता होता है, तब उसमें उनकी रकम छोड़ देते हैं। आठवें दिन तक का आदमी आकर उनके सामने ही वह सटूक खोलता है, और उसमें जितना धन होता है, वह सब अपनी कितान पर जमा करके ले जाता है। इस प्रकार की व्यवस्थाओं से विशेषतः स्त्रियों का बहुत अधिक उपकार होता है।

ऐसे बकों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इनका सब कार-बार केवल स्त्रियों के ही द्वारा होता है, और सब काम भी स्त्रियों का ही होता है। जो स्त्रियाँ किसी तरह का रोजगार करती हैं, उनका सब वही खाता भी एक प्रकार से ये बक ही रखते हैं, और प्रति-वर्ष अथवा छठे महीने उनके नफे-नुकसान का चिट्ठा भी बना देते हैं। यदि कुछ रोजगार करनेवाली कतिपय स्त्रियाँ अपना कार-बार मिलाकर एक करना चाहें, तो यही बक उनके कार-बार को लिमिटेड कंपनी का भी रूप दे देते हैं।

आवश्यकता पडने पर उन्हें इन्हीं बकों से, आर्थिक विषयों में, कानूनी सलाह भी मिल जाती है। यदि स्त्रियाँ चाहें, तो यही बक उनकी संपत्ति आदि की, उनका इच्छा अथवा उनके दानपत्र आदि के अनुसार, पूरी पूरी व्यवस्था भी कर देते हैं। यदि वे कोई जमीन खरादना या ममान बनाना चाहें, तो उसकी व्यवस्था भी बक के अधिकारी कर देते हैं, अथवा आवश्यकता-नुसार उन्हें उचित परामर्श देते हैं। तात्पर्य यह कि ऐसे बकों से स्त्रियों के सैकड़ों प्रकार के लाभ होते हैं।

अभी थोड़े दिनों में जर्मनी में एक ऐसा बक खुला है, जिसकी सारी व्यवस्था स्त्रियों के ही हाथों में है, और जिसमें केवल स्त्रियाँ ही रकम जमा कर सकती हैं। जो स्त्रियाँ थोड़ा थोड़ा जमा करके किसी रोजगार के लिये कुछ पूँजी इकट्ठा करना चाहती हैं, वे इसकी सदस्य हो जाती हैं, क्योंकि यह बक सह-योग सिद्धांत पर चलता है। सदस्य होने के लिये उन्हें कुछ प्रवेश शुल्क देना पड़ता और कम-से-कम एक हिस्सा खरादना पड़ता है। फिर वे धीरे-धीरे और हिस्से खरीदती रहती हैं, जिसस थोड़े समय में उनके पास एक अच्छी पूँजी जमा हो जाती है, और फिर उसी की जमानत पर वे बक से कुछ रकम लेकर अपना रोजगार कर सकती हैं। बक सदस्यों को ऋण देने के समय कई बातों का ध्यान रखता है, जिसके कारण स्त्रियाँ प्रायः अपने जमा किए हुए धन का दुरुपयोग नहीं करने पातीं।

इसी प्रकार बालक-बालिकाओं और युवक-युवतियों को

मितव्यय की शिक्षा देने के लिये इंग्लैंड में स्कूलों तक में बन्
स्थापित हुए हैं। बालकों अथवा बालिकाओं को हाथ-खर्च के
लिये जा रकम मिलती है, उसमें से कुछ तो वे खर्च करते और
कुछ अपने स्कूल के बक में जमा कर देते हैं, जो बाद में आवश्यकता
पडने पर उनके काम आती है। इससे दूसरा बड़ा लाभ यह
होता है कि उन्हें सहज में मितव्ययी होने और धन एकत्र करने
की शिक्षा आरम्भ से ही मिलने लगती है। यहाँ कुछ ऐसी सभाएँ
और सस्थाएँ और भी हैं, जो अपने सदस्यों और अपने यहाँ
रुपया जमा करनेवालों को उनकी बीमारी या बेकारी आदि क
समय अच्छी सहायता करती हैं। अथवा, यदि कोई सदस्य
मर जाता है, और उसके पास कुछ धन नहीं निकलता, तो वह
सस्या उसकी अत्येष्टि क्रिया आदि का भी प्रवध कर देती है।
यदि कोई सदस्य बेवार हो जाता है, तो वह उसे किसी काम
पर लगा देता है, और यदि उसे कम वेतन मिलता है, तो अनेक
प्रकार के उद्योग करके उसका वेतन भी बढ़वा देती है। इनमें
से कुछ सस्थाएँ ऐसी होती हैं, जिनके सदस्यों को कुछ साप्ता-
हिक या मासिक चढ़ा देना होता है। ऐसी सस्थाओं के सदस्यों
को सब बातों में कानूनी सलाह मुफ्त मिला करती है। जब
कहीं इनके सदस्यों के साथ किसी प्रकार का अन्याय होता है,
तब ये सस्थाएँ उसका प्रतिकार कराने के लिये पूरा-पूरा उद्योग
करती हैं। कुछ सस्थाएँ ऐसी भी हैं, जिनके यहाँ का यह
नियम है कि यदि कोई स्त्री-सदस्य विवाह करना चाहे, तो

जिनकी रकम उसने चढ़े के रूप में दी हो, उसका आधा वह उसे विवाह के दशय तथा घर-गृहस्थों की व्यवस्था के लिये लौटा भी देनी है। कुछ पैसे समार्षेँ होते हैं, जिनमें चढ़े की रकम सदस्यों की बीमारी में लगाई जाती है, और नाल भर में हिसाब करने पर जो रकम बचत में निकलती है, वह नव सदस्यों में बाँट दी जाती है। नए वर्ष से माताँ फिर नई सस्था चलती है। कुछ समार्षेँ पैसे होती हैं, जो फेंगल अपने सदस्यों की बीमारी आदि में हीनहीं खर्च करतीं, यदि उनका पनि या सतान रागी हो अथवा मर जाय, तो उसके लिये भी कुछ खर्च देती हैं। साथ ही वे फूड तरह के योगे भी करती हैं, जिनसे उनके सदस्यों को सदा सब प्रकार से कुछ न-कुछ लाभ हा होता रहना है। कुछ पैसे सस्थापेँ भी होती हैं, जो अपने धर्मचारियों को अपने सदस्यों के घर भेजकर उनसे चढ़ा भी मँगवा लेती हैं, और यदि वे कुछ रकम जमा करना चाहें, तो वह रकम भी मँगवा लेती हैं। इस प्रकार उनके सदस्यों के सब काम प्रायः घर-बैठे ही हो जाने हैं। उन्हें फेंगल निश्चित समय पर कुछ निश्चित धन भर दे देना पडता है। पैसे सस्थाओं से प्रायः वे ही खियाँ लाभ उठाती हैं, जो शहरों से दूर देहातों आदि में रहती हैं, और जिनके लिये यों साधारणतः वक में रुपया जमा करना अथवा अपनी जान आदि का बीमा कराना कठिन होता है। इन सब सस्थाओं की सबसे बड़ी विशेषता यह होती है कि इनका संचालन और सारा कार-बार

किसी प्रकार के लाभ के विचार से नहीं होता। सब काम केवल परोपकार के विचार से और दूसरों को कष्ट के समय आर्थिक चिंताओं से मुक्त करने के लिये होता है।

इस प्रकार के परोपकार के कामों में लोगों को वहाँ की सरकार से भी यथेष्ट सहायता मिलती है। सन् १९०६ में इंग्लैंड में एक कानून पास हुआ था, जिमसे वहाँ के नियासियों का बहुत अधिक लाभ हुआ है। उस कानून के अनुसार लोग जमीन खरीदने और उस पर मकान बनवाने के लिये सहयोग-समितियाँ स्थापित करके धन एकत्र कर सकते हैं, और उस धन से जमीन खरीदकर उस पर मकान बनवा सकते हैं। आवश्यकता पड़ने पर उन्हें म्यूनिसिपैलिटी आदि से ऋण के रूप में आर्थिक सहायता भी मिला करती है, और यदि ऐसी सहयोग-समितियाँ दूसरों से ऋण लेती हैं, तो म्यूनिसिपैलिटियाँ आदि उनकी जमानत भी कर देती हैं। इससे यह लाभ होता है कि थोड़े-से गरीब लोग मिलकर, थोड़ी-थोड़ी रकम जमा करके, जमीन खरीद लेते हैं, और तब कुछ ऋण आदि लेकर उस ज़मीन पर अपने रहने के लिये मकान बनवा लेते हैं। फिर धीरे-धीरे मकान बनवाने के लिये ऋण-स्वरूप लिया हुआ धन चुका देते हैं। हमारे देश में गरीबों के पास रहने के लिये बिलकुल मकान नहीं होते, अथवा जो हाते भी हैं, वे बहुत ही छोटे, अंधेरे और दूटे फूटे। यदि हमारे यहाँ इस प्रकार सहयोग-समितियाँ स्थापित करके गरीबों के लिये

इसी प्रकार मकान बनाने के लिये कोई व्यवस्था की जा सके, तो उससे गरीबों का बहुत बड़ा उपकार हो सकता है। इसमें उनकी आर्थिक अयस्था भी बहुत सहज में सुधर सकती है, और वे अनेक प्रकार के रोगों आदि से भी अनायास ही बच सकते हैं।

इसी प्रकार की एक और व्यवस्था है, जिसके अनुसार कुछ अस्पताल खोल दिए जाते हैं। जो लोग उन अस्पतालों के व्यय के लिये कुछ साप्ताहिक सहायता देते हैं, उनकी और उनके परिवार के लोगों की, आवश्यकता पडने पर, सब प्रकार की चिकित्सा बिना कुछ लिए और मुक्त की जाती है। डॉक्टर जाकर उनके घर पर उन्हें देख आता और दवा भी दे आता है। जो लोग बहुत गरीब होते हैं, और बीमार पडने पर डॉक्टरों की बड़ी बड़ी फीस और दवाओं के भारी भारी दाम नहीं दे सकते, वे अपनी अल्प आय में से बहुत ही थोड़ी रकम प्रतिसप्ताह किसी ऐसे अस्पताल को देते रहते हैं। उस अयस्थामें उन्हें इम बात की चिंता नहीं रह जाती कि जब हम बीमार पडेंगे, तब हमारी चिकित्सा आदि कैसे होगी।

इंग्लंड तथा दूसरे पाश्चात्य देशों में ये सब व्यवस्थाएँ तथा इसी प्रकार की और अनेक व्यवस्थाएँ लोगोंको मिनज्ययी बनाने और उन्हें दरिद्रता से बचाने के लिये की जाती हैं। अब हम इसी प्रकार की एक और व्यवस्था का थोड़ा सा वर्णन करके यह प्रकरण समाप्त करेंगे। पाश्चात्य देशों में जान का बीमा

कराने का बहुत अधिक रिजार्ज है। साधारणतः प्रायः श्रावण प्रजा किसी-न किसी प्रकार का बीमा करा ही लेती है। याम कराने से क्या-यम लाभ होते हैं, यह बतलाने की आवश्यकता नहीं। संक्षेप में हम केवल यही कह देना चाहते हैं कि गरीब और मध्यम श्रेणी के लोगों को जान का बीमा करा लेने पर इस बात की चिंता नहीं रह जाती कि वृद्धावस्था में हमारा निर्वाह किस प्रकार होगा, अथवा हमारे न रहने पर हमारे बाल बच्चों का कैसे काम चलेगा। परन्तु बीमे में बराबर कुछ निश्चित समय तक कुछ निश्चित रकम देनी पड़ती है। और सब लोग इस प्रकार रुपया नहीं दे सकते, इसलिये बहुत-से लोगों को अपनी अंतिम अवस्था में अनेक प्रकारके कष्ट भोगने पड़ते हैं अथवा वे बहुत अर्थों में समाज के लिये भार स्विकार रहकर निर्वाह करने हैं। मर्ज-साधारण और विशेषतः सगर्वा को उनके निर्वाह की व्यवस्था करनी पड़ती है। इसीलिये पाश्चात्य देशों में ऐसी व्यवस्था हो रही है कि जिन लोगों की अवस्था सत्तर या पचहत्तर वर्ष से अधिक की हो जाय, और जिनकी आमदनी कुछ निश्चित रकम से कम हुआ करे, उन्हें सरकार की ओर से मासिक या साप्ताहिक इतनी सहायता मिला करे। इसके लिये अलग कोष बनाए जाते हैं, और उस कोष में कुछ तो साधारण कोटि के लोगों को देना पड़ता है और कुछ सरकार अपने पास से देती है। इस प्रकार मानों देश में दरिद्रता का बहुत कुछ अंत हो जाता है। कुछ लोग इस

व्यवस्था का इस आधार पर विरोध करते हैं कि इससे लोग निश्चित हो जाते हैं, और स्वतंत्रता पूर्वक मितव्ययी होकर वन एकत्र करना नहीं सीख सकते। पर यदि यह मान लिया जाय कि इस न्यग्रस्था से इतनी हानि होती है, तो भी इससे साथ ही इतना लाभ भा अवश्य होता है कि जो लोग वृद्धावस्था में किसी प्रकार अपना निर्वाह नहीं कर सकते, उनका काम तो चल जाता है। मतलब यह कि यदि इस व्यवस्था से एक और कुछ हानि भी होती है, तो दूसरी ओर कुछ लाभ भी अवश्य होता है, और वह लाभ ऐसा होता है, जिसके लिये थोड़ी बहुत हानि भी सहनी जा सकती है। पर ये सब प्रश्न उद्यत, सम्य और स्वतंत्र राष्ट्रों के विचार करने-योग्य हैं। भारत-सरीखे दरिद्र और परतंत्र देश के लिये इस प्रकार की बातें सोचना और इनके हानि-लाभ पर विचार करना तो मानों एक प्रकार से व्यर्थ-सा है। अपने देशवासियों के लिये तो हम अभी केवल यही कह सकते हैं कि उन्हें जहाँ तक हो सके, मितव्ययी होना चाहिए, और ऐसा प्रयत्न करना चाहिए कि उन्हें अंतिम अवस्था में किसी प्रकार का कष्ट न हो। और, साथ ही जो लोग अपनी भूर्खता, दरिद्रता अथवा इसी प्रकार के और किसी कारण से कष्ट भोगते हों, उनके कष्टों को जहाँ तक हो सके, दूर करने का प्रयत्न करना चाहिए।

चारहवाँ प्रकरण

परिश्रम और पारिश्रमिक

आज तक ससार के प्रायः सभी बड़े-बड़े विचारशीलों का ध्यान इस बात की ओर गया है कि जहाँ तक हो सकता है, लोग स्त्रियों से अधि-क काम कराते हैं, और उनके परिश्रम से समाज अनुचित लाभ उठाता है। बात तो यह अच्युत ही ठीक है, पर इसका कारण यह नहीं कि पुरुषों को स्त्रियों के परिश्रम या लाभ आदि का कोई ध्यान नहीं रहता, क्योंकि स्वयं पुरुषों के साथ भी वे इसी पदार का व्यवहार करते हैं। पुरुष जिन पुरुषों से काम कराते हैं, उन्हें भी वे जहाँ तक हो सकता है, उनके परिश्रम से कम ही पारिश्रमिक देना चाहते हैं। स्त्रियाँ भी जहाँ दूसरी स्त्रियों से काम कराती हैं, वहाँ उनकी यही नियत रहती है कि पारिश्रमिक जहाँ तक हो सके, कम दिया जाय। अतः इसके लिये पुरुषों अथवा स्त्रियों को दोषी ठहराना ठीक नहीं। इसमें यदि दोष है, तो या तो वह मनुष्य की प्रकृति का, अथवा उनकी शिक्षा और सम्भार आदि का। आजकल की सभ्यता और सामाजिक व्यवस्था ही कुछ ऐसी है कि लोग दूसरों के परिश्रम से लाभ उठाना चाहते हैं,

उठते हैं, और परिश्रम करनेवालों को जहाँ तक हो सके, कम पारिश्रमिक देकर शेष अपने पास रखना चाहते हैं। जिस देश में आधुनिक सभ्यता की जितनी ही वृद्धि और कल-कारखानों आदि की जितनी ही अधिकता है, वहाँ यह भीषण दृश्य उतना ही अधिक देखने में आता है। इस अनुचित व्यवस्था का जितना परिणाम पुरुषों को भोगना पड़ता है उससे वहाँ अधिक स्त्रियों को। हमारे देश में तो अभी तक कल-कारखानों का उतना अधिक प्रचार नहीं हुआ है, पर योरप, अमेरिका आदि देशों में इन कल-कारखानों के प्रचार का, समाज की आर्थिक अवस्था पर, इतना बुरा परिणाम हुआ है कि उस देखकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। यदि एक ओर वहाँ अनुत्पन्न संपन्नता है, तो दूसरी ओर वैसे ही बतिय उससे भी कुछ बढ़कर भीषण दरिद्रता है। और, इनका मुख्य कारण यही है कि लोग दूसरों के परिश्रम से स्वयं बहुत अधिक लाभ उठाना चाहते और स्वयं परिश्रम करनेवालों को उनके परिश्रम का बहुत ही कम पारिश्रमिक देना चाहते हैं। इस समय प्रायः हमारे ससार में साम्यवाद का जो आंदोलन फैल रहा है, यह इसी निंदनीय व्यवस्था का परिणाम है।

हमारे देश में सरकार का यह नियम-सा है कि जिस पद पर काम करनेवाले अंगरेज या दूसरे योरपियन को दो हजार रुपये मासिक वेतन मिलता है, उसी पद पर काम करनेवाले हिंदो-स्तानी को डेढ़ हजार या उससे भी कम। ठीक यही बात

पाश्चान्य देशों के कारखानों आदि में भी होती है। पर वहाँ यह भेद स्त्रियों और पुरुषों में देखा जाता है। वहाँ जो काम करने के लिये पुरुषों को एक रुपया मजदूरी मिलती है, ठीक वही काम करनेवाली स्त्री को आठ या दस आने ही। स्वयं हमारे देश में भी वही बात देखने में आती है। केवल बल कारखानों में ही नहीं, बरिक्त घर-गृहस्थी में भी काम करने वाले नोकरों आदि की अपेक्षा मजदूरनियों को कम वेतन या मजदूरी दी जाती है। साधारणतः लोग यही समझते हैं कि पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियाँ दुर्बल होती हैं और कम काम करती हैं। पर इस सोमझ के अंदर एक और भाव छिपा रहता है। वह यह कि स्त्रियाँ साधारणतः बहुत ही नेत्रस और लाचार समझी जाती हैं। सोचा यह जाता है कि यह तो स्त्री ही है, चलो, इसे इतना ही दो, यह करेगी क्या? इस प्रकार समाज मानों स्त्रियों को दिन पर दिन और भी अधिक नेत्रस और लाचार बनाता जाता और जहाँ तक हो सकता है उनके परिश्रम से स्वयं लाभ उठाता जाता है। परन्तु अब पाश्चात्य देशों की स्त्रियाँ इन सब बातों से शिक्षा ग्रहण करने और इस बात का प्रयत्न करने लगी हैं कि हमारे परिश्रम से समाज अनुचित लाभ न उठाये। अब वे अपने अधिकारों की रक्षा करने पर उतारू हो रही हैं। अब तक स्त्रियाँ जो चुपचाप सब बातें सहती चली आती थी, उसके कनेक कारण थे। पहला कारण तो यही था कि अब तक की उनकी शिक्षा और

सामाजिक व्यवस्था ही ऐसी थी कि ये स्वतन्त्रता पूर्वक कुछ प्रतिकार करना तो दूर रहा, अपने मन का भाव भी नहीं प्रकट कर सकती थीं। दूसरी बात यह कि ये जहाँ तक हा मकता था, सब कामों से बहुत दूर रक्खी जाती थीं वे किसी काम में कोई दमन नहीं दे सकती थीं। उनका क्षेत्र बहुत ही संकुचित रक्खा गया था, और इसीलिये उन्हें जो कुछ मिल जाता था, उसी पर सतोष करना पड़ता था। एक और बात यह भी है वे घर में मुख्य कमानेवाली नहीं होती थीं। घर में मुख्य कमानेवाले तो पुरुष ही होते थे, और स्त्रियों के सम्बन्ध में यह समझा जाता था कि इन्हें विशेष आय होने का आवश्यकता नहीं। स्त्रियाँ भी समझती थीं कि चलो, जो कुछ थोड़ा बहुत मिले, वही मही, और उसी पर उ सतोष कर बैठनी थी। इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि स्त्रियों का वेतन या पारिश्रमिक बहुत ही थोड़ा रह गया। अब तक पाश्चात्य देशों में प्रायः यही व्यवस्था रहा है। कालत, डॉक्टरी आदि कुछ थोड़े-से पेशों को छोड़कर श्रम और सब कामों में उन्हें अब तक पुरुषों की अपेक्षा बहुत ही कम वेतन या पारिश्रमिक मिलता रहा है, बल्कि अब तक बराबर कम ही मिलता जाता है। पर अब पाश्चात्य देशों में स्त्रियों की वह अवस्था नहीं रह गई है। सबसे पहले तो यहाँ शिक्षा का विशेष प्रचार हो गया है, जिन्म स्त्रियों में बहुत कुछ स्वतन्त्रता और आत्मनिर्भरता का भाव आ गया है। अब वे अपने अधिकारों के साथ-साथ यह भी समझने

लगी है कि अमुक विषय में हमारे साथ यह अयाय हा रहा है। इसने अतिरिक्त अथ वहाँ बहुत-सो स्त्रियाँ ऐसी भा निकल आई हैं, जिनका विवाह नहीं हुआ है, और जो स्वय ही अपने घर में मुख्य कमानेवाली हैं। ऐसी स्त्रियाँ जब यह देखती हैं कि हम काम तो पुरुषों के धरानर हो करता हैं, पर हमें वेतन अपेक्षा इतना बहुत ही कम मिलता है, तो भला वे कैसे शांत और सतुष्ट रह सकती हैं। इंगलिये अथ उन्होंने पार्श्यात्य देशों में जहाँ और बातों में पुरुषों के समान अधिकार पाने के लिये आदोलन करना प्रारम्भ किया है, वहाँ अथ वे पुरुषों के समान ही वेतन या पारिश्रमिक पाने के लिये अनेक प्रकार के उद्योग भी करने लगी हैं। यद्यपि हमारे देश से यह आदोलन-अभी बहुत दूर है, तथापि स्त्रियों के अधिकारों की रक्षा के विचार से इस सन्ध की कुछ बातें यहाँ ठे देना उपयुक्त जान पड़ता है। आशा है, इससे हमारे देश की स्त्रियों का भी कुछ-कुछ लाभ अग्रश्य होगा।

यदि वास्तव में जाय, तो मुख्य विचार इस बात का होना चाहिये कि पुरुषों के मुकाबले में स्त्रियों का काम वैसा होता है। यदि स्त्रियों का भी काम ठीक उतना ही अधिक और वैसा ही अच्छा हो, जितना अधिक और जितना अच्छा पुरुषों का, तो कोई कारण नहीं कि स्त्रियों को पुरुषों की अपेक्षा कम वेतन या पारिश्रमिक दिया जाय। यदि कोई स्त्री भी पुरुषों की ही तरह ठीक और पूरा काम करती हो, तो उसे उतना पारिश्र-

मित्र अथवा मिलना चाहिए, जितने में उसका अच्छी तरह निर्वाह हो सके। प्रायः जब किसी स्त्री के वेतन या पारिश्रमिक का प्रश्न उठता है, तब लोग यही कह देते हैं कि अजी, उसका काम तो इतने में ही अच्छी तरह चल जायगा, या वह तो इतने में मजे में गुजारा कर लेगी। यह बात ठीक है कि बियाँ जसे-तैसे थोड़े में भी अपना गुजारा कर लेती हैं। पर प्रश्न उनके गुजारे-भर का ही नहीं है। मुख्य प्रश्न यह है कि क्या उतने में उसका अच्छी तरह गुजारा हो सकता है, और क्या उतने में वह अपनी यथेष्ट उन्नति भी कर सकती है ? क्या वह उतने में अपनी योग्यता और मर्यादा के अनुसार निर्वाह कर सकती है ? क्या उतने में वह दिन पर दिन बढ़ती हुई कठिनाइयों और खर्चों का सामना कर सकती है ? क्या वह उतने में कुछ विश्राम और आराम पा सकती है ? क्या अपनी रक्षावस्था और वृद्धावस्था आदि के लिये भी कुछ बचा सकती है ? मतलब यह कि जब किसी स्त्री के वेतन या पारिश्रमिक आदि का प्रश्न उठता है, तब हम लोग इस बात का कभी विचार नहीं करते कि वह कितना काम करती है, और न इसी बात पर कि कितने में उसका ठीक ठीक और अच्छी तरह निर्वाह होगा। हम केवल इसी बात का विचार करते हैं कि वह कम-से-कम कितना पाने पर काम करने के लिये तैयार हो जायगी। अर्थात् वह कम-से-कम जितने वेतन या पारिश्रमिक में काम करने के लिये तैयार हो जाय, हम उसे केवल उतना ही देना चाहते हैं, उससे

अधिक उसे और कुछ भी नहीं देना चाहते, चाहे उसका कितने ही अधिक मूल्य का क्यों न हो, और पुरुष से उतना काम कराने के लिये हमें कितना ही अधिक क्यों न देना पड़े इसी को कहते हैं किसी की लाचारी और बेवसी से अनुचित लाभ उठाना। और, आजकल पाश्चात्य देशों की स्त्रियाँ इसी विरुद्ध आंदोलन कर रही हैं।

पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों को कम वेतन या पारिश्रमिक देना कई कारणों से बहुत ही अनुचित और निंदनीय है। उन्हें कम वेतन या पारिश्रमिक देने का परिणाम यह होता है कि बहुत ही दरिद्रता पूर्वक बहुत ही कठिनता से उन्हें अपना जीवन निर्वाह करना पड़ता है, और दिन रात इस प्रकार परिश्रम करना पड़ता है, मानों उनमें जान है ही नहीं—मानों वे प्राणी नहीं, केवल कोई कल या मशीन हैं। जितनी कठिनता से उन्हें जीवन निर्वाह करना पड़ता है, कदाचित् ही कोई पुरुष उतनी कठिनता जीवन-निर्वाह कर सकता हो। स्त्रियों की सहिष्णुता ही माया यहाँ उनके लिये घातक प्रमाणित होती है। हमारे देश में बहुत सी स्त्रियाँ ऐसी हैं, जो कमींदे काटकर, टिकुलियाँ बनाकर गुडियाँ सजाकर, तरह-तरह की गुणियाँ पिरोकर और इस प्रकार के अनेक दूसरे काम करके अपना निर्वाह करती हैं। यदि आप घंटे-दो घंटे किसी ऐसी स्त्री के पास बैठकर उसका काम करना देखें, तो आपको तुरन्त पता चल जायगा कि वह काम कितने परिश्रम और दीदारेजी का है। और, यदि आप उससे पू-

कि दिन भर इसी प्रकार का काम करने पर तुम कितने की मजदूरी करती हो, तो उसका उत्तर सुनकर आपको चकित रह जाना पड़ेगा। ऐसे कामों की दिन-भर की मजदूरी कदाचित् ही चार या छः पैसे से अधिक हानी हो। सो भी किसी बहुत अच्छा काम करनेवाली लोको ही इतनी मजदूरी मिलती होगी, नहीं तो साधारणतः दो-ही तीन पैसे। ऐसे काम करनेवाली स्त्रियाँ प्रायः पैसे घर की होती हैं, जिनमें कमानेवाले एक-दो पुरुष भी हुआ करते हैं। वे सोचती हैं कि चलो, दिन-भर खाली बैठने से यही अच्छा है कि दो-ही चार पैसे का काम कर लें। पर कुछ स्त्रियाँ ऐसी भी होती हैं, जिनकी जीविका का निर्वाह ही इसी प्रकार की मिहनत मजदूरी से होता है। अब आप ही सोचें कि इतनी थोड़ी आमदनी में वे किस प्रकार अपना निर्वाह करती होंगी। हमारा तो ग्याल है कि छोटी जाति की जो स्त्रियाँ बाहर निकलकर टोकरी ढोती अथवा इसी प्रकार के और काम करती हैं, वे घर में बैठकर इस प्रकार का काम करनेवाली भली स्त्रियों की अपेक्षा कहीं अधिक की मजदूरी कर लेती हैं। यह कैसे अन्याय की बात है कि प्रतिष्ठित कुल-बधुओं को इतनी थोड़ी मजदूरी पर इतना अधिक और कठिन काम करना पड़ता है! उनके घर में चाले मर्द होते हैं, और इस बात का खेनेवाले उठाते हैं। छोटी जाति की जो टोकरी आदि ढोती अथवा इसी

उन्हें भी जो मजदूरी मिराती है, वह पुरुषों की अपेक्षा बहुत ही कम हुआ करता है। जहाँ कहीं इमारत का काम होता है, वहाँ चूना, सुरुखी और ईंटें आदि अथवा फालतू मिट्टी ढोने का काम प्रायः स्त्रियाँ ही करती हैं। इमारत बनवानेवाले लोग जान-बूझकर इस काम में पुरुष-मजदूरों को नहीं लगाते। वे समझते हैं कि पुरुषों को अधिक मजदूरी देनी पड़ेगी, और इसीलिये वे ऐसे कामों पर स्त्रियों को बुलवाने में न्युक्त करते हैं। वेचारे मजदूरनियाँ दिन भर बोझा ढोती रहती हैं, और हर रोज उन्हें प्रायः कुछ कौड़ियाँ ही मिलती हैं। दिन भर में सब मिलाकर उन्हें मुश्किल से दो आने, दस पैसे या अधिक से अधिक तीन आने तक मिला पाते हैं। वह भी उसी दशा में, जब वे सपेरे से संध्या तक उसी काम में लगी रहें। वे जरा भी विश्राम नहीं करती, पैसे-दो पैसे के चने भुनवा लेती हैं, और रास्ते में चलते हुए खाते चलती हैं। वे सोचती हैं कि यदि हम किसी जगह बैठकर पायें और आधा घंटे विश्राम करें, तो हमारा दमड़ी या धेले का नुकसान हो जायगा। सिर्फ दमड़ी या धेले की लालच से वे क्षण-भर विश्राम भी नहीं कर सकतीं। उनका शरीर बिलकुल पीला पड़ जाता है, उनमें बल बिराकुल नहीं रह जाता, और वे देखने में मृतक-सी जान पड़ती हैं। पर, फिर भी, उन्हें अपना पेट पालने के लिये इस प्रकार सारा दिन परिश्रम करना पड़ता है। इसी प्रकार की और बहुत-सी बातें बतलाई जा सकती हैं। पश्चात्त्य देशों में

भी कल-कारखानों में प्रायः इसी प्रकार स्त्रियों से बहुत अधिक काम लेकर उन्हें बहुत ही कम पारिश्रमिक दिया जाता है। पर अब वहाँ स्त्री निरीक्षकों नियुक्त होने लगी है, जो कारखानों में घूम घूमकर इन सब बातों की जाँच करती है, और जहाँ तक हो सकता है, स्त्रियों पर होनेवाले इस प्रकार के अत्याचारों को रोकने का प्रयत्न करती है।

कम पारिश्रमिक मिलने के कारण स्त्रियों के शारीरिक बल में जो कुछ ह्रास होता है, वह तो होता ही है, साथ ही उनके मानसिक बल का भी बहुत अधिक क्षय होता है। भला जिसे इतना अधिक परिश्रम करना पड़े और इतना कम पारिश्रमिक मिले, उसका शारीरिक और मानसिक ह्रास न हो, तो और क्या हो? जिन परिस्थितियों में उन्हें काम करने के लिये विवश होना पड़ता है, उनका इसके सिवा और कोई परिणाम हो ही नहीं सकता। स्त्री हो चाहे पुरुष, यदि उसे दिन भर दृष्टिग परिश्रम करना पड़े और बहुत थोड़ा वेतन या पारिश्रमिक मिले, तो इसका परिणाम यही होगा कि न तो वह पेट भर और अच्छा भोजन और विश्राम कर सकेगा, न किसी तरह अपना मन बहला सकेगा, और न किसी प्रकार की उन्नति ही कर सकेगा। उसे दिन-रात या तो काम करना पड़ेगा, या अपने निर्वाह की चिंता करनी पड़ेगी। परिणाम यही होगा कि वह दिन पर दिन शारीरिक और मानसिक, दोनों ही प्रकार से दुर्बल और हीन होना जायगा। और, इस प्रकार समाज में हीन श्रेणी के लोग

देते हैं। इस कुव्यवस्था का यह परिणाम होता है कि बहुत थोड़े-से लोग तो बहुत अधिक मालदार हो जाते हैं, कुछ थोड़े-से लोग साधारण रूप से अपना निर्वाह करते हैं, और समान के बहुत अधिक लोगों को घोर दरिद्रता में अपना जीवन बिताना पड़ता है। यह कितना बड़ा अन्याय और कितना बड़ा अत्याचार है। फिर भी लोग इसे सभ्यता कहते हैं।

आज से प्रायः पचास-साठ वर्ष पूर्व अंगरेजी के सुप्रसिद्ध विद्वान् और निवार शील लेखक रस्किन ने एक अग्रसर पर, स्त्रियों को समोधन करके, लिखा था—“इस समय सारे योरप में युद्ध के परिणाम स्वरूप भीषण दरिद्रता और कष्ट फैला हुआ है। कुल-ललनाओ, चाहे तुम में कितनी ही धार्मिकता और कितना ही स्वार्थ-त्याग क्यों न हो, पर, फिर भी, योग्य की इस दरिद्रता और कष्ट का उत्तग्दायित्व तुम्हीं पर है। तुम लोग जिनमें प्रेम करती हो, उनके लिये भले ही स्वार्थ-त्याग कर सकती हो, पर जो लोग तुम्हारे क्षेत्र से बाहर ह, उनके लिये तुम त्रिलकुल स्वार्थी और अविचारी हो, तुम उनके लिये जरा भी कष्ट सहने को तैयार नहीं होती हो।

बल्कि मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि यदि तुम युद्ध रद्द करना चाहो, तो उसने लिये तुम्हें उतना भी परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, जितना भोजन करने के लिये उठकर जाने में करना पड़ता है।

जिस स्त्री के मन में ईश्वर का कुछ भी ध्यान या भय हो, उसे इस बात की प्रतिज्ञा करनी

चाहिए कि यदि हृदय से नहीं, तो कम-से-कम ऊपरी तोर पर, केवल लोगों की दिखलाने के लिये, मे उन लोगों के जाम्ते शोक प्रकट करूँगी, जो युद्ध में मारे गए हैं।

सभ्य योरप के ऊँचे दर्जे की प्रत्येक स्त्री को इस बात की प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जब कभी कोई निर्दयता पूर्वक युद्ध आरम्भ होगा, तब मैं शोक प्रकट करनेवाले केवल धाले पल्ल धारण करूँगी, और सभी किसी प्रकार के जगहरात या गहने आदि न पहनूँगी। यदि सब स्त्रियाँ इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर लें, तो मैं यह समझता हूँ कि कोई युद्ध एक सप्ताह भी नहा चल सकता।”

यदि स्त्रियों में युद्ध रोझने का उतना ही बल हो, जितना कि ऊपर उद्धृत स्त्रियों द्वारा रस्किन के वाक्यों से प्रकट होता है, तो वे इस युद्ध को रोझने में तो और भी अधिक सहायक हो सकती हैं, जो स्वयं उन्हीं के वर्ग को बुरी तरह पीसे डाल रहा है। आजकल शिवा और सभ्यता आदि के कारण हम प्रकार के प्रश्न बहुत कुछ सर्व साधारण के सामने आ चुके हैं। क्या इस अप्रसन्न पर सभी देशों की स्त्रियाँ मिलकर कोई ऐसा उद्योग नहीं कर सकती, जिससे समाज का यह भारी कलक दूर हो, और मानव-जाति सुख पूर्वक उन्नति करती हुई शांति के मार्ग में अप्रसन्न हो सके ? और कुछ नहीं, यदि सब देशों की स्त्रियाँ इस बात की प्रतिज्ञा कर लें कि हम कोई ऐसी चाज नहीं खरीदेंगी, जो बहुत अधिक परिश्रम कराकर और

देते हैं। इस कुव्यवस्था का यह परिणाम होता है कि बहुत थोड़े-से लोग तो बहुत अधिक मालदार हो जाते हैं, कुछ थोड़े-से लोग साधारण रूप से अपना निर्वाह करते हैं, और समाज के बहुत अधिक लोगों को घोर दरिद्रता में अपना जीवन बिताना पड़ता है। यह कितना बड़ा अन्याय और कितना बड़ा अत्याचार है। फिर भी लोग इसे सभ्यता कहते हैं।

आज से प्रायः पचास साठ वर्ष पूर्व अंगरेजी के सुप्रसिद्ध विद्वान् और निवार शील लेखक रस्किन ने एक अग्रसर पर, स्त्रियों को सरोधन करके, लिखा था—“इस समय सारे योरप में युद्ध के परिणाम स्वरूप भोषण दरिद्रता और कष्ट फैला हुआ है। कुल-ललनाओं, चाहे तुम में कितनी ही धार्मिकता और कितना ही स्वार्थ-त्याग क्यों न हो, पर, फिर भी, योरप को इस दरिद्रता और कष्ट का उत्तरदायित्व तुम्हीं पर है। तुम लोग जिनसे प्रेम करती हो, उनके लिये भले ही स्वार्थ-त्याग कर सकती हो, पर जो लोग तुम्हारे क्षेत्र से गहर हैं, उनके लिये तुम मिलकुल स्वार्थी और अविचारी हो, तुम उनके लिये जरा भी कष्ट सहने को तैयार नहीं होती हो।

धरिद्र में तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि यदि तुम युद्ध बंद करना चाहो, तो उसके लिये तुम्हें उतना भी परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, जितना भोजन करने के लिये उठकर जाने में करना पड़ता है।

जिस स्त्री के मन में ईश्वर का कुछ भी ध्यान या भय हो, उसे इस बात की प्रतिज्ञा करनी

चाहिए कि यदि हृदय से नहीं, तो कम-से-कम ऊपरी तोर पर, केवल लोगों की दिपलाने के लिये, मैं उन लोगों के वास्तविक प्रकट करूँगी, जो युद्ध में मारे गए हैं।

सभ्य योरप के ऊँचे दर्जे की प्रत्येक स्त्री को इस बात की प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि जब कभी कोई निर्दयता पूर्वक युद्ध प्रारम्भ होगा, तब मैं शोक प्रकट करनेवाले केवल काले वस्त्र धारण करूँगी, और कभी किसी प्रकार के जवाहरात या गहने आदि न पहनूँगी। यदि सब स्त्रियाँ इस प्रकार की प्रतिज्ञा कर लें, तो मैं यह सकता हूँ कि कोई युद्ध एक सप्ताह भी नहीं चल सकता।”

यदि रियों में युद्ध रो करने का उतना ही बल हो, जितना कि ऊपर उद्धृत किए हुए रिकन के वाक्यों से प्रकट होता है, तो वे इस युद्ध को रो करने में तो और भी अधिक सहायक हो सकती हैं, जो स्वयं उन्हीं के वर्ग को तुरी तरह पीसे डाल रहा है। आजकल शिक्षा और संस्कृति आदि के कारण इन प्रकार के प्रश्न बहुत कुछ सर्व साधारण के सामने आ चुके हैं। क्या इस अवसर पर सभी देशों की रियाँ मिलकर कोई ऐसा उद्योग नहीं कर सकता, जिससे समाज का यह भारी कलक दूर हो, और मानव-जाति मुख पूर्वक उन्नति करती हुई शांति के मार्ग में अग्रसर हो सके ? और कुछ नहीं, यदि सब देशों की रियाँ इस बात की प्रतिज्ञा कर लें कि हम कोई ऐसी चीज नहीं खरीदेंगी, जो बहुत अधिक परिश्रम कराकर और

देते हैं। इस कुव्यवस्था का यह परिणाम होता है कि बहुत थोड़े-से लोग तो बहुत अधिक मालदार हो जाते हैं, कुछ थोड़े-से लोग माधारण रूप से अपना निर्वाह करते हैं, और समाज के बहुत अधिक लोगों को घोर दरिद्रता में अपना जीवन प्रिताना पड़ता है। यह कितना बड़ा अत्याय और कितना बड़ा अत्याचार है। फिर भी लोग इसे सभ्यता कहते हैं।

आज से प्रायः पचास-साठ वर्ष पूर्व अंगरेजी के सुप्रसिद्ध विद्वान् और विचार शील लेखक रस्किन ने एक अवसर पर, स्त्रियों को सरोधन करके, लिखा था—“इस समय सारे योरप में युद्ध के परिणाम स्वरूप भोषण दरिद्रता और कष्ट फैला हुआ है। कुरा-ललनाओ, चाहे तुम में कितनी ही धार्मिकता और कितना ही स्वार्थ-त्याग क्यों न हो, पर, फिर भी, योरप को इस दरिद्रता और कष्ट का उत्तरदायित्व तुम्हीं पर है। तुम लोग जिनसे प्रेम करती हो, उनके लिये भले ही स्वार्थ-त्याग कर सकती हो, पर जो लोग तुम्हारे क्षेत्र से ग़र हों, उनके लिये तुम विलकुल स्वार्थी और अनिचारी हो, तुम उनके लिये जरा भी कष्ट सहने को तयार नहीं होती हो।

धल्कि में तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि यदि तुम युद्ध बंद करना चाहो, तो उसके लिये तुम्हें उतना भी परिश्रम नहीं करना पड़ेगा, जितना भोजन करने के लिये उठकर जाने में करना पड़ता है।

जिस स्त्री के मन में ईश्वर का कुछ भी ध्यान या भय हो, उसे इस बात की प्रतिक्षा करनी

इस और जाने लगा है, पर, फिर भी, उसे नहीं के बराबर नमनना चाहिए, क्योंकि अभी तक उनके रागठन का क्षेत्र विस्तृत नहीं है। विशेषतः स्त्रियों की दशा तो और भी शोचनीय है। वे तो अभी तक सगठन का नाम भी नहीं जानती, और सब प्रकार के अन्याचार खुपचाप सह लिया करती हैं। यदि कोई आसाम के चा के बागीचों में जाकर वहाँ काम करनेवाली स्त्रियों की दुर्दशा का निरीक्षण करे, तो शायद दुःख के मारे उसकी आँखों में आँसु भर आवेंगे। पर, फिर भी, उनकी दशा सुधारने का कोई उपाय नहीं हो रहा है। उन्हें वेतन भी बहुत कम मिलता है, उन पर कोड़े भी पड़ते हैं, छुरमाने भी होते हैं, और उनका सतीत्व भी नष्ट किया जाता है, फिर भी कोई उनकी और दृष्टिपात नहीं करता। किंतु अब यह समय आ गया है कि ऐसे अन्यायों को रोकने के लिये सगठित उद्योग किया जाय, और जहाँ तक शीघ्र हो सके, इस प्रकार के अन्यायों का अंत किया जाय।

यह तो हुई कल कारखाने आदि ऐसे स्थानों में काम करनेवाली स्त्रियों की बात, जहाँ समय आदि की बहुत कुछ पावदी होती है, और जहाँ उन्हें केवल कुछ निश्चित समय तक ही काम करना पड़ता है। पर ऐसे स्थानों में तो अपेक्षाकृत बहुत ही कम स्त्रियाँ काम करती हैं। स्त्रियों के काम करने के बहुत अधिक स्थान ऐसे ही हैं, जहाँ काम का कोई निश्चित समय नहीं होना और उन्हें प्रायः सारा दिन काम करना पड़ता है।

बहुत कम पारिश्रमिक देकर तैयार कराई गई हो, तो भी इस अन्याय और अत्याचार का बहुत सहज में अंत हो सकता है। पर हाँ, इसके लिये थोड़ा साहस, थोड़ा स्वार्थत्याग और थोड़ी कष्ट-सहिष्णुता की आवश्यकता होगी।

योरप, अमेरिका आदि पाश्चात्य देशों में पुरुषों की देखा देखी स्त्रियों में भी बहुत कुछ जागृति हो चली है, और वे भी अब अपने स्वार्थों तथा हितों की रक्षा करने के लिये बहुत कुछ परिश्रम और आंदोलन करने लगी हैं। हमारे देश में तो ऐसी बातों के विरुद्ध और भी अधिक आंदोलन होना चाहिए, क्योंकि एक तो हमारे यहाँ जाना बहुत अधिक अशिक्षित है, और दूसरे, हमारे यहाँ दरिद्रता भी बहुत अधिक है। पाश्चात्य देशों में कल-कारखानों में काम करनेवाले मजदूरों आदि का बहुत प्रच्छा संगठन है। उसी संगठन के बल पर वे अनेक असरों पर अपने मारिफों को अनेक प्रकार के अन्याय और अत्याचार आदि करने से रोक सकते हैं। पर हमारे यहाँ किसी प्रकार का कोई संगठन ही नहीं है। यदि हमारे यहाँ पूँजापति या कारखानों के मालिक यह चाहते हैं कि मजदूर लोग आठ घंटों की जगह ६ या १० घंटे काम किया करें, तो मजदूरों को विवश होकर उनकी आज्ञा मान लेनी पड़ती है। यदि वे उनका घेतन या पारिश्रमिक कम करना चाहते हैं, तो सहज में कर सकते हैं। बेचारे मजदूर और मजदूरनियाँ कुछ भी नहीं कर सकतीं। यद्यपि अब मजदूरों का कुछ-कुछ ध्यान

है, जिसका परिणाम यह होता है कि उनका स्वास्थ्य दिन-पर-दिन नष्ट होता जाता है और फलतः वे अच्छा और बढ़िया काम करने के योग्य नहीं रह जाते। यदि आधिक दृष्टि से ही देखा जाय, तो भी इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता है कि वे स्वस्थ रहें, ताकि वे अच्छा और अधिक काम कर सकें। ऐसा न हो कि वे बेचारी काम करती-करती इतनी दुर्दशा को पहुँच जायें कि फिर काम करने-योग्य ही न रह जायें। पर हमारे यहाँ इन सब बातों का कोई विचार नहीं किया जाता। इसी का यह परिणाम होता है कि देश में दिन-पर-दिन दरिद्रता की वृद्धि होती जाती है, और लोग स्वस्थ रहने के बदले अस्वस्थ और प्रसन्न रहने के बदले बहुत ही दुःखी दिखाई देते हैं।

पाश्चात्य देशों के मजदूरों और मजदूरनियों आदि से भारत के मजदूरों और मजदूरनियों आदि की दशा बहुत ही भिन्न है। इसलिये उन दोनों में किसी तरह का मुकाबला नहीं हो सकता। भारत के कल-कारगानों में रियायतों की रक्षा के लिये जो नियम बने हैं, वे प्रायः इंग्लैंड के नियमों के अनुकरण पर हैं, और वे उतने अधिक तथा उतने अच्छे भी नहीं हैं, जितने अधिक और जितने अच्छे इंग्लैंड के हैं। इंग्लैंड में कई ऐसी बातों का ध्यान रखा जाता है, जिनका भारत में कोई ध्यान नहीं रखा जाता। मजदूरों और मजदूरनियों आदि से काम लेते समय तीन बातों का विशेष ध्यान रखा जाना चाहिए। पहले तो यह कि उसे जितना काम लिया जाय, उतनी ही मजदूरी दी जानी

सबसे पहले घरों में काम करनेवाली मजदूरनियों को ही लीजिए । दिन-रात काम करनेवाली मजदूरनियों को प्राय दो या तीन रुपए मासिक वेतन दिया जाता है, और साथ में भोजन भी मिलता है । अब उनके परिश्रम का हाल सुनिए । वे घर के लोगों के सोकर उठनेसे पहले ही अपने काम पर मुस्तद हो जाती हैं । सबसे पहले उन्हें झाड़ू देना पड़ता है, और तब रात के जूटे धरतन मँजने पड़ते हैं । इसके बाद पानी भरना और बाजार से सौदा-सुदफ लाना पड़ता है । फिर रखोई घर का मय प्रय करना पड़ता है । इसके उपरांत घर के लोगों के पापी चुकने पर फिर धरतन मँजने पड़ते हैं । तब वहाँ उन्हें भोजन नसीब होता है । वह भी प्राय बहुत मध्यम श्रेणी का, अथवा कहीं-कहीं बहुत ही निरुष्ट श्रेणी का भी, तीसरे पहर फिर वही सघेरे-जाली व्यवस्था चलती है, और रात को ६ या १० बजे तक उसे दम मारने की फुरसत नहीं होती, जो स्त्रियाँ गाँव-देहातों में घरों में काम करती हैं, उन्हें इन सब कामों के अतिरिक्त कूटने पीसने का भी बहुत कुछ काम करना पड़ता है । विशेषत फसल के दिनों में तो उन्हें बहुत कठिनता से सोने और पाने पाने भर का ही अवकाश मिलता है । इसके सिवा शहर में और भी बहुत-से काम करनेवाली स्त्रियाँ होती हैं । जैसे, खिलौने टिकुली और गुडिया बनानेवाली स्त्रियाँ, इन सबकी दशा भी बहुत ही शोचनीय होती है । उन्हें बहुत ही थोड़ा वेतन या पुरस्कार लेकर बहुत अधिक काम करना पड़ता

होते हैं उनसे भी इन सब बातों की बहुत कुछ यत्न होती है। उन कानूनों के कारण कारगानेदार न तो अधिक समय तक काम ले सकते हैं, और न अपने कारगानों को हा पेसी हालत में रख सकते हैं, जिससे काम करनेवालों का स्वास्थ्य नष्ट हो। पर ये सब कानून केवल कारगानों के लिये ही प्रयुक्त हो सकते हैं, और अधिकांश काम करनेवाले कारगानों के बाहर और पेसे ही स्थानों में काम करते हैं, जहाँ पेसे कानूनों की पहुँच नहीं हो सकती। इस प्रकार की मजदूरनियों में बहुत-सी पेसी ही होती है, जिनके पति कोई काम न मिलने के कारण खाला रहते अथवा बहुत ही सुस्त, अशर्मण्य या अपाहिज होते हैं, या जो विधवा होती और जिनको गोद में छोटे बच्चे होते हैं, या जिन्हें घर के लोग अपने यहाँ से निकाल देते हैं। इस प्रकार की स्त्रियों से, कम मजदूरी देकर, अधिक काम लेने की प्रथा रोकने लिये इंग्लैंड में कुछ नया कानून बने हुए हैं, जिनसे स्त्रियों की बहुत अधिक रक्षा होती है। अब तो इस देश में भी इसी प्रकार के कानून बनाने की बहुत बड़ा आवश्यकता प्रतीत होने लगी है। वहाँ कुछ पेसी सरकारी सस्थाएँ भी हैं, जो मजदूरों और मजदूरनियों के वेतन और पारिश्रमिक आदि भी निश्चित करती हैं। इन सस्थाओं से भी गरीबों की बहुत कुछ रक्षा होती है।

आस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में सन् १९६६ से ही इस सबध के कई अच्छे कानून बने हुए हैं, जिनका फल भी बहुत अच्छा

चाहिए। ऐसा न होना चाहिए कि काम तो लिया जाय बहुत अधिक, और मजदूरी दी जाय बहुत थोड़ी। दूसरे इस बात का ध्यान रखना जाना चाहिए कि उनसे बहुत अधिक समय तक काम न लिया जाय, उतने ही समय तक काम लिया जाय, जितने समय में उनका स्वास्थ्य न बिगड़ने पावे। तीसरी बात यह है कि जिस स्थान पर उनसे काम लिया जाय, वह ऐसा गदा, अंधेरा या सकीर्ण न हो कि काम करनेवालों का स्वास्थ्य ही नष्ट हो जाय। इन तीनों में पहली बात ही सबसे मुख्य है। जहाँ पारिश्रमिक पूरा मिलेगा, वहाँ लोगों को बहुत अधिक समय तक काम करने की आवश्यकता ही न होगी। और, जो पूरा पारिश्रमिक दे सकेगा, वह काम करनेवालों के लिये अच्छे स्थान की भी व्यवस्था कर सकेगा। इनके अतिरिक्त जिसे अच्छा वेतन या पारिश्रमिक मिलेगा वह स्वयं भी अपने रहने के लिये अच्छा ही स्थान चुनेगा। इसलिये सारी खराबियों की जड़ कम मजदूरी ही मानी जा सकती है। पश्चात्त्य देशों में निरीक्षिकाएँ नियुक्त की जाती हैं, जो फारखानों आदि में जा जाकर इन सब बातों का निरीक्षण करती हैं। उनके निरीक्षण का यह परिणाम हो चला है कि मजदूरनियों की हालत बहुत कुछ सुधर चली है। शिक्षा के प्रचार से भी ये बातें आप-से-आप बहुत कुछ दूर हो रही हैं। जिन्हें किसी प्रकार की शिक्षा मिली होती है, वे सहसा गदे और अंधेरे स्थानों में नहीं रहते। कल-कारखानों के सवध में जो कानून

के लाभ होते हैं। उनकी जान का एक प्रकार से धीमा हो जाता है; और यदि कभी किसी कारण से वे काम से अलग हो जाते या अलग कर दिए जाते हैं, तो उस दशा में भी उन्हें उस सस्था से कुछ सहायता मिलती है, जिससे उन्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होने पाना। यदि कभी कारखानेदार किसी कारण से कुछ लोगों को अपने यहाँ से अलग कर देता है, तो सस्था की सहायता मिलती रहने के कारण उन्हें कम वेतन पर काम करने के लिये विवश नहीं होना पड़ता। यदि कारखानेदार उन्हें फिर नौकर रखना चाहता है, तो उसे उस सस्था से शर्तें तय करनी पड़ती हैं। जब तक वह सस्था उन शर्तों को मजूर नहीं कर लेती, तब तक मजदूर वहाँ काम करने के लिये नहीं जा सकते, और सस्था से परापर सहायता पाते रहते हैं।

मजदूरों के इस प्रकार के सघों के कारण इंग्लैंड के मजदूरों की अस्थिति भी बहुत कुछ सुधर गई है, और सरकार तथा कारखानेदारों के व्यवहार में भी बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। पहले-पहल जब इस प्रकार के सघ स्थापित होने लगे, तब सरकार ने उन्हें गैर-कानूनी ठहराया, क्योंकि कहा यह जाना था कि ऐसी सस्थाएँ पड़्यत्र करके व्यापार के काम में बाधा पहुँचाती हैं। और, तर्क यह उपस्थित किया जाता था कि व्यक्तिगत तो प्रत्येक मजदूर को इस बात का अधिकार है कि यदि उसे कम वेतन मिलता हो, या वह और किसी कारण से असंतुष्ट हो, तो किसी कारखाने में काम करने से इनकार कर

देखने में आता है। सबसे पहला शुभ परिणाम तो यह होता है कि वहाँ अपेक्षाएँ बहुत अच्छी चीजें बनती हैं। जहाँ कारखानेदार आप्रक वेतन देने के लिये विवश किए जायेंगे, वहाँ उन्हें अच्छी शोर उदिया नई नई मशीनों भी मँगवानी पड़ेगी, तथा दूसरे ऐसे साधन एकत्र करने पड़ेंगे, जिनसे उनके वहाँ अच्छी और अप्रिक चीजें बनें। यदि ऐसा न होगा, तो वे काम करनेवालों को अधिक मजदूरी या पारिश्रमिक भी न दे सकेंगे। दूसरा शुभ परिणाम यह होता है कि मजदूर सदा प्रसन्न, स्वस्थ और निश्चित रहते हैं। उन्हें थोड़े वेतन के लिये मर मरकर काम नहीं करना पड़ता। देश के स्वास्थ्य पर भी इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। तीसरा परिणाम यह देखने में आता है कि मजदूर बढ़ जाने पर भी चीजें महँगी नहीं पड़तीं। अच्छी अच्छी मशीनों और स्वस्थ तथा प्रसन्न चित्त मजदूरों के द्वारा अच्छी, अप्रिक और सस्ती चीजें तैयार होती हैं।

पाश्चात्य देशों में सरकारी कानूनों से मजदूरों आदि का जो कुछ लाभ होता है, वह तो होता ही है, पर साथ ही मजदूर लोग भी अपना पैसा अच्छा संगठन धर लेते और ऐसी सव्याप्य बना लेते हैं, जिनके कारण कारखानेदार सहज में उनकी दरिद्रता से अनुचित लाभ नहीं उठा सकते। वे संगठित उद्योग और आंदोलन करके काम करने का समय भी कम करा लेते और अपना वेतन या पारिश्रमिक भी बढ़वा लेते हैं। इसके अतिरिक्त उन मन्थाओं से उनके सदस्य मजदूरों को और भी अनेक प्रकार

के लाभ होते हैं। उनकी जान का एक प्रकार से पीमा हो जाता है; और यदि कभी किसी कारण से वे काम से अलग हो जाते या अलग कर दिए जाते हैं, तो उस दशा में भी उन्हें उस सस्था से कुछ सहायता मिलती है, जिससे उन्हें किसी प्रकार का नष्ट नहीं होने पाना। यदि कभी कारखानेदार किसी कारण से कुछ लोगों को अपने यहाँ से अलग कर देता है, तो सस्था की सहायता मिलती रहने के कारण उन्हें कम वेतन पर काम करने के लिये विवश नहीं होना पडता। यदि कारखानेदार उन्हें फिर नौकर रखना चाहता है, तो उसे उस सस्था से शर्तें तय करनी पडती हैं। जब तक वह सस्था उन शर्तों को मजूर नहीं कर लेती, तब तक मजदूर वहाँ काम करने के लिये नहीं जा सकते, और सस्था से बराबर सहायता पाते रहते हैं।

मजदूरों के इस प्रकार के सघों के कारण इंग्लैंड के मजदूरों की अवस्था भी बहुत कुछ सुधर गई है, और सरकार तथा कारखानेदारों के व्यवहार में भी बहुत कुछ परिवर्तन हो गया है। पहलेपहल जब इस प्रकार के सघ स्थापित होने लगे, तब सरकार ने उन्हें गैर-कानूनी ठहराया, क्योंकि कहा जाता था कि ऐसी सस्थाएँ पड्यत्र करके व्यापार के काम में बाधा पहुँचाती हैं। और, तर्क यह उपस्थित किया जाता था कि व्यक्तिश तो प्रत्येक मजदूर को इस बात का अधिकार है कि यदि उसे कम वेतन मिलता हो, या वह और किसी कारण से असतुष्ट हो, तो किसी कारखाने में काम करने से इनकार कर

सकता है। पर जब एक से अधिक आदमी मिलकर काम करने से इनकार करें, तो वह पट्टयत्र है, और इसलिये वे लोग दंड के पात्र हैं। अठारहवीं शताब्दी के अंत में बहुत-सी नई-नई कलों का आविष्कार हुआ था, और कारखानों की संख्या बहुत बढ़ गई थी। इसलिये फलतः कारखानों में काम करनेवालों की संख्या भी बहुत अधिक हो गई थी। कारखानों में मजदूरों को अनेक प्रकार के कष्ट होते थे, और कोई उन कष्टों को सुननेवाला नहीं था। इसलिये मजदूरों ने गुप्त रूप से मिलकर अपने कुछ सघ घनाए थे। उन्हीं सघों में वे अपने कष्टों पर विचार करते और उन कष्टों को दूर करने के भी उपाय सोचा करते थे। सन् १८०० ई० में इंग्लैंड में एक कानून बना, जिसके द्वारा यह निश्चित हुआ कि यदि मजदूर लोग मिलकर अपना वेतन बढ़ाने या काम करने का समय घटाने का कोई उद्योग करेंगे, तो उन्हें तीन महीने तक की सजा दी जा सकेगी। पर सन् १८२५ में एक नया कानून बना, जिसके द्वारा यह निश्चित हुआ कि मजदूरों को एकत्र होकर अपने वेतन और काम करने के समय आदि पर विचार करने का अधिकार प्राप्त है। सन् १८५६ में ऐसी संस्थाओं को कुछ और भी अधिकार प्राप्त हुए। इसके उपरान्त बीच में समय समय पर उनके अधिकार और बढ़ते गए, और अब तो स्वयं सरकार भी बहुत-से शर्तों में उन्हें तथा उनकी बातों को मानती है। अब पट्टयत्र की व्याख्या बिलकुल बदल गई है, और संस्थाओं या सघों की बहुत-सी बातों पर स्वतंत्रता

पूर्वक विचार करने और सरकार तथा कारन्वानेदारों के सामने अपने मत-सु उपस्थित करने का पूरा पूरा अधिकार प्राप्त है।

इन सधों का सगठनभी गहुन ही विलक्षण और मनोरजक है। जहाँ एक स्थान पर थोड़े-से भी आदमी काम करते हैं, वहाँ वे अपनी एक छोटी सभा बना लेते हैं, और सब लोग उसमें अपने अपने वेतन के अनुसार थोड़ा बहुत चर्चा देते हैं। जब उनमें कोई गंमार होता या अपने काम से अलग कर दिया जाता है, तब उस सस्था से उसे सहायता मिलती है। इसी प्रकार की छोटी-छोटी स्थानीय सस्थाओं के संयोग से उस पेशे के बड़े-बड़े सध बनते हैं। जैसे, कोयले की पानों, रूई की कलों, रेलवे तथा डारपाने में काम करनेवालों और कपडा बनानेवालों के सध। हर एक पेशे के छोटे-छोटे सध का भी उस पेशे के बड़े-से-बड़े सध के साथ संबध होता है। इस प्रकार एक पेशे के काम करनेवाले देश भर के लोग एक ही सध द्वारा संबद्ध होते हैं। इसके बाद भिन्न भिन्न पेशों के सधों का भी आपस में संबध रहता है। इसका परिणाम यह होता है कि यदि कहा किसी एक पेशे के आदमियों के साथ किसी प्रकार का अन्याय होता है, तो उस पेशे का सध उस अन्याय के दूर कराने का प्रयत्न करता है। कदाचित् वह अन्याय किसी प्रकार दूर न हुआ, तो वह निश्चय करता है कि इसने लिय अमुक उपाय किया जाना चाहिए, अथवा अमुक समय से सब लोगों को काम करना छोड़ देना चाहिए। सध का निश्चय

इस सघ में अटल होता है। उसे पेशे का कोई आदमी तोड़ नहीं सकता। फल यह होता है कि कारखानेवालों को यातचीत करके तय करना पड़ता है कि आगे से इस प्रकार का अन्याय न होगा, और इस प्रकार काम 'होगा'। कभी कभी ऐसा भी होता है कि यदि किसी एक पेशेवाले के साथ किसी प्रकार का अन्याय होता है, और वह किसी प्रकार दूर नहीं होता, तो उस पेशे के लोगों के साथ सहानुभूति दिखलाने के लिये और और पेशे के लोग भी हड़ताल कर देते हैं। ये हड़तालें ऐसी जरूर दस्त होती हैं कि एक ही समय में एक साथ दस-दस और बीस-बीस लाख आदमी काम छोड़ देते हैं, जिससे देश का सारा काम हा बंद हो जाता है। उस समय लाचार होकर कारखानेवालों को तो दबना ही पड़ता है, पर कभी-कभी ऐसी भी नौजब आ जाती है कि सरकार को भी उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। इस प्रकार पाश्चात्य देशों के मजदूर अपने संगठित उद्योग और बल से अपने साथ होनेवाले ग़ुह्त-से अन्यायों को रोक देते और अपने अधिकारों की बहुत कुछ रक्षा कर लेते हैं। अब तब तो वे सघ केवल पुरुषों के ही थे, पर अब स्त्रियाँ भी अपने स्वतंत्र सघ स्थापित करने लग गई हैं। आशा है, थोड़े ही समय में वे भी अपने ऐसे ही बलिष्ठ और विस्तृत सघ स्थापित कर लेंगी, और इस प्रकार उनके प्रति होनेवाले अन्यायों का बहुत कुछ प्रतिकार हो जायगा।

इंग्लैंड की स्त्रियाँ ने अपनी रक्षा के लिये कुछ और भी

उपाय किए हैं, जिनका थोडासा वर्णन कर देना बहुत ही आवश्यक है। उन्होंने अपनी कई सभाएँ स्थापित की हैं, जिनमें से एक का नाम ब्रियों की शिल्प परिषद् (Women's Industrial Association) है। यह परिषद् कल कारखानों में काम करनेवाली स्त्रियों की सामाजिक शिक्षा और उनकी अपस्था के सुधार के उद्देश्य से स्थापित की गई है। इस परिषद् का न तो राजनीति से कोई संबंध है, और न धर्म से ही कोई सम्पर्क है। जहाँ कहीं काम धंधे के संबंध में कारखानेदारों के साथ ब्रियों का कोई झगडा होता है, वहाँ यह परिषद् स्त्रियों को कानूनी सलाह देती है; और जहाँ कहीं कारखानों आदि के संबंध के कानूनों का दुरुपयोग होता है, वहाँ यह हर प्रकार से सुधार करने और दोष दूर करने का प्रयत्न करती है। यह परिषद् अपना एक त्रैमासिक पत्र भी निकालती है, जिसमें शिल्प और व्यापार-संबंधी अनेक प्रश्नों का बहुत अच्छा निवेचन हाता है। यह समय समय पर अनेक आवश्यक विषयों पर छोटी-छोटी पुस्तिकाएँ और लेख आदि भी प्रकाशित करती रहती है, जिनके कारण सर्व साम्राज्य का ध्यान ब्रियों और बच्चों के साथ होने वाले अन्याय की ओर आकृष्ट हाता रहता है, और उनका बहुत कुछ प्रतिकार भी हो जाता है। यह अपने सदस्यों की अनेक छोटी छोटी उपसमितियाँ भी बना देती है, जिनके सिपुर्द शिक्षा-प्रचार आदि अनेक प्रकार के काम कर देती है। यदि इसे कहीं पता चलता है कि अमुक स्थान पर कारखाने में काम करने

वाली स्त्रियों को अमुरुक फठिनता का सामना करना पड़ता है, उन्हें अमुरुक घात का लुगीता नहीं है, या वहाँ अमुरुक प्रकार से कारखाने सघधी नियमों की अवहेलना होती है, तो वह उनका जाँच के लिये तुरत एरु कमेटी बैठाती है । ओर, यदि कमेटी की जाँच से वह शिकायत ठीक ठहरी, तो उसे दूर कराने का भी तुरत प्रघध करती है । जाँच का इसका एक अलग विभाग होता है, जो बगवर किसी-न किसी पेशे में काम करनेवाली स्त्रियों की अवस्था ओर उनके साथ होनेवाले व्यवहार आदि की जाँच करता रहता है । इस विभाग के आवमों जाकर कारखानों को देखते है, उनके मालिकों ओर उनमें काम करनेवाली स्त्रियों से मिलते है, ओर सघ शिकायतें दूर करते है । यदि इस प्रकार वह शिकायत दूर नहीं होती, तो वे सरकारी अधिकारियों स मिलकर उनका ध्यान उम ओर आरुष्ट करते है, ओर इस प्रकार वह शिकायत दूर करते है । लदन में अधिकाग दूकानों पर विक्री क काम के लिये स्त्रियों ही नियुक्त की जाती है । इस सस्था के अधिकारियों ने सत्र घटी-घटी दूकानों पर घूम घूमकर ओर उनमें काम करनेवाली स्त्रियों को अवस्था का पता लगाकर, कुछ विशेष नियम ओर सिद्धात बगाकर प्रकाशित कर दिए है । दूकान के मालिकों को अपने यहाँ काम करनेवाली स्त्रियों के साथ उन्हा नियमों ओर सिद्धातों के अनुसार व्यवहार करना पड़ता है । बहुत-सी स्त्रियाँ अपने घर में ही रहकर ओक प्रकार के शिल्पों द्वारा निर्वाह करती है । उन स्त्रियों के लाभ

रखनेवाले आवश्यक और उपयोगी विषयों पर सार्वजनिक व्याख्यान कराती हैं। कुछ सस्थाएँ ऐसी हैं, जो कारखानों में काम करनेवाली स्त्रियों के वेतन आदि बढ़ाने का ही प्रयत्न करती हैं। प्रतिवर्ष भिन्न भिन्न स्थानों में इसके बड़े बड़े अधिवेशन भी होते हैं, जिनमें अनेक विषयों पर विचार और भाषण होते हैं। जो स्त्रियाँ छोटे दर्जे के काम करती हैं, उन्हें यह संस्था ऊँचे दर्जे के काम सिखलाती है, और इस प्रकार उन्हें अधिक वेतन या पारिश्रमिक उपार्जित करने के योग्य बनाती है। यह ऐसे शिक्षालय स्थापित करती हैं, जिनमें युवकों और युवतियों को यह सिखाया जाता है कि अमुक पेशे में इस प्रकार काम करना पड़ता है, और अमुक विभाग में इस प्रकार रहना पड़ता है। इस प्रकार वह लोगों को सब तरह के काम करने के लिये तैयार करती है। प्रत्येक विषय या विभाग की शिक्षा के लिये उस विषय या विभाग के अच्छे अच्छे दक्ष लोग नियुक्त किए जाते हैं, और उन्हीं विषयों के और भी अधिक दक्षों की समिति उनकी सारी व्यवस्था करती है। इस संस्था के द्वारा जो लोग किसी विषय की अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें जल्दी और अच्छे वेतन पर अच्छा काम मिल जाता है।

इंग्लैंड में आरम्भिक शिक्षा त्रिलकुल अनिवार्य है। प्रत्येक बालक को स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। पर सभी बालकों के माता पिता ऐसे नहीं हो सकते, जो उन्हें

घराघर पढ़ाया ही करें, और उनसे किसी प्रकार का काम न लिया करें। इसीलिये वहाँ बहुत-से ऐसे बालक भी होते हैं, जो स्कूल से छुट्टी पाने पर अनेक प्रकार के छोटे मोटे फुटबल काम किया करते हैं। उदाहरणार्थ, वे घर घर जाकर दूध पहुँचा आते हैं, अण्डवार बाँट आते हैं, और फल-फलहरी तथा खिलौने आदि बेच लाते हैं। इस प्रकार के कामों से उन्हें जो कुछ मिलता है, उससे उनका थोड़ा बहुत निर्वाह हो जाता है। पर अधिकांश बड़े बड़े अँगरेजोंका यही मत है कि बालकों से, इस छोटी उमर में और पढ़ाई की अवस्था में, काम लेने का उनके भारी जीवन पर बहुत ही बुरा परिणाम होता है। इसका मुख्य कारण वे यह बतलाते हैं कि इस प्रकार के काम आर्थिक दृष्टि से विशेष लाभदायक तो होते ही नहीं, और न ऐसे कामों में लगकर बालक कोई ग़ाम काम या पशाही सीख सकते हैं। इसीलिये बड़े होने पर वे कोई अच्छा या भारी काम नहीं कर सकते, और जन्म भर उहाँ छोटे मोटे कामों में लगे रहते हैं। जो हो, पर हमारे यहाँ का अवस्था इसमें बहुत भिन्न है। हमारे देश में शिक्षा अनिवार्य नहीं है। अतः यहाँ यदि देहात के लोग अपने बालकों को खेती बारी आदि के कामों में लगावें, तो किसी को विशेष आपत्ति नहीं हो सकती। पर, फिर भी, इसमें कोई रुदेह नहीं कि छोटी अवस्था के बालकों को जहाँ तक हो सके, शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए, और उसी के साथ-साथ उन्हें ऐसे कामों की भी शिक्षा मिलनी चाहिए,

रखनेवाले आवश्यक और उपयोगी विषयों पर सार्वजनिक व्याख्यान कराती हैं। कुछ सस्थाएँ ऐसी हैं, जो कारखानों में काम करनेवाली स्त्रियों के वेतन आदि बढ़ाने का ही प्रयत्न करती हैं। प्रतिवर्ष भिन्न भिन्न स्थानों में इसके बड़े-बड़े अधिवेशन भी होते हैं, जिनमें अनेक विषयों पर विचार और भाषण होते हैं। जो स्त्रियाँ छोटे-बड़े काम करती हैं, उन्हें यह संस्था ऊँचे-दरजे के काम सिखलाती है, और इस प्रकार उन्हें अधिक वेतन या पारिश्रमिक उपार्जित करने के योग्य बनाती है। यह ऐसे शिक्षालय स्थापित करती है, जिनमें युवकों और युवतियों को यह सिखलाया जाता है कि अमुक पेशे में इस प्रकार काम करना पड़ता है, और अमुक विभाग में इस प्रकार रहना पड़ता है। इस प्रकार वह लोगों को सब तरह के काम करने के लिये तैयार करती है। प्रत्येक विषय या विभाग की शिक्षा के लिये उस विषय या विभाग के अच्छे-अच्छे दक्ष लोग नियुक्त किए जाते हैं, और उन्हीं विषयों के और भी अधिक दक्षों की समिति उनकी सारी व्यवस्था करती है। इस संस्था के द्वारा जो लोग किसी विषय की अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेते हैं, उन्हें जल्दी और अच्छे वेतन पर अच्छा काम मिल जाता है।

इंग्लैंड में आरम्भिक शिक्षा बिलकुल अनिवार्य है। प्रत्येक बालक को स्कूल में जाकर शिक्षा प्राप्त करनी पड़ती है। परन्तु सभी बालकों के माता-पिता ऐसे नहीं हो सकते, जो उन्हें

बराबर पढ़ाया ही करें, और उनसे किसी प्रकार का काम न लिया करें। इसीलिये वहाँ बहुत-से ऐसे बालक भी होते हैं, जो स्कूल से छुट्टी पाने पर अनेक प्रकार के छोटे मोटे फुटबल काम किया करते हैं। उदाहरणार्थ, वे घर घर जाकर दूध पहुँचा आते हैं, अखबार वॉट आते हैं, और फल फलहरी तथा खिलौने आदि बेच लाते हैं। इस प्रकार के कामों से उन्हें जो कुछ मिलता है, उससे उनका थोड़ा बहुत निर्वाह हो जाता है। पर अधिकांश बड़े बड़े अँगरेजों का यही मत है कि बालकों से, इस छोटी उमर में ओर पढ़ाई की अवस्था में, काम लेने उनके भारी जीवन पर बहुत ही बुरा परिणाम होता है। इसका मुख्य कारण वे यह बतलाते हैं कि इस प्रकार के काम आर्थिक दृष्टि से विशेष लाभदायक तो होते ही नहीं, और न ऐसे कामों में लगकर बालक कोई खास काम या पेशाही सीख सकते हैं। इसीलिये बड़े होने पर वे कोई अच्छा या भारी काम नहीं कर सकते, और जन्म भर उहाँ छोटे मोटे कामों में लगे रहते जो हों, पर हमारे यहाँ का अवस्था इससे बहुत भिन्न है। हमारे देश में शिक्षा अनिवार्य नहीं है। अतः यहाँ यदि देहात के अपने बालकों को खेती-बारी आदि के कामों में लगाव किसी को विशेष आपत्ति नहीं हो सकती। पर, फिर भी, कोई संदेह नहीं कि छोटी अवस्था के बालकों को जहाँ तक संके, शिक्षा देने की व्यवस्था होनी चाहिए, और उनका साथ-साथ उन्हें ऐसे कामों की भी शिक्षा मिलनी चाहिए।

जिसमें वे बढ़ते होने पर स्वतंत्रता पूर्वक अपना निर्वाह कर सक। ऐसी कोरी पढाई, जिसके साथ किसी शिल्प या व्यवसाय आदि की शिक्षा न हो, कभी लाभदायक नहीं हो सकती। उससे तो बालक और भी चौपट हो जाते हैं, और आजन्म अकर्मण्य ही बने रहते हैं। अतः हमारे देश में सबसे पहले इस बात की व्यवस्था होनी चाहिए कि बालकोंको साधारण शिक्षाके साथ साथ किसी शिल्प या व्यवसाय आदि की भी शिक्षा मिले। हमारे देश को इस समय सबसे अधिक दो ही बातों की आवश्यकता है—एक शिक्षा की और दूसरे संगठन की। और, जब इन दोनों बातों की यथेष्ट व्यवस्था हो जायगी, तब आज कल का होनेवाला जन-क्षय और जन-क्षय विलकुल रुक जायगा। उस समय हमारा देश न तो इतना दुर्बल और हीन रहेगा, और न इतना धनहीन तथा दरिद्र ही। इसके लिये हमारे देश की स्त्रियाँ और पुरुषों को मिलकर पूरा-पूरा उद्योग करना चाहिए।

तेरहवाँ प्रकरण

उद्धार-कार्य

एक विद्वान् का मत है कि जिस व्यक्ति में पाश्चाताप करने का गुण और सुधार करने की शक्ति होती है, उसके लिये भविष्य सदा खुला रहता है। इसका मतलब यही है कि जो लोग अपने पुराने दुष्कर्मों के लिये दुःखी होते हैं, और आगे अपने आपका सुधारना चाहते हैं, वे चाहे कितने ही घुरे-घुँसे न हों, पर, फिर भी, यदि चाहें तो भविष्य में अपना सुधार करके अच्छी उन्नति कर सकते हैं।

मुप्रसिद्ध घोर नेपोलियन ने एकवार कहा था—“जब बहुत से पापी और दुराचारी एक स्थान पर एकत्र होते हैं, तब वे आपस में एक दूसरे को और भी अधिक चोपट कर देते हैं, और जब वे सजा भोगकर, जेल से निकालने के बाद, फिर समाज में प्रवेश करते हैं, तब वे पहले से और भी अधिक बुराव हो जाते हैं।”

आजकल समाज के सामने यह एक बहुत बड़ा प्रश्न उपस्थित है कि जो लोग एक बार कोई अपराध करके सजा पावें, वे जब सजा भोग चुकें, तब उनके सुधार का क्या उपाय होना

चाहिए ? हमारे देश में अभी इस प्रश्न की ओर किसी का विशेष ध्यान नहीं गया है, क्योंकि हमारे यहाँ की परिस्थिति और देशों से कुछ विलक्षण है। यहाँ जो व्यक्ति एक बार जेल हो आता है, वह मानों एक प्रकार से सदा के लिये पतित हो जाता या कम-से कम सदा के लिये पतित समझा जाता है। उसके इस पतित होने का चाहे और कोई कारण हो या न हो, पर उसके लिये यही एक कारण यथेष्ट होता है कि वह जेल की रोटी खा आता है। पर पाश्चात्य देशों में इस प्रकार के कोई विचार नहीं है। वहाँ जो लोग एक बार कोई अपराज करने के कारण सजा पाते और सजा भोगने के बाद फिर समाज में आते हैं, वे इन्म दृष्टि से तो पतित नहीं समझे जाते कि वे जेल की रोटी खा आए हैं, पर हाँ, केवल इसी दृष्टि से अवश्य नीच और घृणित समझे जाते हैं कि वे जेल हो आए हैं। अब तो बहुत से लोग यह बात बहुत अच्छी तरह समझने लगे हैं कि जेल जाने के कारण अपराधियों का कोई सुधार नहीं होता, उलटे वे वहाँ से और भी गिगडकर और तराज होकर वापस आते हैं। पहले यही समझा जाता था कि जेल जाने से लोग सुधर जाते हैं, और इसीलिये वे जेल भेजे भी जाते हैं। पर अब इस बात के अनेक प्रमाण मिले हैं कि चाहे जेल जाने के डर से भते ही कुछ लोग अपराधों से बचे रहें, किंतु जेल जाने के उपरांत उनमें किसी प्रकार का सुधार नहीं होता, उलटे उनमें और भी अनेक दुर्गुण आ जाते हैं, और वे समाज

के लिये पहले से और भी भीषण हो जाते हैं। ऊपर महावीर नेपोलियन का जो कथन उद्धृत किया गया है, वह अक्षरशः सत्य है। नेपोलियन ने अपने समय में जो कुछ कहा था, वह केवल अपने अनुभव और निरीक्षण के आधार पर कहा था। पर आजकल, जब कि सभी बातों के बड़े बड़े लेखे तैयार किए जाते हैं, नेपोलियन के उक्त कथन की सत्यता बराबर प्रमाणित होती जाती है। एक अक्सर पर इंग्लैंड के होम-सेक्रेटरी मि० चर्चिल ने कहा था कि सन् १६०० से १६०३ तक इंग्लैंड में जितने कैदी जेलों से सजा भोगकर छूटे थे, उनमें तीन-चौथाई फिर पहले से भी अधिक लची लची सजाओं भोगने के लिये जेलों में चले गए। ऐसी दशा में यह कैसे माना जा सकता है कि जेल जाने पर लोगों का सुधार होता है? हाँ, उनके और भी अधिक पतित होने का अवश्य प्रमाण मिलता है, जिससे सिद्ध होता है कि जेलों में जाकर लोगों की अपराध करने की प्रवृत्ति और भी बढ़ जाती है। इंग्लैंड के केंद्रियों का सन् १६०८ का जो लेखा तैयार हुआ था, उसे देखने से मालूम होता है कि उस साल वहाँ के जेलों में ११,६२८ कैदी गए थे, जिनमें ८,०२० कैदी ऐसे थे, जो पहले भी सजा भुगत चुके थे। इस प्रकार मानों सैकड़ों ७०-७१ का अनुपात पटता है। यही दशा प्रायः सब देशों की है। जो जेल अपराधियों के सुधार के लिये बनाए जाते हैं, वे ही प्रकृति से उन्हें और भी अधिक अपराधी बनाने में सहायक होते हैं।

ऐसी दशा में समाज के दों ही कर्तव्य हो सकने हैं। एक तो यह कि वह जेलों के सुधार का आंदोलन करे, और दूसरा यह कि जा तांग एक बार जेल होकर लौट आए हों, उनके सुधार का प्रयत्न करे, और जहाँ तक हो सके, उन्हें किसी अच्छे और उपयोगी काम में लगाये। और, यदि इनके पर भी वे फिर दुबारा कोई भीषण अपराध करें, तो यह बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि अब तक जेलों का जो उद्देश्य मरना और समझा जाता है, वह इन जेलों से न कभी पूरा होता और न हो सकता है।

हमारे देश में अपराध करनेवाली स्त्रियों की संख्या अनेक कारणों से बहुत ही कम हुआ करती है। कुछ तो शिक्षा का अभाव, कुछ स्वतंत्रता का अभाव, कुछ परदे की प्रथा, कुछ धर्मभीक्ष्णता और कुछ इसी प्रकार के और अनेक कारण हैं, जहाँ की स्त्रियों से अधिक अपराध नहीं होने देते। पर पाश्चात्य देशों में, जहाँ शिक्षा का भी बहुत अधिक प्रचार है, स्त्रियों को स्वतंत्रता भी बहुत अधिक प्राप्त है, परदे की भी कोई प्रथा नहीं है, और जहाँ स्त्रियों के कार्य-क्षेत्र भी बहुत अधिक हैं, वहाँ अपराधिनी स्त्रियों की संख्या भी स्वभावतः बहुत अधिक होता है। वहाँ प्रायः ऐसा होना है कि छोटे-छोटे अपराधों के लिये भी स्त्रियों को प्रायः छोटी मोटी सजाएँ हो जाया करती हैं। और, फिर जब ऐसी स्त्रियाँ सजा भोगकर जेलखाने से निकलती हैं, तब उन्हें कोई अपने वहाँ घुसने नहीं देता। सब लोग यही

कहते हैं कि यह तो जेल हो आई है, इसे अपने यहाँ कोन रखेगा। इस प्रकार फिर वह कोई काम करने के योग्य नही रह जाती, और उसे लाचार होकर अपने उद्धार निर्वाह के लिये कोई-न जोर पेसा काम करना पड़ता है, जो कानून की दृष्टि से अपराध हो, और उसके कारण उसे पहले से भी अधिक लगी सजा भोगनी पड़े। यही कारण है कि पाश्चान्य देशों में स्त्री अपराधियों की संख्या दिन पर दिन बढ़ती जाती है। इंग्लैंड में सबसे पहले, सन् १८६७ में, श्रीमती मेरिडेथ नाम की एक भद्र महिला का ध्यान इस ओर गया था। उसने देखा कि एक बार जेल हो आने पर स्त्रियों प्रायः कोई काम करने के योग्य नहीं रह जाती, बल्कि यों कहना चाहिए वे तो बहुत कुछ काम करने के योग्य रहती हैं, पर समाज उन्हें कोई काम करने के योग्य नहीं मान देती। वह उन्हें इतना नीच और पतित समझती है कि उनके सुधार से बिलकुल निराश हो जाती है, और उन्हें अपने पास से दूर ही रखना चाहती है। श्रीमती मेरिडेथ ने ऐसी स्त्रियों को काम देने के लिये कपड़े की धुलाई का एक कारखाना खोला। तब से इस सत्र में इंग्लैंड में बहुत कुछ काम हुआ है। अब तो यहाँ कई ऐसे आश्रम बन गए हैं, जिनमें जेलों से सजा भोगकर निश्चिन्तवाली स्त्रियाँ भरती की जाती हैं, और उन्हें अनेक प्रकार के उपयोगी कामों की शिक्षा दी जाती है। कुछ स्थानों में वे कृषि-कार्यों में भी लगाई जाने लगी हैं। इन व्यवस्थाओं का परिणाम भी बहुत अच्छा देखने में आता है,

योंकि उनमें बहुत कम स्त्रियाँ ऐसी होती हैं, जो दुबारा कोई अपराध करके जेल जानी हैं। साधारणतः अप्रिकाश स्त्रियाँ अपना काम धधा करके अच्छी तरह जीवन व्यतीत करती हुई ही देपी जाती हैं।

हमारे देशवासी मुक्तिदायिनी सेना (Salvation Army) के नाम और कामों से बहुत भली भँति परिचित होंगे। इस सेना के सेनिक प्रायः सारे ससार में समाज-सुधार और लोकोपकार के बहुत बड़े-बड़े और उपयोगी काम कर रहे हैं। जेल से निकले हुए कैदियों के सुधार के लिये इस सेना ने जो कुछ काम किया है, वह भी बहुत ही प्रशसनीय और विशेष-रूप से उल्लेख योग्य है। अनुभव और परीक्षा से विदित हुआ है कि कैद भोग कर छोटे हुए लोगों के जीवन पर खेतों में रहकर शारीरिक परिश्रम करने का बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है, और उनके जीवन में बहुत जल्दी और बहुत अधिक सुधार हो जाता है। ऐसे लोग जब फिर एक बार अच्छी तरह जाने कमाने लग जाते हैं, तो फिर किसी अपराध करने की ओर उनकी सहसा प्रवृत्ति ही नहीं होती, और वे बहुत अच्छी तरह शुद्ध जीवन व्यतीत करते हैं। यदि भारतवर्ष में भी जेल से लौटनेवाले पुरुषों और स्त्रियों के सुधार के लिये इसी प्रकार के उद्योग किए जायँ, तो उनसे बहुत कुछ लाभ हो सकता है, और समाज के माथे से एक बहुत बड़ा कलक मिटाया जा सकता है।

कोई बीस पचीस वर्ष हुए, इंग्लैंड के हेड्ले-नामक स्थान

में मुक्तिदायिनी सेना ने तीन हजार एकड़ जमीन खरोदा थी । जिस समय वह जमीन खरीदी गई था, उस समय वह बिलकुल बेकार पड़ी हुई थी । उससे एक पैसे की भी आमदनी नहीं होती थी, वह बिलकुल निरर्थक समझी जाती थी । मुक्तिदायिनी सेना ने जेल से निकलनेवाले लोगों को, सुधारन और काम देने के उद्देश्य से, वहीं रखना और उनसे अनेक प्रकार के काम लेना आरंभ किया । परिणाम यह हुआ है कि आज वही जमीन बिरा-कुल चमन और हरी भरी हो रही है । वहाँ चारों ओर बगीचे लगे हुए हैं, जिनमें बहुत अच्छी-अच्छी तरकारियाँ और फल-फूल होते हैं । वहाँ बहुत से मुरगे और मुरगियाँ पाली जाती हैं, जिनके अण्डों और बच्चों का बहुत अच्छा रोजगार होता है । वहाँ बैल और घोड़े आदि भा तेयार किए जाते हैं । एक ओर ईंटों का भट्टा भी बना हुआ है । वहाँ बहुत-से लोग नियुक्त हैं, जो जेल से छूटकर आए हुए अपराधियों को तरह-तरह के बहुत अच्छे-अच्छे काम सिखाते हैं, और वे लोग काम सीखकर भली भाँति जीविका निगाह करने लग जाते हैं । जो लोग एक घार शरान, लुप और पेमाशी आदि में अपना सबस्व खोकर किसी अपराध में जेल हो आते हैं, वे कुछ दिनों तक इस स्थान में रहकर इतने सच्चरित्र और योग्य हो जाते हैं कि बहुधा वे धीरे-धीरे फिर अपनी पूर्व स्थिति पर पहुँच जाते और सुख पूर्वक जीवन बिताने लगते हैं । जब वे आश्रमों में प्रवेश करने लगते हैं, उस समय उनसे यह प्रतिज्ञा करा ली जाती है कि हम

आश्रम के नियमों का पूर्ण रूप से पालन करेंगे, और कभी मदिरा और किसी मादक द्रव्य का सेवन न करेंगे । जो लोग आश्रम में प्रवेश करते हैं, वे प्रायः गेली-बारी के कामों से बिलकुल ही अनभिज्ञ हुआ करते हैं; और इसलिये पाठक तथा पाठिकाएँ सहज में ही इस बात का अनुमान कर सकेंगी कि वे आरम्भ में बहुत समय तक कोई ऐसा काम नहीं कर सकते, जो आर्थिक दृष्टि से लाभदायक हो । उन्हें प्रायः सभी बातें बिलकुल आरम्भ से सिखानी पड़ती हैं । आश्रम में उन्हें भोजन और रहने के लिये स्थान तो मिलाता ही है, पर साथ में कुछ मजदूरी भी मिलती है । यह मजदूरी परिश्रम और कार्यके अनुसार हुआ करती है । जो जितना ही अधिक परिश्रम और उत्तम काम करता है, उसे उतनी ही अधिक मजदूरी मिलती है । इसलिये लोग कुछ तो देखादेखी और कुछ अधिक मजदूरी की लालच से अच्छा और अधिक काम करने लगते और मन लगाकर अच्छे-अच्छे काम सीखने हैं । जो लोग परिश्रमी और चतुर होते हैं, वे दो-ही चार महीने में बहुत-सा काम सोल लेते और अच्छी मजदूरी पाने लगते हैं । उन्हें जो कुछ मजदूरी मिलती है, उसे वे अपने पास जमा रखते हैं, क्योंकि यहाँ खर्च करने का तो कोई साधन होता ही नहीं । इस प्रकार उन्हें मितव्ययी होने की भी अच्छी शिक्षा मिलती है, और थोड़े ही समय में वे कुछ पूँजी भी जमा कर लेते हैं । पीछे जब वे आश्रम छोड़कर निकलते हैं, तब उनके पास कोई काम आरम्भ करने के लिये कुछ पूँजी भी

रहती है। इसलिये उन्हें जीवन निर्वाह में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं होती। जो लोग अधिक परिश्रम पूर्वक और अच्छा काम करते हैं, उनका दर्जा भी बराबर बढ़ता जाता है, और उन्हें अधिक मज़दूरी के अतिरिक्त अच्छा भोजन और रहने के लिये अच्छा स्थान भी मिलने लगता है। इस प्रकार के अनेक प्रलोभनों तथा सात्विक जीवन व्यतीत करने के कारण, थोड़े ही समय में, वे बहुत अधिक उन्नति कर लेते हैं। आश्रम में एक पुस्तकालय भी है, जहाँ वे लोग पुस्तकें और समाचार पत्र आदि पढ़ सकते और नगर की यात्रों से भी भली-भाँति परिचित हो सकते हैं। उनमें से जो लाग बहुत अधिक योग्य हो जाते हैं, उनकी नोकरी या और किसी दूसरी जीविका की भी व्यवस्था मुक्तिदायिनी सेना की ओर से हो जाती है। इन आश्रमों में जो चीजें तैयार होती हैं, वे आसपास के बाजारों में विक्रय के लिये जाती हैं, और अच्छे दामों पर विक्रय होती हैं। तो भा उन चीजों के दाम से आश्रम का खर्च नहीं चलता, और उसके लिये लोगों से कुछ चढ़ा रोना पड़ता है। लेकिन इससे समाज का बहुत अधिक उपकार होता है, इसमें कोई संदेह नहीं। जो लोग फिर समाज में जाकर लुब्धे, उचकें उठाइंगीरे और बदमाश होते, वे इस आश्रम की कृपा से भले आदमी, परिश्रमी और सच्चरित्र हो जाते हैं। इस प्रकार स्वयं उन लोगों का भी कल्याण होता है, और समाज का भी। और फिर, दूसरी बात यह है कि उनको खैराती ढग का काम नहीं

सिखलाया जाता, घटिक पेसा काम सिखलाया जाता है, जिससे वे समाज और राष्ट्रके लिये बहुत अधिक उपयोगी हो जाते हैं। इस व्यवस्था के समय में कुछ लोग यह आपत्ति करते हैं कि ऐसे आश्रमों में काम करनेवालों को जो बहुत थोड़ी मजदूरी दी जाती है, उसके कारण बाहर कारखानों आदि में काम करनेवाले साधारण मजदूरों की मजदूरी की दर गण जाती है। इस प्रकार की आपत्तियाँ प्रायः वही लोग करते हैं, जिनकी दृष्टि मदा आर्थिक और स्वार्थपूर्ण रहती है, जिनमें मनुष्य तथा सदृशता का विलकुल अभाव रहता है, और जिनकी समझ में यह बात ही नहीं आती कि संसार में परोपकार भी कोई चीज है, और उसके लिये भी मानव हृदय में कोई स्थान होना चाहिए। पर यदि केवल आर्थिक दृष्टि से ही देखा जाय, तो भी उनकी इस आपत्ति में कोई सार नहीं दिखलाई देता, क्योंकि यदि जेल से निकले हुए लोग कहीं बाहर कारखाने में काम करने के लिये जायें, तो पहले तो कोई उन्हें जल्दी अपने यहाँ रखेगा ही नहीं, और यदि दया करके रख भी लेगा, तो भी उन्हें उतनी अधिक मजदूरी नहीं देगा, जितनी साधारण और अच्छा काम सीखे हुए लोगों को दी जाती है। इसलिये ऐसे लोगों की साधारण मजदूरों के साथ आर्थिक दृष्टि से भी कोई प्रतिद्विधा नहीं हो सकती। और फिर, ऐसे आश्रम किसी आर्थिक लाभ के विचार से तो स्थापित किए ही नहीं जाते, उनकी स्थापना का मुख्य उद्देश्य तो परोपकार ही होता है।

यिनी सेना के अधिकारियों के हाथ में साप देती है, मानों व एक प्रकार से सेना के पास श्रमानत में रख दिए जाते हैं। जब तक ऐसे लोगों के लिये काम की कोई व्यवस्था नहीं होती, तब तक सेना उनका सारा व्यय अपने पास से देती और उन्हें अपने यहाँ रखकर कुछ-न-कुछ काम सिखलाती रहती है। सेना के अधिकारियों में बहुतेरी स्त्रियाँ भी होती हैं। वे प्रायः अपना सारा समय स्त्री-कैदियों से मिलने-जुलने और उन्हें परामर्श देने में ही बिताती हैं, और जहाँ तक हो सकता है, उनके लिये भी वैसी ही व्यवस्था करती हैं, जैसी पुरुषों के लिये की जाती है। यद्यपि मुक्तिदायिनी सेना को बड़े-बड़े नगरी अपराधियों और विकट दुश्चरित्रों से काम पड़ता है, फिर भी उसे अपने प्रयत्न में जो सफलता होती है, वह बहुत अधिक और आशातीत है। उसकी इस सफलता का कारण एक विद्वान् ने यह बतलाया है कि वह जिस कैदी से जो वादा कर देती है, उसे बराबर पूरा करती है। किसी कैदी को वह कोई भूठी आशा नहीं देती। इसके अतिरिक्त सेना के अधिकारी उन कैदियों के साथ बहुत ही प्रेमपूर्ण और सहानुभूति-पूर्ण व्यवहार करते हैं, जिससे उनमें एक नई आशा, नए आत्मसम्मान और नए जीवन का संचार होता है। वे समझने लगते हैं कि इस गई-घीती हालत में भी हमारा कोई आश्रयदाता है, और हमारे लिये श्रम भी समाज में वहाँ स्थान मिल सकता है। ऐसे कैदियों में जो लोग बहुत अच्छे निकलते हैं, और जिनके विचार

सेना के अधिकारियों के साथ रहते-रहते बहुत उच्च हो जाते हैं, वे भी आपश्यशक्ता पडने पर सेना के अधिकारी बना दिए जाते और इसी काम में लगा दिए जाते हैं। वे पहले के पापी और अपराधी होते हैं, पर पीछे से अपना जीवन सुधार लेते हैं। ऐसे लोगों की अवस्था देखकर और बातें सुनकर कैदियों को और भा अधिक आशा होने लगती है, और वे समझने लगते हैं कि चाहे हम कितने ही पतित ज्यों न हा गए हों, पर, फिर भी, यदि हम चाहें, तो अपने-आपको बहुत कुछ सुधार सकते हैं। यही आशा और यही भाव उनके सुधारने में और अधिक सहायक हुआ करता है। किसी ने बहुत ठीक कहा है कि एक भलाई से सो भलाईयाँ पैदा होता है, और एक बुराई से हजार बुराईयाँ। इस कथन की सत्यता यहाँ आकर बहुत अच्छी तरह प्रमाणित हा जाती है।

इस मुक्तिदायिनी सेना ने ये सब काम केवल इंग्लैंड या रोग्य में ही नहीं किए हैं, बल्कि इसका कार्य-क्षेत्र प्रायः सारे मन्सार में विस्तृत है। हमारे भारतवर्ष में भी इस सेना का बहुत बड़ा पडाव है, जिसके द्वारा अनेक रूपों में बहुत-से अच्छे काम होते हैं। भारतवर्ष में यहाँ के आदिम निवासियों के प्रायः तास लाख ऐसे बंशज हैं, जिनके रहने के लिये कोई घर या र नहीं है, और जो सदा चारों ओर सागाबदोशों की भाँति धूमते-फिरते रहते हैं। ये लोग बहुत दरिद्र होते हैं, और प्रायः चोरी आदि करके अपना निर्वाह करते हैं। ये सदा अनेक प्रकार के

अपराध करने रहते हैं, इसलिये सरकारी परिभाषा में "जरमपेशा" कहलाते हैं। इन पर पुलिस की बहुत कड़ी नज़र रहती है। जहाँ-जहाँ इनकी कोई टोली जाती है, वहाँ-वहाँ इन-साथ पुलिस के कुछ सिपाही, गोडैत या चौकीदार आदि भी रहते हैं। सरकार इन लोगों को सजाएँ देते देते हार गई इन पर निगाह रखाते रखाते चर गई, इनकी व्यवस्था करते करते निराश हो गई, पर ये लोग प्रायः जहाँ-कहाँ ही रहे। इनका कुछ भी सुधार न हो सका। अभी कुछ ही वर्षों की बात है कि संयुक्त-प्रान्त की सरकार ने इन्हें अपने-प्रान्त से बाहर निदाल दिया था। पर ये लोग आखिर जाते कहाँ? इसलिये घूम फिरकर फिर इसी प्रान्त में लौट आए। लाचार होकर इस प्रान्त के भूतपूर्व छोटे-लाट सर जान दिवेट ने मुक्तिदायिनी सेना के अधिकारियों से प्रार्थना की कि आप लोग किसी प्रकार इनका सुधार करें। जब से मुक्ति-सेना के अधिकारियों ने इन लोगों के सुधार का काम अपने हाथ में लिया है, तब से ये लोग कुछ मिहनत मजदूरी करके कमाने लगे हैं। कुछ समय के उपरांत इनमें से कुछ लोगों ने स्वयं ही यह इच्छा प्रकट की कि हम लोग कालीन धुने के कारखानों में भरती किए जायें। इसके सिवा कुछ और ऐसे काम थे, जिनमें मुक्ति सेना के अधिकारी उन लोगों को लगाना चाहते थे। उन कारखानों में भरती होकर काम करने की भी इच्छा उन लोगों ने प्रकट की। अब उनमें बहुत-से ऐसे लोग हैं, जो मामूली कपड़े, दरियाँ और कालीन।

आदि बुनने अथवा बटुए, सटूक, रस्से और इन्नी तरह की और अनेक वस्तुएँ बनाने लग गए हैं। अब इन लोगों में काम करने की प्रवृत्ति धीरे धीरे बढ़ती जाती है, और ये लोग बहुत कुछ सुधरते जाते हैं। इसका मुख्य कारण कदाचित् यही है कि मुक्ति सेना के अधिकारी इन्हें पतित और नीच नहीं समझते, बल्कि इन्हें अपना भाई समझकर सुधारने का उद्योग करते हैं। ये लोग काम करना तो बहुत जल्दी सीप जाते हैं, लेकिन बहुत दिना, पतित पुश्तों से, इनमें आजार-गरदी चली आई है, इसलिये अभी प्रायः बहुत मन लगाकर या निरंतर नहीं काम करते। जब भी अवसर पाते हैं, तब फिर अपने पुराने ढंग पर लग जाते हैं, और चोरी करने अथवा डाकें डालने लगते हैं। ता भी जिस ढंग से वे काम में लग रहे हैं, उसे देखते हुए यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आज नहीं, तो कुछ दिनों बाद ये लोग बहुत कुछ ठिकाने आ जायेंगे, और भले आदमियों की तरह काम करने लगेंगे। मुक्ति सेना को इन जरायम पेशा लोगों के सुधार में जो सफलता हुई है, उसे देखते हुए हमें इस सस्था इस सुधार सगधी कार्य की मुक्तकण्ठ से प्रशंसा ही करनी पड़ती है। पुलिस और जेल स जिन लोगों का कुछ भी सुधार नहीं हुआ, उन लोगों में उक्त सेना ने बहुत कुछ सुधार कर रखलाया। यह कोई साधारण बात नहीं है।

जेल तो सारे ससार में हैं, और उनमें अधिकांश एक ही तरह के हैं। उन जेलों के अनुभव से प्रायः समस्त ससार के

विचारशीलों ने यहाँ स्थिर किया है कि अपराधियों के चरित्र पर जेल के जीवन का कोई अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता, उल्टे बहुत अशोभनीय भी बुरा हो जाता है। जो लोग एक बार जेल हो आते हैं, उनमें से अधिकांश जेल की कठिनाइयों को कोई चीज ही नहीं समझने, और अनेक तो फिर भी ऐसे ही अपराध करते हैं, जिनके कारण वे पुनः जेल भेज दिए जाते हैं। इसमें कुछ तो समाज का दोष है, और कुछ पुलिस तथा अधिकारियों का। समाज ऐसे लोगों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखती, और न उनकी जीविका आदि का ही कोई प्रबंध करती है। उधर पुलिस भी ऐसे लोगों के पीछे पड़ी रहती है, और जब अक्सर पाती है, तब उन्हें जेल भेजने का प्रबंध करती है। जो व्यक्ति एक बार जेल हो आता है, उसे दुबारा और भी अधिक समय के लिये जेल भेजने में अदालत को भी कोई संकोच नहीं हाता; साधारण-से साधारण अपराध के लिये भी वह उसे बहुत अधिक समय तक के लिये जेल भेज देती है। इस प्रकार जेल मानों लोगों के जीवन सुधारने के बदले उल्टे उन्हें और अधिक नष्ट करने का साधन बन जाता है। पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की दशा तो और भी अधिक खराब हो जाती है। इसी लिये ससार के सभी बड़े बड़े समझदार कोई ऐसा उपाय सोचने में लगे ह, जिससे इस दुर्दशा से समाज की रक्षा हो। सुनते ह, अमेरिका के कुछ देशों में ऐसी व्यवस्था है कि अपराधी को पहले अपराध के कारण वाले न्यायाधीशों के सामने

बहुत ही थोड़ी—प्राय तीन या दू मास तक को—सजा दी जाता है। और, जब वे पहली सजा भोगकर निकलने लगते हैं, तब उन्हें साग्गान करके किसी ऐसी सरया के सिपुर्द कर दिया जाता है, जो ऐसे लोगों के सुधार के लिये हो स्थापित होती है। यदि वे लोग सुधर गए, तब तो ठीक ही है, और यदि न सुधरे और उन्होंने फिर कोई अपराध किया, तो जिना इस बात का विचार किए कि उनका अपराध छोटा है या बड़ा, वे बहुत अधिक दिनों के लिये, प्राय पाँच-सात वर्षों के लिये, जेल भेज दिए जाते हैं। यदि दूसरी बार जेल से निकलने के उपरांत भी वे कोई अपराध करते हुए पाए जाते हैं, तो फिर वे जीवन भर के लिये जेल में बंद कर दिए जाते हैं। भारत में ता दूँदने पर ऐसे सैंकड़ों हजारों आदमी मिलेंगे, जो बीस-बीस और पचास-पचास बार जेल हो आए हैं, पर उक्त देशों में जो व्यक्ति तीसरी बार जेल जाता है वह फिर जीते जी जेल से निकल ही नहीं सकता। इस समय भारतवर्ष में और सारे ससार के अधिकांश देशों में जेलों की जो प्रथा प्रचलित है, उसकी अपेक्षा उक्त प्रथा अवश्य ही बहुत कुछ अच्छी है, और उसके कारण बहुत से लोगों का जीवन सदा के लिये नष्ट होने से बच जाता है। पर, फिर भी, उसमें भी अनेक दोष हैं, और लोग इससे भी अधिक उत्तम उपाय सोचने की चिंता में लगे हुए हैं। अन्य दोषों में एक बड़ा दोष यह है कि कभी-कभी कुछ लोगों के जीवन तो अवश्य ही सदा के लिये नष्ट हो जाते हैं।

ऐसे उपायों से हमारा सबध इसलिये बहुत ही कम है कि हमें जेलों की व्यवस्था में सुधार करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है। इसलिये हमें इन विषय को जहाँ-तहाँ छोड़कर ऐसे उपायों का अन्वयन करना चाहिए, जिससे जेल से लौट हुए लोगों के जीवन में सुधार हो सके, और उनके द्वारा जेल जाने की नोबत न आये। साथ ही हमें कुछ ऐसे उपायों का भी अन्वयन करना चाहिए, जिनके द्वारा जेल के इस सन्ना नाशी प्रभाव का आरम्भ में ही समस्त नाश हो जाय, और वह बढ़कर समाज का नाश न करने पावे। इंग्लैंड, अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी आदि अनेक पाश्चात्य देशों में कुछ ऐसी व्यवस्थाएँ हैं, जिनके द्वारा युवकों और युवतियों के आन्तरण में बहुत कुछ सुधार किया जाता है, जिससे उनके द्वारा जेल जाने की जल्दी नोबत ही नहीं आती। यहाँ हम मक्षेप में उन्हीं उपायों और व्यवस्थाओं का कुछ वर्णन करना चाहते हैं।

जब इंग्लैंड के अधिकारियों ने देखा कि नवयुवकों के चरित्र पर जेल के जीवन का इतना भीषण और घातक प्रभाव पड़ता है कि उनमें से अधिकांश बार-बार लौटकर फिर जेल में ही आते हैं, तब सन् १८५४ में वहाँ रिफारमेटरी स्कूलों के सबध का पैकेट पास हुआ। तब से वहाँ यह व्यवस्था है कि बारह वर्ष से ऊपर और सालह वर्ष के नीचे के जो बालक कोई ऐसा अपराध करते हैं, जिसके कारण वे जेल भेजे जा सकते हैं, तो वे जेल में नहीं भेजे जाते, बल्कि किसी रिफारमेटरी स्कूल

में भेज दिए जाते हैं। भारतवर्ष में भी यही प्रथा प्रचलित है, और यहाँ प्रायः प्रत्येक प्रातः में एक रिफारमेटरी स्कूल स्थापित है। हमारे संयुक्त प्रातः में ऐसा रिफारमेटरी स्कूल चुनार के किले में है। ऐसे स्कूलों में अपराधी बालकों को रखकर उन्हें अनेक प्रकार के काम सिखाए जाते हैं, और उनके चरित्र में सुधार करने का उद्योग किया जाता है। इसके सिवा इंग्लैंड में कुछ ऐसे शिल्प-संबन्धी स्कूल भी स्थापित हैं, जिनमें वे बालक भेजे जाते हैं, जो कोई अपराध तो नहीं करने, पर फिर भी जिनका चरित्र अच्छा नहीं होता, और जिनके संबंध में यह आशंका की जाती है कि इनका चरित्र जल्दी नष्ट हो जायगा। जो बालक बड़े होने पर अनेक प्रकार के कुट्ट्य करने लग जाते, वे आत्म में ही दुश्चरित्र लोगों के संसर्ग से अलग कर लिए जाते और इस योग्य बना दिए जाते हैं कि वे भले आदमियों की तरह जीवन व्यतीत कर सकें, और ईमानदारी से जीविका निर्वाह कर सकें। प्रायः जो बालक गलियों में आचारा घूमते या भीख माँगते हुए पाए जाते हैं, वे पहले किसी मजिस्ट्रेट के सामने उपस्थित किए जाते हैं, और तब उसकी आज्ञा से कुछ समय के लिये किसी ऐसे ही स्कूल में भेज दिए जाते हैं। जो बदचलन, शराबी या जुआड़ी आदि अपने लडकों की ठीक-ठीक देखरेख नहीं कर सकते, उनके वधे अथवा बदचलन आदमियों के साथ रहनेवाले लडके भी ऐसे स्कूलों में भेज दिए जाते हैं। ऐसे स्कूलों से जो लडकियाँ या

अच्छी तरह अपना जीवन व्यतीत करती हैं, और जल्दी उनके आचरण के सवध में कोई शिकायत नहीं सुनने में आती।

फ्रांस में बहुत-सी ऐसी सभाएँ स्थापित हैं, जिनका सदस्य केवल स्त्रियाँ ही होती हैं। ये स्त्रियाँ जेलों में जाकर स्त्री-कैदियों से मिलती हैं, और जहाँ तक हो सकता है, उन्हें इस योग्य बनाती हैं कि वे जेल से बाहर निकलने पर इधर-उधर मारी मारी न फिरे, बल्कि किसी अच्छे काम में लग जायें। कुछ ऐसी सभाएँ भी हैं, जिनमें जेल से निकलने पर स्त्रियाँ कुछ समय तक के लिये भरती हो सकती हैं, और वहाँ रहकर वे अनेक प्रकार के काम सीख सकती हैं। ऐसी सभाएँ उन्हें कई तरह के काम सिखलाकर उनकी जीविका की भी कुछ व्यवस्था कर देती हैं। यदि सच पूछा जाय, तो कैदियों के सुधार का सबसे प्रधान अपसर वही होता है, जब वे जेल से बाहर निकलते हैं; क्योंकि जेल में रहने पर ता वे इतने लाचार होते हैं कि सइसा न तो कोई अपराध ही कर सकते और न किसी कुमार्ग में ही प्रवृत्त हो सकते हैं। पर जब वे जेल से निकलकर स्वतंत्र हो जाते हैं, तब उनकी पाशविक वृत्तियाँ फिर स्पन्दित हो जाती हैं, और वे अनेक प्रकार के कुमार्गों में लग जाते हैं। वस, वही एक ऐसा अपसर होता है, जब उन्हें संभाले रहने और कुमार्ग में न फँसने के देने के लिये सतर्क रहना पड़ता है। इन्हीं सब बातों का विचार करके फ्रांस में एक ऐसी सस्था खोली गई थी, जिसमें जेल से छूटकर निकलनेवाली तेरह से इक्कीस वर्ष तक

को श्रवस्था की बालिकाएँ और लियों रक्खी जाती थीं। पहले बहुत ही थोड़ी लडकियाँ भरती की गई थीं। यद्यपि उन पर काफी कड़ी निगाह रक्खी जाती थी, फिर भी उनके साथ वेसी सख्ती नहीं की जाती थी, जैसी जेल में की जाती है। उन लडकियों को सेतीबारी और बागवानी के काम में लगाया गया था, जिसका परिणाम बहुत ही शुभ हुआ। इस बात का अनुभव प्रायः सभी देशों में हो चुका है कि जो लोग बगीचों या रोतों आदि में, खुली हवा में, काम करते हैं, उनकी शारीरिक और नैतिक, दोनों प्रकार की उन्नति अपेक्षा-शून्य शीघ्र और कुछ अधिक हाती है। नगरों की घनी धस्तियों में रहने पर न तो वे शारीरिक दृष्टि से उतने अच्छे रहते हैं, और न नैतिक दृष्टि से ही। अतः इस सस्था को और सस्थाओं की अपेक्षा अधिक सफलता हुई थी। जो लोग जेल से छूटकर आए हों, उनके लिये प्रायः ऐसे ही काम अधिक उपयुक्त हुआ करते हैं, जिनमें लगातार बहुत देर तक एक ही स्थान पर न बैठे रहना पड़े, पर साथ ही काम भी कुछ धन न करना पड़े। यदि उस काम के अतर्गत और भी कई तरह के काम हों, तो परिणाम और भी अच्छा हाता है। फ्रांस की उक्त सस्था में लडकियों से कुछ सोने पिग्ने का भी काम लिया जाता था, और उस काम से जो कुछ आय होती थी, उससे उस सस्था का कुछ व्यय चलता था। शेष समय में उन्हें बागवानी करनी पडती थी, सुरक्षित रखनी देखरेख रखनी पडती थी, भोजन घनाना

इसी प्रकार के और अनेक काम करने पड़ते थे । रविवार के दिन उन्हें कुछ पढाया लिखाया भी जाता था, और बाहर घूमने के लिये भी निकाला जाता था । प्रत्येक लडकी के परिश्रम से जो कुछ आर्थिक आय होती था, उसका कुछ अंश स्वयं उस लडकी के लिये भी बचाकर रखा जाता था, जो उसे सस्या से निकलने के समय दे दिया जाता था । उसी रकम से वह आगे चलकर अपनी जोविषा निर्वाह का प्रबंध करती थी; अथवा जब तक उसे कोई काम नहीं मिलता था, तब तक वह उसी से अपना गुजर करती थी । इस व्यवस्था का एक अच्छा फल यह भी हुआ करता था कि वे अधिक जमा करने के उद्देश्य से अन्य अनेक बातों में भी अपनी कार्य पटुता दिखाती थीं ।

जेलों से प्रायः बहुत-से ऐसे कैदी निकला करते हैं, जिनका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता, और जो किसी तरह का काम नहीं कर सकते । ऐसे कैदियों के लिये इस प्रकार की सस्थाएँ बहुत उपयोगी हुआ करती हैं । कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, जिनका कोई परिहार ही नहीं होता, और कुछ लोग ऐसे होते हैं, जिनका परिवार होते हुए भी न होने के बराबर हाता है । कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, जिन्हें उनके परिवार के लोग या सवधी और मित्र आदि अपने घर में लेने से लज्जित होते हैं, या जो स्वयं ही अपनी समाज में जाने से लज्जित होते हैं । यदि इस देश में भी इसी प्रकार की कुछ सस्थाएँ खुल जायँ, तो ऐसे कैदियों का बहुत कुछ उपकार हो सकता है, और वे

सहज में फिर से समाज में नमिलित हो सकते हैं। ऐसी सस्थाओं के अभाव में प्रायः यही होता है कि जेल से निकलने पर अधिकांश लोग फिर पहले से भी कोई अधिक भीषण अपराध कर बैठते अथवा केवल अपने उद्दर पोषण के लिये ही छोटी मोटी चोरी ही कर बैठते हैं, जिसके कारण उन्हें फिर पहले से भी अधिक समय तक के लिये जेल जाना पड़ता है, और इस प्रकार मानों उनका मारा जी वन ही नष्ट हो जाता है।

फ्रांस में एक जज थे, जिनकी समझ में यह बात अच्छी तरह आ गई थी कि नवयुवकों को जेल भेजने का परिणाम प्रायः बहुत ही बुरा होता है। इसलिये उन्होंने एक ऐसी ही सस्था स्थापित की थी। वह खास-खास नवयुवकों को जेल न भेजकर उसी सस्था में भेज देते थे, जहाँ उन्हें खेती-बारी आदि की शिक्षा दी जाती थी। परिणाम यह होता था कि जो नवयुवक उस सस्था में कुछ दिनों तक रहने के उपरांत निकलते थे, वे बहुत ही सभ्य और सचरित्र नागरिक बन जाते थे। उन्हें खेती बारी और वागवानी के सिवा पशु पालन आदि की भी शिक्षा दी जाती थी, और रेशम के कीड़े पालकर उनसे रेशम तैयार करना भी सिखलाया जाता था। उसमें रहनेवाले नवयुवकों को परिश्रम तो अत्यधिक करना पड़ता था, पर उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा रहता था, और चरित्र भी बहुत सुधर जाता था। जब इस सस्था को आशातीत सफलता

हुई, तब उसके ढग पर वहाँ और भी बहुत-सी सस्थाएँ खुल गईं, जिनसे अब समाज का बहुत अधिक हित होता है।

बहुत से बालक और बालिकाएँ ऐसी होती हैं, जिन्हें बहुत ही छोटी अवस्था से भूट बोलने, चोरी करने, घर से भागने या तरह-तरह की शरारतें करने की आदत पड जाती है। कुछ बालकों में तो इतनी अधिक दुष्टता देपी जाती है कि उमें प्राकृतिक ही मानना पडता है, और प्रायः माता पिता उनके सुधार से बिलकुल निराश-से हो जाते हैं। ऐसे लडके जहाँ रहते हैं, वहाँ लोगोंका नाक में दम फिए रहते हैं। इससे जल्दी कोई उन्हें अपने पास फटकने भा नहीं देता। जर्मनी में एक ऐसी सस्था है, जो इसी तरह के बहुत छोटे-छोटे बच्चों का सुधार करती है। जो माता पिता अपने बच्चों से बिलकुल निराश हो जाते हैं, वे उन्हें उसी सस्था के सिपुर्द कर देते हैं। वह सस्था उन्हें अनेक प्रकार के उपयोगी काम सिखलाती है, और जब वे बडे होकर वहाँ से निकलते हैं, तब उनकी योग्यता के अनुसार उन्हें किसी-न किसी काम में भी लगा देती है। दुष्ट बालकों के सुधार के लिये वहाँ यही सस्था सबसे अधिक उपयुक्त समझी जाती है। इस सस्था के अधिकारी अच्छे शिक्षित और सच्चरित्र हुआ करते हैं, और वे दुष्ट बालकों को बहुत रहज में सीधा और सच्चरित्र बना देने हैं। अब तो इस सवध का नया शाख ही बन गया है। उसका एक सिद्धांत है कि अनेक प्रकार के कुकर्म करने की प्रवृत्ति भी एक प्रकार का

रोग है; और उस रोग की अनेक प्रकार से वेपल चिकित्सा ही की जाता है, बूट नहीं दिया जाता।

इंग्लैंड में इसी प्रकार की एक और परोपकारिणी सस्था है, जो जेल जानेवाले लोगों की स्त्रियों और बच्चों का भरण पोषण करती है। बहुत-से लोग ऐसे होते हैं, जिनके जेल चले जाने पर उनकी स्त्री या बच्चों का भरण पोषण करनेवाला कोई नहीं रह जाता। ऐसी स्त्रियों को अपना और अपने बाल बच्चों का निर्याह करना बहुत ही कठिन हो जाता है। इस देश में ऐसी स्त्रियाँ प्रायः भीख माँगने लग जाती और पश्चात्य देशों में प्रायः कुमार्ग में लग जाती हैं। दोनों ही अवस्थाओं में उनके बच्चों के सुधरने या लिपने पढ़नेकी कोई आशा नहीं रह जाती, और इस प्रकार एक आदमी के अपराध के कारण समाज के और कई आदमियों को अनेक प्रकार के कष्ट उठाने पड़ते हैं। छोटे-छोटे बच्चों का जीवन तो प्रायः घुरी तरह से नष्ट हो जाता है। इंग्लैंड की उक्त सस्था प्रायः ऐसे ही लोगों के परिवारों का भरण पोषण और देखरेख करता है। जेल से लौटने पर उस आदमी पर भाइ इस व्यवस्था का बहुत अच्छा परिणाम होता है, क्योंकि जब वह आकर देखता है कि मेरी स्त्री और बाल बच्चे अच्छी तरह से हैं, और कोई अच्छा काम सीख चुके हैं, तब उसे फिर से जीवन-यात्रा आरम्भ करने में बहुत ही सुगमता होती है। इस सस्था के कर्मचारी इस बात का पता लगाया करते हैं कि कौन आदमी जेल गया, और उसने परि

घर के लोगों की क्या दशा है। जब उन्हें कोई कोई ऐसा परिवार मिलता है, जो सस्था की सहायता का उपयुक्त पात्र माना जाता है, तब वे जाकर उस परिवार के आश्रितों से मिलते, उन्हें अपनी सस्था का उद्देश्य समझाने और यह बतलाते हैं कि किन किन शर्तों पर क्या-क्या काम करने पड़ेंगे। यदि परिवार के लोग ये शर्तें मजूर कर लेते हैं, तो उन्हें सस्था में लाकर रखा जाता है, उन्हें काम सिखलाए जाते हैं, और हर प्रकार से उनकी सहायता की जाती है। इस सस्था में स्त्रियाँ नित्य अपने छोटे बालकों-सहित प्रातः काल आठ बजे आती और संध्या को छः बजे तक वहीं रहती हैं। बहुत ही छोटे-छोटे बालकों के लिये एक अलग स्थान रहता है जिसमें वे रख दिए जाते हैं, और उनकी माताएँ अपने-अपने काम पर चली जाती हैं। माताओं के काम करने और छोटे-छोटे बच्चों के रहने के स्थान पास ही पास होते हैं। वहाँ छोटे बालकों को स्नान कराया जाता है, कपड़े पहनाए जाने हैं, और तरह-तरह के खेलों में लगा दिया जाता है, जिससे वे जल्दी माता की याद ही नहीं करते। जो बालक कुछ अधिक बड़े या सयाने होते हैं, उन्हें कुछ पढ़ाया लिखाया भी जाता है। दिन भर स्त्रियाँ घेटर सीने पिरोने अथवा इसी प्रकार का और कोई काम करनी हैं, और उस काम से जो आय होती है, उसी से सस्था का तथा उन लोगों का निर्वाह।

संध्या-समय

बच्चों को

साथ लेती जाती हैं। प्रत्येक स्त्री को भोजन के अतिरिक्त कुछ नकद भी दिया जाता है, और यदि वह बहुत दूर से आती है, तो उसे आने जाने का कुछ किराया भी मिलता है। यह सस्था मार्लबरो की डचेज की स्थापित की हुई है। प्रायः सग्य डचेज भी जाकर इसका निरीक्षण किया करती है। यदि भारत की धनी स्त्रियाँ चाहें, तो अपना अपने नगर में इसी तरह की सस्था स्थापित करके परोपकार का एक बहुत अच्छा काम कर सकती हैं।

कैदियों और उनके परिवार के लोगों की सहायता करने से भी बढ़कर एक और आवश्यक तथा महत्व का काम है, जिम्मेदार और आवश्यकता प्रायः प्रत्येक नगर में होता है, और जिसकी ओर बहुत ही कम लोग ध्यान देते हैं। प्रायः सभी बड़े-बड़े नगरों में अनक ऐसी स्त्रियाँ होती हैं, जो पाप पूर्ण आचरण करके अपनी जीविना निर्वाह करती हैं। पाश्चात्य देशों में ऐसी स्त्रियों के सुधार के लिये अनेक प्रकार के उपाय किए जाते हैं, जिनमें अच्छी सफलता भी होती है। वहाँ प्रायः दो तरह के लोग ऐसा काम करते हैं। एक तो वे लोग, जो पादरा होते अथवा किसी धार्मिक सस्था से संबध रखते हैं और दूसरे वे लोग, जिनका किसी धार्मिक सस्था से कोई संबध नहीं होता, और जो केवल परोपकार की दृष्टि से इस प्रकार का सस्थापण स्थापित कर लेते हैं। ऐसी सस्थाओं में, जिनका संबध किसी विशेष धर्म से नहीं होता, और जो केवल

चार के लोगों की क्या दशा है। जब उन्हें कोई कोई ऐसा परिवार मिलता है, जो सस्था की सहायता का उपयुक्त पात्र होता है, तब वे जाकर उस परिवार के आश्रितों से मिलते, उन्हें अपनी सस्था का उद्देश्य समझाते और यह बतलाते हैं कि किन किन शर्तों पर क्या-क्या काम करने पड़ेंगे। यदि परिवार के लोग वे शर्तें मजूर कर लेते हैं, तो उन्हें सस्था में लाकर रखा जाता है, उन्हें काम सिखलाए जाते हैं, और हर प्रकार से उनकी सहायता की जाती है। इस सस्था में स्त्रियाँ नित्य अपने छोटे बालकों-सहित प्रातः काल आठ बजे आती और संध्या को छः बजे तक वहीं रहती हैं। बहुत ही छोटे-छोटे बालकों के लिये एक अलग स्थान रहता है जिसमें वे रख दिए जाते हैं, और उनकी माताएँ अपने अपने काम पर चली जाती हैं। मानाओं के काम करने और छोटे-छोटे बच्चों के रहने के स्थान पास-ही पास होते हैं। वहाँ छोटे बालकों को स्नान कराया जाता है, कपड़े पहनाए जाते हैं और तरह-तरह के खेलों में लगा दिया जाता है, जिससे वे जल्दी माता की याद ही नहीं करते। जो बालक कुछ अधिक बड़े या सयाने होते हैं, उन्हें कुछ पढ़ाया लिखाया भी जाता है। दिन भर स्त्रियाँ घेठ-घर सीने-पिरोने अथवा इसी प्रकार का और कोई काम करती हैं, और उस काम से जो आय होती है, उसी से सस्था का तथा उन लोगों का निर्वाह होता है। संध्या-समय जब वे अपने घर जाने लगती हैं, तब अपने छोटे बच्चों को भी अपने

पेनी होती हैं, जो उनी आश्रम में काम करने लग जाती हैं और स्वयं दूसरी सैरुडों खियों के जीवन सुधारने में सहायता होती है।

हम ऊपर मुक्तिदायिना सेना के कार्यों का कुछ उल्लेख कर चुके हैं। आज से प्राय ५५ या ६० वर्ष पहले जनरल वू ने अपनी स्त्री की सहायता से इस सन्धा की स्थापना की थी। इस समय प्राय समस्त ससार के लगभग साठ देशों में इस सन्धा के कार्यालय हैं, और प्राय पंतोन भाग्यों में इस सन्धा के पुनरुद्धार के काम हाते हैं। इन सन्धा को यदोलत मदद लावों आश्रमियों के जीवन में सुधार हुआ करता है। गरीबों, अनाथों, पतितों और रोगियों आदि के उद्धार के लिये जितने अधिक प्रकार के कार्य यह सन्धा करती है, उतने शायद सारे ससार की और सब सन्धाएँ मिलकर भी न करती होंगी। इनके द्वारा गरीबों को भाजन, वस्त्र और रहने का स्थान मिलता है, लोगों का तरह-तरह के काम सिखलाए जाते हैं, बालकों को शिक्षा दी जाती है, रोगियों को चिकित्सा की जाती है, तथा इसी प्रकार के और अनेक काम किए जाते हैं। जनरल वू ने यह इतना बड़ा और ससार-व्यापी कार्य किया है, यह सब अपनी स्त्री की ही सहायता से। इन सब बातों का यहाँ उल्लेख करने का हमारा उद्देश्य यह है कि इस देश की खियाँ जनरल वू की स्त्री के कार्यों से शिक्षा ग्रहण करें, और यह पान अच्छी तरह समझ लें कि यदि वे चाहें, तो अकेली ही

परोपकार दृष्टि से यह कार्य करती हैं, अधिकांश काम करने वाली स्त्रियाँ ही होती हैं, जो इस सामाजिक रोग के निवारण में बहुत अधिक सहायता देती हैं। लंदन में इस तरह की कई बहुत बड़ी-बड़ी सभाएँ और संस्थाएँ हैं। बहुत-सी शिक्षित और संचरिण स्त्रियाँ प्रायः अपना सारा जीवन ऐसी संस्थाओं को अर्पित कर देती हैं, और सेकड़ों ऐसी स्त्रियों का उद्धार करती हैं, जो क्षेपल दरिद्रता के कारण पाप पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिये विवश होती हैं। लंदन में कुछ ऐसे मुहल्ले हैं, जिनमें रात के समय बहुत अधिक अनाचार हुआ करता है। ऐसी स्त्रियाँ वहाँ रात को ग्यारह बारह बजे जाती हैं, और इधर-उधर घूमती रहती हैं। जब उन्हें कोई ऐसी युवती मिलती है, जो अपनी जीविका के लिये अनाचार करने पर उद्यत-सी होती है, तो वे उसके पास जाकर उसे हर तरह से समझाती बुझाती और सन्मार्ग पर लाने का प्रयत्न करती हैं। यदि वह स्त्री जीविका के विचार से अपनी असमर्थता प्रकट करती है, तो वे उसे अपने आश्रम में ले आती हैं, और वहाँ रखकर उसे कुछ काम सिखलाती हैं। इस प्रकार बहुत-सी स्त्रियाँ पाप मार्ग से हटकर अपना भावी जीवन सुधार लेती और अच्छे कामों में लग जाती हैं। हिसाब लगाकर देखा गया है कि जितनी स्त्रियाँ ऐसे आश्रमों में आती हैं, उनमें प्रतिसकड़े ८५ ऐसी होती हैं, जो फिर कभी दुराचार में प्रवृत्त नहीं होतीं, और अपना शेष जीवन शुद्धाचार-पूर्वक व्यतीत करती हैं। अनेक स्त्रियाँ तो

करती हैं, उन्हें अपने साथ मेलों, तमाशों और सभाओं तथा व्याख्यानो आदि में ले जाती और उन्हीं के साथ बैठकर पाती पोती हैं। बहुत ही मित्रता पूर्ण व्यवहार करके वे उन्हें कंगल अच्छे अच्छे उपदेश देती हैं, कभा उनके पुराने पाप पूर्ण जीवन का जिक्र तक नहीं करतीं। कभी-कभी ऐसे व्यवहारों और उपदेशों का ऐसा अच्छा परिणाम देने में आता है कि थोड़े ही समय में उन दुराचारिणी स्त्रियों के जीवन और चिन्तारों में आकाश पातार का अन्तर हो जाता है। प्रायः स्त्रियों को पर पुरुष के अनुचित सवधसे मतान भी हो जाती है। हमारे देश में तो प्रायः स्त्रियाँ अनुचित सवध से हो-वाला गर्भ ही गिरा देती हैं, और यदि किसी कारण से उन्हें गर्भ गिराने में सफलता नहीं मिलती, तो वे सतान उत्पन्न होने पर या ता उसे मार ही डालती हैं, या कहीं फेंक आती हैं। इसका कारण यह है कि हमारे देश में, और विशेषतः हिंदुओं में, सामाजिक बधन बहुत कडा है, और सबको लोक लज्जा का बहुत अधिक भय हाता है; पर पाश्चात्य देशों में इन सब बातों की बहुत कमी होती है। इसीलिये वहाँ जब किसी स्त्री को अनुचित सवध के कारण गर्भ रह जाता है, तब वह तो गर्भ गिराने का ही कोई प्रयत्न करती है, और न बालक के प्राण लेने का ही। जब उसे ऐसी सतान उत्पन्न होती है, तब मुक्तिदायिनी सेना में काम करने वाली स्त्रियाँ, जिस प्रकार हा सकता है, उससे यह जानने का प्रयत्न करती हैं कि यह बालक किसके संसर्ग से उत्पन्न हुआ

अथवा अपने पति के साथ मिलकर कितने अच्छे-अच्छे और बड़े-बड़े काम कर सकती हैं। इस सब में ध्यान देने-योग्य दूसरी बात यह है कि मुक्तिदायिनी सेना में सबसे अधिक काम करनेवाली भी स्त्रियाँ ही हैं, उनमें पुरुषों की सराया अपेक्षा-कृत कम ही है। इस सेना में स्त्रियों को छोटे-से-बड़े, सभी पद मिल सकते हैं, और जय जो काम उनके सिपुर्द किया जाता है, वह बहुत उत्तमता-पूर्णक सपन्न होता है। दुरा-चारिणी स्त्रियों को सन्मार्ग पर लाने का जितना अधिक और जितना अच्छा काम इन स्त्रियों ने किया है, उतना कदाचित् पुरुषों ने तो हो ही नहीं सकता था।

यहाँ हम सक्षेप में यह भी बतला देना चाहते हैं कि दुरा-चारिणी स्त्रियों को सुमार्ग से हटाकर सन्मार्ग में लाने के लिये सेना की स्त्रियाँ किन उपायों का अवलंबन करती हैं। जब कोई ऐसी स्त्री मिलती है, जो किसी कारण से बहुरंग कुमार्ग में लग जाती है, तो मुक्तिसेना में काम करनेवाली स्त्रियाँ उसके साथ बहुत अधिक हिलमिल जाती हैं, और इतनी सदृश्यता और प्रेम का व्यवहार करती हैं कि उस स्त्री को स्वयं में भी इस बात का अनुमान नहीं होता कि ये स्त्रियाँ किसी बात में मुझसे श्रेष्ठ हैं, अथवा मैं इनकी दृष्टि में पतित हूँ। ऐसे व्यवहार का उन बहकी हुई स्त्रियों पर बहुत ही अच्छा परिणाम होता है। कभी-कभी तो ऐसा होता है कि सेना की अधिकारिणी स्त्रियाँ उन्हीं दुश्चरित्र स्त्रियों के साथ बराबर घूमने फिरने के लिये जाया

करती हैं, उन्हें अपने साथ मेलों, तमाशों और सभाओं तथा व्याख्यानों आदि में ले जाती और उन्हीं के साथ बैठकर खाती पीती हैं। बहुत ही मित्रता पूर्ण व्यवहार करके वे उन्हें केवल अच्छे अच्छे उपदेश देती हैं, कभी उनके पुराने पाप-पूर्ण जीवन का जिक्र तक नहीं करती। कभी-कभी ऐसे व्यवहारों और उपदेशों का ऐसा अच्छा परिणाम देखने में आता है कि थोड़े ही समय में उन दुराचारिणी स्त्रियों के जीवन और विचारों में आकाश पाताल का अंतर हो जाता है। प्रायः स्त्रियों को पर पुण्य के अनुचित सबध से सतान भी हो जाती है। हमारे देश में तो प्रायः स्त्रियाँ अनुचित सबध से होनेवाला गर्भ ही गिरा देती हैं; और यदि किसी कारण से उन्हें गर्भ गिराने में सफलता नहीं मिलती, तो वे सतान उत्पन्न होने पर या तो उसे मार ही डालती हैं, या कहीं फेंक आती हैं। इसका कारण यह है कि हमारे देश में, और विशेषतः हिंदुओं में, सामाजिक बंधन बहुत कड़ा है, और सबका लोक लज्जा का बहुत अधिक भय हाता है; पर पश्चात्य देशों में इन सब बातों की बहुत कमी होती है। इसीलिये वहाँ जय किता स्त्री को अनुचित सबध के कारण गर्भ रह जाता है, तब वह तो गर्भ गिराने का ही कोई प्रयत्न करती है, और न बालक के प्राण लेने का ही। जय उसे ऐसी सतान उत्पन्न होती है, तब मुक्तिदायिनी सेना में काम करने वाली स्त्रियाँ, जिस प्रकार हा सकता है, उससे यह जानने का प्रयत्न करती हैं कि यह बालक किसके ससर्ग से उत्पन्न हुआ

है। प्रायः ऐसा होना है कि वे स्त्रियाँ यह पतला देती हैं कि यह शिशु अमुक व्यक्ति से उत्पन्न है। जब उन आदमी का नाम और पता मालूम हो जाता है, तब सेना की कोई अधिकारिणी स्वयं उस आदमी के पास जाती है। इस संध में वह उस पुरुष से कभी पत्र व्यवहार नहीं करती; चाहे वह कितनी ही दूरी पर क्यों न रहता हो, वह स्वयं ही उसके पास जाता है। वह उससे प्रत्यक्ष मिलकर जानचीत करती है, और जैसे होता है, उसे इस बात पर राजी करती है कि वह उस नवजात शिशु के भरण-पोषण के लिये कम-से-कम इतनी रकम प्रतिसप्ताह या प्रतिमास दिया करे। उन्ने वह रकम बराबर उस समय तक देनी पड़ती है, जब तक वह यथा-समाना नहीं हो जाता। इस संध में वे स्त्रियाँ उससे पक्षी लिप्या-पढ़ी कर लेती हैं, ताकि वह अपनी बात स टल न जाय। उधर जिन स्त्रियों को गर्भ रहता है, और जिनका प्रसव-काल समीप होता है वे इसी काम के लिये बने हुए सेना के घास अस्पतालों में रन्धी जाती हैं, जहाँ डॉक्टर और दाइयाँ सदा हर तरफ से उनकी सेवा-सुश्रूया और सहायता करने के लिये तैयार रहती हैं। अस्पताल के व्यय के लिये जो स्त्री अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना धन दे सकती है, उतना उन्से ले लिया जाता है, अथवा उस व्यक्ति से लिया जाता है, जिसके ससर्ग से उस बालक की उत्पत्ति होती है। और, दोनों में से किसी से भी कुछ न मिल सकने की संभावना हो, तो भी उन स्त्रियों का उतना ही ध्यान रक्खा जाता

है, जिनना किसी अधिक-से अधिक धन देने-वाली स्त्री का। मत-लब यह कि अस्पताल में रहने और प्रसव काल के समय के व्यवहार में किसी प्रकार का भेद-भाव नहीं होता। सब स्त्रियाँ समान दृष्टि से देखी जाती हैं। इस समान व्यवहार का भी उन दुश्चरित्र स्त्रियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अस्पताल में रहने के समय भी उन्हें सदा अच्छी-से अच्छी नैतिक शिक्षा दी जाती है, जिनसे उरु पतन का घड़ी अंत हो जाता है। प्रसव-काल के उपरान्त जब वे स्वस्थ होकर अस्पताल से निकलनी हैं, तब उन्हें किसी गृहस्थ के यहाँ नौकरी दिलवा दी जाती है, अथवा और किसी काम पर लगा दिया जाता है, जिससे फिर उन्हें पेट की ज्वाला के कारण कुमार्ग में प्रवृत्त होने की आवश्यकता नही रह जाती, और वे अपना श्रेय जीवित बहुत ही अच्छी तरह और सच्चरित्रता-मूचक व्यतीत करती हैं। उसके उद्योग के लिये एक दाइ नियुक्त कर दी जाती है। उस दाइ का कर्तव्य, जहाँ तक हा सकता है, उमा आदमी से लिया जाता है, जिसकी धह सतान होती है। इस प्रकार प्रतिवर्ष हजारों स्त्रियों का उद्धार किया जाता और उनका जीवन नष्ट होने से बचाया जाता है।

किंतु सभी स्त्रियाँ सहज में कुमार्ग-गामिनी स्त्रियों का उद्धार करने का योग्य नहीं हो जातीं। इसके लिये उन्हें वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। यह शिक्षा कम-से-कम एक वर्ष में समाप्त होती है। उन्हें कुछ तो धार्मिक शिक्षा दी जाती है, और कुछ सीने-

है। प्रायः ऐसा होता है कि वे स्त्रियाँ यह उतना डेती हैं कि यह शिशु अमुक व्यक्ति से उत्पन्न है। जब उस आदमी का नाम और पता मालूम हो जाता है, तब सेना की कोई अधिकारिणी स्वयं उस आदमी के पास जाती है। इस स्वयं में यह उस पुरुष से कभी पत्र-व्यवहार नहीं करती; चाहे वह कितनी ही दूरी पर क्यों न रहता हो, वह स्वयं ही उसके पास जाता है। यह उससे प्रत्यक्ष मिलकर बातचीत करती है, और जैसे होता है, उसे इस बात पर राजी करती है कि वह उस नवजात शिशु के भरण पोषण के लिये कम से कम इतनी रकम प्रतिसप्ताह या प्रतिमास दिया करे। उसे वह रकम बराबर उस समय तक देनी पड़ती है, जब तक वह बच्चा स्याना नहीं हो जाता। इस स्वयं में वे स्त्रियाँ उससे पक्की लिखा पढ़ी कर लेती हैं, ताकि वह अपनी बात से टल न जाय। उधर जिन स्त्रियों को गर्भ रहता है, और जिनका प्रसव काल समीप होता है वे इसी काम के लिये बने हुए सेना के खास अस्पतालों में रखी जाती हैं, जहाँ डॉक्टर और दाइयाँ सदा हर तरह से उनकी सेवा-सुश्रूषा और सहायता करने के लिये तैयार रहती हैं। अस्पताल के व्यय के लिये जो स्त्री अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना धन दे सकती है, उतना उससे ले लिया जाता है; अथवा उस व्यक्ति से लिया जाता है, जिसके ससर्ग से उस मालक की उत्पत्ति होती है। और, दोनों में से किसी से भी कुछ न मिल सकने की सम्भावना हो, तो भी उन स्त्रियों का उतना ही ध्यान रक्खा जाता

है, जितना किसी अधिभ्र-से अधिक धन देनेवाली स्त्री का। मतलब यह कि अस्पताल में रहने और प्रसव काल के समय के व्यवहार में किसी प्रकार का भेद भाव नहीं होता। सब स्त्रियाँ समान दृष्टि से देखी जाती हैं। इस समान व्यवहार का भी उन दुश्चरित्र स्त्रियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। अस्पताल में रहने के समय भी उन्हें सदा अच्छा-से अच्छी नैतिक शिक्षा दी जाती है, जिससे उनका पतन का वहीं अंत हो जाता है। प्रसव-काल के उपरान्त जब वे स्वस्थ होकर अस्पताल से निकलती हैं, तब उन्हें किसी गृहस्थ के यहाँ नोकरी दिलवा दी जाती है, अथवा और किसी काम पर लगा दिया जाता है, जिससे फिर उन्हें पेट की ज्याला के कारण कुमार्ग में प्रवृत्त होने की आवश्यकता नही रह जाती, और वे अपना शेष जीवन बहुत ही अच्छी तरह और सचरित्रता पूर्वक व्यतीत करती हैं। उसके पैसे के लिये एक दारि नियुक्त कर दी जाती है। उस दारि का खर्च, जहाँ तक हाँ सकता है, उसी आदमी से लिया जाता है, जिसकी वह सतान होती है। इस प्रकार प्रतिवर्ष हजारों स्त्रियों का उद्धार किया जाता और उनका जीवन नष्ट होने से बचाया जाता है।

किंतु सभी स्त्रियों सहज में कुमार्ग-गामिनी स्त्रियों का उद्धार करने के योग्य नहीं हो जातीं। इसके लिये उन्हें वर्षों तक शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है। यह शिक्षा कम-से-कम एक वर्ष में समाप्त हाती है। उन्हें कुछ तो धार्मिक शिक्षा दी जाती है, और कुछ सीने-

पिरोने, कपड़े जोने, भोजन बनाने तथा इसी प्रकार के और कामों की। इस प्रकार की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वे पतित स्त्रियों को ये सब काम सिखला सकें, और उन्हें जीविका उपार्जित करने के योग्य बना सकें। जो स्त्रियाँ मुक्त-दायिनी सेना में काम करती हैं, उन्हें वेतन भी इतना कम दिया जाता है कि उनका निर्वाह बहुत ही कठिनता से होता है। इस लिये ऐसे काम में वही स्त्रियाँ नियुक्त की जाती हैं, जो स्वयं सच्चे उत्साह से इसमें लगना चाहती हैं, और जो केवल परोपकार के विचार से बहुत अधिक स्वार्थ-त्याग करने के लिये तैयार होती हैं। जिनका हृदय दीनों और दुष्टियों को देखकर द्रवित होता है, और जो उनका कष्ट दूर करने के लिये बहुत अधिक उत्सुक होती हैं, वही ऐसे कामों में लग सकती हैं। उन स्त्रियों को यह उपदेश दिया जाता है कि तुम अपना आचरण और विचार सदा परम पवित्र रखो, स्थाय पवित्रता पूर्वक रहा, और दूसरों को पवित्रता-पूर्वक रहने का उद्योग करो, सदा पूरा पूरा परिश्रम किया करो, और काम अथवा कठिनाइयों से कभी घबराया न करो, सदा प्रसन्न रहा करो, और दुःख या चिंता को कभी अपने पास मत फटकने दिया करो। यदि किसी समय किसी कारण-वश तुम्हारा चित्त दुःखी भी हो, तो भी तुम दूसरों पर अपना दुःख मत प्रकट करो, और सदा दूसरों को प्रसन्न चित्त दिखलाई दो। सदा सब काम दक्षता और प्रवीणता पूर्वक किया करो। इससे अतिरिक्त उन स्त्रियों को रोगियों की सेवा-सुश्रूषा

करने, प्रसव काल के समय डॉक्टरों और दाइयों की सहायता करने और बच्चों का लालन पालन करने की भी शिक्षा दी जाती है। इसी प्रकार की अच्छी-अच्छी शिक्षाओं का यह परिणाम होता है कि वे स्त्रियाँ अपसर पड़ने पर बड़े-से बड़े काम कर लेती हैं, और विकृत-मे विकृत दुष्टों का सामना करने में भी आगापीछा नहीं करतीं। यह तो एक मानी हुई बात है कि सैंकड़ों उपद्रव, हजारों पापों और लाखों अपराधों का जन्म शराखानों में होता है, और वहाँ बड़े बड़े पतिन, दुराचारों तथा विकृत आदमी इकट्ठे होते हैं। और, जब वे शराय पीकर खब मस्त होते हैं, तब बाहर निकलकर अनेक प्रकार के उपद्रव और अनाचार करते हैं। ऐसे शरायखानों में मुक्तिदायिनी सेना की अधिकारिणी स्त्रियाँ निर्भीक्ता पूर्वक घुस जाती हैं, और वहाँ के शराय पीनेवालों को पहले से ही सचेत कर देती हैं कि देखो, अधिक शराय मत पीना, और न शराय पीकर किसी प्रकार का अनाचार करना। इतना ही नहीं, उन्हें सदा के लिये शराय छोड़ देने का भी वे उपदेश देती हैं। शरायखानों के मालिक भी कभी उनके ऐसे कामों में बाधा नहीं देते, बल्कि जहाँ तक हो सकता है, उन्हें सहायता देते हैं। शरायी लोग उन्हें कभी नहीं डेडते, बल्कि लज्जित होकर सिर झुका लेते या वहाँ से खिसक जाते हैं। और, यह सब प्रभाव केवल उनके उच्च विचारों, परोपकार-वृत्ति और प्रेमपूर्ण व्यवहार का ही होता है।

पाश्चात्य देशों में पुरुष तो शराय पीते ही हैं, स्त्रियाँ भी

पिरोने, कपडे धोने, भोजन बनाने तथा इसी प्रकार के और कामों की। इस प्रकार की शिक्षा का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि वे पतित स्त्रियों को ये सब काम सिखला सकें, और उन्हें जीविका उपार्जित करने के योग्य बना सकें। जो स्त्रियाँ मुक्त-दायिनी सेना में काम करती हैं, उन्हें वेतन भी इतना कम दिया जाता है कि उनका निर्वाह बहुत ही कठिनता से होता है। इस लिये ऐसे काम में वही स्त्रियाँ नियुक्त की जाती हैं, जो स्वयं सच्चे उत्साह से इसमें लगना चाहती हैं, और जो केवल परोपकार के विचार से बहुत अधिक स्वार्थ त्याग करने के लिये तैयार होती हैं। जिनका हृदय दीनों और दुस्त्रियों को देखकर द्रवित होता है, और जो उनका ऋण दूर करने के लिये बहुत अधिक उत्सुक होती हैं, वही ऐसे कामों में लग सकती हैं। उन स्त्रियों को यह उपदेश दिया जाता है कि तुम अपना आचरण और विचार सदा परम पवित्र रखो, स्वयं पवित्रता पूर्वक रहो, और दूसरों को पवित्रता-पूर्वक रहने का उद्योग करो, सदा पूरा पूरा परिश्रम किया करो, और काम अथवा कठिनाइयों से कभी घबराया न करो, सदा प्रसन्न रहा करो, और दुःख या चिंता को कभी अपने पास मत फटकने दिया करो। यदि किसी समय किसी कारण-वशात् तुम्हारा चित्त दुःखी भी हो, तो भी तुम दूसरों पर अपना दुःख मत प्रकट करो, और सदा दूसरों को प्रसन्न चित्त दिखलाई दो। सदा सब काम दक्षता और प्रवीणता पूर्वक किया करा। इसके अतिरिक्त उन स्त्रियों को रोगियों की सेवा सुश्रूषा

बेलकुल हट जाती है, और ये उससे मृणा करने लगती है। नीच-बोच में जय कभी शराय पीने का उनका जी चाहता है, तब उन्हें गर्म दूध और फल दिए जाते हैं, जिन्होंने उनका चित्त तुरन्त शराय की ओर से हट जाना है। जय यह निश्चय हो जाता है कि अब इनकी शराय पीने की प्रवृत्ति नहीं रही, तब ये आश्रम से मुक्त कर दी जाती और अपने घर चली जाती हैं। पर आश्रम से निकलने के बाद भी महीनों, यत्किं वर्षों तक उन पर कड़ा निगाह रक्की जाती है। प्रायः ऐसा होता है कि आश्रम से निकलनेवाली स्त्रियाँ आजीवन कभी शराय पीने का नाम नहीं लेतीं। और, यदि कभी कोई ऐसा अक्सर आता है, जिन्होंने उन्हें शराय पीना ही पड़े, तो तुरन्त आश्रम में काम करनेवाली स्त्रियाँ पहुँचकर उन्हें सचेत कर देती और शराय पीने से रोक देती हैं। इस प्रकार बहुत सी ऐसी स्त्रियाँ, जो पहले बहुत ही दरिद्र रहती थीं और परम पतित तथा दुराचारिणी समझी जाती थीं, मुक्तिदायिनी सेना की कृपा से गृह ही सुधी, सपथ और सच्चरित्र हो जाती हैं। इंग्लैण्ड की स्त्रियाँ के सुधार का यह प्रयत्न बहुत ही प्रशंसनीय और स्वर्णाक्षरों में लिखा जाने योग्य है।

मुक्तिदायिनी सेना का यह काम किसी एक देश में नहीं, यत्किं ससार के प्रायः सभी देशों में, बड़े उत्साह से, होता रहता है। सन् १८८२ में इस सेना के कुछ कर्मचारी भारतवर्ष में भी आए थे, और तब से यहाँ शराय अनेक प्रकार के अच्छे अन्दरे

आमतौर पर शराब पीती है। वहाँ शराब पीना कोई पेय नहीं समझा जाता। इसका परिणाम यह होता है कि बहुत-सी स्त्रियाँ बहुत ज्यादा शराबी हो जाती हैं, और जो कुछ पाती हैं, वह सब शराब पीने में ही खर्च कर डालती हैं। भला जिस समाज में स्त्रियाँ और पुरुष, दोनों ही शराबी हों, उस समाज के परिवारों की दुर्दशा का क्या पूछना ? शराब पीने की लत ऐसी बुरी होती है कि वह जल्दी छूटती ही नहीं, और दिन-पर-दिन बढ़ती ही जाती है, यहाँ तक कि अंत में सर्वनाश कर देती है, और फिर भी पीछा नहीं छोड़ती। लेकिन मुक्तिदायिनी सेना की अत्रिकारिणियों को बहुत सी स्त्रियाँ की शराब पीने की लत छुड़ाने में भी अत्रिक सफलता प्राप्त हुई है। सेना की ओर से कुछ ऐसे आश्रम बने हुए होते हैं, जिनमें शराबी स्त्रियाँ शराब की लत छुड़ाने के लिये लाकर रक्षी जाती हैं। ये आश्रम प्रायः खुले स्थानों में बने होते हैं, और इनके आस पास चारों ओर बाग-बगीचे लगे होते हैं। शराबी स्त्रियाँ यहीं लाकर खुली हवा में रक्षी जाती हैं। वे शाकाहार पर रक्षी जाती हैं, मांस मद्यलौ आदि उत्तेजक पदार्थ उन्हें नहीं दिए जाते। उन्हें व्यायाम कराया जाता है, इच्छा शक्ति तथा स्मरण शक्ति को प्रबल बनाने की शिक्षा दी जाती है, और अनेक प्रकार के धार्मिक तथा नैतिक उपदेश दिए जाते हैं। इन सब उपचारों तथा उपदेशों का यह परिणाम होता है कि थोड़े ही समय में उनकी प्रवृत्ति शराब की ओर से

the care of Friendless girls इस सस्था में काम करने वालों का यह सिद्धांत है कि निप-वृद्ध या अच्छी तरह बढ चुम्ने पर काटने का प्रयत्न करने की अपेक्षा ऐसा प्रयत्न करना बहुत ही श्रद्धा है, जिससे वह श्रमुरित ही न हो सके। इसलिये इस सस्था का काम करने का ढग भी विताकुल निराला ही ह। यह सस्था उन बालिकाओं की सहायता शोर रक्षा करती है, जो दरिद्रता या पुरी सगति के कारण कुमार्ग में फस सकती ह। प्राय ऐसा होता ह कि बालिकाएँ शिक्षा प्राप्त करने के उपरांत जब सत्कार म प्रवेश करने शोर अपने लिये कोई उपयुक्त काम ढूँढने लगती हैं, तभी कुछ दुष्ट उन्हे पीछे पड जाते हैं, शोर शारभ में ही उन्हें तरह-तरह का लोभ दिखाकर कुमार्ग में प्रवृत्त कर देते हैं। पाश्चात्य देशों में मानों यहाँ से वेण्या-वृत्ति की जड जमती है, शोर दरिद्रता तथा धनाभाव इमनी वृद्धि में बहुत अधिक सहायक होता है। अत जिन स्थानों में काम करोगाली गरीब स्त्रियाँ रहती हैं, वहाँ यह सस्था अपनी एक शाखा खोल देती शोर युवतियों को अनेक प्रकार से सचेत कर देती है। इसके अतिरिक्त वह उन्हे लिये काम भी तलाश कर देती ह। दरिद्र तियों को पहनने के लिये वस्त्र आदि परीढने में बहुत कठिनाई होती है। इसलिये इस सस्था की शोर से कपडों की ऐसी दूकानें भी खोल दी जाती ह, जहाँ से वे विफायत से कपडे खरीद सकती शोर दाम कई क्रिस्तों में श्रदा कर सकती हैं। मतलब यह कि सस्था शारभ से ही अनेक ऐसे उपाय करती

काम कर रहे हैं। उन लोगों ने भारत के सेरुडों गाँवों पाठशालाएँ स्थापित की हैं, शिल्प और कला की शिक्षा देने लिये अनेक भवन स्थापित किए हैं, खेती-बारी, पशु पालन और धुनाई आदि सिखलाने की व्यवस्था की है, दवाखाने, अस्पताल और छोटे-छोटे बक स्थापित किए हैं, और चर्च, कलक तथा मदरास में दुश्चरित्र तथा कुमार्गगामिनी स्त्रियों सुधार एवं उद्धार के लिये आश्रम भी स्थापित किए हैं। जिस ढंग से ये लोग काम करते हैं, उसे भारतीय समाज सुधारकों को सीखना और अपने देश का बढ़ता हुआ दुराचार तथा अनाचार रोज़ने का प्रयत्न करना चाहिए। ये लोग जिन स्त्रियों का सुधार करते हैं, उनको केवल अनेक प्रकार के ऐहिक सुख ही नहीं पहुँचाते, बल्कि दोष जड़ कर पहुँचकर उसे समूल नष्ट करते और उनका नतिफल बढ़ाते हैं। इस संबंध में बुरवर लिटन का सिद्धांत बहुत ही ठीक और प्रत्येक व्यक्ति के ध्यान देने-योग्य है। उनका कथन है कि गुण और दोष अथवा भलाई और बुराई सबमें होती है। गुण या भलाई वीर सेना के समान है, और दोष या बुराई विगड़े हुए कमसखियट के समान। कमसखियट में सुधार करने सेना आप-से आप अपने कर्तव्यों का पालन करेगी।

इंग्लैंड में इसी प्रकार की एक और संस्था है, जो स्त्रियों और बालिकाओं के सुधार का बहुत ही प्रशंसनीय काम करती है। इस संस्था का नाम है The Ladies Association for

फिर पतित और दुराचारी हो जाने की बहुत बड़ी सम्भावना रहती है। इसके लिये पाश्चात्य देशों की सपन्न और उदार स्त्रियाँ ऐसे अच्छे-अच्छे और बढ़िया मकान बना देती हैं, जिनमें गरीब युवती स्त्रियाँ बहुत ही थोड़े किराए में, बहुत अच्छी तरह और आराम से, रह सकती हैं। पुष्टियों की अपेक्षा स्त्रियाँ रहने के स्थानों की ज्यादा कदर करती हैं। साथ ही स्त्रियों पर रहने के स्थान और परिस्थिति आदि का भी बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है। विशेषतः जो स्त्रियाँ एक बार पतित होकर सुधरती हैं, उन्हें यदि रहने के लिये अच्छा मकान न मिले, तो उनके फिर से पतित हो जाने की बहुत अधिक सम्भावना रहती है। इसलिये जो लोग ऐसी पतित स्त्रियों के सुधार का बीड़ा उठाते हैं, वे उनके रहने के लिये अच्छे मकानों की सबसे पहले व्यवस्था करते हैं।

इंग्लैंड में एक और संस्था है, जो एक और प्रकार से युवती स्त्रियाँ की सहायता करती है। इस संस्था का नाम है National Vigilance Association यह संस्था युवतियों को आनेवाली आपत्तियों से अपनी रक्षा करने के लिये सदा सचेत करती रहती है। इसकी सूचनाएँ जहाजों के बमरों तक में लगी हुई रहती और योरोप की दस प्रधान भाषाओं में छापकर बँटा करती है। इस संस्था की ओर से एक पुस्तक भी छापकर बाँटी जाती है, जिसमें प्रायः सारे सप्ताह के कुछ ऐसे लोगों के नाम और पते रहते हैं, जो आवश्यकता पड़ने पर रिपब्लिकन-प्रस्त

है, जिससे युवतियों के कुमार्ग में पटने की सम्भावना ही न रह जाय। इस सन्धा की ओर से ऐसी पुस्तकें आदि भी प्रकाशित की जाती हैं, जिनमें माता पिता को यह बतलाया जाता है कि नवयुवक पुत्रों और नवयुवती पुत्रियों को किस प्रकार रखना और उन्हें कुमार्ग में पटने से किस प्रकार बचना चाहिए। इस प्रकार यह सन्धा युवकों और युवनियों के नैतिक सुधार पर समान रूप से जोर देती है।

एक बार जब युवती स्त्रियाँ सन्मार्ग पर तग जाती हैं, और उन्हें कोई अच्छा काम मिल जाता है, तब यह प्रश्न उपस्थित होता है कि इन लोगों के रहने के लिये स्थान आदि की क्या व्यवस्था की जाय। अंगरेजी के सुप्रसिद्ध लेखक चार्ल्स डिकेंसने बहुत जोरों पर कहा है कि सर्व-साधारण के सब प्रकार के सुधारों से पहले उनके रहने के स्थानों का सुधार होना परम आवश्यक है। जब उनके रहने के स्थानों में सुधार हो जायगा, तब बाकी सुधार सहज में हो सकेंगे, यदि उनके रहने के स्थानों में सुधार न होगा, तो फिर चाहे और जितने प्रकार के सुधार दिए जायें, वे सब निरर्थक ही प्रमाणित होंगे। जिस वर्ग के लोगों के सुधार की यहाँ भीमासा हो रही है, उस वर्ग के लोगों के लिये तो इस प्रश्न का सबसे पहले निगकरण होना बहुत ही आवश्यक है। यदि ऐसी स्त्रियाँ केवल किसी अच्छे काम में लगा दी जायें, और उनके रहने के लिये अच्छे स्थान आदि की व्यवस्था न की जाय, तो उन लोगों के

इस प्रकार के उद्धार कार्य सभी देशों में बहुत आवश्यक होते हैं। क्योंकि इनसे समाज और देश को बहुत बड़ा रत्ता होती है। प्रत्येक सभ्य, शिक्षित और सचरित्र स्त्री यह परम कर्तव्य होना चाहिए कि वह इस प्रकार के कार्यों में से जो कार्य हो सके, और जितना अधिक हो सके, करे। स्त्रियाँ के सुधार का कार्य जितनी उत्तमता से स्त्रियों से हाँ सक्ता है, उतनी उत्तमता से पुरुषों द्वारा वह काम नहीं हो सकता। इसलिये प्रत्येक स्त्री को उचित है कि वह अपने घरों के सुधार और उद्धार का पूर्ण प्रयत्न करे। साथ ही उनके फ्रांस के सुप्रसिद्ध लेखक मोलियर के इस कथन पर भी ध्यान देना चाहिए कि स्त्रियों का उपयोग, अस्वभाव और सत्ता से स्त्रियों और कर्तव्य पालन के लिये प्रिय नहीं की जा सकती। उन्हें ठीक मार्ग पर लाने के लिये सबसे साधा उपाय यही है कि उनके साथ प्रिय और प्रेम पूर्वक नव्रता का व्यवहार किया जाय। यदि उनमें आत्मनम्मान का भाव जागृत कर दिया जाय, तो फिर सहज में उनसे बड़े-से-बड़े काम लिए जा सकते हैं। सारे ससार का अनुभव यह बतला रहा है कि यदि स्त्रियों के रहने के लिये अच्छे स्थानका और जोविधा निर्वाह के लिये किसी अच्छे काम का प्रवचन कर दिया जाय, तो बहुत कम स्त्रियों के कुमार्ग में पड़ने की सम्भावना रह जाती है। हमारे देश में भी ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए।

युवतियों का हर तरह से सहायता करने के लिये सदा तैयार रहते हैं। जब कभी किसी युवती पर कोई विपत्ति आती या कोई दुष्ट व्यक्ति उसका पीछा करता है, तो वह पास के किसी ऐसे ही सज्जन के यहाँ पहुँच जाती अथवा उसे पत्र द्वारा अपनी विपत्ति की सूचना देती है। उस, तुरंत उसे उपयुक्त सहायता प्राप्त हो जाती और उस विपत्ति से उसकी रक्षा भी हो जाती है। इस रस्था की ओर से बहुत सी ऐसी स्त्रियाँ नियुक्त रहती हैं, जो अक्सर रेलों और जहाजों के आने के समय पहले से ही स्टेशन या बंदर आदि पर तैयार रहती हैं। जो नवयुवती स्त्रियाँ रेल या जहाज से उतरती हुई दिखलाई पड़ती हैं, उनमें से नए अनेकालियों को ये सचेत करती हैं, और यदि उन्हें किसी प्रकार की सहायता की आवश्यकता होती है, तो उन्हें हर तरह से सहायता भी देती हैं। वे उहे यह बतला देती हैं कि कैसे कैसे स्थानों पर जाने से उन्हें बचना और कहाँ जाकर ठहरना या काम तलाश करना चाहिए। यदि इस संस्था की ओर से बहुत-सी ऐसी स्त्रियाँ नियुक्त न हों, तो बहुत सी अजनबी स्त्रियाँ नए शहरों में जाकर दुष्टों के फेर में पड़ जायँ, और अपना चरित्र तथा जीवन नष्ट कर दें। यदि कहीं किसी कारण-वश किसी नवागतुक युवती को इस संस्था की कोई अधिकारिणी न मिले, तो वह रेलवे के कर्मचारियों या कुलियों आदि से ऐसी संस्था का पता पूछलेती है, और तुरंत उसके कार्यालय में पहुँचकर उपयुक्त परामर्श प्राप्त करती है।

इस प्रकार के उद्धार-कार्य सभी देशों में बहुत आवश्यक होने हैं क्योंकि इनसे समाज और देश की बहुत बड़ा रक्षा होती है। प्रत्येक सभ्य, शिक्षित और सचरित्र स्त्री को यह परम कर्तव्य होना चाहिए कि वह इस प्रकार के कार्यों में से जो कार्य हो सके, और जितना अधिक हो सके, करे। ग्रियों के सुधार का कार्य जितनी उत्तमता से ग्रियों से हो सकता है, उतनी उत्तमता से पुरुषों द्वारा वह काम नहीं हो सकता। इसलिये प्रत्येक स्त्री को उचित है कि वह अपनी बहनो के सुधार और उद्धार का पूर्ण प्रयत्न करे। साथ ही उसे फ्रांस के सुप्रसिद्ध लेफ़्ट मोलियर के इस कथन पर भी ध्यान देना चाहिए कि प्योर व्यवहार, अविश्राम और सतत श्रमों अपने कर्तव्य-पालन के लिये ग्रियों नहीं की जा सकतीं। उन्हें ठीक मार्ग पर लाने के लिये सबसे माथा उपाय यही है कि उनके साथ प्रेम और प्रेम पूर्वक चर्चा का व्यवहार किया जाय। यदि उनमें आत्मनम्मान का भाव जागृत कर दिया जाय, तो फिर सबकुछ म उससे बड़े-से-बड़े काम लिए जा सकते हैं। सारे ससार का अनुभव यह मतला रहा है कि यदि स्त्रियों के रहने के लिये अच्छे स्थानका और जीविका निर्वाह के लिये किसी अच्छे काम का प्रयत्न कर दिया जाय, तो बहुत कम स्त्रियों के कुमार्ग में पड़ने की सम्भावना रह जाती है। हमारे देश में भी ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए।

चौदहवाँ प्रकरण

स्त्रियों के हित

एक कहावा है कि पहले घर में दिया जलाकर तब मन्-जिद् में जलाना चाहिए। ऐसा न हो कि घर में तो अंधेरा बना रहे, शोर दूनरी जाह चिराग जले। मतलब यह कि खैरात या परोपकार जो कुछ हो, वह पहले अपने घर और अपनी समाज से आरम्भ होना चाहिए। ऐसा न हो कि हमारे परिवार, समाज और देश के लोग तो भूखों मरें, और हम दूसरी समाज तथा दूसरे देश के लोगों का उपकार या सहायता करते फिरें। जो मनुष्य पगेरफार आदि का काम अपने वर्ग और अपनी समाज से आरम्भ करता है, उसी का कार्य-क्षेत्र विस्तृत होते होते ससार-व्यापी हो सकता है। यदि वह अपने वर्ग या समाज के लोगों के हित की ओर ध्यान न देगा, तो बहुत शीघ्र एक ऐसा समय आ जायगा, जब स्वयं वह और उसका वर्ग या समाज किसी प्रकार का परोपकार करने के योग्य ही न रह जायगा।

इस प्रकरण में हम यह बतलाना चाहते हैं कि हमारे देश की सभ्य रियों को किस प्रकार मिलकर अपने तथा अपने देश

की स्त्रियों के, विशेषतः अपने से गरीब स्त्रियों के हितों की रक्षा करनी चाहिए। यदि इस देश की सभ्य और सुशिक्षित स्त्रियाँ ही अपनी गरीब बहनों और बेटियों के हितों की रक्षा के लिये प्रयत्न न करेंगी, तो जिन्हें अपना पेट पालने के लिये दिन-रात परिश्रम करने से ही अवकाश नहीं मिलता, और जिनमें अपनी हीन अवस्था को समझने तक की योग्यता नहीं होती, वे बेचारी भला अपने हितों की क्या रक्षा कर सकेंगी ! यह तो एक साधारण आस्था की बात है। पर हमारे देश में इस प्रश्न का रूप इसलिये और भी विचित्र हो जाता है कि हमारे यहाँ की स्त्रियाँ में परदे की प्रथा है। अतः उनमें दरिद्रता और अयोग्यता, इन दो वृत्तियों के अतिरिक्त एक तीसरी वृत्ति यह आ जाती है कि वे परदे में रहने के कारण जल्दी कोई सार्वजनिक काम ही नहीं कर सकतीं। हमारे देश में प्रायः ऐसे कानून पारित हुआ करते हैं, जिनमें स्त्रियों के हितों का कोई ध्यान ही नहीं रखा जाता। ध्यान रखा कैसे जाय ? शिवा के अभाव और परदे की प्रथा के कारण वे एक प्रकार से कुछ समझी ही नहीं जाती हैं। अतः हमारे यहाँ की शिक्षित और समर्थ स्त्रियों का यह कर्तव्य होना चाहिए कि जहाँ तक हो सके, वे इस बात का उद्योग करें कि स्त्रियों के हितों का भी ऐसे अवसरों पर पूरा पूरा ध्यान रखा जाय। पिछले प्रकरणों में हम यह बतला चुके हैं कि पाश्चात्य देशों की स्त्रियाँ समाज सुधार के बड़े-बड़े कामों में कितना परिश्रम करती और कितना अग्र

मर रहती हैं। हमारे पाठक पाठिकाश्रों को कदाचित् यह श्राव होगा कि कुछ ही समय पूर्व अमेरिका में गुलामी की केशी विकृत प्रथा प्रचलित थी, और वहाँ गरीब हनशी आदि क्रिम प्रकार भेड-बकरियों की तरह बेचे और रक्खे जाने थे। गुलामी की उस नित्र प्रथा को दुर करनेवाली एक स्त्री ही थी, जिसका नाम श्रीमती एच्० बोचर स्टो था। कुछ दिन पहले ईंगलड के जेलरानों की बहुत अधिक दुर्दशा थी। कैदी लोग बहुत ही गदे स्थानों में रक्खे जाते थे, और उनके साथ मिलन्य पशु जैसा व्यवहार किया जाता था। कुछ प्रोर पहले तो यहाँ तक प्रथा थी कि जो लोग किसी कारण अपना ऋण न चुक सक्ते और दीवानी मामलों में जेल जाते थे, अथवा जो लोग किसी और अपराध में जेल भेजे जाते थे, वे अपना ऋण चुका देने पर भी, अपनी सजा की मियाद रात्म कर रते पर भी, जा तक जेल में रहने का कुछ गन्ध चुकाकर जेलर को सतुष्ट नहीं कर लेते थे, तब तक वहाँ से निकल नहीं सकते थे। ईंगलड के जेलों का सुधार करनेवाली भी कुछ स्त्रियाँ ही थीं, जिनमें दो मुख्य थीं। उनके नाम मिम एलिजबेथ फार्ड और श्रीमती मेरिडेज थे। मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नाम सारे ससार में विदित है। उन्होंने अथक परिश्रम करके और एक बहुत ही उच्च आदर्श उपस्थित करके, अस्पताल की दाइयों की शिक्षा की व्यवस्था में आश्चर्यजनक परिवर्तन और उन्नति कर दिखलाई थी। मिस मेरी डारपेंटर ने दुष्ट बालकों के सुधार, लोगों की शिल्प कला की शिक्षा

और गरीबों के बालकों को पढ़ाने लिखाने के लिये बहुत से शिक्षालय खोले और खुलवाए थे। मिस डॉड, लेडी हेनरी सोमरसेट तथा मिस फ्रासेस रिलर्ट ने लोगों में भय पान का प्रचार रोकने के लिये बहुत अधिक परिश्रम किया, और अच्छी सफलता प्राप्त की। श्रीमती ई० बी० ब्राउनिंग ने पाठ्यालयों में काम करनेवाले छोटे-छोटे बालकों की दुर्दशा देखकर "बालकों की पुकार" नाम का एक पेना रोमाञ्चकारी काव्य लिखा था, जिसे पढ़कर लोगों का हृदय निर्दोष होता था। उसी राज्य के तारण लागों का ध्यान उन बालकों की दुर्दशा की प्रार गया, और तब उनकी अवस्था में सुधार हुआ। तात्पर्य यह कि यदि स्त्रियाँ चाहें और कटिबद्ध हो जायँ, तो वे बहुत बड़ बड़ काम बहुत सहज में कर सकती हैं। हमारे देश को जिया तो यह तब अच्छी तरह समझ लेना चाहिए, और अपनी परिस्थिति, योग्यता तथा सामर्थ्य आदि का विचार करते हुए कुछ न कुछ पेना काम अग्रण्य करना चाहिए, जिससे वे अपनी दीग हीन बहनों और बेटियों की अवस्था में कुछ सुधार कर सकें। उन्हें आँखें खोलकर यह देखना चाहिए कि सत्तार के अन्याय देशों में स्त्रियों ने कसा-कसा अच्छी सभाएँ और संस्थाएँ आदि स्थापित कर रखी हैं, और वे कैसे बड़े बड़े और उपयोगी काम कर रही हैं। हम यह नहीं चाहते कि पश्चात्य देशों की स्त्रियाँ जितने और जिस तरह के काम कर रही हैं, उतने और उस तरह के सभी काम हमारे देश की स्त्रियाँ भी करने लग जायँ।

यह बात तो कई कारणों से असम्भव ही है। पर, फिर भी, बहुत नें ऐसे काम हैं, जिनमें हमारे देश की स्त्रियाँ उनका बहुत अंगी तरह अनुकरण कर सकती हैं, और इस प्रकार अपनी समाज तथा देश का बहुत बड़ा हित कर सकती हैं।

सामाजिक सुधार और उन्नति के लिये स्त्रियों की एक बहुत बड़ी अंतर-राष्ट्रीय कौमिल या समा है, जिसका नाम International Council of Women है। इस कौमिल का मुख्य उद्देश्य यह है कि ससार भर की स्त्रियों में मानव-समाज के हित के भागों का प्रचार किया जाय। सबसे पहले सन् १८८८ में, अमेरिका के संयुक्त-राज्या की स्त्रियाँ वाशिंगटन नामक नगर में इस प्रकार की बातों पर विचार करने के लिये एकत्र हुई थीं। उसके उपरान्त इस कौमिल ने धीरे-धीरे अंतर-राष्ट्रीय रूप धारण किया, और अब इसकी शाखाएँ इंग्लैंड, आयरलैंड, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, स्वीडन, डेनमार्क, स्विजरलैंड, इटली, फ्रांस, आस्ट्रिया, नार्वे, हंगरी, बेलजियम, चर्नेगोरिया और यूनान आदि सभी छोटे-बड़े देशों में स्थापित हो चुकी हैं। इस विशाल संस्था में प्रायः १० लाख से अधिक स्त्रियाँ सम्मिलित हैं। यह संस्था न तो राजनीति से किसी प्रकार का संबंध रखती है, और न धर्म से। इसका उद्देश्य शुद्ध सामाजिक है, और यह भिन्न भिन्न देशों की स्त्रियों को एक सूत्र में संबद्ध करके, उनमें परस्पर सहानुभूति उत्पन्न करती, उन्हें समाज सुधार के कामों का ढग बतलाती तथा हर प्रकार से सहायता देती है। इस प्रधान

सस्था से सबद्ध जो स्थानीय शाखाएँ आदि होती हैं, वे अपने कामों के लिये सब प्रकार से त्रिलकुल म्वतत्र होती ह। सस्था के उद्देश्यों की सिद्धि के लिये वे जो उपाय उचित समझती हे उन्हीं का अवलम्बन करती हे। कोई ऐसा नियम नहीं है, जिसका पालन सभी शाखाओं के लिये आवश्यक हो, और न कोई ऐसा सिद्धांत हे, जिसका मानना ही अनिवार्य हो। प्रधान सस्था की ओर से प्राय बडी-बडी महासभाएँ होती हे, जिनमें सारे ससार की स्त्रियाँ एकत्र होती हे। उन महासभाओं में ऐसे ही विषयों पर विचार होते ह, जिनका समग्र तरी मात्र से होता ह। सन् १९०० में इस सस्था का महाधिवेशन पेरिस में हुआ था। उस अवसर पर श्रीमती मे राइट सेवेल ने कहा था—“सभी देशों और सभी स्थानों में ऐसी स्त्रियाँ होती ह, जो अनेक दृष्टियों से अभागी होती ह, जिनकी दुर्दशा पर कभी कोई ध्यान नहीं दिया जाता, और ऐसे बच्चे हाते ह, जो बहुत ही दरिद्र, रोगी और दुःखी होते ह। सभी जगह इन अभागी स्त्रियों और अभागे बच्चों की रक्षा और उन्नति के लिये सभाएँ तथा सस्थाएँ आदि भी होती ह। यदि मुझसे

प्रश्न किया जाय कि क्या यह बात संभव हे कि ससारभर के सभी भिन्न भिन्न देशों की स्त्रियाँ एक सार्वदेशीय और सार्वज निक कार्य के लिये मिलकर एक हो जायें ? तो मे इसका उत्तर यही दूँगी कि यह बात केवल संभव ही नहीं, बल्कि यह एक ऐसी बात है, जिसके लिये ही स्त्रियों का अस्तित्व हे, इसी

काम के लिये स्त्रियाँ रनाई गई हैं । पुरुषों के लिये बहुत-सार्जनिक और निज के कार्य दृशा करते हैं, और वे उन कामों इतन लीन रहते हैं कि वे अकेले रोगियों, दीन दुखिया और अभागों का सारा बोझ नहीं सँभाल सकते । स्त्रियों को अतः राजनीतिक क्षेत्र में काम करने का अवसर नहीं दिया गये, कुछ स्त्रियाँ ही बहुत सहज में नारे समार में भाग लेनी व्यापना कर सकती हैं ।”

स्त्रियों को अन्तर राष्ट्रीय कांसिल के मुख्य उद्देश्यों में एक उद्देश्य यह भी है कि सारे समार में शांति जी रक्षा की जाय । त्यों तक नो सके, कहीं युद्ध न होने दिया जाय । इस उद्देश्य की निधि के लिये उसकी एक कमटी बना है, जिन्में सम गरीय कोसिलों की आर ने चुनी हुई एक एक स्त्री सदस्य रहती हैं । प्रत्येक गरीय कोसिल में स्त्रियाँ ही सदस्य होता है और वही उसकी पदाधिकारिणी नो । मंत्री, उपमंत्री, नभापति उरसभापति आदि ने सब आपस में ही चुनती हैं । ये कोसिल भिन्न भिन्न विषयों पर विचार करने और उनका पूरा पूरा शा प्राप्त करने के लिये छोटी-छोटी कमेटियाँ नियुक्त कर देती हैं और इन कमेटियों की सूचनाओं और रिपोर्टों पर कोसिल में विचार होता है । इंगलैंड तथा अमेरिका की कोसिलें इस बात का भी प्रयत्न करती हैं कि जिन शाही, कमीशना आदि के विचारणीय विषयों का सब स्त्रियों के हितों से हा, उन कमीशनों में कुछ स्त्रियाँ भी सदस्य रूप से नियुक्त की जाय।

करें। इस सस्था के उद्देश्यों में एक उद्देश्य यह भी है कि स्त्रियों को भी सब प्रकार की शिक्षा पुरुषों के समान ही दी जाया करे, नैतिक आचार के बंधन भी दोनों के लिये समान ही हों। दुःख है, अभी तक भारतवर्ष की स्त्रियों ने अपनी वासिल स्थापित करके इससे कोई संबंध नहीं स्थापित किया है। यदि यहाँ की शिक्षित स्त्रियाँ भी अपनी एक वासिल स्थापित करके इस सस्था के साथ उसे संबद्ध कर ले, तो यहाँ की स्त्रियों का भी बहुत कुछ कल्याण हो सकता है, और पूर्व तथा पश्चिम के संबंध में भी और अधिक घनिष्ठता स्थापित हो सकती है।

योरप, अमेरिका आदि में इसी प्रकार की आर भी अनेक सन्थाएँ हैं, जो अनेक प्रकार से मानव-जाति का कल्याण करने में सहायक हुआ करती हैं। इनमें से बहुतेरा सस्थाओं का उल्लेख पिछले प्रकरणों में हो चुका है। इंग्लैंड में एक सस्था है, जो सदा इस बात का उद्योग करती रहती है कि स्त्रियाँ

दुप कानूनों का कल धारखानों आदि में ठीक-ठीक पालन होत है, या नहीं। एक और सस्था है, जिसमें योरप के प्राय सर्वा देशों के लोग मिलकर इस बात का उद्योग करते हैं कि कारखानों में काम करनेवाली स्त्रियाँ और बच्चों को रक्षा क लिये अच्छे अच्छे कानून बनाए जायँ। इस सन्धा की ओर से योरप की कई भाषाओं में ऐसे सामयिक पत्र भी निकलते ह, जिनमें यह बतलाया जाता है कि किस देश के किस कानून में क्या दोष हे, और किस देश में कोन-सा नया और अच्छा कानून पास हुआ है। थमजीवियों की जो महासभाएँ होती हैं, उनकी रिपोर्ट और प्रस्ताव आदि भी यह सस्था प्रकाशित करके लोगों में बाँटा करती है। मतलब यह कि इस सस्था का मुख्य उद्देश्य ही यह है कि समस्त ससार में समान रूप से अच्छे-अच्छे कानून बनाए जायँ, और उनका पूरा पूरा पालन हो। एक और सस्था है, जो इस बात का प्रयत्न करती है कि स्त्रियों को भी सब बातों और सब कामों में पुरुषों के समान ही अधिकार प्राप्त हों। ये सब सस्थाएँ ऐसी ही हैं, जिनके सब काम केवल स्त्रियाँ ही करती हँ। पर एक और सस्था हे, जिसमें स्त्रियाँ और पुरुष मिलकर काम करते हैं। इस सस्था का मुख्य उद्देश्य यह हे कि बच्चों के साथ किसी प्रकार का कठोरता का व्यवहार अथवा अत्याचार न किया जाय। यदि सच पूछा जाय, तो स्त्रियों के लिये सबसे अच्छा काम यही ह कि वे बच्चों का पालन पोषण और रक्षण करें, और मदा इस बात का ध्यान रखें कि

उनके साथ किसी प्रकार का अनुचित व्यवहार तो नहीं किया जाता है। यही कारण है कि इंग्लैंड में इस सस्था का काम और सब सस्थाओं से बहुत अच्छा और उपयोगा समझा जाता है। प्रत्येक देश और प्रत्येक जाति का भविष्य उसके बच्चों के स्वास्थ्य और सुख पर निर्भर है। जिस देश के बच्चे दौन दुखी और रोगी होंगे, उसका भविष्य सदा अधकार मय रहेगा। इस सस्था में काम करनेवाली स्त्रियाँ घर घर जाकर माता पिता को यह बतलाती हैं कि बच्चों का लालन पालन किस प्रकार किया जाना चाहिए, उन्हें किस प्रकार की शिक्षा दी जानी चाहिए, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाना चाहिए, उन्हें किस प्रकार के कपड़े पहनाने चाहिए, किस प्रकार उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना और किस प्रकार उन्हें सुखी तथा निश्चित रखना चाहिए। यह सस्था इस बात का भी उद्योग करती है कि पार्लियामेंट द्वारा ऐसे कानून बनाए जायें, जिनके कारण लोग बच्चों के साथ कठोरता का व्यवहार या अन्याय न कर सकें। तात्पर्य यह कि इस सस्था का उद्देश्य यह है कि लोग बच्चों के साथ कठोरता-पूर्ण व्यवहार ही न करने पायें। इस सस्था की ओर से बहुत-से निरीक्षण सदा चारों ओर घूमा करते और इस बात का पता लगाया करते हैं कि कहा बच्चों के साथ कोई अन्याय या अतृष्णा तो नही हो रहा है। यदि किसीके सामने कोई आदमी अपने बच्चे को बेतरह मारे पाड़े, या उससे ऐसा काम ले, जो उसकी सामर्थ्य से बाहर

है। जहाँ पाश्चात्य बातों में किसी प्रकार का दोष देख पड़ता है, वहाँ या तो वे बातें छोड़ दी जाती हैं, अथवा उनमें उपयुक्त सुधार तथा परिवर्तन करके, वे दोष दूर कर दिए जाते हैं। ऐसी दशा में यही मानना पड़ता है कि जापान में जो परिवर्तन हो रहे हैं, वे बहुत ही शुभ और बहुत-से अर्थों में भारतवासियों के लिये भी अनुकरणीय हैं। अतः हम आवश्यक समझते हैं कि इस प्रकरण में यह बात बतला दें कि जापान की स्त्रियों की इस समय क्या अवस्था है, और वे किस प्रकार उन्नति के पथ पर अग्रसर हो रही हैं।

जापानियों और भारतवासियों की संस्कृति तथा सभ्यता में बहुत अंतर है, दोनों में समानता की बातें बहुत कम हैं। पर, फिर भी, हम आशा करते हैं कि हमारे देश की स्त्रियाँ यह जान कर कुछ न-कुछ लाभ अवश्य उठावेंगी कि एशिया के परम उन्नतिशील देश जापान की स्त्रियाँ कौसी ओर कहाँ तक उन्नति कर रही हैं—पाश्चात्य विचारों का वे किस ढंग से ग्रहण कर रही हैं। इस संबंध में हम अपने देश की स्त्रियों का ध्यान एक बहुत ही आवश्यक बात की ओर आकषित करना चाहते हैं। इसमें सदेह नहीं कि जापानवालों ने एशिया, योरप और अमेरिका के अनेक देशों से ही बहुत-से विचारों तथा रीति-नीति को ग्रहण किया है, पर इन सब बातों के ग्रहण करने में उन्होंने अपनी जातीय स्वतंत्रता का बलिदान किया है, और नई-नई बातों को ग्रहण करते समय उन्होंने अपने प्राचीन धर्म या वंश

परम्परा से चली आई हुई और और बातों का परित्याग किया है। शिक्षा सब्धी सिद्धांत, इंजीनियरी, जहाज बनाने, युद्ध का ढंग सीखने, पेंती बारी, चिकित्सा, कला, कानून और शासन आदि का ज्ञान प्राप्त करने के लिये अपने यहाँ चीनियों, अंगरेजों, अमेरिकियों, फ्रांसीसियों, जर्मनों और इटालियन आदि को नियुक्त किया है। अर्थात् जहाँ तक हो सका है, उन्होंने सभी लोगों से उनकी अच्छी-अच्छी बातें सीखी हैं, पर ढंग अपना निज का ही रखा है। जब पहले-पहले उन्होंने फारमोसा में अपना उपनिवेश स्थापित किया, तब उन्होंने उसी प्रणाली का अनुसरण किया, जिसे इंग्लैंड ने समस्त ब्रिटिश भारत में प्रचलित की थी। यहाँ पर प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या वे इतनी विदेशी जातियों की रीति-भँति सीखकर और इतने देशों से शिक्षा प्राप्त करके भी अपने व्यक्तित्व और राष्ट्रीयता की रक्षा कर सकते हैं? बहुतेरे विचारशीलों का तो यही मत है कि इस कठिन काम में भी उन्हें पूरी-पूरी सफलता ही हो रही है। वे सब जातियों और सब देशों से सब प्रकार की शिक्षा ग्रहण करते हुए भी अपने-पन की बराबर रक्षा करते रहे हैं। इन्हीं कारणों से हम भी आधुनिक जापान की स्त्रियों का इतिहास और परिचय देने के लिये विवश हुए हैं। यद्यपि जापान की स्त्रियों ने बहुत हाल में नई-नई बातें सीखना आरम्भ किया है, तथापि यदि हम यहाँ उन सस्थाओं का सक्षिप्त विवरण दे दें, जिन्हें जापान की स्त्रियों ने अपने यहाँ स्थापित किया है, तो कुछ अनुचित न होगा।

सबसे पहले तो यह यात घतला देना आवश्यक है कि भारतीय स्त्रियों की भाँति जापान की स्त्रियाँ भी बहुत ही प्रतिष्ठा की दृष्टि से देखी जाती रहीं हैं, और उनके उत्तम कार्यों के कारण उन्हें बराबर उच्च स्थान मिलता रहा है। प्राचीन काल में जापान की स्त्रियाँ बराबर साम्राज्ञी के पद पर अभिषिक्त होकर सब प्रकार का शासन कार्य करती रहीं हैं, और राजकीय कार्यों में बराबर बहुत कुछ सहायता देती हैं। जापान के प्राचीन साहित्य के निर्माण में भी वहाँ की स्त्रियाँ ने बहुत सहायता दी है। इस समय जापान में जा सबसे प्राचीन ग्रन्थ मिलता है, उसका नाम 'काजीकी' है। जापानी भाषा में 'काजीकी' शब्द का अर्थ होता है प्राचीन विषयों का संग्रह। जापान में ऐसा प्रवाद है कि सम्राट् तेम्मु ने, जिसका शासन काल सन् ६७३ से ६८६ ई० तक था, अपने देश के अन्द्रे-अच्छे और उच्च वर्गों का इतिहास तैयार कराया था। ऐसा इतिहास तैयार कराने का उद्देश्य यह था कि जापानी राष्ट्र या जाति का एक पूरा लेखा एक ही जगह मिल सके। इस काम के लिये उसने अपने दरबार की एक स्त्री को नियुक्त किया था, जिसका नाम हियेडा नो परे था। यह विदुषी अपनी उत्तम स्मरण शक्ति के लिये बहुत प्रसिद्ध थी। इसे सब पुरानी बातें, सारी पुरानी घटनाएँ और समस्त पुराना इतिहास जवानी घतला दिया गया था। परन्तु अभाग्यवश यह लेखा या इतिहास तैयार होने से पहले ही सम्राट् तेम्मु का देहात हो गया।

उनके उपरांत पचीस वर्षों तक इस त्रिदुषी ने जापान के समस्त प्राचीन वर्गों का सारा इतिहास जमानो याद रक्खा। तब सन् ७१२ ई० में साम्राज्ञी गेम्पो की आज्ञा से इस त्रिदुषी ने वह सारा इतिहास यसुमरो नामक एक लेखक को लिखा दिया, और तब यह प्राचीन इतिहास प्रस्तुत हुआ। इस प्रकार जापान का सबसे पुराना ग्रंथ और सबसे पुराना इतिहास एक स्त्री को बदौलत और उसी के सरक्षण में तैयार हुआ था।

जापानी साहित्य के निर्माण में वहाँ की स्त्रियों के काम की इतिथी यहाँ नहीं हो जाती। जापान का 'निहोंगी' नाम का एक और इतिहास सन् ७२० ई० में वहाँ की साम्राज्ञी की आज्ञा से और उन्हीं के सरक्षण में तैयार किया गया था। जापान का 'गेंगी मोनोगतरी' नाम का पहला उपन्यास भी 'मुरसरी नो शिफ़ू' नाम की एक स्त्री ने ही, ग्यारहवां शताब्दी के आरम्भ में, लिखा था। उसी समय का लिखा हुआ 'मकुरा ना जोशी' नाम का एक और ग्रंथ मिलता है, जिसमें कियोटा के तत्कालीन सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया है। यह वर्णन भी एक स्त्री ने ही लिखा था, जिसका नाम शेई सोनगोन था। जापानी तथा विदेशी समालोचकों ने इन दोनों ही ग्रंथों की बहुत अधिक प्रशंसा की है, जिससे सिद्ध होता है कि जापान की स्त्रियों में जो बुद्धिमत्ता है, वह आज की अर्जित की हुई नहीं, बल्कि उनमें बहुत प्राचीन काल से चली आई है। इसके अतिरिक्त साहित्य-क्षेत्र में काम करनेवाला जापानी स्त्रियों का सबसे बड़ा विशेषता

यह रही है कि वे अपनी भाषा की शुद्धता पर बहुत अधिक ध्यान रखती आईं ह, और उन्होंने उसमें उन चीनी शब्दों, नामों तथा शैलियों आदि को नहीं आने दिया है, जिनका तहाँ के पुरुष बहुत अधिकता से व्यवहार करते हैं। ग्यारहवा शताब्दी में सम्राट् इचोजो के दरबार में बहुत-से ऐसे पुरुष और स्त्रियाँ थीं, जो अनेक प्रकार से साहित्य सेना करती थीं, पर उस समय के जो ग्रन्थ आज तक प्रचलित हैं, और आदर की दृष्टि से देखे जाते हैं, उनमें अधिकांश स्त्रियों के ही दिमाग से निकले हुए हैं। प्राचीन जापान की स्त्रियाँ जिन प्रकार अपने सौंदर्य के लिये प्रसिद्ध थीं, उसी प्रकार अपने ज्ञान और बुद्धि-बल के लिये भी विख्यात थीं। जान पड़ता है, इन जापानी स्त्रियों ने भी उसी प्रकार अपना एक दरबारी साहित्य क्षेत्र बना लिया था, जिस प्रकार फ्रांस के राजा लुई व्हा फ्याटोर्ज के दरबार में था। हम इस पुस्तक के आरम्भ में ही यह प्रतीति चुने हैं कि प्रायः सभी देशों में पहले स्त्रियों का बहुत अधिक आग्रह होता था, पर बीच में उनकी मान मर्यादा आदि का हास होने लगा, और धीरे धीरे वे दीन-हीन अवस्था को प्राप्त हो गईं। ठीक यही बात जापान में भी हुई। प्राचीन काल में तो वहाँ की स्त्रियाँ बहुत अधिक उन्नत थीं, पर मध्य-युग में आकर वे भी नगण्य होने लगीं, और उनकी मान मर्यादा त्रिलकुत जाती रही। परन्तु काल में जब जापानी जाति योद्धा जाति बन गई, तब माता पिता अपने पुत्रों का ही विशेष आदर-सम्मान और लाड-प्यार करने लगे,

और स्त्रियों के हित की बातों की ओर उन योद्धाओं का कुछ ध्यान ही न रह गया। ऐसी अवस्था में यदि जापान की स्त्रियाँ धीरे धीरे दीन-हीन हो गईं, और समाज में उनका स्थान गौण हो गया, तो इसमें आश्चर्य करने की कोई बात नहीं है। आगे चलकर, सत्रहवीं शताब्दी में, वे बहुत ही तुच्छ दृष्टि से देयी जाने और नए प्रकार से मूर्ख, असतोषी और ईर्ष्यालु गिनी जाने लगीं। उस समय के लोग अपने यहाँ की स्त्रियों के साथ साथ स्त्री मात्र को ही बहुत हीन दृष्टि से देखने लगे थे, और उनकी यह धारणा हो गई थी कि स्त्रियाँ केवल पुरुषों का आशा पालन करने के लिये ही बनी हैं, समाज में उनका और कोई काम ही नहीं है। पर साथ ही स्त्रियों को अपने पति की आज्ञा पालन करने, घर गृहस्थी का सब प्रबंध करने, आवश्यकता पडने पर सब प्रकार का स्वार्थ-त्याग करने, पातिव्रत धर्म का निराला करने और शांति पूर्वक जीवन व्यतीत करने की शिक्षा दी जाती थी, और वे इन्हीं शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन बिताने लग गई थीं। उन्हें खाने-पहने में फिजूलखर्ची न करने और पेशे आराम या अभिमानसे दूर रहने की भी शिक्षा दी जाती थी, और इन शिक्षाओं का उनपर बहुत अच्छा प्रभाव देखने में आता था।

यद्यपि जापानी स्त्रियों में अब तक ये सब बातें पाई जाती हैं, तथापि साथ ही अजकल उनमें कुछ और भी नए गुण देखने में आते हैं। आजकल सारे ससार में स्त्रियों को पहलें

जापानी स्त्रियों ने चिकित्सा शास्त्र में बहुत अच्छी उन्नति की है। स्त्रियों को चिकित्सा शास्त्र की शिक्षा देने के लिये टोकियो में एक विद्यालय है, और उसमें सेकड़ों स्त्रियों को प्रत्येक वर्ष यही शिक्षा दी जाती है। इस समय जापान में बहुत सी स्त्रियाँ बहुत अच्छी तरह चिकित्सा का व्यवसाय भी करती हैं। शिक्षा के इस बहुत ही महत्वपूर्ण अंग का स्त्रियों में यथेष्ट प्रचार करने के लिये बहुतेरी अच्छी-अच्छी जापानी स्त्रियाँ आजकल बहुत अधिक प्रयत्न कर रही हैं, और उनके इस प्रयत्न का बहुत ही शुभ परिणाम भी वहाँ देखने में आता है।

जापान की शिक्षा संबंधी समस्याओं में सबसे अधिक महत्व की सस्था वहाँ की स्त्रियों का विश्वविद्यालय है। यह विश्व विद्यालय टोकियो में, सन् १९०१ में, वहाँ के मि० नरुगे-नामक एक ईसाई ने स्थापित किया था। वह विश्वविद्यालय संबंधी आवश्यक बातों का ज्ञान प्राप्त करने के लिये एक बार अमेरिका गए थे, और वहीं से सब बातों की जानकारी प्राप्त कर आए थे। जब वह जापान लौटकर स्त्रियों के लिये यह विश्वविद्यालय स्थापित करने की आयोजना करने लगे, तो बहुत-से जापानियों ने उनका बहुत विरोध किया था। पर उन्होंने हिंसा के विरोध का कुछ भी मयाल नहीं किया, और अपने विश्वविद्यालय की योजना तैयार की। ज्यों-ज्यों काम आगे बढ़ने लगा, त्यों-त्यों विरोध भी कम होने लगा, और लोग विश्वविद्यालय के साथ सहानुभूति प्रकट करने लगे। अथवा तो वहाँ के शिक्षा विभाग में

हम पिछले किसी प्रकरण में यह बात बतला चुके हैं कि भारतवर्ष की अप्रिकाश त्रियाँ अपने अधिकारों से सबध स्वनेजा की बातों से नितात अनभिज्ञ होती हैं। पर जापान की शिक्षित त्रियाँ ने अनेक अन-रों पर इस बात का अनुभव किया कि कानून की दृष्टि में हमारे अधिकार कुछ कम हैं, और राम पडने पर हम लाचार हो जाती हैं। अतः उन्होंने गार्हस्थ्य शिक्षा के क्रम में कानून की कुछ बातों का अव्ययन भी आवश्यक रखा। इस विश्वविद्यालय में समूह छोटे छोटे गालकों के कई स्कूल हैं, जिनमें साधारण और किंडरगार्टन प्रणाली के अनुसार शिक्षा दी जाती है। गालकों के लिये ये स्कूल विश्व-विद्यालय के साथ रखने का मुख्य उद्देश्य यह है कि त्रियों को ओर प्रहार की शिक्षा के साथ-ही साथ छोटे गालकों की शिक्षा और देखरेख का काम भी मिललाया जा सके। जापान में जिस प्रकार अन्य विद्यालयों में विद्यार्थियों के शारीरिक बल विकास का पूरा पूरा ध्यान रखा जाता है, उसी प्रकार बालिकाओं और त्रियों के विद्यालयों में भी इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता है कि उनकी नैतिक और मानसिक उन्नति के साथ-ही साथ शारीरिक उन्नति भी होती रहे। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य-रक्षा-सबधी शिक्षा देने की भी इस विद्यालय में बहुत अच्छी व्यवस्था है।

श्रीयुत कोटरी मोचीजुकी ने, जो कुछ दिनों तक यहाँ की पालियामेंट के सदस्य भी रह चुके हैं, 'आज का जापान' (Japan Today) नामक एक पुस्तक लिखी है। उस

पुस्तक में उन्होंने स्त्रियों के इस विश्वविद्यालय का यह उद्देश्य बतलाया है कि स्त्रियों को राष्ट्र तथा समाज का अंग होने की और साथ ही स्त्री जनोचित शिक्षा दी जाय। यह विश्वविद्यालय इसलिये स्थापित किया गया है कि वहाँ स्त्रियों में आत्म-सम्मान और आत्मनिर्भरता का भाव उत्पन्न हो, और उनमें आवश्यक और उपयुक्त भिन्न-भिन्न गुणों का विकास हो।

इन स्वाभाविक गुणों और विशेषताओं के साथ दूसरे देशों से ग्रहण किए हुए ऐसे विचार भी सम्मिलित किए जायेंगे, जिनके द्वारा वे घर की स्वामिनी होने के साथ-ही साथ समाज का उपयोगी अंग भी बन सकें। इससे द्वारा जापान की स्त्रियाँ इस योग्य बनाई जायगी, जिससे वे भी समाज में एक मुख्य स्थान प्राप्त कर सकें, और उस पर अपना प्रभाव डाल सकें।

अतः हम कह सकते हैं कि स्त्री शिक्षा के समय में जापान का आदर्श भी ठीक वही है, जो इंग्लैंड की शिक्षा विज्ञान के आचार्यों का है। अर्थात् जापानवालों का भी यही विश्वास है कि पुरुषों के गुणों के विकास के साथ-ही स्त्रियों के गुणों का भी विकास किया जाना चाहिए। पर दोनों के गुणों का विकास करने में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उनमें अपने-अपने निजी गुणों का ही विकास हो। ऐसा न हो कि स्त्रियों में पुरुषों के गुणों का विकास होने लग, अथवा पुरुषों में स्त्रियों के उपयुक्त गुण आने लग जायँ।

यद्यपि यह विश्वविद्यालय किसी स्त्री या स्थापित किया हुआ नहीं है, तथापि अथ जापान की स्त्रियाँ शिक्षा प्रचार के कामों में बहुत अधिक अग्रसर होने लग गई हैं। उन्हीं में से एक ने एक ऐसा विद्यालय स्थापित किया है, जिनमें बालिकाओं को तीन वर्ष तक शिक्षा देकर सरकारी स्कूलों में अंगरेजी पढ़ाने के योग्य बनाया जाता है। अथ तक स्त्रियों की इस प्रकार की शिक्षा के लिये जापान में कोई सुयोग्य नहीं था; पर इस विद्यालय के स्थापित हो जाने से उस अभाव को बहुत कुछ पूर्ति हो गई है, और ऐसी अनेक बालिकाएँ तैयार होकर निकलने लगी हैं, जो सरकारी विद्यालयों में अंगरेजी के अध्यापन का कार्य कर सकती हैं। ऐसी स्त्रियों से स्त्री शिक्षा के प्रचार में बहुत अधिक सहायता मिलती है। इस दृष्टि से यह सस्था बड़े काम की है, और आदि से अतः इसकी मारी व्यवस्था एक स्त्री ने की है। इस सस्था से यह जान भी भली भाँति सिद्ध होती है कि जापान की स्त्रियाँ में सगठन की भी बहुत अच्छी शक्ति है, जिसका कई कारणों से अभी तक विकास नहीं हो सका था, पर उपयुक्त शिक्षा पाकर जिसका बहुत अच्छी तरह विकास हो सकता है।

इधर कुछ दिनों से ससार के अन्य देशों के साथ जापान का सम्बन्ध बहुत अधिक बढ़ गया है, और बराबर दिन पर दिन बढ़ता ही जाता है। इसलिये अथ वहाँ की स्त्रियों को भी कई ऐसे नए पेशे करने की आवश्यकता पड़ गई है, जिनमें वे पहले बिलकुल

दखल नहीं रखती थीं। इसके अतिरिक्त चीन और रूस के साथ जापान के जो भीषण युद्ध कुछ ही दिनों पूर्व हुए थे, उनके कारण जापान का बहुत कुछ जन-क्षय हुआ था। इस जन क्षय के कारण भा जापान की स्त्रियों को पहल की अपेक्षा कई वर्षों तक सार्वजनिक कार्यों में प्रवेश करने की आवश्यकता पड़ी है। जब किसी घर का मालिक और कमानेवाला मर गया, तब उसकी विधवा स्त्री का अपना छाट-छाट बच्चा के पालन-पोषण के लिये कोई-न-कोई ऐसा काम करने की आवश्यकता पड़ी, जिससे उसका और उसकी सतान का निगाह हा सके। ऐसी बातों का परिणाम यह हुआ कि अब जहाँ की स्त्रियाँ धीरे धीरे गईं ऐसे नए पेशों में लगने लगी हैं, जिनमें वे अब तक नहीं लगती थीं, मानों एक प्रकार से आवश्यकता ने ही उनको वही नए कामों में लगने के लिये विवश किया। इसीलिये अब वहाँ अनक ऐसे विद्यालय स्थापित हो गए हैं, जिनमें केवल स्त्रियों को व्यवसाय-वाणिज्य करने, बहीखाता आदि रखने, सोने-पिरोने, चित्र तथा खिलौने आदि बनाने, फोटो उतारने तथा इसी प्रकार की और अनेक शिल्प कलाओं की अच्छी शिक्षा दी जाती है। जापान का सबसे बड़ा व्यवसाय रेशम तैयार करना है, और इस व्यवसाय में स्त्रियाँ बहुत अधिक और महत्व के काम करती हैं। रेशम के कीड़े पालन और रेशम तैयार करने में जितना काम वहाँ के पुरुष करते हैं, उसकी अपेक्षा वहाँ की स्त्रियाँ कहीं अधिक यह काम करता हैं। इस संबंध में जापान

की स्त्रियों की दिन-पर-दिन बढ़नेवाली योग्यता एक इसी बात से प्रमाणित है कि इस व्यवसाय में उनका सम्मान बराबर बढ़ता जाता है। साथ ही इससे यह भी प्रमाणित होता है कि यदि स्त्रियाँ ऐसे व्यवसायों में लग जायें, जो स्वभावतः उनके लिये उपयुक्त हों, तो वे उनमें बहुत अच्छी तरह अपनी योग्यता दिखा सकती हैं, और आवश्यकता पड़ने पर पुरुषों को भी बहुत अधिक सहायता दे सकती हैं। इसे तो कबल जापानी स्त्रियों ही की योग्यता का नहीं, बल्कि स्त्री मात्र की योग्यता का प्रमाण मानना चाहिए।

भोजनालयों आदि में भी जापान की स्त्रियाँ पुरुषों के साथ मिलकर बहुत अच्छा काम करता है। बहुत-से भोजनालय तो वहाँ ऐसे मिलेंगे, जिनकी स्वामिनी स्त्रियाँ ही होंगी, और कितने से ऐसे अच्छे-अच्छे भोजनालय हों, जिनमें स्त्री अपने पति के साथ मिलकर काम करती है। ऐसे भोजनालयों का सब काम बहुत अच्छी तरह चलता है, और उनसे बहुत अच्छा आर्थिक लाभ भी होता है। बहुत-सी ऐसी सहाय भी हैं, जिनमें पत्नी तो मुसाफिरों की खातिरदारी करती और उनसे चीजों का दाम घसूल करती है, और पति भाजन आदि की तलाश और तरह की व्यवस्था करता है। माधारणतः स्त्रियाँ ही वहाँ हिसाब-किताब रखती और प्रबंध करती हैं। चायानों आदि में भी बहुत-सी स्त्रियाँ प्रबंध करती हुई देखी जाती हैं। भोजनालयों आदि में जैसी सफाई और सुव्यवस्था देखने में आती है, उससे सिद्ध

पढता है। तोडी लासन ने सन् १९१० में, जापान के घरों के सत्रध में, एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में धोमती ने अपने देश के लोगों का ध्यान इस बात की ओर आकृष्ट किया था कि जय से अंगरेज लोग अपने घर की स्त्रियाँ और बालिकाओं को फल फूल आदि लगाने की शिक्षा देने के लिये बड़े बड़े कॉलेजों आदि में भेजने लगे हैं, उसके बहुत पहले से जापान की स्त्रियाँ इन काम में लगी हुई हैं। जापान की स्त्रियाँ ललित-कलाओं का अध्ययन बहुत ही अच्छे ढंग से और पूरा पूरा करती हैं। उनके घनाप हुए चित्रों आदि की दूर-दूर के देशों में भी बहुत कदर होती है। कुछ दिन हुए, जापान की एक स्त्री ने अपने घनाप हुए चित्रों की एक प्रदर्शनी लंदन में दी थी। जो लोग वह प्रदर्शनी देखने गए थे, वे उन चित्रों की बहुत प्रशंसा करते थे, यहाँ तक कि अच्छे अच्छे समाचार पत्रों में भी उसकी प्रशंसा छपी थी। लंदन में अनेक प्रकार के विलक्षण पदार्थों की एक दुकान है, जिसकी स्वामिनी दो जापानी स्त्रियाँ हैं। लंदन में ही एक ऐसी जापानी स्त्री-डॉक्टर है, जो डॉनों को सब प्रकार की चिकित्सा करती है। जापान में भी इस प्रकार के काम करनेवाली बहुत-सी स्त्रियाँ हैं, पर इंग्लैंड की स्त्रियों की तरह उनकी ऐसी बड़ी-बड़ी सस्थाएँ नहीं हैं, जो उन्हें मितव्यय आदि की शिक्षा दे सकें, अथवा अम-जीवी-धर्म के कर्तव्यों की रक्षा कर सकें।

हाँ, जापान में एक सस्था अवश्य ऐसी है, जिसमें, वहाँ की

स्त्रियाँ बहुत अधिक काम करती हैं। यह सस्था लुनसिड रेड क्रॉस सोसाइटी (Red Cross Society) है। इस सस्था की ओर से स्त्रियाँ और पुरुषों को, युद्धकाल में घायल होनेवाले लोगों के आघातों की चिकित्सा करने की शिक्षा दी जाती है। इस सस्था की स्थापना तो जापान में, सन् १८७७ में, ही हो गई थी, पर उस समय उसका रूप कुछ और ही था। उसे वर्तमान रूप सन् १८८६ में प्राप्त हुआ और उसी समय से यह सस्था वहाँ के सरकारी नियंत्रण में आई। जापान के राज-चश की तथा अन्यान्य उच्च कुलों की महिल्लाओं ने इस सस्था की इतनी अधिक सहायता की, और इसे इतना अधिक प्रोत्साहन दिया कि अब जापान में सब लोग दाईगोरो के काम को बहुत अधिक आदर और सम्मान की दृष्टि से देखते हैं। राज-चश तथा दूसरे उच्च कुलों की स्त्रियाँ इस सस्था को केवल आर्थिक सहायता देकर ही निश्चित नहीं हो जातीं, बरिन्धे उसकी कमेटियों के सदस्य हाकर भी काम करती हैं, तथा और भी अनेक प्रकार से इस काम में सहायता देती हैं। उनकी इस सहायता का परिणाम यह होता है कि लोग दिन पर दिन इस सस्था में अधिक उत्साह के साथ योग देते हैं। इस रेड क्रॉस सोसाइटी से सबद्ध एक और सस्था है, जिसका नाम वालंटियर लैडी नर्ससेस एसोसिएशन (Volunteer Lady Nurses Association) है, और जिसकी स्थापना सन् १८८७ में हुई थी। इस सस्था में अच्छे अच्छे घरानों की

स्त्रियों सम्मिलित हैं, और वे दाई का काम बहुत उत्साह से और अच्छी तरह सीखती हैं, तथा युद्ध-काल में अपने देश-वासियों की सेवा और सहायता करने के लिये हर तरह से तैयार रहती हैं। राजकुलकी अनेक राजकुमारियाँ भी इस समस्या में सम्मिलित हैं, जिससे दाईगरी के पेशे को अच्छा प्रोत्साहन मिलता है।

रेड क्रॉस सोसाइटी का प्रधान अस्पताल टोकियो में है। शांति-काल में इस अस्पताल में दाइयाँ और डॉक्टरों को तीन वर्ष तक शिक्षा दी जाती है, और जब उनकी शिक्षा समाप्त हो जाती है, तब वे निजी रूप से चिकित्सा का काम करने लगते हैं। पर जिस समय वे शिक्षा समाप्त करके अस्पताल से निरलने लगते हैं, तब उन्हें इस आशय का एक इकगारनामा लिख देना पड़ता है कि यदि आगामी पंद्रह वर्षों के अंदर कोई युद्ध दिखे, राजनीतिक उपद्रव या सैन्य सन्त्रालन हों, तो आवश्यकता पड़ने पर वे सोसाइटी के आह्वानानुसार हर समय तैयार रहने के लिये तैयार रहेंगे। जब कभी वहाँ सेना एक स्थान से दूसरे स्थान को भेजी जाती है, तब उसके साथ दाईगरी करनेवाला स्टाफ भी भेजा जाता है। इस प्रकार उस स्टाफ को शांति काल में ही काम करने का बहुत कुछ अनुभव प्राप्त हो जाता है। अपने कर्तव्यों का पालन करने में जिन लोगों का स्वास्थ्य किसी प्रकार नष्ट हो जाता है, उन लोगों को राज्य की ओर से पेंशन भी दी जाती है; और यदि उनकी मृत्यु हो जाती है, तो उनके

सभयियों के भरण पोषण के लिये उपयुक्त द्रव्य दिया जाता है। यद्यपि रेड क्रॉस अस्पताल का प्रधान अधिकारी पुरुष ही होता है, तथापि इसमें सदेह नहीं कि उसके काम में सबसे अधिक सफलता इसीलिये हुई है कि उसमें स्त्रियों ने भी पूरा तरह से योग दिया है। जापान के सरजन जनरल वेरन टेडेनारी इशिगुरों ने जापान के रेड क्रॉस के कामों का उल्लेख करते हुए एक लेख लिखा था। उस लेख में रेड क्रॉस के उस समय के कामों का जिक्र था, जिस समय सन् १८९३ में चीन जापान युद्ध के समय रेड क्रॉस की दाइयों आदि से पहलेपहल काम लिया गया था। वेरन इशिगुरो ने लिखा था—“जब पहलेपहल दाइयों से काम लिया जाने लगा, तब सब लोगों ने इसका घोर विरोध किया था।

शोर, उनके इस विरोध का कारण पुराने जमाने से चला आया हुआ वह भाव था, जो स्त्रियों और पुरुषों के संबन्ध में, जापान में, प्रचलित है। पर मैं अपने विचारों पर दृढ़तापूर्वक अडा रहा, और मैंने हिरोशिमा तथा अन्यान्य स्थानों के अस्पतालों में रेड क्रॉस अस्पताल की दाइयों को नियुक्त कर ही दिया। इसका जो कुछ परिणाम देखनेमें आया, उससे यह बात भली भाँति सिद्ध हो गई कि मैंने जो कुछ किया था, वह बिलकुल ठीक था, क्योंकि इन सब दाइयों को पूरी-पूरी सफलता प्राप्त हुई थी।”

जब युद्ध समाप्त हो गया तब कई प्रधान दाइयों को आर्डर ऑफ दी क्राउन (Order of the Crown) की

उपाधि से विभूषित किया गया। कुछ वर्ष पहले यह विशेषता उन्हीं स्त्रियों को दी जाती थी, जो कोई बहुत बड़ा और प्रगल्भनीय सेवा करती थीं।

इस बार तो मानों जापानी दाइयों पहलेपहल केवल पुरुषों के रूप में काम करने के लिये भेजी गई थीं। पर जब इस प्रकार के काम में वे पूर्ण रूप से उत्तीर्ण हो गईं, और उन्हें यथेष्ट सफलता मिल गई, तब मानों उनका मार्ग विलकुल परिष्कृत हो गया, जब जहाँ आवश्यकता पड़ने लगी, वे भेजी जाने लगीं। जब रूस और जापान में युद्ध हुआ, तब इस रेड क्रॉस की दाइयों ने जो अद्भुत काम किया था, उसकी प्रशंसा सारे मनुष्यों में हुई थी। अपने देशगमियों के लाभ के विचार से हमें यह भी प्रतीत देना चाहने है कि जापान ने अपने यहाँ इस सस्था के संबंध में वही प्रणाली प्रचलित की थी, जो जर्मनी में प्रचलित है। इसका विचार स्वयं जापानियों के मन में आया था, उदिक उन्हींने यह विचार जर्मनी वालों से ग्रहण किया था। इस सस्था की सफलता से यह बात भी भली भाँति प्रमाणित होती है कि एशियावाले बहुत-सी बातों में पाश्चात्य देशों का भली भाँति अनुकरण कर, सफलता प्राप्त करते हैं। उससे बहुत कुछ लाभ भी उठा सकते हैं।

जापान में स्त्रियों को ऐसी सस्थाएँ बहुत ही कम हैं, केवल स्त्रियों के हितों की रक्षा करने के लिये ही से स्थापित की गई हैं। इससे यही सिद्ध होता है कि जापान

खियाँ इस गङ्गारूपे सामाजिक कामों में विशेष अप्रसर नहीं हुई हैं। वहाँ खियों की जो मुख्य सस्थाएँ ह, वे प्रायः देश हित की ही प्रेरणा से स्थापित हुई हैं। इसी प्रकार के देशहित के विचारों से प्रेरित हुए जापानी खियों ने एक और सस्था स्थापित की थी, जिसका नाम लेडीज पेड्रिआटिक एनासिपरान है। यह सस्था इस उद्देश्य से बनाई गई है कि धन एकत्र करके सैनिकों के आराम के लिये तरह तरह की चीजें खरीदी जायें या वह धन उनकी विधवाओं और अनाथ बच्चों को, उनके भरण पोषण के लिये, दिया जाय। इसके अन्दर की सदस्यों में राजकुल की कई राजकुमारियाँ भी हैं। इसका प्रधान कार्यालय टोकियो में है, और शाखाएँ प्रायः सारे देश में विस्तृत हैं। इसके सदस्यों की सख्या आठ दस लाख के ऊपर है, और इसकी आग ने एक सामयिक पत्र भी प्रकाशित होता है। इसका मुख्य कार्य उसी समय होता है, जब जापान किसी युद्ध में लिप्त होता है। और, उसी समय इसका कार्य हो भी सकता है। कोर्टो मोन्टिजुको ने अपनी एक पुस्तक में इस सस्था के कार्यों को प्रगमा करने हुए लिखा है कि इस सस्था में केवल जापानी ही आर्थिक सहायता नहीं देते, और न केवल जापानी ही इसका आदर करते हैं।

रूस जापान-युद्ध के समय योरप और अमेरिका तक के बड़े बड़े लोगों और बड़ा बड़ा सस्थाओं ने इसका सहायता के लिये घड़े में अच्छी अच्छी रकमें भेजी थी। इससे यह बात प्रमाणित होती है कि जापानी खियों की इस सस्था ने इतना अच्छा और

उपयोगी नाम किया या कि उसकी कदर दूर-दूर के देशों में हुई।

इसके अतिरिक्त परोपकार-संघी और भी अनेक सस्थाएँ हैं, जिनमें वहाँ की साम्राज्ञा तक सम्मिलित है, और समय-समय पर अच्छी सहायता करती है। इस प्रकार साम्राज्ञी अपने देश की स्त्रियों के समक्ष एक बहुत अच्छा एवं अनुकरणीय आदर्श प्रस्तुत करती और उन्हें अच्छे-अच्छे कामों में सम्मिलित होने के लिये प्रोत्साहित करती हैं। इनमें सबसे अधिक महत्व का टोकियो का यैराती अस्पताल है, जिसमें गरीबों की चिकित्सा प्रिलुल मुफ्त में की जाती है। इस अस्पताल के साथ, दाइयों की शिक्षा के लिये एक स्कूल भी है। अस्पताल और स्कूल, दोनों का सारा चर्च, सिर्फ लोगों के चदे से चलता है। इसका और इसकी तरह की और अनेक सस्थाओं का प्रायः सारा काम स्त्रियाँ ही करती हैं। शिक्षा-संघी कामों के लिये भी जापान में स्त्रियों की अनेक सभाएँ और सस्थाएँ स्थापित हैं। ऐसी सभाओं और सस्थाओं के समय-समय पर अधिघेशन हुआ करते हैं, जिनमें व्याख्यान तथा वाद विवाद होते हैं, और जिन्हें सुनने के लिये उनकी नभी सदस्याएँ तथा अन्यान्य स्त्रियाँ उपस्थित हुआ करती हैं।

जहाँ तक स्त्रियों के कार्यों का सत्रव है, भारत और जापान, दोनों के सामने प्रायः एक ही प्रकार की समस्याएँ उपस्थित हैं। दोनों ही देश यह बात अच्छी तरह समझने लग गए हैं

कि स्त्रियाँ दो ठीक ढंग से शिक्षा दी जाय, तो देश दुगना शक्तिशाली हो सकता है। दोनों ही देशों का उद्देश्य यह है कि ये नई और पुरानी, दोगा हा तरह की बातों को मिलाकर काम करें, अपने यहाँ की पुरानी बातों में आजकल की नई बातों का सम्मिश्रण करें। एशिया के बहुत-से निवासी यह समझते होंगे कि जापान पाश्चात्य प्रणालियों को ग्रहण करने में बहुत जल्दवाजी कर रहा है। उधर जापानवाले यह समझते होंगे कि भारतवर्ष तथा एशिया के दूसरे पूर्वी देश इन कामों में बहुत सही-ए हृदय और डील है। यह ठीक है कि भारतवर्ष और जापान में किसी प्रकार की समता नहीं हो सकती। भारतवर्ष में हजारों वर्षों से बहुत उच्च कोटि की सभ्यता और अच्छे-अच्छे दार्शनिक विचारों का प्रचार रहा है। अतः भारतवासी उस दृष्टि से नहीं देखे जा सकते, जिस दृष्टि से जापानी देखे जा सकते हैं। जापानियों की प्रगृहीत दार्शनिक नहीं है, वह शिल्प और ऐहिक बातों की ओर है। इसलिये भारतवासियों और जापानियों में भी प्रायः उतना ही अंतर है, जितना यारप और एशियावालों में। हम भारतवासियों को सदा मध्यम मार्ग का अवलम्बन करना चाहिए, क्योंकि वही मार्ग सर्वश्रेष्ठ है। हमें नए विचारों के ग्रहण करने में न तो बहुत जल्दवाजी करनी चाहिए, और न बहुत मुन्ती ही। यदि भारतवर्ष की स्त्रियाँ अपनी प्राग्भ्यन्तताओं के अनुसार पाश्चात्य देशों की स्त्रियों की कुछ अच्छी बातें ग्रहण करके अपनी योग्यता दिखला सकें, तो

वे बाधाएँ और रुकावटें बहुत कुछ दूर हा सकती हैं, जिनके कारण हम पाश्चात्य देशों की बराबरी नहीं कर सकते। पर यदि हम कुछ उपयोगी पाश्चात्य विचारों को बिलकुल अपने ढंग पर अपना लें, तो हम स्वयं सब प्रकार से अपनी बहुत अधिक उन्नति कर सकते हैं, साथ ही-साथ दूसरे देशों के लोगों को भी बहुत अधिक लाभ पहुँचा सकते हैं। जब पश्चिम और पूर्व का यह भेद भाव दूर हो जायगा, तब सभी देशों की बहुत अधिक उन्नति हो सकेगी, और सभी जातियाँ तथा सभी राष्ट्र एक सार्वराष्ट्रीय भ्रातृता की रस्सी में बँध जायेंगे।

मानव-जाति के कल्याण के लिये जिन सस्थाओं और सगठनों का हम ग्रन्थ में उल्लेख किया गया है, उनके स्थापन और संचालन के लिये बहुत ही उच्च विचार की, परिभाषा और ऐसी महिलाओं की आवश्यकता है, जो अपनी बहनों और अपने देश के बच्चों के हित के लिये अपने व्यक्तिगत सुख का सर्वथा त्याग कर सकें। मातृत्व के नर्तव्य बहुत हा परित्र और उच्च हैं, और अब दिन पर-दिन यह बात अधिक स्पष्ट होती जा रही है कि सबसे अधिक श्रेष्ठ माताएँ वही होती हैं, जो केवल अपने ही बच्चों की नहीं, केवल अपने परिवार के बच्चों की ही नहीं, बल्कि अधिक विस्तृत परित्र 'राष्ट्र' के बच्चों के हित के लिये भी सदा कुछ-न-कुछ करती रहती हैं, और जो अपने देश के बच्चों के साथ होनेवाले अन्याय अथवा उन्हें पहुँचानेवाले दुःख के प्रतिकार के लिये, सच्ची माताओं के समान, उद्योग

करना अपना परम कर्तव्य समझती हैं। जिस प्रकार कोई सच्ची माता अपने घर या परिवार में रहकर अपने बच्चों के साथ होनेवाले अय्याँ को, जिनका वह भतिकार कर सकती हो, कभी सहन नहीं करती, उसी प्रकार वह अधिक विस्तृत परिवार—राष्ट्र—के बच्चों के साथ होनेवाले अन्यायों को भी कदापि सहन नहीं कर सकती, और जहाँ तक हो सकता है, उसके भतिकार के लिये यथामाध्य निरंतर उद्योग करता रहती है। ज्यों-ज्यों देश में इस प्रकार की स्त्रियों की सख्या बढ़नी जाती है, त्यों-त्यों स्वस्थ, कर्तव्य परायण, प्रसन्न चित्त और होनहार व्यक्तियों की भी सख्या बढ़ती जाती है। और, जिस देश में ऐसे लोगों की सख्या बढ़ती है, वहाँ स्वाभयन सुप्त और वैभव आदि की भी वृद्धि होता रहता है। सामाजिक इत्याण और विशेषतः अपनी बहनों तथा माताओं के कल्याण के इस निःस्वार्थ क्षेत्र में स्त्रियों के उच्च कोटि के नैतिक विचारों और साहानुभूति के भावों का उत्तरोत्तर विकास होने लगता है, उसमें कर्मण्यता आने लगती है, वे अपने कार्यों में दृढ़ होने लगती और माना जाति की सब बातों को बहुत अच्छी तरह समझने लगती हैं। इससे स्त्रियों और पुरुषों के पारम्परिक संबंध भी दृढ़ और पवित्र होने लगते हैं, और फलतः उस उद्देश्य की सिद्धि होती है, जिसके लिये इस ससार की रचना हुई है।

आशा है, यह पुस्तक पढ़कर और ससार के अन्याय देशों की स्त्रियों के कार्य-क्षेत्रों का ज्ञान प्राप्त करके, हमारे देश की

वे बाधाएँ और रुकावटें बहुत कुछ दूर हो सकती हैं, जिनके कारण हम पाश्चात्य देशों की बराबरी नहीं कर सकते। पर यदि हम कुछ उपयोगी पाश्चात्य विचारों को बिलकुल अपने ढंग पर अपना लें, तो हम स्वयं सब प्रकार से अपनी बहुत अधिक उन्नति कर सकते हैं, साथ ही-साथ दूसरे देशों के लोगों को भी बहुत अधिक लाभ पहुँचा सकते हैं। जब पश्चिम और पूर्व का यह भेद भाव दूर हो जायगा, तब सभी देशों की बहुत अधिक उन्नति हो सकेगी, और सभी जातियाँ तथा सभी राष्ट्र एक सार्वराष्ट्रीय भ्रातृत्व की रस्ती में उँध जायँगे।

मानव-जाति के फल्याण के लिये जिन सस्थाओं और सगठनों का इस ग्रन्थ में उल्लेख किया गया है, उनके स्थापन और संचालन के लिये बहुत ही उच्च विचारकी, परित्रात्मा और ऐसी महिलाओं की आवश्यकता है, जो अपनी बहनों और अपने देश के बच्चों के हित के लिये अपने व्यक्तिगत सुख का सर्वथा त्याग कर सकें। मातृत्व के दर्तव्य बहुत ही पवित्र और उच्च हैं, और अब दिन-पर-दिन यह बात अधिक स्पष्ट होती जा रही है कि सबसे अधिक श्रेष्ठ माताएँ बही होती हैं, जो केवल अपने ही बच्चों की नहीं, केवल अपने परिवार के बच्चों की ही नहीं, बल्कि अति प्रिस्तृत परिवार 'राष्ट्र' के बच्चों के हित के लिये भी सदा कुछ-न-कुछ करती रहती हैं, और जो अपने देश के बच्चों के साथ होनेवाले अन्याय अथवा उन्हें पहुँचानेवाले दुःख के प्रतिकार के लिये, सच्ची माताओं के समान, उद्योग

म्त्रियाँ भी अपने देश की परिस्थितियों और अपने प्र
 मन्थन तथा गौरव का पुरा-पूरा ध्यान रखती हुई अपने प्र
 का निर्णय करेंगी, और तदनुसार कार्य-क्षेत्र में उनकर
 देश की वर्तमान दीन हीन दशा के सुधार में सय प्रकार
 सहायक होंगी । तथास्तु ।

सर्वं भवतु सुखिन सर्वे मनु निरामया

हमारा महिला-साहित्य

[सपादिका, श्रीमती कृष्णकुमारी]

कमला-कुसुम

प्रस्तुत पुस्तक स्त्रियों के लिये एक अमूल्य उपहार है। इसमें एक कहाना द्वारा लड़कियों और युवती स्त्रियों को बड़े ही लाभदायक उपदेश दिए गए हैं। लेखन-शैली बड़ी ही मनोमोहक और छपाई-सफाई नेत्ररजक है। एक बार देखते ही छोटे को जी न चाहेगा। चार चार चित्र। मूल्य १)

जज्ञा

लेखक, कनिराज श्रीप्रतापसिंह वेद्य। सतानोत्पत्ति चाहने-वाली स्त्रियों के उपयोग की प्रायः सभी बातें इसमें दी गई हैं। छोटी-छोटी घालिकाओं को संभालने का भी उपदेश दिया गया है। प्रसूति-का स्त्रिया के जानने-योग्य बातें, गर्भ रक्षा के उपाय, सतानोत्पत्ति के बाद के कर्तव्य, बड़ी सरल भाषा में, समझाए गए हैं। प्रत्येक गृहिणी को इसे पढ़कर अपनी तथा अपनी कन्याओं की, जो भारी माताएँ हैं, इस विषय में अज्ञान से उत्पन्न होनेवाली उपाधियों से रक्षा करनी चाहिए। मूल्य ॥=)

स्त्रियाँ भी अपने देश की परिस्थितियों और अपनी प्राचीन
 भस्मृति तथा गौरव का पूरा-पूरा ध्यान रखती हुई अपने कर्तव्य
 का निर्णय करेंगी, और तदनुसार कार्य-क्षेत्र में उतरकर अपने
 देश की वर्तमान दीन हीन दशा के सुधार में सब प्रकार स
 सहायक होंगी। तथास्तु।

सर्वे भद्रानि सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया

गुप्त सदेश

लेखक डॉ० युद्धवीरसिंह । यह पुस्तक भारतीय ललनाओं के लिये लिपी गई है । भूटी लज्जा के वश होकर न वे जननेन्द्रिय सवधी रोगों का पूरा हाल ही जान सकती हैं, और न उनका कुछ उपाय ही कर सकती हैं, जिसके कारण ससार के श्लौकिक आनंद का अनुभव करना तो दूर रहा, वे अकाल ही मृत्यु का शिकार बन जाती हैं । इस अनोखी पुस्तक में डॉक्टर साहब ने बड़ी सरल भाषा में जननेन्द्रिय-सवधी सभी क्षातव्य विषय लिखे हैं । पुस्तक अपने ढंग की निराली हैं । प्रत्येक घर में इसकी एक प्रति अग्रथ्य रहनी चाहिए । चुबतियों, भारत की भावी माताओं को इसे पढ़कर अवश्य लाभ उठाना चाहिए । मूल्य ॥२॥

देवी द्रौपदी

लेखक, कविवर ५० रामचरित उपाध्याय । यह पुस्तक देवी द्रौपदी का जीवन चरित है । आर्यायिका के ढंग पर लिखा गया है, जिमसे इसके पाठ से उपन्यास, प्राचीन इतिहास और जीवन चरित, तीनों के पढ़ने का आनंद आता है । यों तो यह पुस्तक समान रूप से सबके लिये शिक्षा प्रद है, पर स्त्रियों के लिये तो अमूल्य रत्न ही है । इस नवीन संस्करण में कई रंगीन चित्र भी दिए गए हैं । मूल्य ॥१॥

नारी-उपदेश

लेखक, श्रीयुत गिरिजाबुमार घोष । इस सचित्र पुस्तक में प्रामाणिक त्यों और शास्त्र पुराणों में से स्त्रियों के योग्य शिक्षाओं का समग्र किया गया है । स्त्रियों के लिये जितना बातें आवश्यक हैं, वे सब इसमें आ गई हैं । भाषा अत्यंत सरल और मधुर है । पढ़ने में रोचक है । इसका पहला संस्करण हाथोंहाथ विक्रय गया । द्वितीयावृत्ति । मूल्य ॥)

पत्राजलि

स्त्री पाठ्य पुस्तकों के प्रसिद्ध लेखक श्रीसताशुचंद्र चक्रवर्ती के बंगला 'स्वामी स्त्री पत्र' का हिंदी-रूपांतर । इसकी रचना पंडित कात्यायनीदत्त त्रिवेदी ने की है । हमारी राय है कि प्रत्येक पढ़ी लिखी नव विवाहिता स्त्री इस पुस्तक का अवश्य पढ़े, और इसके अमृतमय उपदेशों से लाभ उठावे । अवश्य मंगाइए । कवर पर ख्यातनामा चित्रकार श्रीयुत रामेश्वरप्रसाद शर्मा का अंकित एक चित्र भी है । तृतीयावृत्ति । मूल्य ॥)

भारत की विदुषी नारियाँ

इसमें कोई ५० विदुषी नारियों के जीवन-चरित्र बिलंबे गए हैं, जिनका परिचय पाठक नारियाँ गौरव प्राप्त कर सकती हैं । कवर पर सुप्रसिद्ध चित्रकार श्रीयुत काशिनाथ-शास्त्री का एक रंगीन चित्र है । छपाई साफ । कागजों में द्वितीयावृत्ति । मूल्य ॥)

